श माला, खण्ड 27, अंक 15

शुक्रवार, 2 अगस्त, 2002

11 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY

No. 54

Date 13/6/2003

(खण्ड 27 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

राजकुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 15, शुक्रवार, 2 अगस्त, 2002/11 श्रावण, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 और 282	17-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 283 से 300	32-72
अतारांकित प्रश्न संख्या 2845 से 3053	72-389
सभा पटल पर रखे गए पत्र	389-398
सभा का कार्य	399-405
कार्य मंत्रणा समिति	
चालीसवां प्रतिवेदन	405
पेट्रोल पम्प और रसोई गैस बिक्री केन्द्रों के आवंटन के बारे में	418-438
बिहार और असम में सूखे और बाढ़ की स्थिति के बारे में	439-467
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	477-481
(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) (दूसरा संशोधन) विधेयक	477
(दो) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक	478
(तीन) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक	478-481
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	483-498
देश में जूट उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं	
श्री हन्नान मोल्लाह	483, 484-488

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

श्री काशीराम राणा 483-484, 495-498

श्री अधीर चौधरी 488-490

श्री स्वदेश चक्रवर्ती 490-492

श्री चन्द्रनाथ सिंह 492-493

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 493-498

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक 498-509

विचार करने के लिए प्रस्ताव 509

श्री रतन लाल कटारिया 498-501

श्री ए. ब्रह्मनैया 501-503

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 503-505

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 505-508

खण्ड 2 से 7 और 1 509

पारित करने के लिए प्रस्ताव 509

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 510

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित 510-523

(एक) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (पैरा 3 का संशोधन)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 510-511

(दो) फसल बीमा विधेयक

श्री इकबाल अहमद सरडगी 511-523

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (दसवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री जी. एम. बनातवाला 524

(चार) लोक कृत्यकारी अथवा लोक सेवक द्वारा (साम्प्रदायिक बलवा में जनसंहार और तिरस्कारपूर्ण अभ्यारोपण के अपराध में) कर्त्तव्य की अवहेलना का निवारण विधेयक

श्री जी. एम. बनातवाला 524-525

विषय | कॉलम

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक—विचाराधीन 511-557, 525-558

डा. वी. सरोजा 511-514

श्री किरीट सोमैया 514-523

श्री अधीर चौधरी . . 525-530

श्री अनादि साहू 530-535

प्रो. ए. के. प्रेमाजम 536-539

प्रो. रासासिंह रावत 539-544

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 544

श्रीमती कान्ति सिंह 544-549

श्रीमती जस कौर मीणा 550-554

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 554-557

श्री रामदास आठवले 558-560

लोक सभा

शुक्रवार, 2 अगस्त, 2002/11 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैंने एक सचूना दी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले हम शोक प्रस्ताव लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी श्री एम. रामगोपाल रेड्डी के दुखद निधन की सूचना देनी है। श्री एम. रामगोपाल रेड्डी 1971 से 1984 तक आंध्र प्रदेश के निजामाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पांचवीं से सातवीं लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले श्री रेड्डी 1962 से 1967 तक आंध्र प्रदेश विधान के सदस्य रहे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले श्री रेड्डी ने 1942 से 1961 तक निजाम शुगर फैक्ट्री में एक अधिकारी के रूप में कार्य किया।

श्री रेड्डी पांचवीं लोक सभा के दौरान राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आधिनियम, 1973 के अंतर्गत गठित परामर्शदात्री समिति, 1975 से 1977 तक प्राक्कलन समिति, 1977 के दौरान गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति और 1980 से 1984 तक राजभाषा समिति के सदस्य रहे। श्री रेड्डी एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने सहकारिता आंदोलन में व्यापक रुचि ली और वह निजामाबाद कोओपरेटिव शुगर फैक्ट्री, निजामाबाद तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारी चीनी मिल परिसंघ के अध्यक्ष रहे। वह निजाम शुगर फैक्ट्री, बोधन के निदेशक तथा भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन और राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ के अंतर्गत गठित परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे थे। वह गन्ना उत्पादक एसोसिएशन, निजामाबाद के संस्थापक सदस्य तथा भारत कृषक समाज के संस्थापक और आजीवन सदस्य भी थे।

श्री रेड्डी ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में विशेष रुचि ली और उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए अथक कार्य किए। श्री रेड्डी निजामाबाद के गिरिराज कालेज तथा करीम नगर के जगतियाल कालेज के संस्थापक सदस्य थे। विज्ञान को पर्यावरण से जोड़ने के प्रबल समर्थक श्री रेड्डी ने बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षारीय भूमि के विकास में विशेष रुचि ली और बंजर भूमि के फैलाव को तथा जल और वायु में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास किए।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी का 15 जुलाई, 2002 को आंध्र प्रदेश के निजामाबाद, में एक सड़क दुर्घटना में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदना प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित बहुत गंभीर और अपमानजनक

घटना पर चर्चा करने के लिए प्रश्न काल को निलंबित करने की सूचना दी है। इसने राष्ट्र की नींव को हिला कर रख दिया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले इस मंत्रालय की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा रूपी धागे को भी तोड़ दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। आपके नेता बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पूर्व में जब श्री पी. वी. नरसिंह राव की सरकार थी, तो उच्चतम न्यायालय ने मंत्री के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत वितरण अधिकार का स्वयं संज्ञान ले लिया था। उस समय मंत्री को यह अधिकार था कि वह अपने विवेकाधीन कोटे से पात्र व्यक्तियों जैसे सैन्य बलों के व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं आदि को पेट्रोल पंप वितरित करें।

इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने स्वयं इस बात का संज्ञान लिया और उसके बाद, उच्चतम न्यायालय की राय पर सरकार द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी और उस पर सरकार ने कार्रवाई की। अब यह अपमानजनक रहस्योद्घाटन आज के समाचारों में प्रकाशित हुआ है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल में यह क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : आप क्यों बोल रहे हैं? आप बैठिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। आज मुझे कार्य स्थगन और प्रश्न काल के निलंबन हेतु चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक श्री प्रियरंजन दासमुंशी की ओर से, दूसरी श्री भेरूलाल मीणा की ओर से, तीसरी श्री एम. ओ. एच. फारूक की ओर से और चौथी श्री पवन कुमार बंसल की ओर से। मुझे चार सूचनाएं मिली हैं और मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि प्रश्न काल निलंबित करने हेतु आग्रह करने का कारण क्या है? मैंने उन्हें सिर्फ एक मिनट तक बोलने की अनुमति दी है। मुझे आशा है कि आप इसी विषय की चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा कि प्रश्न काल निलंबित किया जाए या नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, अच्छे प्रशासन और पारदर्शिता के साथ देश को चलाने के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के लंबे दावे आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' में समाचार प्रकाशित होने पर पूरी तरह से धोखा साबित हुए हैं। सभी मानदंडों की अनदेखी करते हुए पार्टी के कार्य–कर्त्ताओं के बीच पेट्रोल पंपों के वितरण के इस रहस्योद्घाटन से पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए और सभी दस्तावेजों और महत्वपूर्ण पत्रों को सी. बी.आई. को सौंप देना चाहिए तथा अब तक वितरित किए गए सभी पेट्रोल पंपों का परिचालन रोक दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : आप जीरो आवर में इस मामले को उठा सकते हैं। प्रश्न काल डिस्टर्ब मत करिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, निस्संदेह, यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। मेरा एक मात्र निवेदन है कि आप इसे "शून्य काल के दौरान" उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया मुझे यह बताने की अनुमति दें कि मैंने प्रश्न काल निलंबित करने के लिए यह सूचना क्यों दी।

इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देश में आज यह मुद्दा विचारणीय विषय बन गया है कि सरकार एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटालों में पकड़ी गई है। जब तक सरकार यह स्पष्टीकरण देने के लिए आगे नहीं आती कि मंत्री अपना इस्तीफा कब दे रहे हैं इस मामले की सी. बी.आई. द्वारा जांच कब शुरू की जाएगी और इस मामले में मुकदमा कब दायर किया जायेगा और पेट्रोल पंपों का परिचालन जब तक रोक न दिया जाये तब तक हम सरकार के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को "शून्य काल"

के दौरान उठा सकते हैं क्योंकि ऐसे मुद्दे उठाने का एकमात्र वही समय है। मैं प्रश्न काल निलंबित नहीं कर सकूंगा क्योंकि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए प्रश्न काल निलंबित किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

बंसल जी, प्लीज आप बैठिए।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह लूट हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : आप जीरो आवर में बोलिए, प्रश्नकाल को क्यों स्थगित करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसंल, आप इसे उचित समय पर उठा सकते हैं। इसका उचित समय 'शून्य काल' होगा, मैं इस पर बोलने के लिए आपको अनुमति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रश्न काल अवश्य चलना चाहिए। प्रश्न काल महत्वपूर्ण है। मैं 'शून्य काल' के दौरान इस मुद्दे पर आपको बोलने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं, यद्यपि सूचना प्रश्न काल को निलंबित करने के लिए प्राप्त हुई है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जब भी हम भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं सरकार हमेशा चुप बैठ जाती। हमें सिर्फ चिल्लाने की अनुमति है...*(व्यवधान)* इस मामले में पेट्रोलियम मंत्री को अविलम्ब इस्तीफा देना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सभी संसद सदस्यों और मंत्रियों के रिश्तेदारों को पेट्रोल पंप आवंटित किए गए हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्त्ताओं को पेट्रोल पंप आवंटित किए गए हैं...*(व्यवधान)* पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को त्याग पत्र दे देना चाहिए...*(व्यवधान)* पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री देश के प्रति जवाबदेह हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रघुवंशजी, आप हाउस में इस तरह पेपर नहीं दिखा सकते।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे फिर विनती करता हूं कि आप अपना प्रश्न हाउस में उठा सकते हैं लेकिन मैं दोनों तरफ से कन्सैन्सस न होने के कारण क्वैश्चन आवर सस्पैड करने का नोटिस नहीं मान सकता, मैं उसे मंजूर नहीं करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना विषय जीरो आवर में उठाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे बोलने दीजिए। 'शून्यकाल' के दौरान मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से यहां आने का अनुरोध करता हूं यदि वह दिल्ली में हैं और मुम्बई नहीं गए है। मैं उनसे यहां उपस्थित रहने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : अध्यक्ष

महोदय, आप टी.वी. बंद करवा दें। ये सब बैठ जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जिसने भी लिया है, उन सबको बंद करो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सरकार उत्तर देना चाहती है। कृपया सुनिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : ये बोलने नहीं दे रहे हैं।... *(व्यवधान)* ये बोल सकते हैं लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार का क्या कहना है, लोकतंत्र में वह भी सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार को जो कहना है, उसे कहने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। मैंने आपको अवसर दिया है। हम सरकार की बात सुन लें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो पेपर में पढ़ा है, वह मैंने भी पढ़ा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) आपका नाम...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मेरे किसी रिश्तेदार का नाम उसमें नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, वह व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। आज के समाचार पत्रों में भी मेरे किसी रिश्तेदार का नाम नहीं है। कृपया झूठा आरोप न लगाइए। *(व्यवधान)* आपने इसे पढ़ा। आपने पहले समाचार पत्र पढ़ा था *(व्यवधान)* व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : आपकी सारी पार्टी के लोगों के नाम हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं पार्टी का जवाब दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप बैठिए। श्री बराड़, आप सहयोग कीजिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? सरदार सिमरन जीत सिंह मान, आप अध्यक्ष के पास नहीं आ सकते। कृपया अनुशासन का पालन कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यहां कैसे आ सकते हैं और मुझे यहां समाचार पत्र कैसे दिखा सकते हैं? कृपया यह कार्य मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य अध्यक्षपीठ के पास आकर कैसे बात कर सकता है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक मर्यादा तक यह सब सह सकता हूं। उसके आगे कुछ नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह ओल्ड एजेड मैम्बर हैं, मैं इनकी रेस्पैक्ट करता हूं लेकिन यह बात ठीक नहीं है। यह फिर कभी ऐसा न करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल, कृपया सरकार को इस मुददे पर कुछ कहने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यदि विपक्ष किसी समय किसी विषय पर चर्चा करना चाहता है तो हमने उनसे कभी ना नहीं कहा है...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : हम पहले त्यागपत्र चाहते हैं चर्चा नहीं...*(व्यवधान)* महोदय, यह क्या है? बार–बार चर्चा की गई थी। उन सभी चर्चाओं का क्या हुआ जो इस सदन में हुई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह चर्चा का मुद्दा नहीं है। यह मंत्री के त्यागपत्र का मुद्दा है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, उन्हें यह कहने दीजिए कि जो भी आज समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, ठीक नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : पेपर में जो आया है क्या वह गलत है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, पेट्रोलियम मंत्री के पास विवेकाधीन कोटा नहीं है जैसाकि पहले कांग्रेस की शासन व्यवस्था में हुआ करता था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा विवेकाधीन कोटा का उपयोग करते हुए आवंटित सभी पेट्रोल पंपों की सूची देने के लिए तैयार हैं। तत्पश्चात हमें निर्णय करना चाहिए और पूरे देश का विश्लेषण करना चाहिए कि किस राजनीतिक दल के कर्ताओं के पास अधिक पेट्रोल पम्प हैं। मुझे इस पर निर्णय लेने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री जी के आने के बाद उन्हें इस पर चर्चा करने दीजिए किन्तु प्रश्न काल को स्थगित न करने का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस पर बी.ए.सी. में निर्णय कर सकते हैं और सब कुछ सदन के पटल पर रख सकते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : ऐसी लूट इतनी बड़ी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी योजना के साथ हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं पड़ी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैंने प्रमोद महाजन की बात सुन ली है। मैं अपनी पूरी विनम्रता से कह सकता हूं कि यह विवेकाधीन कोटे के तहत नहीं किया गया है विवेकाधीन कोटा पहले था। इसे समाप्त कर दिया गया। इसके वाबजूद मंत्री की पहुंच में आने वाले चयन बोर्डों के साथ चालाकी से काम करते हुए उन्होंने करगिल के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के दावों की बेशर्मी से अनदेखी करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में वितरण में पक्षपात किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का घोर भ्रष्टाचार ही नहीं है बल्कि लूट है।

[हिन्दी]

डा. जसवंतसिंह यादव (अलवर) : राजस्थान के हर मिनिस्टर ने पेट्रोल पम्प ले लिया है। राजस्थान का ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है, जिसके पास पेट्रोल पम्प नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस का ऐसा कोई विधायक नहीं है, जिसके पास पेट्रोल पम्प नहीं है। बल्कि खुद प्रदेश की सरकार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, कृपया मुझे एक बात कहने दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बंसल जी आप जानते हैं कि यह विषय महत्व का है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस विषय पर उत्तर चाहिए। आपको किसी मिनिस्टर का रेजिगनेशन चाहिए। वह मांगने का अधिकार भी प्रमोद महाजन जी का नहीं है। आप जानते हैं कि वह अधिकार प्रधानमंत्री का है–इसे आप सब जानते हैं। यह सभागृह है, यह सदन है, अच्छी तरह से सदन चलाना आप सभी की जिम्मेदारी है। मैं यही चाहूंगा कि इस विषय पर जीरो ऑवर में चर्चा हो सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक मिनट सुनिये। एक तो जीरो ऑवर में चर्चा हो सकती है, यहां बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न काल में उनके ऊपर अनुपूरक प्रश्न और उत्तर हो जाएंगे। जीरो ऑवर में मैं आपको यह प्रश्न उठाने की फिर इजाजत दूंगा। बंसल जी, आपको मैं पहले परमीशन दूंगा। आप इस सवाल को जीरो ऑवर में उठा सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : अभी इजाजत दें, सर।

अध्यक्ष महोदय : अभी कैसे दे सकता हूं। आप जानते हैं कि मैंने अभी क्वैश्चन ऑवर सस्पेंड नहीं किया है, लेकिन जो प्रश्न हैं, वे भी उतने ही गम्भीर हैं।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : जो सलैक्शन बोर्ड बनाया गया है, उस सलैक्शन बोर्ड ने भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी से विनती करूंगा। मैं आपको यह प्रश्न उठाने की इजाजत दे रहा हूं। इधर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि यदि चाहें तो इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मैं मंत्री जी को सदन में बुलाने को तैयार हूं लेकिन आप चर्चा ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, सरकार की ओर से श्री प्रमोद महाजन सदन को केवल यह विश्वास दिलाएं कि जो कुछ भी बताया गया है वह गलत है। यदि वह कहते हैं कि यह सब गलत है तो हम सब अभी सहयोग करने को तैयार हैं। अब इन्हें कहने दीजिए कि यह सब गलत है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे अधिकार की बात नहीं है कि प्रमोद महाजन जी क्या उत्तर दें।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संसदीय कार्य मंत्री ऐसा कहें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भी समझते हैं कि आपकी मांग माननीय मंत्री द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती है। मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि यह सब गलत है या नहीं? यह दूसरे विभाग से संबंधित है। पेट्रोलियम मंत्री यह कह सकते हैं।

संबंधित मंत्री को सदन में आने दीजिए। आप मुझे शून्यकाल तक एक मौका दीजिए। मुझे यह देखने दीजिए कि मंत्री जी यहां हैं या नहीं। यदि वह यहां होंगे तो वह सदन में आयेंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संसदीय कार्य मंत्री जी यहां हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनसे इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम जानना चाहते हैं कि यह सही है या नहीं। मैं यह समझ सकता हूं कि वरिष्ठ मंत्री यहां नहीं हैं परन्तु कनिष्ठ मंत्री यहां हैं। उन्हें कहने

दीजिए कि जो कुछ प्रेस में छपा है और जो नाम छपे हैं वह सब गलत हैं। उन्हें यह कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह यह कैसे कह सकते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह भारतीय जीमन पार्टी है। पूरा भारत जीमे जा रहे हैं ये लोग...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप पेपर नीचे रखिए। पेपर का यहां उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पेपर दिखा नहीं सकते। कृपया समाचार पत्र नीचे रखिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : इस प्रक्रिया में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी भी बदनाम किए गए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल बोल रहे हैं। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए और यह पता लगाने दीजिए कि उनका प्रस्ताव क्या है।

श्री पवन कुमार बंसल : हम यह प्रश्न शून्यकाल के दौरान उठा रहे हैं क्योंकि आज यह प्रश्न अत्यंत महत्व का है। अपनी ही पार्टी के सदस्यों और कार्य कर्त्ताओं को पेट्रोल पम्पों का आवंटन करने की प्रक्रिया में वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों का भी दुरुपयोग किया गया जो कि बोर्डों के अध्यक्ष थे।

[हिन्दी]

पूरी की पूरी लिस्ट मैनिपेलेट की गई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सौमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 281 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें कहा गया है कि "क्या सरकार को यह पता है कि देश में नकली नोटों का प्रचलन बढ़ रहा है", इस महत्वपूर्ण प्रश्न की सदन में चर्चा होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप क्या कह रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देश को लूट रहे हैं। हम कैसे चुप रह सकते हैं? इस मुद्दे पर चुप रहने का सवाल ही नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे डिसाइड करना है कि कौन–सा विषय महत्वपूर्ण है या नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक नया प्रस्ताव देने को तैयार हूं। विपक्षी दलों की भावनाओं और विषय की महत्ता को समझते हुए मैं इस पर तुरंत चर्चा करा सकता हूं। तथापि मुझे श्री बनातवाला से किया गया वादा याद है जो एक छोटा सा प्रश्न उठाना चाहते हैं। इनके प्रश्न उठाने के तुरंत बाद आप इस विषय को फिर से उठा सकते हैं। इस दौरान मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी यहां उपस्थित रहें यदि वे यहां हैं। अन्यथा कोई वरिष्ठ मंत्री आयेंगे, संसदीय कार्य मंत्री यहीं हैं। आप इस विषय पर जो दलीलें देना चाहते हैं उसे सुनने के लिए हम तैयार हैं। तथापि सदन के सभी दलों से मेरा यह निवेदन है कि चूंकि इन प्रश्नों के लिए सूचना बहुत पहले दी गई है, अतः हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इनमें से कुछ प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वूर्ण हैं और इन प्रश्नों को सदन के समक्ष लाने के लिए सदस्यों को काफी तकलीफ उठानी पड़ी होगी। अतः सभी सदस्यों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि हालांकि इस मुद्दे पर आपकी भावनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप शून्यकाल को जारी रखने दें। प्रश्न काल के तुरंत बाद इस मुद्दे पर पुनः चर्चा कराने के लिए मैं तैयार हूं। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मेरा अनुरोध यह है। इस मुद्दे पर उत्तर कौन देगा? मेरा प्रश्न अत्यंत साधारण है। मैंने किसी पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया। मैं केवल अनुरोध करना चाहता था। प्रेस में ज़ो कुछ भी छपा है क्या सरकार इससे इनकार करती है। यदि वह इनकार करती है तो हमें प्रश्न काल चलने देने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न रख दिया है और आप सरकार से इस पर प्रतिक्रिया चाहते हैं। यह संभव नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कनिष्ठ मंत्री यहीं हैं। यदि वह प्रेस में जो कुछ छपा है उससे इन्कार करते है और कहते हैं कि वह गलत है, तो हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी टिप्पणियों के लिए सदैव आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब, मेरे पास प्रश्नकाल जारी रखने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। अब प्रश्न संख्या 283 ली जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आपने टिप्पणी की है कि मंत्री महोदय आयेंगे और उत्तर देंगे। हम जानना चाहते हैं कि वे मंत्री कौन हैं जो उत्तर देंगे और क्या वह पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि प्रश्नकाल अब तक तीन बार सभा में सभी की सहमति से स्थगित किया जा चुका है। अब सदन में सहमति नहीं है। श्री प्रमोद महाजन पहले ही यह कह चुके हैं। अतः प्रश्नकाल का स्थगन संभव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री प्रमोद महाजन ने कहा है कि विवेकाधीन कोटे का प्रयोग नहीं किया गया है। अब कोई विवेकाधीन कोटा नहीं है और यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप 'शून्यकाल' में इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब, कृपया आप सहयोग करें। मैं आपको यह मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। मैं 'शून्यकाल' के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा और वाद-विवाद करने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, सदन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे सहयोग करने को तैयार हैं। इसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन बिल्कुल स्पष्ट है। पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक या राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार में से कौन हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा? इस मुद्दे का उत्तर श्री प्रमोद महाजन नहीं दे सकते।

श्री प्रमोद महाजन : मुझे पता लगाना होगा कि यदि पेट्रोलियम मंत्री जी शहर में हैं तो वह आयेंगे और उत्तर देंगे। यदि वह शहर में नहीं हैं तो उत्तर देने के लिए किसी और को आना होगा या आपको सोमवार तक इंतजार करना होगा। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम सोमवार तक इंतजार नहीं कर सकते। राज्यमंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री प्रमोद महाजन : यदि ये संतुष्ट होते हैं तो राज्य मंत्री उत्तर देंगे और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य संतुष्ट होते हैं तो केन्द्रीय मंत्री के न होने पर राज्यमंत्री उत्तर देंगे।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह अभी उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप इसे शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपकी टिप्पणी और विनिर्णय पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा सकता। हम आपकी टिप्पणियों का आदर करते हैं। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब टी.वी. रिकार्डिंग रोक दी जानी चाहिए। अब टी.वी. पर प्रसारण नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैं खड़ा हूं। आप बैठिए। माननीय सदस्यगण हम सदन में उत्पन्न समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मंत्री आपके द्वारा सदन में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गये हैं। संसदीय कार्य मंत्री यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री शहर में हैं या नहीं । यदि वे होंगे तो कोई समस्या नहीं है। वे आकर उत्तर देंगे। यदि वे नहीं होंगे तो राज्यमंत्री उत्तर देंगे। इस दौरान सदन का कार्य चलने दिया जाए। इस कारण मैं सभा की कार्यवाई पुनः शुरू करता हूं। मैं सोचता हूं कि इन्होंने अच्छा प्रस्ताव रखा है, जिन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि हम सब यह जानने के इच्छुक हैं कि प्रेस में जो कुछ छपा है उस संबंध में

क्या हुआ हैं। अतः मंत्रीजी के सदन में आने तक मुझे कार्यवाही चलाने दीजिए। यदि वे नहीं आ पाते हैं तो पेट्रोलियम राज्य मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : इस विषय पर पूरी बहस कराई जाए।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.30 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

जाली मुद्रा का परिचालन

+

***281. श्रीमती श्यामा सिंह :**

श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में जाली नोटों का परिचालन बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गत छह महीनों के दौरान कितनी धनराशि की जाली मुद्रा जब्त की गई और अनुमानतः कुल कितनी धनराशि की जाली मुद्रा परिचालन में है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने देश में जाली मुद्रा को आने से रोकने हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में जाली मुद्रा के परिचालन में हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

हाल में जाली मुद्रा का पता लगाने से संबंधित आंकडे कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं दर्शाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक शाखाओं के काउन्टरों पर विगत 6 महीनों के दौरान बरामद की गई जाली मुद्रा की कुल राशि 2.34 करोड़ रुपए हैं।

सरकार ने देश में जाली नोटों के प्रसार को रोकने के लिए उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ जाली करेंसी नोटों की विशेष रूप से जांच पड़ताल करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक विशेष एकक की स्थापना करना, देश में जाली करेंसी नोटों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता बढ़ाने, उच्च मूल्य वर्गों के नोटों में विशेष सुरक्षा पहचानों को शामिल करना और जनता के हित के लिए प्रिन्ट मीडिया और दूरदर्शन के जरिए सुरक्षा पहचानों का प्रचार करना शामिल है। जाली मुद्रा के प्रसार के कारण उत्पन्न समस्याओं की पूर्ण रूप से जांच करने के लिए गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, भारतीय रिजर्व बैंक और मुद्रणालयों के प्रतिनिधि शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उसने समस्याओं से निपटने के लिए कई सिफारिशें की हैं।

परिचालन में मौजूद नोटों की तुलना में पकड़ी गई जाली मुद्रा की अल्प मात्रा को देखते हुए जाली मुद्रा के परिचालन का हमारी अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं है।

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्तमंत्री पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं । क्या वे हमें बताएंगे कि नकली नोटों को चलाकर भारत को अस्थिर करने के आई एस आई के इरादों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया है? यदि हां, तो वहां के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? यदि नहीं तो क्यों नहीं उठाया गया है?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, नकली नोटों के मामले में माननीय सदस्यों को कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं।

महोदय, प्रचलन में कुल नोटों के अनुपात में नकली या जाली या किसी अन्य तरह के नोटों की संख्या बहुत

ही कम और न के बराबर है। यह बहुत ही कम और तुच्छ भिन्न के बराबर है। इसलिए, हमें इस समस्या को सामान्य रूप से बढ़ा–चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हम अनावश्यक रूप से और निरर्थक अपने शत्रुओं की जाल में जा फंसते हैं जिससे मुद्रा की वैधता और उसके प्रचलन में रुकावटें पैदा होती हैं।

महोदय, मैं पाकिस्तान की इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेन्स के बारे में जवाब देना चाहूंगा। माननीय सदस्या जानना चाहती थीं कि क्या सरकार इन्टर सर्विसेज इंटेलिजेन्स की गति–विधियों से अवगत है। निश्चित रूप से हम अवगत हैं। इस समस्या के विस्तार में जाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस मामले की देख–रेख के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् 'नोडल एजेंसी' के रूप में काम करती है। हम इस बात से अवगत हैं कि पाकिस्तान सरकार की कतिपय मशीनरियां भारतीय मुद्रा को अनावश्यक रूप से अस्थिर करने और उसमें भ्रम पैदा करने के लिए कितनी अभिरुचि ले रही है।

महोदय, उन्होंने विशेष रूप से यह पूछा है कि क्या इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाया गया है या नहीं। वास्तव में यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव सं. 1373 का अंग नहीं है। वस्तुतः यह एक आंतरिक मामला है। हम इसे अपने बलबूते पर हल करने में सक्षम हैं। इस समस्या को बहुत बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया गया है और इसलिए यह धारणा मन में इतना घर कर गई है कि यह मामला सही में पूरी तरह से तूल पकड लिया है। अतः इस मामले को जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उठाने की बात है, तो मैं कहना चाहता हूं कि।...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मैंने पूछा है कि इन जाली नोटों से सीमापार से आतंकवाद पर कितना असर पड़ सकता है। एक तो इससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या हमारे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग इस देश में सीमापार से चलाए जा रहे आतंकवाद और आई एस आई की गतिविधियों को समाप्त करने में हमारी मदद कर रहे हैं? यही मेरा प्रश्न था।

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रश्न को समझ चुका हूं। आम तौर पर प्रश्न समझने में मुझे देर नहीं लगती।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, सो तो आप नहीं हैं।

श्री जसवंत सिंह : जहां तक इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को सूचित करने का सवाल है। तो हमने कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं की क्योंकि यह देश स्वयं अपने बलबूते पर इस कुचक्र से निपटने में पूरी तरह सक्षम है।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव 1373 के अंग के रूप में आतंकवाद की समग्रता और आतंकवाद से लड़ने की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की वचनबद्धता का एक अलग आयाम है। क्या जाली नोटों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है? आतंकवाद केवल जाली नोटों की उपज नहीं है। स्वापक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद, स्वायक पदार्थों की तस्करी और जाली नोट– ये सब के सब आतंकवादी गतिविधियों के पहलू हैं। यह कुछ तो सीमा पार से पोषित है और कुछ सीमा के अन्दर से।

महोदय, जहां तक जाली या नकली मुद्रा का सवाल है; तो इसका प्रतिशत प्रचलन में कुल मुद्रा का इतना कम है कि हमें इसे बेवजह महत्व नहीं देना चाहिए।

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैंने जो कुछ भी सुना उससे मैं बहुत खुश नहीं हूं। तथापि सरकार इस देश में नकली नोटों के प्रचलन को असंभव बनाने के लिए बारकोडिड डिजिटल कोडो वाली मुद्रा और प्लास्टिक वाले नोटों का प्रयोग क्यों नहीं शुरू कर रही है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय हम केवल सीमापार से होने वाले आतंकवाद और जम्मू और कश्मीर में हो रहे हमले की बात कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि इसमें जाली नोटों की बड़ी भूमिका है। यदि मंत्री महोदय, वर्ष 2000, 2001 और 2002 के आकड़ों को देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि देश में सभी वर्गों से नकली नोटों के प्रचलन में गुणात्मक वृद्धि हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों से बीकानेर, जम्मू और कश्मीर में पैसे आ रहे हैं; भारत में पनाह लिए आई एस आई एजेन्टों के भरपूर वित्त पोषण के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि दी जा रही है जिससे कि वे इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। नकली नोटों के बारे में यही महत्वपूर्ण बात है। महोदय, यही मुख्य मुददा है।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछने के बजाय वक्तव्य ही दे डाला है। मैं उनके वक्तव्य के विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा। मुझे थोड़ा इस बात का दुख जरूर है कि वे कहती हैं कि मैंने जो जवाब

दिया है उससे वे खुश नहीं हैं। दरअसल खुशी या नाखुशी एक आत्मगत और व्यक्तिनिष्ठ मामला है और मेरे लिए यह कठिन है कि...*(व्यवधान)* महोदय, यह पूरी तरह से संभव हो सकता है कि मैंने जो कहा है उससे माननीय सदस्या संतुष्ट न हों। यदि मुझे उनके कहे शब्द याद हैं, तो मैं उनके इस अभिकथन को एक सिरे से खारिज करता हूं कि जाली मुद्रा का कोई बहुत बड़ा आयाम है। मैं इसका खंडन करता हूं। माननीय सदस्या यह जानना चाहती थीं कि क्या मैं जाली मुद्रा की प्रतिशतता से अवगत हूं। निश्चित रूप से मैं अवगत हूं...*(व्यवधान)*

श्रीमती श्यामा सिंह : मेरा प्रश्न बार–कोडिंग के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जवाब पूरा कर लेने दीजिए।

श्री जसवंत सिंह : पाकिस्तान के बारे में भी, हम आसानी से इस स्थिति से निपट सकते हैं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, वह यह कि हमें अपने आप इस समस्या को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए इसे जरूरत से ज्यादा महत्व देकर हम अपने ही लोगों की नजरों में अपनी ही मुद्रा की वैधता और उसके प्रचलन में अड़चनें पैदा करने के दोषी हैं।

माननीय सदस्या जानना चाहती थीं कि क्या कतिपय रूप से विशेष सुरक्षोपाय किए गए है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए सुरक्षोपायों को स्पष्ट करने में मेरी चुप्पी को समझ सकेंगी और इसकी सराहना करेंगी। यदि मैं भारतीय रिजर्व बैंक या वित्तमंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सुरक्षोपायों को सार्वजनिक कर देता और इन विचारों को निरंतर ध्यान में रखता, तो निश्चित रूप से मैं उन सुरक्षोपायों को सम्पूर्ण प्रभावोत्पादकता और प्रभाविता को ही बेअसर कर देता। मुझे विश्वास है कि वे उस बात को समझ सकेंगी। अन्यथा रिजर्व बैंक के पास तो एक सीमित समस्या है। हमने अपने आप ही इसे हल किया है। रिजर्व बैंक पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है। मैं माननीय सदस्या को आश्वस्ते कर सकता हूं कि हम इस संबंध में पाकिस्तान की भूमिका को कम नहीं कर सकते हैं। किन्तु हम पाकिस्तान के न केवल हमारी मुद्रा को अस्थिर करने बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था और समाज के अन्य पहलुओं को भी गड़बड़ करने के प्रयासों से लड़ने में पूरी तरह सक्षम हैं।

[हिन्दी]

श्री सोहन पोटाई : अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न जाली नोटों से भी ज्यादा गंभीर है। यह फटे–पुराने नोटों के बारे में है। फटे–पुराने नोटों को रिजर्व–बैंक, दलालों के माध्यम से, आधे से भी कम दामों में फिर से वापस ले लेता है और वे नोट फिर बाजार में आ जाते हैं। जाली नोट तो पकड़े जा सकते हैं लेकिन पुराने नोटों को पकड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि वे रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी किए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या कोई कार्रवाई की है? अगर की है तो क्या कार्रवाई की है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है वह जाली नोटों के सवाल से उत्पन्न नहीं होता है लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा।

मैं इससे सहमत हूं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोट यदि नागरिकों से फट जाता है, पुराना हो जाता है तो रिजर्व बैंक का कमिटमैंट आधा नहीं होता है या रिजर्व बैंक का कमिटमैंट फट नहीं जाता है। वह कमिटमैंट यथावत रहता है और ऐसा होना भी चाहिए। क्या ऐसा होता है–व्यावहारिक स्तर पर ऐसा नहीं होता है। पहले एक रुपए का नोट सबसे ज्यादा तकलीफ देता था।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि रिजर्व बैंक फटे–पुराने नोट दलालों के माध्यम आधे से कम दामों में वापस ले लेता है।...*(व्यवधान)* मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

आध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको श्री चन्द्रनाथ सिंह को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कृपया श्री सोहन पोटाई के पूरक प्रश्न का जवाब दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : वह रिजर्व बैंक में वापस आ जाते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रिजर्व बैंक में काम करते हैं? मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : रिजर्व बैंक डेबास को, बैंक नोट प्रेस को धन भेजता है और वे यह कहकर उन्हें वापस कर देते हैं कि उनके पास प्रौद्योगिकी नहीं है...*(व्यवधान)*...कि उनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, और वे नकली नोटों को देखे बिना उन्हें वापस कर देते हैं। तो इसका क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती श्यामा सिंह जी, मैं आपके प्रश्न को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कर पाऊंगा।

मंत्री महोदय, आप उनके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक अच्छी बहस शुरू हो गई है। सदस्यगण ने प्रश्न पूछा और बीच में उन्होंने मुझ से पूछ लिया। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा कि फटे-पुराने नोट बदलते समय दलाल बीच में आ जाते हैं और आधे दामों पर फिर नोट दे देते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप रिस्टर्ब न करें।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसका जवाब तुरन्त दे नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसका तुरन्त कोई उपाय कर पाऊंगा। मैं सोचता हूं कि यदि रिजर्व बैंक ने किसी नोट पर नागरिकों को कमिटमैंट दिया है यह लीगल टैंडर है और वह फट जाए तो उसका लीगल टैंडर होना बंद होता है या नहीं, हम इस संबंध में निश्चित रूप से देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य ने कहा कि जाली नोट रिजर्व बैंक में दलालों के जरिए फिर घूम कर आ जाते हैं-रिजर्व बैंक में ऐसा सम्भव नहीं है। हमने अन्य प्रक्रियाओं के साथ रिजर्व बैंक में सिक्योरिटी मैजर्स को शुरू किया है और एक बुकलैट भी बनायी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में कहें कि अब रिजर्व बैंक की एक बुकलैट है।

[अनुवाद]

महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक की "योर गाइड टू मनी मैटर्स" नाम की एक पुस्तिका है। माननीय सदस्य रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं और स्वयं इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड में मुद्रा की सुरक्षा सहित सभी उन प्रश्नों के उत्तर हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, लिखित उत्तर अधूरा है क्योंकि उत्तर में 'गत छः महीनों' को परिभाषित नहीं किया गया है। ये गत छः माह चालू वित्त वर्ष के हैं अथवा पिछले वित्त वर्ष के? इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रश्न अधूरा था। लेकिन इस पर वित्त मंत्री जी को ठीक-ठीक जवाब देना चाहिए। 'गत छः माह' से उनका क्या तात्पर्य है?

दूसरी बात यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी के लिए 2.34 करोड़ रुपये की धनराशि महत्वहीन हो सकती है क्योंकि उनके सामने 83,000 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियों की समस्या है और हजारों लाख करोड़ रुपये का बजट है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश में असामाजिक तत्वों द्वारा मुद्रित जाली मुद्रा नोट हैं और पड़ोसी देशों असामाजिक तत्वों द्वारा मुद्रित जाली मुद्रित जाली मुद्रा नोट हैं।

महत्वपूर्ण बात मुंबई में सुपारी की कीमत है। अच्छे दिनों में पहले यह 25 लाख से 50 लाख रुपये के बीच थी। सुपारी व्यावसायिक हत्यारों को दिये जाने वाला धन है। अब, यह 25,000 अथवा 50,000 रुपये तक हो गयी है। इसके परिणामस्वरूप, 2.34 करोड़ रुपये की यह धनराशि एक छोटी राशि नहीं है और इसका संबंध केवल अर्थ व्यवस्था से नहीं है। निश्चित रूप से इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है।

महोदय, हमारे पास विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट हैं- 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट। हमारे पास विभिन्न आकारों और रंगों के नोट हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवंतसिंह यादव : उसमें आपसे पूछ लेते हैं और ये सारी गुत्थियां सुलझ सकती हैं। सुपारी लेकर मुम्बई में कितनी हत्याएं होती हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुपारी के बारे मुझे सब कुछ मालूम है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रवीण राष्ट्रपाल जी, आप कृपया अपने प्रश्न पर वापस आइये।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम एक विशिष्ट मूल्य वर्ग के लिए मुद्रा नोट के किसी मानक आकार और एक जैसे रंग के मुद्रा नोटों को लाकर इस मामले का आंशिक रूप से समाधान नहीं कर सकते इस समय, हमारे पास 100 रुपये और 500 रुपए मूल्य वर्ग में विभिन्न रंग के मुद्रा नोट हैं। जैसा कि विदेशों में है, क्या हम शनैः शनै ऐसी प्रणाली को नहीं अपना सकते जिसमें 10 रुपए, 50 रुपए, तथा विशेष रूप से 500 और 1000 रुपये मूल्य वर्ष के नोट एक ही रंग के हों और उनका आकार भी समान हों? मैं यह महसूस करता हूं कि 100 रुपये और 500 रुपये मूल्य वर्ग के मुद्रा नोटों को आकार पर्याप्त रूप से अलग-अलग होना चाहिए। यही मेरा प्रश्न है।

श्री जसवंत सिंह : इस लंबी चर्चा में वास्तविक रूप से केवल एक प्रश्न है, जो 'छः माह' की परिभाषा के संबंध में है। वास्तव में यह लेखा-परीक्षक का प्रश्न है-यह छः महीने इस वर्ष के हैं अथवा गत वर्ष के आदि। इसकी लेखा-परीक्षा संबंधी जटिलताओं में जाए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि यह छः महीने उस तिथि से आरंभ होते हैं जब प्रश्नकर्त्ता ने यह प्रश्न पूछा था। माननीय सदस्य ने यह प्रश्न अगस्त में पूछा था। इसीलिए, वह उस समय से छः महीनों का हिसाब लगा सकते हैं और वह उस तिथि से छः महीने जोड़ सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, मुझे यह नहीं मालूम कि वे क्यों हंस रहे हैं...*(व्यवधान)* महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य क्यों हंस रहे है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी हंसी पर ध्यान ही न दें।

(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : माननीय मंत्री महोदय ने अब 'छः माह' को परिभाषित कर दिया है। इसमें हंसी की क्या बात है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अध्यक्ष महोदय, क्या सदन में हंसने पर कोई मनाही है?

अध्यक्ष महोदय : आप हंसना नहीं, केवल 'स्माइल' पास करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : अध्यक्ष महोदय, ये लोग पहले रोते हैं और जब पैसे की बात आई तो हंसते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। मंत्री जी अब अपना उत्तर जारी रख सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : जहां तक नोटों के एक समान आकार की उनकी बात का संबंध है, यह माननीय सदस्य का सुझाव है।

मैं यह बता हूं कि वित्त मंत्रालय वास्तव में मुद्रा नोटों का डिजाइन तैयार करने में सीधे तौर पर सम्मिलित नहीं है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। हम यही करेंगे कि हम माननीय सदस्य के सुझाव से भारतीय रिजर्व बैंक के उचित अधिकारियों को अवगत करा देंगे और यह निर्णय करना उनका कार्य है कि वे इस संबंध में क्या करना चाहते हैं।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, इस अवसर के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अपने कथन में और अपने मौखिक उत्तर में यह कहा कि कुल मुद्रा की तुलना में जाली मुद्रा का परिचालन बहुत सीमित अथवा बहुत कम है। मैं उन प्रश्नों को नहीं पूछूंगी जो पहले पूछे जा चुके हैं, जो आर्थिक और रणनीतिक महत्त्व अथवा प्रभाव के हैं। मैं इसके अन्य पक्ष से संबंधित प्रश्न करूंगी- इस बड़ी समस्या के सामाजिक निहितार्थ।

हाल ही में संसद सचिवालय के स्टाफ के एक कर्मचारी को एक रेलवे स्टेशन से 500 रुपये मूल्य वर्ग का एक जाली नोट उस समय मिला जब वह जोधपुर से जयपुर जा रहीं थीं। जब आगे के लेन-देन के लिए वह उस नोट को बदलने गईं तो उन्हें यह चेतावनी दी गयी कि वह पुलिस को बुला सकता है और उन्हें हिरासत में भेज सकता है, लेकिन क्योंकि वह उस दुकानदार से परिचित थीं, उसने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिन-प्रतिदिन होने वाले लेन-देन के परिणामस्वरूप सामान्य और निर्दोष लोग जाली मुद्रा नोटों की समस्या की चपेट में आ जाते हैं। यदि सरकार को इस बात की जानकारी है तो क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार ने गंभीर समस्या के इस प्रभाव पर अंकुश लगाने हेतु पहले ही कदम उठाए हैं?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो भाग हैं। एक भाग समस्या की गंभीरता के बारे में हैं। मैं पुनः दोहराता हूं कि प्रचलन में कुल मुद्रा को ध्यान में रखते हुए जाली मुद्रा की मात्रा वास्तव में बहुत कम है और मैं इस बात पर पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य स्वयं इस गंभीर समस्या के बारे में बात करते रहे तो वे वास्तव में हमारी अपनी मुद्रा में विश्वास को क्षति की समस्या को बढ़ा रहे हैं जिसके बारे में मैं ससम्मान आपको सावधान करना चाहता हूं।

हां, सामाजिक संदर्भों में यह अस्वीकार्य है। क्या हमें इसका तैयार उत्तर मिल गया है? नहीं, क्योंकि इस प्रकार की मुद्रा बहुधा अधिकांशतः एक रूप में या दूसरे रूप में प्राप्त हो जाती है जिसकी तस्करी भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर पाकिस्तान के निकटस्थ क्षेत्रों से की जा रही है। इस प्रकार आपको ज्ञात होगा कि ऐसी मुद्राओं के अनेक उदाहरण हैं जो जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान से जब्त की जा रही है। सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि चुनाव के दौरान ये जाली मुद्रा जानबूझ कर बहुधा प्रचलन में लाई जाती है और मैं इसे उत्तरदायित्व बोध के साथ माननीय सदस्यों से अवश्य बाटना चाहता हूं ऐसा इसलिए है क्योंकि चुनाव के दौरान भारी व्यय करना पड़ता है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि रेलवे स्टेशन पर एक निर्दोष यात्री के पास जाली मुद्रा पाई गई उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। हमने इस सभी जानकारी को वेबसाइट पर जारी कर दिया है। मैं जानता हूं कि रिजर्व बैंक ऐसा बैंक नहीं है जहां आम आदमी पहुंच सके। हमें एक विशेष वर्ष में 500 रुपये के नोटों के मूल्य वर्ग मे सचमुच दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमने अनेक उपाय किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर संपर्क करें। 'योर गाइड टू मनी मैनर्स' नामक एक पुस्तिका है और जिसमें जाली नोटों की जांच वहां की जाती है और कैसे की जा सकती है, इस संबंध में वे सभी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसे प्रसारित किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इसका उद्देश्य सार्थक हो जाएगा।

[हिन्दी]

बैंकों की ब्याज दरें

***282. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न जमा राशियों पर ब्याज दरों में कटौती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ब्याज दरों में इस प्रकार कटौती कितनी बार की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर भी ब्याज दरों में उसी अनुपात में कटौती की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) बैंकों द्वारा जमाराशियों और अग्रिमों पर दिए जाने वाली ब्याज की दरों, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं, को अब कुछ समय से बड़े पैमाने

पर अविनियमित कर दिया गया है। अक्तूबर 1997 से भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को बचत जमाराशि पर ब्याज दर निर्धारण को छोड़कर जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। पिछले वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सावधि जमाराशि दरें निम्नानुसार रही हैं :

	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002	जुलाई 2002
जमा ब्याज दरें	5.00–11.00	4.00–10.50	4.25–8.75	4.25–8.25

हाल ही में जमाराशियों पर ब्याज की दरों में कमी के लिए काफी हद तक बैंक की सुविधाजनक चल–निधि स्थिति और साथ ही मुद्रा स्फीति की दर में गिरावट को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(ग) और (घ) अक्तूबर 1994 से अग्रिमों पर ब्याज की दरों को भी अविनियमित कर दिया गया था और अलग–अलग बैंक अपने निदेशक मंडल के पूर्वानुमोदन से 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। दो लाख रुपए तक की ऋण सीमा के लिए बैंकों से प्राथमिक उधार दर (पीएलआर) से अनधिक ब्याज प्रभारित करने को कहा गया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिक उधार दर नीचे दी गई है :

	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002	जुलाई 2002
पीएलआर	12.00–13.50	10.00–13.00	10.00–12.50	10.00–12.50

मुख्यतः निर्धारित ब्याज दरों पर बैंकों द्वारा जुटाई गई दीर्घावधि जमाराशियों की उच्च लागत और पिछली अपेक्षाकृत अधिक अनुपयोज्य आस्तियों आदि के कारण पिछले तीन वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की उधार दरों में अधोगामी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ी है, यद्यपि यह उसी अनुपात में नहीं है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि विगत दो वर्षों में बैंकों में जमा राशि पर ब्याज दर में जो कमी आई है, वह कमी लगभग तीन प्रतिशत है। उसके कारण जो लोग अपना पैसा–रुपया बैंकों में जमा कराते थे, उनकी जमा कराने की प्रवृत्ति में गिरावट आई है। इस गिरावट के कारण, जहां हमने जमा धन पर ब्याज की दर कम की है, वहीं जो ऋण राशि थी, उसकी दर कहीं ज्यादा बढ़ गई है इससे बैंकों में जमा राशि घट गई है। यदि ऐसा है तो बैंकों में जमा राशि पर ब्याज बढ़ाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है और उस दृष्टि से जो अन्यान्य विदेशी बैंक्स हैं, उनके और हमारे कार्यकरण में इस बारे में कितना अंतर है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष जी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्रालय इस संस्था के प्रति सजग है। मेरे पुराने सहयोगी एवं मित्र डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ने पूछा है कि जिस दर पर कोई आज बैंक से ऋण लेता है, उसकी तुलना में उसे जो ब्याज मिलता है, उसमें अंतर बढ़ गया है। यह अंतर इसलिए बढ़ गया है कि जो इंटरैस्ट रेट्स हैं, ऋण की दरें हैं, उन ऋण की दरों का सॉफ्ट होना एक सही कदम है और ऐसा होना चाहिए। इसक साथ–साथ जिस दर पर ऋण दिया जाता है उसमें भी सॉफ्टनैस आनी चाहिए। यह सही है कि हमारी बैंकिंग प्रणाली में तीन से चार प्रतिशत का अंतर है, जो संतोषजनक नहीं है।

इसका हमने विश्लेषण किया है और हम पाते हैं कि बैंक्स का मुनाफा इसमें से मात्र एक–डेढ़ प्रतिशत तक औसतन सीमित रह जाता है।...*(व्यवधान)* मुनाफा 8 प्रतिशत नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप शायद नाबार्ड की बात कर रहे हैं, रूरल क्रैडिट की बात कर रहे हैं। लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी ने रूरल क्रैडिट का प्रश्न नहीं पूछा। इसमें बैंक की जो सर्विसि है, उसमें निश्चित रूप से सुधार लाना पड़ेगा। यह भी कि रातों–रात नहीं हो सकता। परंतु जैसे–जैसे बैंकिंग प्रणाली में सुधार आएगा तो अभी जो अंतर 3 से 4.5 प्रतिशत का है, वह कम होता जाएगा। जो ऋण लेते हैं, उनके लिए भी और जो जमा राशि पर ब्याज मिलता है, उसके अनुपात में, ऋण की दर में भी कमी आनी चाहिए, इसे मैं मानता हूं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : प्रश्न के दूसरे भाग में जो पी.एल.आर. के बारे में माननीय मंत्री जी ने विवरण दिया है, उसमें साफ तौर पर स्वीकार किया है कि उधार की दरों में अधोगामी प्रवृत्ति है और उसका एक कारण बताया गया है कि मुद्रा–स्फीति में गिरावट। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अधोगामी प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से

सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ताकि अधोगामी प्रवृत्ति रुके और ठीक ढंग से लोगों को लाभ मिल सके?

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लक्ष्मीनारायण पाण्डेय जी ने जो अधोगामी प्रवृत्ति कहा है–उन्होंने ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है।... *(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जैसे शब्द अंग्रेजी में आप प्रयोग करते हैं, वैसे ही इन्होंने हिन्दी में कर दिया।

श्री जसवंत सिंह : इसको थोड़ा वक्त लगेगा समझने में।...*(व्यवधान)*

जो लक्ष्मीनारायण जी कह रहे हैं, सरल भाषा में यह कह रहे हैं कि उसमें कमी आ रही है। आपने पूछा कि क्या मुद्रा स्फीति में कमी आ रही है–जी हां, उसमें कमी आ रही है। जो प्रश्न आपने संकेत किया और छोड़ दिया कि जो अभी ब्याज की दरों में फर्क है, ऋण लेने वालों की दर ज्यादा है जमा कराने वालों के अनुपात में, उसके पीछे बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसैट्स होना भी एक कारण है। जैसे–जैसे हम बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसैट्स में सुधार ला पाएंगे, मेरा विचार है कि नागरिकों को बैंक्स से जिस दर पर उधार मिलता है, उसकी दर में भी कमी आती जाएगी।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अधोगामी प्रवृत्ति से मतलब था कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। आप बैठिये।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, वे अपनी पूंजी बैंकों में जमा कर देते थे और उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता था। बैंकों द्वारा ब्याज की दर को पाच प्रतिशत तक कम करने से अब उनके पास कोई चारा नहीं रह गया है। वे पैसा कहां जमा करें। उनके लिए मंत्री जी क्या करेंगे? क्या बड़े उद्योगपति और बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए जमा पूंजी पर जो ब्याज मिलता है उसे कम करके गरीबों को नुकसान पहुंचाया गया है? क्या बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लोन पर ब्याज की दर में कमी की गई है? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। छोटे लोगों को, गरीब लोगों को उससे क्या मिलेगा, वे कहां पैसा जमा करेंगे?

श्री जसवंत सिंह : मैं माननीय सदस्य की यह भ्रांति दूर करना चाहूंगा कि ब्याज की दर में कमी या बढ़ोतरी कोई इस प्रकार की योजना है जिसमें बड़े घरानों या जिसे माननीय सदस्य बड़े उद्योगपति कहते हैं, उनको सरकार लाभ पहुंचाने के लिए कर रही है और जान–बूझकर गरीबों के पेट पर चोट पहुंचाने के लिए कर रही है, यह भ्रांति बिल्कुल सही नहीं है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : पांच प्रतिशत ब्याज कम कर दिया गया है।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विश्लेषण करके जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, मैं सादर निवदेन करूंगा कि वह निष्कर्ष बिल्कुल सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, समय बहुत कम बचा है। इसलिए बहुत संक्षेप में प्रश्न पूछें।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने लघु बचत पर ब्याज की दरों में कमी करते समय यह कहा था कि उससे जो लाभ प्राप्त होगा, उसका लाभांश प्रदेशों को हस्तांतरित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश को पहले के मुकाबले कितना ज्यादा हिस्सा हस्तांतरित किया गया?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह वर्तमान प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। इस प्रकार का विश्लेषण करना कि बैंकिंग प्रणाली में जो काम हो रहा है उससे माननीय सदस्य के गृह राज्य मध्य प्रदेश को कितना लाभ हुआ है, यह उचित मापदंड नहीं होगा। हमने इस प्रकार का कोई मापदंड नहीं रखा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीनी का उत्पादन

***283. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक चीनी की मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2002–2003 के लिए चीनी की घरेलू मांग का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2002–2003 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) 1999–2000 तथा 2000–2001 चीनी मौसमों (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान चीनी की आन्तरिक मांग क्रमशः लगभग 155 लाख मी. टन तथा 162 लाख मी. टन थी। वर्तमान चीनी मौसम के लिए लगभग 170 लाख मी. टन की आन्तरिक मांग होने का अनुमान है। 1999–2000 तथा 2000–2001 चीनी मौसमों के दौरान चीनी का उत्पादन क्रमशः 181.93 लाख मी. टन तथा 185.10 लाख मी. टन था। चीनी मौसम 2001–2002 के दौरान 180 लाख मी. टन से अधिक चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) आगामी चीनी मौसम 2002–2003 के दौरान लगभग 179 लाख मी. टन चीनी की आन्तरिक मांग होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) चीनी मौसम 2002–2003 के लिए अनंतिम रूप से 185 लाख मी. टन के उत्पादन लक्ष्य का अनुमान लगाया गया है। तथापि, मौसम की स्थितियों को देखते हुए इस समय 2002–2003 चीनी मौसम के दौरान संभावित उत्पादन के बारे में बताना जल्दबाजी होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि 30.9.2001 को स्थिति के अनुसार चीनी का आगे लाया गया स्टाफ 103.63 लाख मी. टन था। 170 लाख मी. टन की घरेलू खपत तथा 10 लाख मी. टन के निर्यात को हिसाब में लेने के बाद, 30.9.2002 को इतिशेष स्टाक 103.63 लाख मी. टन होने का अनुमान है। अतः घरेलू स्रोतों से चीनी की उपलब्धता आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

वनस्पति एकक

***284. श्री पी. आर. किन्डिया :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में वनस्पति एककों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार के बंद पड़े एककों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान उद्योग का मामूली विकास हुआ है;

(घ) यदि हां, तो देश में उक्त उद्योग की धीमी विकास दर के क्या कारण हैं; और

(ङ) बन्द पड़े वनस्पति एककों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) देश में 232 वनस्पति यूनिटें हैं, जिनमें से फिलहाल 86 यूनिटें बंद पड़ी हैं। राज्यवार ब्यौरे संलगन विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वनस्पति उद्योग की वार्षिक क्षमता (वनस्पति, मार्गेरिन, बेकरी शार्टनिंग और रिफाइंड तेल के रूप में) पिछले 2 वर्षों के दौरान 45.22 लाख टन से बढ़कर 63.09 लाख टन हो गयी है और इस प्रकार इसमें 39.5 प्रशित की वृद्धि हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कच्ची सामग्री की उपलब्धता से अधिक उत्पादन क्षमता सृजित करने, पुरानी प्रौद्योगिकी, विस्तार संबंधी खराब अर्थव्यवस्था, भारत–नेपाल व्यापार संधि के अधीन नेपाल से सस्ते आयात के साथ प्रतिस्पर्धा, आदि जैसे विभिन्न घटकों के कारण वनस्पति यूनिटें बंद हो गयी थीं। स्वदेशी वनस्पति उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं

(i) वनस्पति के निर्माण के प्रयोजनार्थ कच्चे पाम तेल के आयात पर रियायती दर पर उत्पाद शुल्क लिया जाता है।

(ii) भारत–नेपाल व्यापार संधि को 6.3.2002 से संशोधित किया गया है। इस संशोधन के अधीन नेपाल से वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात की कुल मात्रा एक लाख टन प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। अब नेपाल से वनस्पति का आयात केंद्रीय भंडारण निगम के माध्यम से भी सरणीबद्ध किया गया है।

(iii) 1.3.2002 से नेपाल से वनस्पति के आयात पर 4 प्रतिशत की दर पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।

विवरण

देश में वनस्पति यूनिटें

24.7.2002 की स्थिति के अनुसार

राज्य/जोन	यूनिटों की कुल संख्या	चालू यूनिटों की संख्या	बंद यूनिटों की संख्या
1	2	3	4
पूर्वी जोन			
असम	2	0	2
बिहार	6	3	3
उडीसा	4	1	3
पश्चिम बंगाल	14	9	5
मणिपुर	1	0	1
सिक्किम	1	0	1
उप जोड़	28	13	15
पश्चिमी जोन			
गुजरात	12	8	4
महाराष्ट्र	13	12	11
मध्य प्रदेश	15	10	5
उप जोड़	50	30	20
उत्तरी जोन			
दिल्ली	1	0	1
हिमाचल प्रदेश	2	2	0
हरियाणा	14	11	3
जम्मू और कश्मीर	8	6	2
पंजाब	33	22	11
राजस्थान	19	8	11
उत्तर प्रदेश	33	23	10
उप जोड़	110	72	38
दक्षिणी जोन			
आन्ध्र प्रदेश	21	15	6
केरल	4	1	3
कर्नाट्क	5	2	3
तमिलनाडु	14	13	1
उप जोड़	44	31	13
सकल जोड़	232	146	86

'सेबी' को शक्तियां

***285. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार 'सेबी' को निरीक्षण, जांच तलाशी और जब्ती के साथ–साथ प्रवर्तन कार्य के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करने पर सक्रियता से विचार कर रही है ताकि बाजार में हेराफेरी करने वाले घोटालेबाजों पर रोक लगाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में 'सेबी' अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) सरकार ने पर्याप्त सुरक्षापायों के साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को तलाशी एवं जब्ती अधिकार प्रदान करने सहित संभावी विधायी परिवर्तनों की जांच आरंभ कर दी है। इन विधायी परिवर्तनों का उद्देश्य निवेशक संरक्षा के लिए सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को और सुदृढ़ करना तथा पूंजी बाजारों के नियमन एवं विकास के लिए सेबी को एक अधिक कारगर निकाय बनाना है।

कृषि उत्पादों का शुल्क मुक्त आयात

***286. श्री पी. सी. थामस :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आयात शुल्क की वर्तमान दर को घटाकर आधा या शुल्क रहित करके कुछ देशों से कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कृषि मदों का ब्यौरा क्या है जिन पर आयात शुल्क में कमी की गई है और यह सुविधा किन देशों को प्रदान की गई है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों का आयात किस हद तक बढ़ गया है; और

(ङ) घरेलू कृषि उत्पादों के मूल्य पर इस प्रकार के आयात का क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारत वर्तमान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय कार्य ढांचों अर्थात् सार्क, अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साप्ता), बैंकाक करार, भारत–नेपाल व्यापार संधि, भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) इत्यादि के अंतर्गत कतिपय देशों के साथ टैरिफ रियायतों का आदान–प्रदान कर रहा है। इस व्यवस्थाओं के अंतर्गत भागीदार देशों को निर्यात वाले कृषि उत्पादों समेत अन्य उत्पादों पर टैरिफ प्राप्त करने और प्रदान करने के बारे में वार्ताएं की जाती हैं।

(ग) यद्यपि साप्ता के अंतर्गत रियायतों का आदान–प्रदान सार्क देशों के बीच होता है किन्तु भारत ने फिलहाल बैंकाक करार के अंतर्गत बंगलादेश, श्रीलंका और कोरिया गणराज्य के साथ रियायतों का आदान–प्रदान किया है जबकि भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय अधिमानी व्यवस्थाएं हैं।

साप्ता के अंतर्गत विभिन्न कृषि मदों के संबंध में सार्क के सदस्य देशों को रियायतें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं :

मटर, सेम, मसूर, पिस्ता, सुपारी, छुहारा, अंजीर, संतरा, नारंगी, नींबू, नींबू जाति के अन्य फल, अंगूर, तरबूज, पपीता, खूबानी, कटहल, लौंग, जायफल, जावित्री और लाख।

साप्ता में सार्क के केवल बहुत कम विकसित सदस्य देशों के साथ विशेष और अधिक अनुग्रहपूर्ण व्यवहार किए जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत कम विकसित सदस्य देशों को अनन्य और अधिक टैरिफ अधिमान दिए जाने की अनुमति देता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न कृषि मदों जैसे अनन्नास, कटहल, चीनी, सब्जियों, फलों, काष्ठफल अथवा पौधों के हिस्सों से तैयार किए गए माल पर रियायतें दी जा रही हैं।

बैंकाक करार के अंतर्गत बंगलादेश, श्रीलंका, कोरिया गणराज्य को शुष्क नारियल, लौंग, जायफल, जावित्री, कोको बीनों इत्यादि पर रियायतें दी जा रही हैं। बैंकाक करार में भी कम विकसित सदस्य देश अर्थात बंगलादेश को अनन्य रूप से विशेष और अधिक अनुग्रहपूर्ण व्यवहार किए जाने की व्यवस्था है। यद्यपि भारत ने बंगलादेश के अनन्य और अधिक टैरिफ अधिमान प्रदान किए हैं किन्तु इस प्रावधान में कोई भी कृषि उत्पाद शामिल नहीं है।

भारत–नेपाल संधि के अंतर्गत कृषि उत्पादों समेत नेपाल मूल के उत्पादों को 100 प्रतिशत टैरिफ रियायतें प्रदान की जाती हैं। तथापि, औद्योगिक स्पिरिट, इत्र और गैर–नेपाली/गैर भारतीय ब्राण्ड के नामों वाले सौन्दर्य प्रसाधन और तम्बाकू को छोड़कर अल्कोहल युक्त मदिरा/पेयजल और इनके सान्द्रित द्रव्यों पर कोई रियायतें उपलब्ध नहीं हैं।

भारत–श्रीलंका मुक्त व्यापार करार में चरणबद्ध ढंग से टैरिफ समाप्त करके मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) स्थापित किए जाने का प्रयास किया गया है। भारत ने नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर तीन वर्षों की अवधि में दोनों ओर से टैरिफ में कमी किए जाने का प्रस्ताव किया है। नकारात्मक सूची की मदों जैसे नारियल, खोपरा, अल्कोहल युक्त पेयजल और रबड़ पर श्रीलंका से होने वाले आयातों पर कोई रियायत उपलब्ध नहीं है, जबकि शेष मदों पर श्रीलंका से होने वाले आयातों पर 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रियायतें उपलब्ध है। तथापि, इस करार के अंतर्गत चाय के आयात की अनुमति 7.5 प्रतिशत के अधिमानी शुल्क पर टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत दी जाती है।

(घ) और (ङ) चूंकि विशिष्ट अधिमानी व्यापार व्यवस्था से सबंधित विभिन्न उत्पादो के आयात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं इसलिए टैरिफ रियायतें दिए जाने के फलस्वरूप कृषि उत्पादों के आयात में हुई वृद्धि की सीमा और घरेलू कृषि उत्पादों की कीमतों पर ऐसे आयातों का प्रभाव नहीं बताया जा सकता।

आईएसएलएफटीए के अंतर्गत अनुमत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत कवल श्रीलंका से हुए चाय के आयात के मामले में व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं। आईएसएलएफटीए के लागू होने के बाद इसके अंतर्गत टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत चाय का निम्नानुसार आयात हुआ है :

(मिलियन किग्रा.)

अवधि	आवंटित वार्षिक टीआरक्यू	वास्तविक आवंटित कोटा	वास्तविक आयात
2000 (मार्च–दिसम्बर)	11.25	0.48	0.46
2001 (जनवरी–दिसम्बर)	15.00	1.32	0.31
2002 (जनवरी–मार्च)	15.00	0.06	0.20*

*इसमें श्रीलंका टी बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 में आवंटित कोटे में से 2002 के दौरान आयातित 0.147 मिलियन किग्रा. चाय शामिल है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास

*287. **श्री पी. डी. एलानगोवन :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम आदि के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ डी सी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी) और राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) द्वारा वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II और III में दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 का ब्यौरा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस एफ डी सी) से संबंधित विवरण–I में शामिल है क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी) ने अप्रैल, 2001 से काम करना शुरू किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		स्वीकृत धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	1223.06	3315	1365.27	11037	2685.51	253000
3.	अरुणाचल प्रदेश	35.37	17	61.99	26	0	0
4.	असम	706.33	337	725.24	645	1173.34	2469
5.	बिहार	204.05	305	876.95	611	1059.00	470
6.	चंडीगढ़	93.20	65	123.00	75	195.25	170
7.	छतीसगढ़	0.00	0	0.00	0	391.65	105
8.	दादरा और नागर हवेली	34.21	10	0.85	1	5.45	5
9.	दिल्ली	100.85	65	221.34	222	344.16	638
10.	गोवा	17.70	10	35.70	27	75.30	27
11.	गुजरात	1522.39	3478	3056.26	4567	1098.10	6638
12.	हरियाणा	184.70	80	0	0	507.20	190
13.	हिमाचल प्रदेश	302.65	99	304.02	151	373.42	118
14.	जम्मू और कश्मीर	41.00	10	0	0	347.42	498
15.	झारखंड	0.00	0	0	0	297.20	198
16.	कर्नाटक	526.18	601	1152.93	3410	2030.96	8914
17.	केरल	342.12	285	477.04	859	442.33	774
18.	लक्षद्वीप	28.99	8	20.61	63	0.00	0
19.	मध्य प्रदेश	1074.53	1314	1037.35	1505	1240.11	1675

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	महाराष्ट्र	216.24	60	1234.03	1742	1495.36	1489
21.	मणिपुर	117.00	25	15.04	104	98.05	75
22.	मेघालय	0	0	0	0	0.00	0
23.	मिजोरम	166.23	134	285.75	2093	0.00	0
24.	नागालैंड	157.73	92	134.39	26	0.00	0
25.	उड़ीसा	1614.59	1031	458.05	502	641.72	202
26.	पांडिचेरी	85.14	47	195.61	92	116.18	81
27.	पंजाब	42.70	15	379.20	250	370.55	615
28.	राजस्थान	683.35	396	427.85	260	885.05	780
29.	सिक्किम	106.08	76	171.28	308	79.95	89
30.	तमिलनाडु	791.77	377	91.11	220	1103.33	548
31.	त्रिपुरा	324.85	426	135.42	92	378.47	626
32.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	1469.05	12354	3598.05	23951
33.	उत्तरांचल	0.00	0	0.00	0	247.95	614
34.	पश्चिम बंगाल	656.74	6147	1038.27	11619	2111.45	17596
	कुल	11399.75	18825	15493.58	52861	23392.51	94855

विवरण-II

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001–2002	
		स्वीकृत धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	372.04	718
2.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	32.64	9
4.	असम	425.85	82
5.	बिहार	0	0
6.	छत्तीसगढ़	0	0
7.	दादरा और नागर हवेली	0	0
8.	गोवा	0	0
9.	गुजरात	867.57	283

1	2	3	4
10.	हिमाचल प्रदेश	247.66	93
11.	जम्मू और कश्मीर	255.48	207
12.	झारखंड	286	165
13.	कर्नाटक	324.69	841
14.	केरल	15.6	24
15.	लक्षद्वीप	7.24	6
16.	मणिपुर	0	0
17.	महाराष्ट्र	259.75	375
18.	मेघालय	0	0
19.	मध्य प्रदेश	753.44	1327
20.	मिजोरम	51.85	10
21.	नागालैंड	88.13	30
22.	उड़ीसा	482.81	149
23.	राजस्थान	720.45	435
24.	सिक्किम	127.23	123
25.	तमिलनाडु	0	0
26.	त्रिपुरा	69.68	100
27.	उत्तरांचल	142.28	80
28.	उत्तर प्रदेश	0	0
29.	पश्चिम बंगाल	493.69	326
	कुल	6024.58	5383

विवरण-III

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
		स्वीकृत धनराशि	लाभग्राहियों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	लाभग्राहियों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	लाभग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1902.59	28570	439.00	1730	2045.00	16584
2.	असम	76.93	56	100.00	86	159.53	585
3.	बिहार	210.74	515	700.00	1145	500.00	680
4.	चंडीगढ़	11.01	21	2.00	4	12.00	21
5.	गुजरात	456.24	475	534.30	1515	1040.00	2475
6.	गोवा	19.90	27	69.40	45	112.38	57
7.	हरियाणा	212.50	1234	261.78	1037	100	470
8.	हिमाचल प्रदेश	206.53	187	472.27	336	333.50	282

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0	5.00	50
10.	कर्नाटक	562.87	1094	577.45	1100	1276.25	7350
11.	केरल	1347.70	3855	2342.88	5273	2032.60	7083
12.	मध्य प्रदेश	287.00	574	627.17	2694	515.22	2358
13.	मणिपुर	92.00	80	0.00	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0.00	0	650.57	1405	798.65	1131
15.	सिक्किम	77.10	120	120.23	281	154.14	170
16.	उड़ीसा	271.12	1558	18.40	548	646.00	2298
17.	पंजाब	100.00	200	165.00	341	0	0
18.	पांडिचेरी	0.00	0	86.04	288	71.98	196
19.	राजस्थान	376.12	638	100.00	170	100.00	190
20.	तमिलनाडु	406.37	1380	277.24	847	212.04	965
21.	त्रिपुरा	57.26	230	0	0	0.00	0
22.	उत्तर प्रदेश	235.00	510	689.99	1638	1144.00	1732
23.	पश्चिम बंगाल	618.65	1400	467.68	1035	677.25	1250
	कुल	7527.63	42724	8701.40	21518	11935.53	45927

[हिन्दी]

हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम

***288. श्री शिवराजसिंह चौहान :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकर बहुल गांवों के विकास के लिए एक समेकित हथकरघा ग्राम विकास कार्यक्रम आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों को, विशेषकर मध्य प्रदेश के गांवों को, शामिल किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान और अधिक गांवों को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) जी, हां। एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना वर्ष 1991-92 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य देश में हथकरघा ग्रामों के विकास के लिए सहायता प्रदान करना था।

(ख) और (ग) उस अवधि के दौरान, जिसमें एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना कार्यान्वयनाधीन थी, देश के 18 राज्यों के 208 गांवों को कवर करने के लिए, उनसे

प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उन 18 राज्यों को 21,234 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 3086.80 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है वहां पांच गांवों के 500 लाभार्थियों को कवर करने के लिए 79.40 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी।

(घ) जी, नहीं। एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना 1.4.97 के बन्द हो गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

राज्य सहकारी समितियों को परिचालनात्मक स्वतंत्रता

***289. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिनांक 3 जुलाई, 2002 को 'दि हिन्दुतान टाइम्स' में ''लार्ज को–ऑपस में बी कारपोरेटाइज्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार उनका मंत्रालय बड़ी बहु–राज्य सहकारी समितियों को स्वयं को निगमित करने की अनुमति देकर के उन्हें परिचालनात्मक स्वतंत्रता देने के लिए पूरी तरह तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सहकारी समितियों को बहुराष्ट्रीय कारपोरेटों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु वित्तीय और कार्यसंचालन संबंधी स्वायतत्ता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में सहकारी समितियों के लिए जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों या तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सहकारी समितियों के हित में यह निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 जिसे 31 अगस्त, 2001 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया था, सहकारी समितियों के उत्पादक कम्पनियों के रूप में निगमन और विद्यमान सहकारी समितियों के स्वैच्छिक आधार पर ''उत्पादक कम्पनियों'' में संपरिवर्तन करता है। जब सहकारी समितियों के रूप में इनका गठन हुआ या ये कम्पनियों में संपरिवर्तित हुईं, की कम या अधिक वही स्वायत्तता होगी जैसी कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में निगमित की गई कम्पनी की होती है।

(घ) और (ङ) विधेयक को विभाग से संबंधित गृह कार्यों की स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 14.5.2002 को लोकसभा में प्रस्तुत की। विधेयक संसद के विचारार्थ है।

भारतीय खाद्य निगम को नया रूप प्रदान करना

***290. डा. वी. सरोजा :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद और वितरण की आर्थिक लागत को कम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद का अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भ्रष्टाचार दूर करने और भारतीय खाद्य निगम को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज हैदराबाद की अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) प्रक्रिया मे कमियों को दूर करने के लिए औचक और नियमित जांच करना ताकि फील्ड में कार्यरत आधिकारी/कर्मचारी किसी कमी का अवांछित लाभ न उठा सकें।

(ii) शिकायतों और आरोपों की तीव्र जांच करना।

(iii) चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना और जहां कहीं वांछित होता है वहां आपराधिक मामले दर्ज करना।

(iv) विभिन्न हानियों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों की रिकवरी करना।

(v) चोरी और उठाईगिरी रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करना।

भारतीय खाद्य निगम को अन्य बातों के साथ-साथ बफर स्टाक का रखरखाव करने और सरकार की नीतियों के अधीन सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्न जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर और स्वयं समर्थ बनाना संभव नहीं हो सकेगा।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक और आर्थिक लागत को कम करने के उपाय और तरीके सुझाने हेतु भारतीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद की अध्ययन रिपोर्ट में दिए गए मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

(क) भारतीय खाद्य निगम को स्वायत्त बनाना वांछनीय है और संगठन के रूप में भारतीय खाद्य निगम को समाप्त करना राष्ट्र के हित में नहीं होगा।

(ख) भारतीय खाद्य निगम को व्यवहार्य बनाने के लिए भारत सरकार को (i) वसूली मूल्य निर्धारित करना; (ii) वसूली की मात्रा निर्धारित करना; और (iii) निर्गम मूल्य निर्धारिल करना, के 3 घटकों में से किन्हीं 2 घटकों पर से नियंत्रण समाप्त करना होगा।

(ग) स्टाक का स्तर कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को रूटीन प्रक्रिया के रूप में खुली बाजार बिक्री करने की अनुमति दी जाए।

(घ) खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसे निजी व्यापारियों के हाथ में नहीं देना चाहिए, जो केवल लाभ द्वारा प्रेरित होते हैं।

(ङ) राज्य सरकारों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित मात्रा का उठान करने हेतु जोर डाला जाना चाहिए। आवंटन के संदर्भ में उठान न किए गए स्टाफ के लिए राज्य सरकारों से भंडारण और ब्याज प्रभार अदा करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(च) रेलवे को दुलाई हेतु प्राप्त परेषणों की पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें न केवल स्पष्ट आर. आर. जारी करनी चाहिए, बल्कि संविदा अधिनियम के अधीन बेली का दायित्व पूरा करते हुए भारतीय खाद्य निगम को गन्तव्य पर उसी स्थिति में परेषण सुपुर्द करना चाहिए।

(छ) उत्तर-पूर्व क्षेत्रों और जम्मू व कश्मीर के लिए लागू पहाडी दुलाई राजसहायता योजना समाप्त कर दी जानी चाहिए।

(ज) बैंकिंग क्षेत्र से निधियां उधार लेकर बफर स्टाक का वित्त पोषण बंद किया जाना चाहिए और इसका वित्त पोषण सरकारी अनुदान/इक्विटी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(झ) विकेंद्रीकृत वसूली को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(ञ) महंगे विभागीय श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए।

(ट) भारतीय खाद्य निगम अपनी सभी भंडारण परिसम्पत्तियां केंद्रीय निगम को बेच दे, जो देश में प्रमुख भंडारण एजेंसी बन सकता है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन केन्द्र

***291. प्रो. दुखा भगत :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन केन्द्र खोलने हेतु स्थानों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और उनके कार्यक्षेत्र का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र के निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने हेतु इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता देने का है;

(घ) क्या बैंकों और लघु उद्योगों के बीच मधुर संबंध बनाये रखने हेतु कोई परामर्शदात्री निकाय की स्थापना करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य निर्यात संवर्धन निकायों से ऐसे महत्वपूर्ण केन्द्रों को अभिज्ञात करने के लिए कहा गया है जहां से पर्याप्त मात्रा में निर्यात होते हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे स्थानों पर बुनियादी संरचना और अन्य सुविधाओं का विकास करने के उपाय करने की सलाह दी गई है।

निर्यात संबंधी बुनियादी संरचना और अन्य क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता स्कीम (एएसआईडीई) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की औद्योगिक बुनियादी संरचना विकास केन्द्र (आईआईडी) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता तथा निविष्टियों, पैकेजिंग और निर्यातों के रूप में सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण ऐसे केन्द्रों में लघु उद्योगों सहित सभी उद्योगों के लिए उपलब्ध है।

राज्य सरकारों को मुख्य सचिवों के अधीन राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समितियां गठित करने की सलाह दी गई है जिनमें अन्य व्यक्तियों के साथ–साथ भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, स्थानीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि निर्यात इकाईयों को ऋण दिए जाने की सुविधा हो सके।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता का दुरुपयोग

***292. श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों तथा पेयजल योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऋण की धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में ऋण के दुरुपयोग का कोई मामला आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है और इस तरह के कदाचार को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक की परियोजनाओं के अंतर्गत उधार ली गई अन्तरित/ऋण पर दी गई निधियों में से किए गए व्ययों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा विधिवत लेखा–परीक्षा की जाती है और प्रत्येक राजकोषीय वर्ष के अन्त में विश्व बैंक को लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत सरकार इन परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा भी करती है और परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकारियों को बैंक द्वारा तैयार की गई समय–सारणी का पालन करने के लिए उपयुक्त निदेश भी जारी किए जाते हैं ताकि निधियों का उपयोग यथासमय और उपयुक्त तरीके से किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व व्यापार संगठन वार्ता हेतु रणनीति

***293. श्री के. येरननायडू :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व व्यापार संगठन की 16 जुलाई, 2002 को हुई वस्त्रों संबंधी वार्ता के लिए सरकार द्वारा अपनाई गयी रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों समेत वस्त्र के क्षेत्र में प्रमुख साझीदारों के साथ बातचीत के लिये क्या फार्मूला तैयार किया गया था?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) डब्ल्यू टी ओ में 16 जुलाई, 2002 को वस्त्र मुद्दों पर कोई बैठक नहीं हुई।

अनुसूचित क्षेत्रों/जनजातियों के लिये आयोग

***294. डा. जयन्त रंगपी** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की रचना क्या है, उसके पास क्या शक्तियां हैं और उसके विचारार्थ विषय कौन–कौन से हैं;

(ग) क्या पहले भी ऐसे किसी आयोग की नियुक्ति की गई थी;

(घ) यदि हां, तो पिछले आयोग की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थीं; और

(ङ) इस समय आयोग की नियुक्ति के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने हाल ही में एक 11 सदस्यीय आयोग की स्थापना की है।

(ख) आयोग के गठन, शक्तियों तथा विचारार्थ विषयों को राष्ट्रपति के आदेश से जारी कार्यालय आदेश में शामिल किया गया है। आदेश की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां। पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 339 (1) के अधीन सन् 1960 में गठित किया गया था।

(घ) रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं उक्त आयोग द्वारा स्वतंत्रता पूर्व अनुसूचित जनजाजियों की समस्याओं और दशा पर किए गए अध्ययन के निष्कर्ष, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रमों, नीतियों, प्रशासनिक ढांचों की समीक्षा है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के लिए रिपोर्ट में, कार्यक्रमों और नीतियों की व्यापक समीक्षा के उपरान्त कुछ सिफारिशें भी की गई हैं।

(ङ) सरकार महसूस करती है कि संविधान के अनुच्छेद 46 के अधीन दिए गए अधिदेश तथा आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम रिपोर्ट के बाद से हुए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय विकास संबंधी सभी नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करनी जरूरी है।

विवरण

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

संख्या 17014/8/93–टी.डी. (आर)

भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

(आर.एंड.पी. यूनिट)

• • • •

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 18 जुलाई, 2002

सं. 17014/8/93-टी.डी. (आर)–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 339 के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस आदेश में आयोग कहा गया है) को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से नियुक्त करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :

(i) श्री दिलीप सिंह भूरिया — अध्यक्ष

(ii) प्रो. मेइ जिन लुंग कामसोन — सदस्य

(iii)	डा. भुपिन्द्र सिंह	सदस्य
(iv)	श्रीमती चोकिला अय्यर	सदस्य
(v)	श्री कुवरसिंह फुल्जी वाल्वी	सदस्य
(vi)	डा. बाबूभाई दोल्जीबाई दामोर	सदस्य
(vii)	प्रो. दिवाकर मिंज	सदस्य
(viii)	श्री एस. के. कौल	सदस्य
(ix)	डा. पी. के. पटेल	सदस्य
(x)	श्री राम सेवक पैकेरा	सदस्य
(xi)	श्री पी. एस. नेगी	सदस्य—सचिव

2. आयोग के निम्नलिखित निर्देश—निबंधन होंगे, अर्थात् :

(1) आयोग संविधान के विभिन्न उपबंधों और देश में जनजातीय परिदृश्य को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए कल्पनाशील और दूरदर्शी तथा व्यवहार्य व्यापक जनजाति संबंधी जातीय नीति की रूपरेखा तैयार करेगा।

(2) यह संवैधानिक उपबंधों की, जहां तक वे अनुसूचित जातियों से संबंधित हैं, जनजाति के हितों के संवर्धन के लिए संवैधानिक, विधिक, वित्तीय और प्रशासनिक युक्तियों की दृष्टि से परीक्षा करेगा और संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के समुचित और पर्याप्त कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा।

(3) आयोग ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यकरण का, जो टेबर आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपनायी जा रही हैं और/या अन्यथा जिनको कार्यान्वित किया जा रहा है, पुनर्विलोकन करेगा और इस संबंध में ऐसे सूत्रों का सुझाव देगा, जिनकी मांग हो।

(4) यह अब तक अपनाई गई विकास युक्तियों की परीक्षा करेगा और विशिष्टतया यह जनजाति उपयोजना को एकीकृत दृष्टिकोण की संवीक्षा करेगा जिसमें निम्नलिखित पहलू सम्मिलित होंगे :

(क) योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध सेक्टर अर्थात् कृषि और सहबद्ध सेक्टर, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, नियोजन, वित्तीय और सहकारी संस्थाओं की भूमिका, जनजातियों का विस्थापन।

(ख) विधिक और प्रशासनिक प्रकृति के संरक्षात्मक उपाय जो भू—संक्रमण, साहूकारी, उत्पाद—शुल्क, आदि के क्षेत्र में हो।

(ग) वित्तीय और बजट संबंधी प्रबंध और उपांतरणों तथा नवीन प्रक्रियाओं के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सुझाव देगा।

(5) यह सामाजिक—राजनैतिक और प्रशासनिक गठन की, विशेष रूप से पंचायतों और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रतिनिर्देश से, परीक्षा करेगा और स्वायत्तशासन तथा जनजाति के व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक उन्नयन को प्रभावी बनाने के लिए उपायों का सुझाव देगा।

(6) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों से प्रशासन और/या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित कोई अन्य मामला।

3. आयोग—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों, संगठनों या व्यक्तियों से प्राप्त कर सकेगा जो आयोग की राय में उसके कार्य में सहायक हों, ऐसी जानकारी अभिप्राप्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे या जो उसके प्रयोजन के लिए सुसंगत हों।

(ख) अपने सदस्यों में से ऐसी उप समितियां नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए ठीक समझे, और उन्हें आयोग द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं।

(ग) किसी उपसमिति को, जो आयोग आवश्यक या समीचीन समझे, भारत के ऐसे भागों का दौरा कर सकेगा या दौरे पर प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(घ) ऐसे समय और स्थानों पर, जो अध्यक्ष द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन अवधारित किए जाएं अपनी या किसी उपसमिति की बैठकें आयोजित करेगा।

(ङ) आयोग के किसी सदस्य की अस्थायी अनुपस्थिति या किसी रिक्ति के होते हुए भी आयोग अपना कार्य करेगा, तथा

(च) अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगा जहां तक इस आदेश में इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है।

4. आयोग, यथासंभव शीघ्र, परन्तु इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् नहीं, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रप्रति को प्रस्तुत करेगा।

राष्ट्रपति के आदेश से

(एस. चैटर्जी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

स्थान : नई दिल्ली,

तारीख : 18 जुलाई, 2002

खाद्यान्नों की खरीद पर मात्रात्मक प्रतिबंध

***295. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में खाद्यान्नों की खरीद पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) दीर्घकालिक अनाज नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31.7.2002 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने वसूली नीति के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं :

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी नीति तत्काल सुधार के साथ जारी रहनी चाहिए। खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक सक्षम क्षेत्रों में केवल उत्पादन की सी–2 लागत (अर्थात् परिवार श्रम अपनी पूंजी और भूमि किराए के आदान लागतों सहित सभी लागतें) का अनुसरण करना चाहिए। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खुली वसूली जारी रहनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सांविधिक स्तर प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) इस न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी संशोधित नीति के लिए राज्य सरकारों को कृषकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिपूर्ति पैकेज देना अपेक्षित होगा।

(iii) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन मिल मालिकों पर लगाए गए सभी अनिवार्य लेवी आदेश हटा लिए जाने चाहिए और उनके स्थान पर ऐसे आदेश लागू किए जाने चाहिए जिनमें मिल मालिकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन वसूल किए गए धान की कस्टम मिलिंग करना अपेक्षित हो।

सरकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने के बाद राय बनाएगी।

विद्युत/अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में विदेशी निवेश

***296. श्री प्रियरंजन दासमुंशी :** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त विदेशी निवेश या ऋण सुनिश्चित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता का कोई प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) जनवरी, 1991 से मई, 2002 तक ढांचागत क्षेत्र (विद्युत, दूरसंचार, रेलवे, सड़क और पत्तन) में अनुमोदित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 101709.89 करोड़ रुपए था। वर्ष 1991–2002 के दौरान इन क्षेत्रों के लिए अनुमोदित कुल विदेशी ऋण 19825.35 मिलियन अमरीकी डालर के थे। दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विकास केन्द्र

***297. श्री रामशेठ ठाकुर :**

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज की तिथि तक देश में स्थापित किए गए विकास केन्द्रों की राज्य–वार संख्या कितनी है और ये कहां–कहां स्थित हैं;

(ख) आज की तिथि तक इन विकास केन्द्रों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र–वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या इन केन्द्रों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और विकास केन्द्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) और (ख) विकास केन्द्र योजना के तहत आरंभ में 71 स्थलों को विनिर्दिष्ट किया गया था और उनमें से 68 स्थलों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है, जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सिक्किम, उत्तरांचल और छायागांव (असम) के विकास केन्द्रों को अभी स्वीकृति प्रदान की जानी अपेक्षित है। राज्य–वार स्वीकृत किये गये विकास केन्द्र और प्रत्येक विकास केन्द्र के लिए केन्द्र तथा राज्यों द्वारा जारी की गयी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विकास केन्द्र योजना का उद्देश्य विनिर्दिष्ट किये गये औद्योगिक रूप से पिछड़े स्थलों में अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है ताकि वहां उद्योगों में निवेश को आकृष्ट किया जा सके तथा साथ ही उद्योगों को फैलाव के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके। स्वीकृत किये गये 68 विकास केन्द्रों में से 38 विकास केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है और इन्होंने 8531 करोड़ रुपए की राशि का पूंजी निवेश आकृष्ट किया है। शेष विकास केन्द्रों में धीमी प्रगति के लिए अनेक बाधाएं जिम्मेदार हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, निम्न बाधाएं शामिल हैं–भूमि अधिग्रहण, प्रक्रियाएं, विकसित भू–खंडों की मांग का अभाव, सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का अभाव, खराब प्राकृतिक संसाधन आधार और सरकारी नीतियों में परिवर्तन जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र से नियंत्रण हटाना व लाइसेंस की शर्त हटाया जाना, स्थानीय तौर पर पहलों का अभाव होना, आदि।

(ङ) और (च) इस योजना के अन्तर्गत पहले से ही स्वीकृत किए गए 71 विकास केन्द्रों से अधिक केन्द्रों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

26.7.2002 की स्थिति के अनुसार विकास केन्द्रों की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपए में)

क्र.स.	राज्य, विकास केन्द्र/ जिले का नाम	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि	राज्यों तथा इनकी एजेंसियों द्वारा जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		
	हिन्दूपुर (अंनतपुर)	200.00	147.76

1	2	3	4
2.	खम्माम (खम्माम)	50.00	–
3.	बोब्बीली (विजीनागरम)	551.00	487.63
4.	अंगोले (प्रकासम)	650.00	666.33
5.	अरुणाचल प्रदेश		
	नीकलोक–नगोरलुग (इस्ट सैंग)	148.00	137.50
6.	असम		
	मटिया (गोपारा)	250.00	139.91
7.	चरिद्वार (सोनीतपुर)	300.00	179.85
8.	बिहार		
	बेगुसराय (बेगुसराय)	300.00	636.35
9.	भागलपुर (भागलपुर)	50.00	408.40
10.	छपरा (छपरा)	50.00	90.00
11.	दरभंगा (दरभंगा)	50.00	–
12.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	50.00	90.00
13.	छत्तीसगढ़ बोराई (दुर्ग)	793.00	768.53
14.	सिल्तारा (रायपुर)	1000.00	1610.36
15.	गोवा इलैक्ट्रोनिक सिटी (वर्ना–प्लेटू)	824.00	1239.24
16.	गुजरात		
	गांधीधाम (कच्छ)	585.00	500.00
17.	पालनपुर (बांसकाण्ठा)	250.00	500.00
18.	बागरा (भड़ौच)	1000.00	3940.25
19.	हरियाणा बावल (रेवाड़ी)	1000.00	6259.19
20.	साह (अंबाला)	400.00	892.96
21.	हिमाचल प्रदेश		
	कांगड़ा (कांगड़ा)	450.00	387.63

1	2	3	4
22.	जम्मू और कश्मीर		
	लस्सीपोरा (पूलवामा)	250.00	320.43
23.	सम्बा (जम्मू)	900.00	933.13
24.	झारखंड हजारीबाग (हजारीबाग)	200.00	241.19
25.	कर्नाटक		
	धारवाड़ (धारवाड़)	1000.00	5165.00
26.	रायचुर (रायचुर)	1000.00	1916.69
27.	हसन (हसन)	1000.00	6319.52
28.	केरल कन्नूर–कोझीकोड़े (कन्नूर–कोझीकोड़े)	1000.00	2508.37
29.	अल्लपूझा–मालापुरम (अल्लपूझा–मालापुरम)	1000.00	3004.37
30.	मध्य प्रदेश		
	चैनपुरा (गुना)	100.00	160.00
31.	घिरोंगी (भिण्ड)	1000.00	3178.93
32.	खेडा (धार)	1000.00	1161.63
33.	रतलापुर (रायसेन)	535.00	500.00
34.	महाराष्ट्र अकोला (अकोला)	1000.00	1168.26
35.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	815.00	732.25
36.	धूले (धूले)	580.00	746.69
37.	नादेड़ (नादेड़)	910.00	976.03
38.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	440.00	116.64
39.	मणिपुर		
	लमनाई नापेट (इम्फाल)	150.00	126.59
40.	मेघालय		
	मण्डिपथार (इस्ट गारो हिल्स)	50.00	–

1	2	3	4
41.	मिजोरम		
	लोंगमाल (आईजोल)	300.00	160.44
42.	नागालैंड		
	गनेश–नगर (कोहिमा)	1500.00	320.25
43.	उड़ीसा		
	चतरपुर (गंजम)	50.00	90.84
44.	कालिंगानगर डुबरी (कटक)	600.00	1350.00
45.	झारसुगुडा (झारसुगुडा)	200.00	100.00
46.	केसिंगा (कालाहांडी)	125.00	37.02
47.	पांडिचेरी पोलागाम–करायकल (करायकल)	400.00	685.00
48	पंजाब		
	भटिंडा (भटिंडा)	1000.00	950.78
49.	पठानकोट (गुरदासपुर)	1000.00	500.00
50.	राजस्थान		
	आबू–रोड (सिरोही)	1000.00	2150.76
51.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	300.00	150.00
52.	खारा (बीकानेर)	450.00	340.78
53.	धौलपुर (धौलपुर)	320.00	255.34
54.	झालावाड़ (झालावाड)	300.00	150.00
55.	तमिलनाडु इरोड (पेरियार)	1000.00	7931.72
56.	अरगडम (कांचीपुरम)	800.00	242.65
57.	तिरूनेलवेली–गांगी कोन्डम (तिरूनेलवेली–कट्म्बोम्मन)	930.00	1500.00
58.	त्रिपुरा बोधजंग नगर (पश्चिमी त्रिपुरा)	570.00	
59.	उत्तर प्रदेश बिजोली (झांसी)	593.00	285.00
60.	जामोड़ (शाहजांहपुर)	315.00	127.81
61.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	800.00	859.15
62.	दिबायापुर (औरया)	150.00	75.00
63.	खुर्जा (बुलंदशहर)	420.00	285.00
64.	सथारिया (जौनपुर)	567.00	452.07
65.	साहजनवा (गोरखपुर)	1000.00	851.13
66.	पश्चिम बंगाल		
	बोलपुर (बीरभूम)	100.00	100.00
67.	जलपाईगुडी (जलपाईगुडी)	100.00	100.00
68.	मालदा (मालदा)	300.00	274.25
	कुल	37071.00	68682.50

शिवराजपुर–पदमपुर (उत्तरांचल) के लिए अनन्तिम रूप से जारी राशि 50 लाख रुपए

शिवराजपुर–पदमपुर (उत्तरांचल) सहित जारी की गई कुल केन्द्रीय सहायता : 37071 लाख रुपए + 50 लाख रुपए बराबर 37121 लाख रुपए

[हिन्दी]

एम.आर.टी.पी. आयोग के पास लंबित मामले

***298. श्री हरिभाई चौधरी :** क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एम.आर.टी.पी. आयोग में कुल कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटान किया गया; और

(ग) आयोग द्वारा बाकी बचे मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) एम.आर.टी.पी. आयोग के पास पिछले तीन

वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए तथा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

	1999	2000	2001
वर्ष के आरम्भ में मामले	4515	4720	5066
पंजीकृत	901	847	436
निपटान किया	696	501	2825
लम्बित	4720	5066	2677

(ग) एम.आर.टी.पी. आयोग एक राष्ट्रीय स्तर का अर्द्ध–न्यायिक निकाय है; इसके द्वारा मामलों पर विचार करना एक न्यायिक प्रक्रिया है। 2001 में लम्बित मामलों की संख्या में वास्तविक रूप से कमी आई है।

नमक का उत्पादन/खपत/ निर्यात

***299. श्री रामदास आठवले :**

श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 2002 तक गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नमक के उत्पादन, खपत और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) नमक के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को भी किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को अब तक उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नमक के भंडारण हेतु विभिन्न पत्तनों पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों की अवधि में अर्थात् 31 मई, 2002 तक की अवधि के लिए नमक का उत्पादन, उपभोग और निर्यात संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं :

(आंकड़े लाख मी. टन में)

वर्ष	उत्पादन	उपभोग		निर्यात
		खाद्य	औद्योगिक	
1999	144.53	49.44	60.64	8.29
2000	156.51	52.21	68.10	10.57
2001	142.84	50.04	64.92	16.13
2002 (मई तक)	89.25	20.13	26.86	6.60

(ख) सरकार देश में नमक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है

(i) नमक उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि की जांच करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि का आवंटन करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं।

(ii) वैज्ञानिक आधार पर नमक कारखानों का निर्माण करने के लिए तकनीकी दिशा–निर्देश उपलब्ध कराये जाते हैं।

(iii) खाद्य, औद्योगिक और निर्यात प्रयोजनों के लिए बढ़िया नमक की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नमक उत्पादन क्षेत्रों में नमक शोधनालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना जिससे साधारण नमक के उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलती है।

(iv) उन नमक कारखानों को, जो कि प्राकृतिक विपदाओं जैसे कि बाढ़/चक्रवात, आदि के

कारण हानि उठाते हैं, अनुग्रह अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे अपना उत्पादन पुनः शुरू कर सकें। नमक कारखानों में विकास तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं को चलाने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) नमक का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त विभागीय नमक भूमि को निजी पक्षों को नमक उत्पादन करने के लिए पट्टे पर दिया जाता है।

(vi) सरकार ने दिनांक 4.9.2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 639 (अ) के तहत नमक कारखानो से नमक हटाने के लिए प्रेषणवार परमिट सिस्टम को स्वयं हटवाने की पद्धति (एस.आर.पी.) से प्रतिस्थापित कर दिया है, जिससे बाधाएं कम होंगी और इसके फलस्वरूप नमक उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार नमक के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :

(i) निर्याततित नमक को उपकर भुगतान से मुक्त किया गया है।

(ii) नमक आयुक्त के कार्यालय को सभी प्रकार के नमक का निर्यात करने के लिए निर्यात–योग्य प्रमाणपत्र (ई.डब्ल्यू.सी.) जारी करने के लिए निरीक्षण अभिकरण बनाया गया है। निर्यात–योग्य प्रमाणपत्र निःशुल्क जारी किया जाता है।

(iii) अगस्त, 1987 से नमक के निर्यात को सामान्य खुले लाइसेंस के तहत लाया गया है और आयोडीनकृत नमक के निर्यात पर 5 लाख मीट्रिक टन के मात्रात्मक प्रतिबंध को जुलाई 1992 से हटा दिया गया है।

(iv) स्टार ट्रेडिंग गृहों एवं निर्यात गृहों को नमक के अनिवार्य रूप से जहाज लदान–पूर्व निरीक्षण से छूट दे दी गई है।

(v) रेलवे, पड़ोसी देशों को सामान्य और आयोडीनकृत नमक का रेल द्वारा निर्यात करने के क्रियाकलाप को प्राथमिकता "ख" प्रदान करता है।

(ग) और (घ) जी, हां। नमक आयुक्त का कार्यालय राज्य सरकारों और नमक उत्पादकों द्वारा प्रायोजित किये गये विकास तथा श्रम कल्याण योजनाओं के निष्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के विवरण नीचे दिये गये हैं :

(आंकड़े लाख रुपये में)

राज्य	1999–2000	2000–2001	2001–2002
गुजरात	98.97	191.52	55.62
आंध्र प्रदेश	6.29	6.25	–
तमिलनाडु	8.52	6.71	4.98
पश्चिम बंगाल	6.82	–	–
उड़ीसा	3.92	0.45	1.78
महाराष्ट्र	–	–	–
कर्नाटक	–	–	–
राजस्थान	11.29	6.22	8.12
कुल योग	135.81	211.15	70.50

(ङ) से (छ) पत्तनों पर नमक भंडारण करने के लिए कोई अलग से गोदामों की सुविधा विद्यमान नहीं है। किन्तु अन्य वस्तुओं के लिए उपलब्ध सामान्य सुविधा का उपयोग नमक निर्यात द्वारा किया जा सकता है । निर्यातकों को पत्तनों के निकट स्थित नमक विभाग की भूमि और नमक निर्माण के लिए अनुपयुक्त भूमि नमक का भंडारण करने के लिए लाइसेंस के तहत दी जाती हैं। इसी प्रकार निर्यातकों को पत्तन न्यास की भूमि भी नमक के भंडारण के लिए पट्टे/लाइसेंस पर दी जाती है। पत्तनों से 25 कि.मी. के अन्दर स्थित नमक कारखाने अपने कारखानों में नमक का भंडारण कर सकते हैं और जलपोतों के आगमन पर लदान कर सकते हैं।

[अनुवाद]

कॉफी के निर्यात में गिरावट

***300. श्री विनय कुमार सोराके :**
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय कॉफी उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में एवं निर्यातों में आई गिरावट के कारण अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान कैलेंडर वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान भारतीय कॉफी निर्यात में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो कॉफी उत्पादकों को राहत पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त भंडारों को खपाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सहित घरेलू बाजार में कॉफी को बढ़ावा देने के लिए कोई अभियान शुरू किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कम कीमतों के कारण भारत से चालू कैलेंडर वर्ष के प्रथम छह महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कॉफी के निर्यातों में गिरावट आई है।

(ग) भारत सरकार कॉफी बोर्ड के जरिए कॉफी के विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत कॉफी कृषकों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने कॉफी के लघु कृषकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए फसल ऋणों पर उन्हें ब्याज में 5 प्रतिशत की राहत प्रदान की है। इसी तरह, भारतीय कॉफी निर्यातकों को उनकी प्रहस्तन/परिवहन लागतों को कम करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। हाल ही में 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार और गैर–निष्पादन परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में अवर्गीकृत कॉफी कृषकों के सभी किस्म के बकाया ऋणों को एकल अवधि ऋण अर्थात् विशेष कॉफी अवधि ऋण (एससीटीएल), 2002 में समाहित कर दिया गया है जिसकी वापसी भुगतान अवधि दो वर्ष के प्रारंभिक वापसी भुगतान अवकाश समेत 7-9 वर्षों तक है।

(घ) और (ङ) कॉफी बोर्ड ने कॉफी के निर्यात का संवर्धन करने और इसकी घरेलू खपत बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। बोर्ड प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार हिस्सा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए तथा आगामी कुछेक वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के लिए भी एक मध्यावधि निर्यात नीति क्रियान्वित कर रहा है। इसी प्रकार, कॉफी की घरेलू खपत बढाने के लिए कॉफी बोर्ड विभिन्न कदम उठा रहा है जिनमें अग्रणी सहकारी समितियों अर्थात् राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ (अमूल) के सहयोग से भारतीय कॉफी विपणन सहकारी लि. (कोमार्क) द्वारा कॉफी की खरीद एवं विपणन को प्रोत्साहित करने का प्रारम्भिक कार्य शामिल है।

[हिन्दी]

सड़कों और राजमार्गों के लिए विश्व बैंक की सहायता

2845. श्री सुरेश चन्देल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व बैंक सड़कों और राजमार्गों के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं और उक्त सहायता से इन राज्यों में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के नाम क्या हैं; और

(घ) राजमार्गों और परिवहन संबंधी सुविधाओं में किस हद तक सुधार हुआ है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) वर्ष 1997 से विश्व बैंक ने राज्य क्षेत्र परिवहन संबंधी पांच परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा सहायित कार्यान्वयनाधीन सड़कें तथा राजमार्ग परियोजनाएं

(मिलियन डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दाता	भाग लेने वाले राज्य	हस्ताक्षर की तारीख	ऋण राशि	परियोजना के अधीन कार्यान्वित कार्यक्रम	दिनांक 30.6.02 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण
1.	आन्ध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश	30.7.97	350.00	1412 कि.मी. राज्य राजमार्गों को चौड़ा करना तथा उनके सुदृढ़ीकरण के साथ रखरखाव तथा संस्थागत विकास भी	218.750
2.	गुजरात राज्य राजमार्ग	विश्व बैंक	गुजरात	18.10.00	381.00	गुजरात में 800–900 कि.मी. भारी यातायात वाले राज्य राज–मार्गों को चौड़ा करना तथा उनका सुदृढ़ीकरण	49.442
3.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग कार्यान्वयन परियोजना	विश्व बैंक	कर्नाटक	26.7.01	360.00	लगभग 1000 कि.मी. प्राथमिकता वाली राज्य सड़कों का उन्नयन तथा चौड़ा करने के साथ–साथ कर्नाटक में 1300 कि.मी. राज्य सड़कों का सुधार करना भी	24.445
4.	केरल राज्य परिवहन परियोजना	विश्व बैंक	केरल	6.5.02	255.00	600 कि.मी. राज्य सड़कों को चौड़ा करने तथा उनके सुदृढ़ी–करण के साथ–साथ रखरखाव तथा संस्थागत विकास भी	7.500
5.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	आईडीए	मिजोरम	6.5.02	60.00	169 कि.मी. राज्य सड़कों को चौड़ा करने तथा उनके सुदृढ़ी–करण के साथ–साथ रखरखाव तथा संस्थागत क्षमता सुधार	2.000

[अनुवाद]

पेय पदार्थों की मांग और आपूर्ति

2846. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमरीका और यूरोप में भारतीय व्हिस्की, बीयर और शराबों की बहुत अधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मादक पेय पदार्थों को विश्वस्तर पर प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति हेतु उक्त देशों से कोई आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) भारतीय स्पिरिट तथा मादक पेय पदार्थ यू.एस.ए. तथा यूरोप में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। एपीडा के माध्यम से सरकार निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास स्कीम के तहत निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान यूएसए तथा यूरोप को यवरस से निर्मित बीयर, वाइन और व्हिस्की के किए गए निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं

वर्ष	मूल्य (लाख रुपए में)
2000–2001 (अप्रैल–मार्च)	736.24
2001–2002 (अप्रैल–फरवरी)	492.68

चाय और कॉफी की बागवानी

2847. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में चाय कॉफी की बागवानी के लिए उपयुक्त मृदा एवं कृषि अनुकूल जलवायु संबंधी स्थिति का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा में किसी क्षेत्र को उपयुक्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में चाय और कॉफी की बागवानी हेतु तब से क्या उपाय किए गए हैं और अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सहित देश के विभिन्न भागों में चाय और कॉफी उत्पादन में कितनी बढ़ोतरी होने का अनुमान है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) जी, हां। यह सच है कि वाणिज्यिक स्तर पर चाय रोपण के लिए देश के उपयोग में न लाए गए अपरम्परागत क्षेत्रों में चाय बागान की उपयुक्तता का निर्धारण करने हेतु मृदा और कृषि जलवायु की स्थिति का आकलन करने के लिए गत दो दशकों में चाय के बारे में कई व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं। टी बोर्ड की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान करने के लिए अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों को अपरम्परागत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा सिक्किम राज्य, उत्तरांचल में गढ़वाल और कुमायूं की पहाड़ियां, केरल में इदुक्की और व्यानाड जिलों के चाय न उगाने वाले क्षेत्र, कर्नाटक में कोडागु जिला, तमिलनाडु में कोडईकनाल और अनामलायी, असम में उत्तरी कछार की पहाड़ियां और कर्बी आंगलोंग स्वायत्तशासी जिले, त्रिपुरा में दक्षिणी जिला, हिमाचल प्रदेश में मण्डी और चम्बा जिले तथा बिहार में किशनगंज जिला शामिल हैं। टी बोर्ड द्वारा उड़ीसा राज्य के कालाहाण्डी, रायगढ़ और क्योंझर जिलों में चाय की खेती के लिए क्षेत्रों की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण किए गए थे। अभिज्ञात किए गए क्षेत्रों को प्रथम दृष्ट्या चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया बशर्ते कि कम लागत पर शुष्क महीनों के दौरान इनमें निश्चित कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की जाए जिसके लिए चाय बोर्ड अपनी योजना स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है। उडीसा के क्योंझर जिले में अब तक 213 हेक्टेयर भू–क्षेत्र पर चाय की खेती की जा रही है।

परम्परागत रूप से कॉफी की वाणिज्यिक खेती दक्षिण के तीनों राज्यों अर्थात कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती रही है। चूंकि कॉफी की खेती के लिए कृषि जलवायु की स्थितियां जैसे कि ऊंचा स्थान, वर्षा की पद्धति, तापमान की सीमा, शेड, मृदा इत्यादि महत्वपूर्ण हैं इसलिए भारत में कॉफी की वाणिज्यिक खेती के लिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जैसे खेत्रों को आदर्श क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया था। तथापि, कॉफी बोर्ड द्वारा 1970 और 1980 के दशकों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में पूर्वी घाट के कुछेक क्षेत्रों और सातों पूर्वोत्तर राज्यों के कुछेक पहाड़ी भूभागों को भी कुछ हद तक कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया था। कॉफी बोर्ड ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कॉफी के अन्तर्गत नए क्षेत्र को लाने, उत्पादकता में सुधार लाने और गुणवत्ता के उन्नयन इत्यादि के लिए विद्यमान जोतों की चकबंदी करने

हेतु एक विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किया था। उड़ीसा के छः जिलों अर्थात कोरापुट, रायगढ़, कालाहाण्डी, कंधामर, क्योंझर और गजपति में फैले अनुमानित 22,257 हेक्टेयर क्षेत्र को कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया था। फिलहाल उड़ीसा राज्य के लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती की जा रही है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उड़ीसा समेत देश में चाय और कॉफी का उत्पादन 9वीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान हुए चाय के 875 मिलियन किग्रा. और कॉफी के 3,00,600 मी. टन के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 1044.00 मिलियन किग्रा. 4,20,000 मी. टन होने का अनुमान है।

निजी प्रिंटरों द्वारा लेखों की छपाई पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

2848. श्री रामजी मांझी : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट संख्या 2000 (सिविल) के पैरा 5.2 में लेखों और रिपोर्टों की प्रिंटिंग के लिए वर्ष 1993–98 के दौरान मंत्रालयों और विभागों को अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का खुलासा किया है जिसके कारण प्रिंटिंग कार्य को निजी प्रिंटरों को देना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने और दशकों पुराने सरकारी प्रेसों का आधुनिकीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मामले की जांच करने और प्रेसों का आधुनिकीकरण न करने और अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां। कार्य के ब्यौरे तथा उसे भारत सरकार मुद्रणालयों में कराए जाने संबंधी तथ्यों की छानबीन कर लेने के पश्चात् केवल विवशता वाली परिस्थितियों में ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एनओसी) जारी किए जाते हैं।

तथापि, अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में मंत्रालय/विभाग से अनुरोध प्राप्त होने पर उस प्रस्ताव की समुचित रूप से छानबीन की जाती है तथा ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां आवश्यक हो, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

इन जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण–पत्रों की संख्या मुद्रण के लिए प्राप्त कुल कार्यों का मात्र लगभग 1 प्रतिशत ही होती है।

(ख) से (घ) अनापत्ति प्रमाण–पत्रों को निम्नलिखित कारणों से प्रदान किया जाता है :

1. मांग पत्र भेजने वाले विभाग द्वारा मांगे गए विशिष्ट कागज का उपलब्ध न होना।
2. विशेष गुणवत्ता वाले मुद्रण के लिए अपेक्षित आधार ढांचे का उपलब्ध न होना।
3. मांग पत्र भेजने वाले विभागों द्वारा कार्य के लिए कम समय प्रदान करना; तथा
4. कई बार आपातिक कार्यों की प्राप्ति होना।

मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण/पुनर्गठन से संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण से संबंधित जिम्मेदारी/जवाबदेही निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इथेनॉल पर शुल्क

2849. श्री जय प्रकाश : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 2002 को "दैनिक जागरण" के दिल्ली संस्करण में "चीनी मिलों की इथेनॉल उत्पादन योजना को गहरा झटका" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार पत्र में इथानोल डोपड पेट्रोल पर अधिभार को 75 पैसे प्रति लीटर करने के प्रस्ताव का उल्लेख है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

ग्राम स्वरोजगार योजना

2850. श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम क्या हैं जो गुजरात में गोल्डन जुबली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान कर रहे हैं;

(ख) इस योजना के लागू होने से अब तक इसके अंतर्गत राज्य में बैंक–वार कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य–वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक गुजरात सहित देश के सभी राज्यों में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत ऋण दे रहे हैं।

(ख) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार का कार्यान्वयन शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत गुजरात में दिए गए ऋणों का बैंक–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य–वार ऋण जुटाने के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक इसकी सूचना बैंकों को देता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा संसाधन, शाखाओं की संख्या आदि जैसे स्वीकार्य पैरामीटरों के आधार पर राज्य–वार लक्ष्यों को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच आवंटन किया जाता है। चालू वर्ष के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत निर्धारित राज्य–वार लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

इसके क्रियान्वयन से लेकर अब तक गुजरात में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत दिए गए ऋण का बैंक–वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	कुल ऋण
1	2	3
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	2819.06
2.	बैंक ऑफ इंडिया	618.06
3.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24.73
4.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	592.75
5.	देना बैंक	1653.88
6.	इंडियन बैंक	26.80
7.	इंडियन ओवरसीज बैंक	59.57
8.	सिंडिकेट बैंक	63.66
9.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	374.13
10.	यूको बैंक	91.63
11.	भारतीय स्टेट बैंक	1564.03
12.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1215.80
13.	पंजाब नैशनल बैंक	34.24

1	2	3
14.	अन्य वाणिज्यिक बैंक	66.41
	उप–योग	9204.75
15.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (9)	2421.25
16.	कृषि ग्रामीण विकास बैंक	580.63
17.	जिला मध्य. सह. बैंक	2964.67
18.	अन्य सहकारी बैंक	139.79
19.	अन्य संस्थान	424.32
	उप–योग	6530.66
	कुल योग	15735.41

विवरण-II

चालू वर्ष 2002–2003 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य का राज्य–वार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्धारित लक्ष्य
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	181.76
2.	आन्ध्र प्रदेश	8112.51
3.	अरुणाचल प्रदेश	680.22
4.	असम	9244.94
5.	बिहार	37040.00
6.	छत्तीसगढ़	6542.33
7.	दादरा एवं नागर हवेली	90.00
8.	दमण और दीव	206.30
9.	गोवा	230.35
10.	गुजरात	4544.28
11.	हरियाणा	3537.27
12.	हिमाचल प्रदेश	2244.90
13.	जम्मू और कश्मीर	3113.25
14.	झारखंड	12898.49
15.	कर्नाटक	12521.30
16.	केरल	3219.86
17.	लक्षद्वीप	170.42
18.	मध्य प्रदेश	14377.03
19.	महाराष्ट्र	79739.86
20.	मणिपुर	531.35
21.	मेघालय	1254.92
22.	मिजोरम	184.41
23.	नागालैंड	642.83
24.	उड़ीसा	11121.59
25.	पांडिचेरी	175.37
26.	पंजाब	1539.49
27.	राजस्थान	11271.87
28.	सिक्किम	237.08
29.	तमिलनाडु	7332.16
30.	त्रिपुरा	1462.07
31.	उत्तर प्रदेश	58500.15
32.	उत्तरांचल	3436.29
33.	पश्चिम बंगाल	20000.00
	कुल	254382.48

कपास एकाधिकार खरीद योजना

2851. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जून, 2002 से एक और वर्ष के लिए कपास एकाधिकार खरीद योजना का विस्तार करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) चालू वर्ष के लिए बी.टी. कपास हेतु कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 2001 में, महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से जून, 2001 के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात जून, 2006 तक, कच्ची कपास एकाधिकार खरीद योजना के विस्तार के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है।

(ग) चालू कपास वर्ष 2001–02 (अक्टूबर–सितंबर) के लिए बी.टी. कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है क्योंकि भारत में बी.टी. कपास की वाणिज्यिक पैदावार की कपास वर्ष 2002–03 से अनुमति दे दी गई हैं

निर्यात संभावनाओं का पता लगाने हेतु अध्ययन

2852. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषकर राजस्थान से निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने हेतु अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य–वार इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान से विभिन्न मदों/वस्तुओं/पदार्थों के निर्यात को प्रोत्सहित करने हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई या की जा रही है;

(घ) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार निर्यात की संभावनाओं का मूल्यांकन करने तथा निर्यात उत्पादन एवं निर्यातों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर आपसी संपर्क बनाए रखती है।

(ग) से (ङ) वाणिज्य मंत्रालय में वर्ष 2001–2002 से राज्यों को निर्यात संबंधी बुनियादी संरचना के विकास तथा अन्य कार्यकलापों के लिए सहायता (एएसआईडीई) स्कीम नामक एक नई स्कीम कार्यन्वित की है, ताकि निर्यात संबंधी बुनियादी संरचना के विकास में राज्यों की सहायता की जा सके। इसके अलावा, राज्यों के निर्यातक उचित सहायता के लिए बाजार विकास सहायता प्राप्त करने तथा बाजार अभिगम शुरूआत स्कीम के लिए पात्र हैं। एएसआईडीई स्कीम के तहत राज्यस्थान के लिए वर्ष 2002–2003 की पहली किस्त के रूप में 6 करोड़ रुपए स्वीकृत करके जारी कि गए हैं। इस स्कीम के अनुसार इससे संबंधित परियोजनाओं को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एसएलईपीसी) से अनुमोदित कराना होता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में सिले-सिलाए वस्त्रों हेतु परिसर

2853. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित सिले–सिलाए वस्त्रों के परिसर हेतु योगदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) "निर्यात अपैरल पार्क" योजना के दिशा–निर्देशों के अधीन गठित, परियोजना अनुमोदन समिति ने विशाखापट्टनम में एक अपैरल पार्क की स्थापना संबंधी,

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के परियोजना प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में अनुमोदन दे दिया है। योजना के तहत, अध्यसंरचना विकास लागत के लिए 75 प्रतिशत भारत सरकार की सहायता जो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बहिःस्राव शोधक संयंत्र, शिशु–गृहों, विपणन/प्रदर्शनी आदि के लिए अन्य बहु–उद्देश्यीय केन्द्र/हॉल की स्थापना के लिए शत–प्रतिशत सहायता जो अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होगी, उपलब्ध है तथा पार्क में अन्य प्रशिक्षण सुविधा के सृजन की लागत के लिए 50 प्रतिशत सहायता जो अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक होगी, उपलब्ध है।

स्वापकों को नष्ट करना

2854. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक नियंत्रक ब्यूरो (एन.सी.बी.) जब्त किये गये स्वापकों को जला देता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत औषधि निर्माण हेतु उनमें से कुछ जैसे गांजा का उपयोग न करने के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। अफीम, मॉर्फीन और थीबेन को छोड़कर अन्य अभिगृहीत स्वापक औषधियों को नष्ट कर दिया जाता है।

(ख) अभिगृहीत अफीम, मॉर्फीन, कोडीन और थीबेन को औषधीय और वैज्ञानिक प्रयोग हेतु अल्कालाइड निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चिकित्सीय औषधियों के विनिर्माण के लिए गांजे की कोई उपयोगिता नहीं है।

घरेलू विमान यात्रा पर कर

2855. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगत करों के कारण विदेश की सूचना में घरेलू विमान यात्रा महंगी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर कम करने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यटन क्षेत्र में मंदी के मद्देनजर कर घटाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय से एक सन्दर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि घरेलू पर्यटन के संवर्धन में हवाई यात्रा की ऊंची लागत एक बाधा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू यात्रा की लागत को घरेलू हवाई टिकटों पर अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर को हटाकर, केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अंतर्गत "घोषित माल" के रूप में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए टी एफ) का उपचार करके और एविएशन टबाईन फ्यूल पर उत्पाद शुल्क समाप्त करके कम किया जा सकता है। इस मामले की जांच–पड़ताल की जा रही है।

कम उत्पाद शुल्क लगाना

2856. श्री रघुनाथ झा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद आयुक्तालय देश में अधिसूचना के अनुरूप सही तरीके से उत्पाद शुल्क नहीं लगा रहा है और जिसके फलस्वरूप राज्य को कई करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हो रही है और यदि लेखा परीक्षा द्वारा इस बात का उल्लेख न किया जाता तो इस सम्पूर्ण राशि का लाभ निर्धारिती को मिलता और ऐसा या तो निर्धारितियों के साथ कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण होता या उनकी लापरवाही के कारण होता;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुक्तालयों में कम शुल्क लगाने के आयुक्तालय–वार कितने मामले प्रकाश में आए और इसमें कितनी राशि शामिल है जिसे बाद में निर्धारिती से वसूला गया; और

(ग) निर्धारितियों और संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एम. रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जनजातीय छात्राओं के लिए छात्रावास

2857. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजकीयकृत मंकुरबाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश में जनजातीय छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) उक्त छात्रावास का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मंकुरबाई महिला विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय छात्राओं के लिए एक छात्रावास की मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए राज्य सरकार को 44,81,875/– रुपए (चवालीस लाख इक्यासी हजार आठ सौ पचहत्तर रुपए) निर्मुक्त किए गए हैं।

(ग) निर्माण कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह सूचित नहीं किया गया है कि छात्रावास के निर्माण का कार्य कब तक पूरा होगा।

[अनुवाद]

रेशम उद्योग के लिए विधान

2858. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रेशम उद्योग के लिए सभी राज्यों हेतु एक समान विधान बनाने और लागू करने के संबंध में उचित निर्देश जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार से इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास हेतु योजनाएं

2859. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बिहार और झारखंड राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) बिहार तथा झारखंड राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजनाओं से संबंधित सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

बिहार तथा झारखंड राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजनाओं के संबंध में सूचना संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजनाओं के संबंध में प्रस्तावों से संबंधित ब्यौरे	कार्रवाई की गई/की जाने हेतु प्रस्तावित
1	2	3
1.	**अस्वच्छ व्यवसाय में संलग्न लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व**	**झारखंड राज्य सरकार से वर्ष 2001–2002 के दौरान व्यय**

1	2	3
	छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2002–2003 के लिए केन्द्रीय सहायता संबंधी एक प्रस्ताव झारखंड राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।	की पुष्टि करने के लिए कहा गया है ताकि 2002–03 के लिए प्रतिबद्ध देयता को निर्धारित किया जा सके।
2.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1998 के कार्यान्वयन संबंधी केन्द्रीय झारखंड तथा बिहार राज्य सरकारों से वित्त वर्ष 2002–03 के लिए केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	झारखंड राज्य सरकार से प्रतिबद्ध देयता के संबंध में स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। बिहार राज्य सरकार से प्रस्ताव 29.07.2002 को प्राप्त हुआ और यह विचाराधीन है।
3.	(i) अनुसूचित जातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों की योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से 2 प्रस्ताव (वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के लिए एक–एक) प्राप्त हुए हैं।	(i) बिहार सरकार को उपयोग प्रमाण–पत्रों पहले स्वीकृत अनुदानों की वास्तविक प्रगति से संबंधित कतिपय प्रमाण–पत्रों के अभाव में निधियां निर्मुक्त नहीं की गईं।
	(ii) झारखंड राज्य से इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2001–2002 में 1 प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	(ii) वर्ष 2001–2002 के दौरान 4.92 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।
4.	(i) कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए सहायता की कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना के अंतर्गत 3 प्रस्ताव (वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के लिए प्रत्येक के लिए एक) बिहार राज्य से प्राप्त हुए हैं।	(i) उपयोग प्रमाणपत्र, पहले मंजूर किए गए अनुदानों की वास्तविक प्रगति जैसे कुछ दस्तावोजों के अभाव में बिहार सरकार को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
	(ii) झारखण्ड राज्य से एक प्रस्ताव वर्ष 2001–2002 में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं।	(ii) वर्ष 2001–2002 के दौरान 0.046 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।
5.	(i) अनुसूचित जाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंकों की योजना के अंतर्गत 2 प्रस्ताव (वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के लिए प्रत्येक के लिए एक) बिहार राज्य से प्राप्त किए गए हैं।	(i) उपयोग प्रमाणपत्र, पहले मंजूर किए गए अनुदानों की वास्तविक प्रगति जैसे कुछ दस्तावोजों के अभाव में बिहार सरकार को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
	(ii) झारखण्ड राज्य से वर्ष 2001–2002 के लिए एक प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत प्राप्त किया है।	(ii) प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने अपेक्षित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
6.	(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिभा उन्नयन की योजना के अंतर्गत 2 प्रस्ताव (वर्ष 1999–2000	(i) उपयोग प्रमाणपत्र, पहले मंजूर किए गए अनुदानों की वास्तविक प्रगति जैसे कुछ दस्तावेजों के अभाव

1	2	3
	तथा 2000–2001 के लिए प्रत्येक के लिए एक) बिहार राज्य से प्राप्त किए गए हैं।	में बिहार सरकार को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
	(ii) झारखण्ड राज्य से वर्ष 2000–2001 में इस योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	(i) वर्ष 2000–2001 के दौरान 0.05 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।
7.	(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बिहार से एन एस एफ डी सी को कुल 124 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।	(i) एन एस एफ डी सी ने 43.32 करोड़ रुपयों वाले 112 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। एस सी ए द्वारा ब्यौरा न भेजने के कारण 11 प्रस्तावों को छोड़ दिया गया है और एन एस एफ डी सी के पास 1 प्रस्ताव लम्बित है क्योंकि राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
	(ii) राज्य के द्विभाजन के पश्चात झारखंड सरकार ने झारखंड अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम को झारखंड राज्य में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए राज्य माध्यम एजेंसी (एस सी ए) के रूप में नामित किया था। एन एस एफ डी सी को राज्य माध्यम एजेंसी से 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।	(ii) एन एस एफ डी सी ने 2.97 करोड़ रुपयों की एन एस एफ डी सावधि ऋण सहायता वाले 2 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। एस सी ए द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत न करने के कारण एक प्रस्ताव लम्बित है।
8.	(i) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एन एस के एफ डी सी) को बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड (बीएससीसीडीसी), पटना से विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत 12 आय सृजनकारी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह वित्त वर्ष 1998–99 (5 योजनाएं) और 2001–2002 (7 योजनाएं) के लिए है जिसकी कुल परियोजना लागत 8.61 करोड़ है जिसमें से एन एस के एफ डी सी का अंशदान 6.95 करोड़ रुपए था।	(i) सभी परियोजना प्रस्तावों को एन एस के एफ डी सी द्वारा स्वीकृत किया गया था और राज्य माध्यम एजेंसियों से स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था। उपर्युक्त स्वीकृति के प्रत्युत्तर में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान अब तक केवल 0.67 करोड़ रुपयों का लाभ उठाया है। एन एस के एफ डी सी ने वित्तीय वर्ष 2000–01 के दौरान सैनटरी मार्ट की 100 इकाइयों की स्थापना करने के लिए बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम को 1.75 करोड़ रुपयों का ऋण संघटक भी स्वीकृत किया है लेकिन राज्य माध्यम एजेंसी द्वारा इस ऋण संघटक का लाभ नहीं उठाया गया है।
	(ii) एन एस के एफ डी सी को वित्तीय वर्ष 2001–02 के दौरान झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड (जे एस टी सी डी सी), रांची से विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत 9 आय सृजनकारी परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी परियोजना लागत 2.90 करोड़ रुपए है जिसमें से एन एस के एफ डी सी का अंशदान 2.46 करोड़ रुपए था।	(ii) सभी परियोजना प्रस्ताव एन एस के एफ डी सी द्वारा स्वीकृत किए गए थे और योजनाओं के अंतर्गत ऋण झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड की निर्मुक्त किया गया था।

विवरण-I

बिहार सरकार :

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त/मंजूर प्रस्तावों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपया)	स्थिति
1.	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	11/11	2,09,35,000	408.783 लाख की स्वीकृत राशि के मुकाबले वर्ष 2001–02 के लिए राज्य के अधिकार के अनुसार 209.35 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए। शेष राशि वर्ष 2002–03 के दौरान निर्मुक्त की जानी है।

झारखंड सरकार :

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त/मंजूर प्रस्तावों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपया)	स्थिति
1.	संविधान का अनुच्छेद 275 (1)	4/4	22,08,15,000	इस योजना में इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।
2.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण (आदिम जनजाति समूहों का विकास)	02/00	शून्य	*

*(1) झारखंड सरकार ने 2 करोड़ रुपए की अव्ययित राशि वर्ष 1998–99 तथा 2000–01 के दौरान निर्मुक्त किए।

(2) झारखंड सरकार से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 2.7.2001 तथा 1.8.2001 को अनुरोध किया गया है।

(क) यह दर्शाते हुए एक प्रमाणपत्र की प्रस्तावित कार्यकलाप किसी वर्तमान योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं।

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान स्वीकृत परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में सूचना (100.00 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए)। परियोजना मंजूर करते समय झारखंड सरकार से निधियों का उपयोग तथा प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। यह अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) पिछले वर्षों की निर्मुक्तियों का उपयोग प्रमाणपत्र तथा वास्तविक उपलब्धियों की प्रगति रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित हैं। इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग ने निर्देश दिया है कि निर्धारित प्रोफार्मा में उपयोग प्रमाणपत्रों के प्राप्त होने के बाद ही फाइल आई.एफ.डी. को भेजी जाए।

हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत गांव

2860. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड में हथकरघा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ख) उल्लिखित योजना के अंतर्गत कुल कितने रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कितनी योजनाएं स्वीकृत की गईं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार के लिए वर्ष–वार कितनी धनराशि वितरित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान किसी भी गांव को कवर नहीं किया गया है क्योंकि यह योजना 1.4.97 से बन्द हो गई थी।

(ख) ग्राम पोखरीकलां, जिला पलामू में 100 लाभार्थियों को कवर करने के लिए वर्ष 1995–96 में एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 1 परियोजना स्वीकृत की गई।

(ग) और (घ) झारखण्ड राज्य 15 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया। राज्य सरकार ने किसी भी हथकरघा क्षेत्र योजना के अंतर्गत सहायता हेतु अभी तक किसी प्रकार का व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर आयकर का बकाया

2861. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीयकृत एवं विदेशी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर सरकार की बहुत बड़ी धनराशि आयकर के रूप में बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर विभाग में विदेशी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों के बारे में अलग से ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) करों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक प्रक्रियाएं अंतर्ग्रस्त होती हैं। किसी बकाया राशि को वसूलने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

2862. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/संबद्ध कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के उन कर्मचारियों की श्रेणी–वार/पद–वार संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों को कौन–कौन से लाभ दिए गए;

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऐसी सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारियों से प्राप्त कितने आवेदन लंबित हैं;

(घ) क्या ऐसी सेवानिवृत्ति से उनके मत्रालय के सुचारु संचालन पर किसी तरह का प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इससे किस हद तक प्रभाव पड़ा है; और

(च) सरकार की सभी ऐसी रिक्तियों को किस तरह भरने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (च) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 ए के अनुसार, कोई भी कर्मचारी, जिसने 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम तीन माह का नोटिस देकर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसके नोटिस को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत लागू सामान्य सेवानिवृत्ति लाभ इस मामले में भी लागू हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों का कार्यान्वयन वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय के पूरे भारत में फैले विभिन्न कार्यालयों के अधीन विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारियों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और आंकड़ों का रख–रखाव केन्द्रीयकृत रूप से नहीं किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की बैठक

2863. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार की तरफ से

एक उच्चस्तरीय दल ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें भारत के व्यापार और वाणिज्य में किए गए बदलावों और केन्द्र सरकार की निजीकरण नीति से अवगत कराया;

(ख) क्या उक्त बैठक में विश्व व्यापार संगठन के अधिकारियों ने यह सुझाव दिया कि देश की सम्पदा को बर्बाद करने वाले सरकारी क्षेत्र के इन असफल उपक्रमों पर केन्द्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ये उपक्रम रेल, परिवहन और रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक के परिणामों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सभी सदस्यों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की व्यापार नीति (टीपीआरबी) समीक्षा निकाय द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है जिसमें डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। इसकी व्यवस्था डब्ल्यूटीओ को स्थापना करने वाले मराकेश करार के अनुबंध–3 में है। समीक्षा के अंतराल का निर्धारण हाल ही की बतौर नमूना अवधि में सदस्यों के विश्व व्यापार के हिस्से के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार अभिज्ञात प्रथम चार व्याापारिक सत्ताओं की (वर्तमान में कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और अमरीका) प्रत्येक दो वर्षों के बाद समीक्षा की जाती है : अगले 16 देशों की समीक्षा प्रत्येक चार वर्षों के बाद की जाती है। अन्य सदस्यों की समीक्षा प्रत्येक छह वर्षों के बाद की जाती है और न्यूनतम विकसित सदस्य देशों के लिए लम्बी अवधि निर्धारित की जा सकती है। भारत की व्यापार नीति की समीक्षा प्रत्येक चार वर्षों के पश्चात की जाती है। डब्ल्यूटीओ में भारत की व्यापार नीति की तीसरी समीक्षा 19 और 21 जून, 2002 को की गई थी जबकि इससे पहले की समीक्षा 1998 में की गई थी। व्यापार नीति समीक्षा बैठक में भारत की व्यापार नीतियों और प्रथाओं का मोटै तौर पर तीन शीर्षकों अर्थात आर्थिक नीतियां, व्यापार नीति प्रणाली और क्षेत्र संबंधी नीतियों के अंतर्गत मूल्यांकन किया गया था। इस समीक्षा के दौरान विचार–विमर्श मुख्यतः दो प्रतिवेदनों पर आधारित था जिनमें से एक डब्ल्यूटीओ सचिवालय द्वारा तथा दूसरा भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया था। इस समीक्षा बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव ने किया था। शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों में वाणिज्य विभाग के व्यापार नीति प्रभाग के संबंधित अधिकारी, विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय का एक अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग का एक अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के दो अधिकारी शामिल थे। समीक्षा बैठक के दौरान जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी भी शिष्टमंडल में शामिल थे।

(ख) और (ग) जी, नहीं। डब्ल्यूटीओ सचिवालय की रिपोर्ट जो उन्हीं के द्वारा तैयार की गई है और जिसमें चार अध्याय हैं, आर्थिक पर्यावरण, व्यापार नीति प्रणाली : ढांचा और उद्देश्यों, परिणाम के अनुसार व्यापार नीतियां एवं प्रथाएं, और चुनिंदा क्षेत्रों द्वारा व्यापार नीतियों से संबंधित हैं। इन चार अध्यायों के आधार पर सचिवालय की रिपोर्ट में एक परिचय खण्ड है जिसे "संक्षिप्त टिप्पणियां" कहा गया है। डब्ल्यूटीओ सचिवालय रिपोर्ट की संक्षिप्त टिप्पणियों के पैरा–14 में भारत सरकार की विनिवेश नीति के बारे में मुद्रण की गलती थी। इससे एक गलत प्रभाव पड़ा कि भारत शस्त्र और गोला–बारूद, प्रति रक्षा, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन क्षेत्रों के कार्य में संलग्न कम्पनियों समेत सामरिक कम्पनियों में अपनी इक्विटी घटाकर 26 प्रतिशत अथवा इससे कम कर देगा। डब्ल्यूटीओ सचिवालय ने मुद्रण संबंधी इस गलती को अब ठीक कर लिया है। शुद्धिकरण से यह वास्तविक स्थिति प्रदर्शित हो रही है कि भारत गैर–सामरिक कम्पनियों में अपनी इक्विटी 26 प्रतिशत तक अथवा कुछ मामलों में इससे कम करने का इच्छुक है। डब्ल्यूटीओ सचिवालय की रिपोर्ट के अध्याय–III में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के संबंध में एक खण्ड है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पुनरुद्धार की स्कीमों समेत उनके विभिन्न पहलूओं और विनिवेश संबंधी नीति के बारे में सूचना दी गई है।

(घ) भारत की तीसरी व्यापार समीक्षा में डब्ल्यूटीओ के अत्यधिक सदस्यों ने भाग लिया और रुचि प्रदर्शित की। डब्ल्यूटीओ व्यापार नीति समीक्षा निकाय की अध्यक्ष ने अपनी समापन टिप्पणियों में कहा था कि इस समीक्षा बैठक के फलस्वरूप भारत की व्यापार नीतियों को बेहतर ढंग से समझा गया है और अंततः कार्यवाही संक्षिप्त रूप में इस प्रकार समाप्त की–"अनेक अग्रिम प्रश्न, अत्यधिक अंतराक्षेपों (लगभग 30) और अत्यधिक उपस्थिति से भारत की वह महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित हुई है जो वह डब्ल्यूटीओ में निभाता है। व्यापार उदारीकरण और व्यापार एवं निवेश प्रणाली के सरलीकरण समेत भारत

की सुधार प्रक्रिया के लिए सराहना की गई। तथापि, मैं समझती हूं कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि यदि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और अब भी व्याप्त अत्यधिक गरीबी को गम्भीरतापूर्वक दूर करना है तो भारत को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, सदस्यों ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के भारत के प्रयासों के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया। बहुत सदस्यों ने यह कहा कि यदि भारत के निर्यातों में, विशेषकर दोहा विकास कार्यसूची (डीडीए) के अनुरूप नई व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में आने वाली उनकी बाधाओं को यदि दूर नहीं भी किया जा सका तो कम करने के लिए भारत के व्यापारिक साझेदारों की ओर से कदम उठाकर इन प्रयासों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। भारत ने स्पष्ट रूप से की डब्ल्यूटीओ और डीडीए के लिए अपने समर्थन की बात कही है किन्तु उसका मानना है कि यदि आगे प्रगति की जानी है तो दोहा में दिए गए आश्वासनों पर कायम रहने की जिम्मेदारी विकसित देशों की ही रहती है। इस विचार का समर्थन उन अनेक अन्य सदस्यों ने किया जो इन व्यापार वार्ताओं में भारत के नेतृत्व की प्रत्याशा करते हैं।" व्यापार नीति की समीक्षा के दौरान भारत ने भी डब्ल्यूटीओ के सदस्यों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया।

लघु बचत योजनाएं

2864. श्री महबूब जाहेदी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार पिछले दस वर्ष से लघु बचत योजनाओं में सबसे ऊपर है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच लघु बचत योजनाओं की अतिरिक्त धनराशि का हिस्सा देने का प्रस्ताव किया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुझाव दी गई स्कीम, जिसमें वापसी-अदायगी, ब्याज और प्रबन्धन व्यय के भुगतान पर होने वाले व्यय की पूर्ति के बाद लघु बचत संग्रहणों से उत्पन्न हुए अधिशेष का 75 प्रतिशत राज्यों को अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था थी, का समर्थन नहीं किया।

[हिन्दी]

एन.टी.सी. पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बकाया धनराशि

2865. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.टी.सी. में यूनिट-वार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की मांग की है;

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम कर्मचारियों की बकाया धनराशि का भुगतान करने हेतु अपेक्षित धनराशि जुटाने में समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उस अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है जिसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रयोजनार्थ जरूरत पड़ेगी और राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अब तक कितनी धनराशि जुटाई गई है; और

(ङ) इस योजना को पूरा करने के लिए शेष धनराशि जुटाने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) वी.आर.एस. के अंतर्गत 1.1.2002 से 7,682 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है (एकक वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है)। इसके अतिरिक्त 18 गैर-अर्थक्षम मिलों में 12,530 कर्मचारियों से वी.आर.एस. के प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्रवाई चल रही है (एकक वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है)।

(ख) से (ङ) एन टी सी में बेशी कामगारों को वी आर एस देने के लिए 1600 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि की आवश्यकता होगी। मसौदा पुनर्स्थापना योजना के अनुसार यह राशि, बेशी भूमि/परिसंपत्तियों को बेच कर एकत्रित की जानी है। तथापि, यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार

ने एन टी सी को सरकारी गारंटी पर 500 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी है। एन टी सी अभी तक एन टी सी बॉण्डों द्वारा 333 करोड़ रुपए (लगभग) प्राप्त करने में सक्षम हो पाया है। शेष राशि, ऋण/परिसंपत्तियों की बिक्री से एकत्रित की जाएगी जिसकी प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	मिल	स्थान	वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों की संख्या	बंद होने की तारीख	भुगतान की गई राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	अदोनी कॉटन मिल्स	अदोनी, आ. प्र.	109	6 मई	326
2.	बांगाश्री टेक्सटाइल मिल्स	24 परगना प. बंगाल	64	30 अप्रैल	235.6
3.	बंगाल फाईन–2	नदिया, प. बंगाल	45	30 अप्रैल	160.27
4.	सेंट्रल कॉटन	प. बंगाल	216	30 अप्रैल	791.46
5.	एडवर्ड मिल्स	ब्यावर, राजस्थान	149	06 मई	393.28
6.	गया कॉटन, बिहार	गया बिहार	147	30 अप्रैल	454.26
7.	ज्योति वीविंग मिल्स	कोलकाता	92	30 अप्रैल	351.33
8.	कल्याणमल मिल्स	इंदौरा म. प्र.	1212	31 मई	2992.51
9.	कोहिनूर नं. 2	मुंबई (एम. एन.)	83	8 मई	395.23
10.	कोहिनूर नं. 3	मुंबई (एम. एन.)	16	1 मई	66.56
11.	एम एस के मिल्स	गुलबर्गा, कर्नाटक	740	17 अप्रैल	2231.39
12.	महिन्द्रा बी.टी. मिल्स	मुर्शिदाबाद प. बं.	101	30 अप्रैल	366.41
13.	नटराज स्पि. मिल्स	निर्मल आ. प्र.	59	30 अप्रैल	194.4
14.	नेथा स्पि. एंड विवि.	सिकंदराबाद, आ. प्र.	127	30 अप्रैल	237.6
15.	पेटलेड टैक्सटाइल मिल्स	अहमदाबाद, गुजरात	386	19 अप्रैल	1107.39
16.	राजकोट टैक्सटाइल	राजकोट, गुजरात	306	19 अप्रैल	944.87
17.	श्री महालक्ष्मी	24 परगना, प. बं.	144	30 अप्रैल	556.91
18.	स्वदेशी टैक्सटाइल	इंदौर, म. प्र.	591	30 अप्रैल	1506.56
19.	न्यू मानेक चौक	अहमदाबाद, गुजरात	809	31 जुलाई	2427
20.	विरामगाम टैक्स. मिल्स	विरामगाम, गुजरात	762	31 जुलाई	2286
	कुल		6158		18025

1	2	3	4	5	6
ख	एनटीसी (टीएनपी) और एनटीसी (धारक कंपनी)-बीआईएफ को भेजा गया मामला				
21.	कृष्णवेनी	कोयम्बतूर टीएन	223	31 मई	579
22.	ओमपराशक्ति	कोयम्बतूर टीएन	297	31 मई	865
23.	कालीश्वरर ए	कोयम्बतूर टीएन	215		565
24.	सोमासुन्दरम	कोयम्बतूर टीएन	617		1669
25.	स्वदेशी मिल्स	पाण्डिचेरी	172		465
	कुल		1524		4134
	कुल योग		7682		22159

विवरण-II

क्र.सं.	मिल	एनटीसी	वीआरएस के लिए प्राप्त आवेदन पत्र
1	2	3	4
1.	आजमजाही मिल्स	एपीकेकेएम	453
2.	मैसूर स्पि. एंड विवि, मिल्स	एपीकेकेएम	141
3.	अहमदाबाद जूपीटर	गुज.	1044
4.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स	गुज.	736
5.	राजनगर मिल नं. 2	गुज.	663
6.	इंदू नं. 4	एमएन	0
7.	हीरा मिल्स	म.प्र.	875
8.	इंदौर मालवा मिल्स	म.प्र.	1980
9.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	म.प्र.	1201
10.	रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स	उ.प्र.	150
11.	श्री विक्रम मिल्स	उ.प्र.	388
12.	लक्ष्मीरतन मिल्स	उ.प्र.	1127
13.	मयूर मिल्स	उ.प्र.	1071
14.	एर्थटन मिल्स	उ.प्र.	770
15.	लॉर्ड कृष्णा मिल्स	उ.प्र.	492
16.	स्वदेशी मिल्स, कानपुर	उ.प्र.	738
17.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	उ.प्र.	657
18.	बिजली कॉटन मिल्स	उ.प्र.	44
	कुल		12,530

[अनुवाद]

घुमक्कड़ कबीले

2866. श्री खगेन दास : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अनेक कबीले अब भी घुमक्कडी जीवन जी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार ऐसे कबीले कौन–कौन से हैं और उनकी कुल जनसंख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें पढ़ाने–लिखाने और उन्हें स्थायी रूप से बसाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष

2867. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने एक आंतरिक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष (ए.आर.एफ.) की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं के निवल परिसंपत्ति मूल्य को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसने, न्यास की विभिन्न योजनाओं को देय राशियों की और अधिक केन्द्रीभूत रूप से वसूली के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट की असीमित अवधि वाली योजनाओं की गैर–निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अर्जन करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष की स्थापना करने का निर्णय लिया है। वसूल की गई राशि, वसूली के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष द्वारा किए गए व्यय की कटौती करने के बाद, उन योजनाओं में अंतरित की जाएगी, जिसमें से परिसंपत्तियां मूल रूप से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कोष को अंतरित की गई थीं।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, निवल परिसंपत्ति मूल्यों का सुधार बाजार की स्थिति और कोष प्रबन्धन की योग्यता का कार्य है। कोष प्रबन्ध में सुधार के प्रश्न पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा सतत आधार पर ध्यान दिया जा रहा है।

राजस्थान में एन.टी.सी. मिलें

2868. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में एन.टी.सी. की देखदेख में इस समय कितनी कपड़ा मिलें चल रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.टी.सी. की इन यूनिटों द्वारा कुल कितनी धनराशि का मुनाफा कमाया गया और कितना घाटा उठाया गया; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में नई एन.टी. सी. मिलें स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) राजस्थान राज्य में फिलहाल एन.टी.सी. (दि. पं.राज.) के प्रबंधन के अधीन तीन वस्त्र मिलें नामतः उदयपुर कॉटन मिल्स, उदयपुर में, श्री बिजय कॉटन मिल्स, बिजय नगर में तथा श्री महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर में चल रही हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों में इन मिलों द्वारा उठाया गया घाटा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं. मिल का नाम	1999–2000	2000–2001	2001–2002 (अनं.)
1. महालक्ष्मी मिल्स	4.88	5.68	6.43
2. श्री बिजय कॉटन मिल्स	4.37	4.91	6.38
3. उदयपुर कॉटन मिल्स	4.71	4.71	5.79

(ग) राजस्थान में नई एन.टी.सी. मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का तेलगा पामुलू के बारे में नोटिस

2869. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलगा पामुलू नामक समुदाय की स्थिति के संबंध में सरकार को नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुसूचित जनजातीय लाभों को आंध्र प्रदेश के तेलगा पामुलू समुदाय को देने संबंधी डा. पी. पुल्लाराव के अभ्यावेदन के बारे में रिपोर्ट मांगी है।

(ग) मामले की तथ्यात्मक स्थिति देते हुए रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दी गई है।

पॉयजन लेस्ड शर्टो की बिक्री

2870. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 2000 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "नाइक एक्यूज्ड ऑफ सेलिंग पॉयजन-लेस्ड शर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा पश्चिमी देशों की भांति हितों की रक्षा करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित सूचना मद यूरोपियन देशों से संबद्ध है न कि भारत से। भारत में, इस तरह का कोई दोषारोपण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) उक्त उल्लिखित स्थिति के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारत में जब कभी यदि इस तरह की घटना की कोई रिपोर्ट मिलेगी तब उचित कार्रवाई की जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2871. श्री भीम दाहाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आज की तारीख में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में शुरू की गई विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) विश्व बैंक द्वारा सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से अब तक किए गए कार्य का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) की सहायता से उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में चलाई जा रही परियोजनाएं और अन्य सम्बद्ध ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर–पूर्वी राज्यों और सिक्किम में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाएं

(मिलियन डालर)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दाता	सहभागी राज्य	करार की तारीख	ऋण/क्रेडिट की राशि	दि. 30.6.02 तक संचयी संवितरण
1.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन परियोजना–II	आईडीए	संपूर्ण देश	19.7.01	30.00	4.28
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–I परियोजना	आईडीए	असम, हरियाणा, कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	22.12.94	260.30	187.74
3.	असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा कृषि सहायता परियोजना	आईडीए	असम	06.06.95	126.00	74.53
4.	जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–II परियोजना	आईडीए	असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा	18.4.96	395.20	321.17
5.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	आईडीए	संपूर्ण देश	14.3.97	142.40	37.05
6.	नवजात बाल स्वास्थ्य सेवा परियोजना	आईडीए	संपूर्ण देश	30.7.97	248.30	160.79
7.	मलेरिया नियंत्रण परियोजना	आईडीए	संपूर्ण देश	30.7.97	164.80	49.31
8.	द्वितीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना	आईडीए	संपूर्ण देश	14.09.99	194.75	79.05
9.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	आईडीए	संपूर्ण देश	19.5.00	142.60	55.70
10.	तकनीकी शिक्षा–III परियोजना	आईडीए	अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा	18.10.00	64.90	4.52
11.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	आईडीए	मिजोरम	6.5.02	60.00	2.00

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों को ऋण

2872. श्री वाई. जी. महाजन : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में कपड़ा मिलों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कपड़ा मिलों को कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया गया;

(ख) राज्य–वार कितनी कपड़ा मिलों ने वित्तीय वर्ष 2000–2003 के लिए ऋण हेतु आवेदन किया है;

(ग) कितनी कपड़ा मिलों को अब तक ऋण प्रदान किया गया है; और

(घ) शेष मिलों को कब तक ऋण प्रदान किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) से (घ) सरकार द्वारा वस्त्र मिलों को ऋण प्रदान नहीं किया जाता। सरकार की इसं संबंध में भूमिका एक सुसाध्यक की है। सरकार, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों के माध्यम से अनुकूल वातावरण तैयार करती है।

देश में वस्त्र और पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना आरंभ की गई। इस योजना में, इसके अनुरूप चल रही प्रौद्योगिक उन्नयन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा चार्ज किए जा रहे ब्याज के पांच प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत 1.4.1999 से 31.5.2002 तक 14373.96 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के लिए 1656 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5226.59 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि के 1419 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 1136 आवेदनों के लिए 3609.39 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

31 मई, 2002 को, टी.यू.एफ.एस. की राज्यवार प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की दिनांक 31.05.2002 की प्रगति (स्थितिनुसार राज्यवार/ नोडल एजेंसीवार) प्रगति (अनंतिम)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नोडल एजेंसी तथा पीएलआई	प्राप्त			स्वीकृत			संवितरित			
			आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	अपेक्षित ऋण की राशि	आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	राशि	आवेदनों की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	आईडीबीआई	33	586.29	324.58	26	408.45	201.90	21	351.89	178.23	153.91
		सिडबी	3	7.22	4.30	2	4.90	2.80	2	4.90	2.80	2.60
		आईएफसीआई (पटसन)	2	22.00	13.82	1	16.37	6.00	1	16.37	6.00	2.86
		योग	38	615.51	342.70	29	429.72	210.70	24	373.16	187.03	159.37
2.	चंडीगढ़	आईडीबीआई	2	21.28	9.37	2	21.28	9.37	1	6.36	2.07	1.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		सिडबी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
		योग	2	21.28	9037	2	21.28	9.37	1	6.36	2.07	1.90
3.	दादरा और नागर हवेली	आईडीबीआई	18	1000.41	570.52	13	713.41	245.03	12	645.41	225.03	215.00
		सिडबी	8	10.05	8.32	8	10.05	7.74	8	10.05	7.74	7.02
		योग	26	1010.46	578.84	21	723.77	252.77	20	655.46	232.77	222.02
4.	दमन व दीव	आईडीबीआई	3	7.48	5.11	3	7.48	5.06	2	6.53	4.35	4.17
		सिडबी	5	11.28	8.59	5	11.28	8.29	5	11.28	8.29	3.20
		योग	8	18.76	13.70	8	18.76	13.35	7	17.81	12.64	7.37
5.	दिल्ली	आईडीबीआई	9	43.41	27.58	9	43.41	27.29	2	11.19	7.96	7.48
		सिडबी	19	26.77	16.75	18	23.97	14.11	17	22.94	13.43	10.73
		उपयोग	28	70.18	44.33	27	67.38	41.40	19	34.13	21.39	18.21
6.	गुजरात	आईडीबीआई	56	1248.29	663.87	40	817.44	440.71	35	773.39	406.1	351.29
		सिडबी	284	308.95	170.27	260	241.01	115.52	231	218.58	102.17	79.94
		योग	340	1557.24	840.14	300	1058.45	556.23	266	991.87	508.27	431.23
7.	हरियाणा	आईडीबीआई	20	209.99	92.30	15	135.09	53.63	12	131.48	52.47	49.62
		सिडबी	86	154.09	77.65	78	117.07	52.96	51	96.95	42.59	20.99
		आईएफसीआई (पटसन)	1	0.77	0.51	1	0.77	0.51	0	0.00	0.00	0.000
		योग	107	364.85	107.46	94	252.93	107.10	63	228.43	95.06	70.61
8.	हिमाचल प्रदेश	आईडीबीआई	7	316.52	238.25	6	308.27	172.65	6	308.27	172.65	169.24
		सिडबी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
		योग	7	316.52	238.25	6	308.27	172.65	6	308.27	172.65	169.24
9.	कर्नाटक	आईडीबीआई	34	603.12	356.90	28	436.00	227.35	22	389.65	204.3	129.74
		सिडबी	33	24.21	15.63	31	22.88	14.18	25	18.18	11.26	9.60
		योग	67	627.33	372.53	59	458.88	241.53	47	407.83	215.56	139.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	केरल	आईडीबीआई	5	108.84	79.12	2	38.60	34.68	2	38.60	34.68	29.48
		सिडबी	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.0
		योग	5	108.84	79.12	2	38.60	34.68	2	38.60	34.68	29.4
11.	महाराष्ट्र	आईडीबीआई	57	1968.16	1090.78	39	1149.33	452.78	32	1082.93	410.20	342.8
		सिडबी	30	96.03	73.53	26	89.01	19.50	22	22.19	13.91	12.95
		आईएफसीआई (पटसन)	1	1.73	1.04	1	1.73	1.04	1	1.73	1.04	0.64
		योग	88	2065.92	1165.35	66	1240.07	473.32	55	1106.85	425.15	356.46
12.	मध्य प्रदेश	आईडीबीआई	11	370.24	240.52	11	370.24	135.24	10	312.61	128.24	120.70
		सिडबी	1	3.15	1.50	1	3.15	1.50	1	3.15	1.50	1.45
		योग	12	373.39	242.02	12	373.39	136.74	11	315.76	129.74	122.15
13.	पंजाब	आईडीबीआई	64	2007.83	1000.04	57	1796.78	823.68	44	1521.93	716.33	537.70
		सिडबी	149	195.87	110.14	135	164.19	90.43	92	92.98	55.39	43.5
		योग	213	2203.70	1110.18	192	1960.97	914.11	136	1614.91	771.72	581.2
14.	राजस्थान	आईडीबीआई	78	1251.10	690.85	60	860.71	378.83	46	800.24	347.63	286.68
		सिडबी	93	68.82	45.43	66	48.44	25.22	56	38.77	21.27	16.35
		योग	171	1319.92	736.28	126	909.15	404.05	102	839.01	368.90	303.03
15.	तमिलनाडु	आईडीबीआई	187	2345.97	1486.05	154	1928.23	1092.16	129	1611.88	962.66	709.70
		सिडबी	303	325.81	221.64	276	259.47	170.06	211	194.43	128.99	110.06
		योग	490	2671.78	1707.69	430	2187.70	1262.22	340	1806.31	1091.65	819.76
16.	उत्तर प्रदेश	आईडीबीआई	25	904.60	480.65	21	843.12	336.81	18	284.07	198.61	148.36
		सिडबी	7	18.24	10.12	5	15.66	7.10	3	3.88	2.26	0.87
		योग	32	922.84	490.77	26	858.78	343.91	21	287.95	200.87	149.23
17.	पश्चिम बंगाल	आईडीबीआई	8	72.06	45.68	6	59.96	39.18	5	36.92	25.58	21.1
		सिडबी	10	8.90	5.36	10	8.90	5.36	8	7.90	4.71	4.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		आईएफसीआई (पटसन)	4	24.48	13.26	3	11.34	6.94	3	11.34	6.94	334
		योग	22	105.44	64.30	19	80.20	51.48	16	56.16	37.23	28.65
	कुल	आईडीबीआई	617	13065.59	7402.17	492	9937.80	4676.35	399	8313.25	4077.09	3278.99
		सिडबी	1031	1259.39	775.23	921	1019.98	534.77	732	746.18	416.31	323.5
		आईएफसीआई (पटसन)	8	48.98	28.63	6	30.21	14.49	5	29.44	13.98	6.84
		कुल योग	1656	14373.96	8206.03	1419	10987.99	5225.61	1136	9088.87	4507.38	3609.3

टिप्पणी : आंकडों को राउंड ऑफ किए जाने के कारण राज्यवार आंकड़े कुल आंकडों से मेल नहीं खाते।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क में कमी

2873. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1996–97 से 2000–2001 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली में 1893 करोड़ रुपए से लेकर और 4637 करोड़ रुपये के बीच कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धारितियों से बकाया धनराशि के रूप में पूरे कर की वसूली करने हेतु कमिश्नरियों को चुस्त–दुरुस्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्दन) : (क) जी हां, वर्ष 1996–97 से 2000–2001 के दौरान बजट अनुमान पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूली में कमी 1875 करोड़ रुपए और 4444 करोड रुपए के बीच थी।

(ख) राजस्व वसूली में कमी के लिए उत्तरदायी कारकों में, कुछेक वर्षों में अर्थव्यवस्था के कुछेक महत्वपूर्ण सैक्टरों में औद्योगिक उत्पादन में ढिलाई और मुद्रास्फीति की काफी कम दर होना शामिल है। लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट सीमा को भी वर्ष 1998 में 30 लाख रुपए से बड़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया गया था और फिर वर्ष 2000 में एक करोड़ रुपए कर दिया गया था।

(ग) सरकार ने कर वसूली में सुधार करने हेतु समय–समय पर कई उपाय किए हैं। इनमें कर ढांचे को युक्ति संगत बनाना, कर छूटों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो कर छूटों को समाप्त करना, कर अनुपालन को सुधारने के लिए वसूल करने संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना आदि शामिल हैं।

एन. सी. सी. एफ.

2874. श्री रामजी मांझी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 8.3.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1462 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एन.सी.सी.एफ. की प्रबंधन ने कोई जांच बोर्ड गठित किया है और इस मामले में कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग)

राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ ने सूचित किया है कि सेना मुख्यालय, नई दिल्ली में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अपर महानिदेशक को ऊंची दरों पर कम्प्यूटरों की आपूर्ति के बारे में विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया गया है जिसने आरोपों का खण्डन किया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के नियमों के अनुसार संघ द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि देना

2875. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गैर–सरकारी संगठनों को धनराशि का प्रावधान करने के बारे में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी सगठनों से सम्बन्धित मुद्दों के बारे में दिनांक 21 जून, 2002 को श्री एस. सत्यम, आई ए एस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं

(i) इस मंत्रालय से गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश तैयार करने के सम्बन्ध में सलाह देना।

(ii) सहायतानुदान निर्मुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने सम्बन्धी साधनोपाय सुझाना।

(iii) गैर सरकारी संगठनों से सम्बन्धित मॉनीटरिंग–तंत्र तथा निरीक्षण प्रणाली के लिए पद्धतियों, फोर्मेट की समीक्षा एवं उनमें सुधार करने, गैर सरकारी संगठनों के निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग के लिए अधिक कारगर प्रक्रियाओं का सुझाव देना।

(iv) एक अधिक सहज गैर सरकारी संगठन–मंत्रालय अन्तर्संबंध के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपाय।

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत कर देगी।

लेटिन अमेरिकी देशों को निर्यात

2876. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार और देश–वार लेटिन अमेरिकी देशों को किन वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) उक्तावधि के दौरान इन देशों को विभिन्न वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार लेटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार बढाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरकार लेटिन अमरीका के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए फोकस : एलएसी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन, लेटिन अमरीका

में व्यापारिक/सरकारी शिष्टमंडलों को भेजना, व्यापारिक/सरकारी शिष्टमण्डलों/पत्रकारों को आमंत्रित करना, मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजना तथा उसमें भागीदारी को बढ़ाना तथा अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन कर रही है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान देश–वार एवं वर्षवार निर्यातित मदें तथा अर्जित विदेशी मुद्रा
(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	देश	वर्ष			निर्यातित प्रमुख मदों के नाम
		1999–00	2000–01	2001–02	
1	2	3	4	5	6
1.	अर्जेंटिना	62.61	97.52	64.58	औषधि/भेषज/परिष्कृत रसायन, आरएमजी, यातायात उपकरण, सूती/सिंथेटिक यार्न/फेब्रिक्स/मैड अप्स, रसायन, मशीनें, धातुएं, रबड़ उत्पाद, रंग तथा मध्यवर्ती, कोलतार रसायन तथा अन्य उत्पाद
2.	ब्राजील	134.96	223.02	218.07	औषधि/भेषज/परिष्कृत रसायन, मशीनें तथा उपकरण रसायन, रंग तथा मध्यवर्ती, कोलतार रसायन, एमएम यार्न/फेब्रिक/मैड–अप्स, धातुएं, प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद सौंदर्य/प्रसाधान संबंधी तथा अन्य उत्पाद
3.	चिली	68.59	108.13	83.05	आरएमजी, कॉटन यार्न/फेब्रिक्स/मैड–अप्स, औषधि/भेषज/परिष्कृत रसायन, लौह अयस्क, धातुएं, आरएमजी एमएम फाइबर, यातायात उपकरण, रबड़ उत्पाद, मशीनरी तथा उपकरण, चमड़े का माल तथा अन्य उत्पाद
4.	कोलम्बिया	33.35	48.95	53.40	कॉटन यार्न/फेब्रिक्स/मैड–अप्स, औषधि/भेषज/परिष्कृत रसायन, धातुएं कॉटन आरएमजी, एमएम यार्न/फेब्रिक्स/मैड अप्स, यातायात उपकरण, रबड़ उत्पाद, मशीनरी तथा उपकरण एवं अन्य उत्पाद
5.	पनामा	31.73	39.67	43.20	आरएमजी कॉटन, धातुएं, आरएमजी एमएम फाइबर्स, कॉटन यार्न/फेब्रिक्स मैड अप्स, सौंदर्य/प्रसाधन की वस्तुएं औषधि भेषज, प्लास्टिक/ लिनोलियम उत्पाद, रंग तथा मध्यवर्ती रबड़ उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, यातायात उपकरण, आरएमजी ऊन, हस्तशिल्प तथा अन्य
6.	पेरू	26.04	25.36	34.95	यातायात उपकरण, औषधि/भेषज/परिष्कृत रसायन, रबड़ उत्पाद, लौह एवं इस्पात, कॉटन यार्न/फेब्रिक्स/मैड–अप्स, मशीनें तथा उपकरण, धातुएं, मानव निर्मित यार्न, फेब्रिक्स, मैड–अप्स, फेरोएलायस तथा अन्य उत्पाद
7.	मेक्सिको	140.89	206.18	236.13	आरएमजी कॉटन, यातायात उपकरण, औषधि/भेषज परिष्कृत रसायन, रसायन, मशीनरी तथा उपकरण, कॉटन यार्न/

1	2	3	4	5	6
					फेब्रिक्स/मैड–अप्स, तिल के बीच, धातुएं, रंग तथा मध्यवर्ती, आरएमजी एमएमएफ, लौहा एवं इस्पात, मसाले, रबड़ उत्पाद, तैयार चमड़ा जीएसएल/जीएसएलडब्ल्यूआर/सिरामिक्स/ रिफक्ट्रीज/सिमें और अन्य उत्पाद
8.	वेनेजुएला	23.34	41.95	55.43	पेट्रोलियम पदार्थ, कॉटन यार्न/फेब्रिक्स/मैड–अप्स, औषधि/भेषज, परिष्कृत रसायन, आरएमजी एमएमएफ, यातायात उपकरण, लौहा तथा इस्पात, रबड़ उत्पाद, सौंदर्य/प्रसाधन का सामान, समुद्री उत्पाद, मानवनिर्मित यार्न/फेब्रिक्स/मैड–अप्स, धातुएं, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद तथा अन्य उत्पाद
9.	त्रिनीडाड एवं टोबेगो	8.20	8.64	10.70	औषधि/भेषज तथा परिष्कृत रसायन धातुएं, आरएमजी कॉटन, मशीनरी तथा उपकरण, कॉटन यार्न/फेब्रिक्स/मैड अप्स, प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पाद, तम्बाकू सौंदर्य/प्रसाधन का सामान, लौहा तथा इस्पात की रॉड/छड़ें खेलकूद के सामान, मसाला, काजू तथा अन्य उत्पाद
10.	दूसरे लेटिन अमेरिकी देश	122.75	179.00	154.83	–
	लेटिन अमरीका को कुल निर्यात	652.46	978.42	954.34 (अनंतिम)	–

वृद्ध व्यक्तियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

2877. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री अम्बरीश :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के नाम और उनकी संख्या क्या है जो वृद्ध व्यक्तियों हेतु योजना के तहत केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2002 तक राज्य–वार इन संगठनों में से प्रत्येक संगठन को कुल कितना अनुदान जारी किया गया;

(ग) क्या इन संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग की उचित निगरानी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्वैच्छिक संगठनों के नाम और संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2002 तक वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के नाम, संख्या तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसी योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा

उन्हें प्रदान की वित्तीय सहायता इस मंत्रालय की क्रमशः वर्ष 1999–2000, 2000–01 तथा 2001–02 की वार्षिक रिपोर्टों के अनुबंध– 33 अनुबंध–39 अनुबंध–32 पर पहले से ही उपलब्ध है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों अथवा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उन स्वैच्छिक संगठनों का आवधिक रूप से निरीक्षण किया जाता है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर तथा उन्हें निर्मुक्त निधियों के लिए उपयोग प्रमाण–पत्र के प्राप्त होने के बाद ही अतिरिक्त निधियां मंजूर की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1999–2000, 2000–01, 2001–2002 तथा 2002–03 (30 जून, 2002 तक) के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायाता अनुदान प्राप्त कर रहे आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार सूची

संक्षेपण : ओ ए एच – वृद्धाश्रम
डी डी सी – दिवा देखभाल केन्द्र
एम एम यू – सचल चिकित्सा देखभाल एकक

क्र.सं.	जिला	1. आन्ध्र प्रदेश	परियोजना का नाम	निर्मुक्त राशि (रु. लाख में)			
				1999–2000	2000–2001	2001–2002	जून, 2002 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अनन्तपुर	आदर्श महिला मंडली	एम एम यू–1	1.806	0.77	0	
2.	अनन्तपुर	रूपा एजूकेशन सोसायटी	ओ ए एच–1	1.205	2.65	1.28	
3.	अनन्तपुर	क्राइस्ट रूरल डेवलपमेंट एजूकेशन सोसायटी	ओ ए एच–1	2.619	1.34	0	
4.	अनन्तपुर	कल्चरल एक्शन इन रूरल डेवलप.	ओ ए एच–1	2.522	0	0	
5.	अनन्तपुर	श्री वेकेटश्वर कान्वेंट एजू. सोयायटी	ओ ए एच–1	2.341	0	1.34	
6.	अनन्तपुर	मर्सी माइनोरिटी एजू. सोसाइटी	डी सी सी–1	5.771	2.94	0	
7.	अनन्तपुर	मदर इंडिया	ओ ए एच–1	2.152	1.37	0	
8.	अनन्तपुर	नव भारत सोसियो इकोनोमिक डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1	2.402	1.33	3.97	
9.	अनन्तपुर	पीपुल्स रूरल एजू. डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1	2.472	0	2.47	
10.	अनन्तपुर	सोसियो इकोनोमिक एजू. डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	1.701	0	0	
11.	अनन्तपुर	श्री राकेश एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी	डी डी सी–1	4.386	4.39	2.29	
12.	अनन्तपुर	संघमेश्वर एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.989	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	अनन्तपुर	सोसाइटी फॉर वेलफेयर एंड अवेकनिंग इन रूरल इनवायरनमेंटल	डी सी सी–1	0.664	3.59	1.96	3.92
14.	अनन्तपुर	रूरल पूवर पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी	ओ ए एच–1	0.848	0	0	
15.	कुडडपा	चेतन्य एजू. एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	1.026	4.14	4.14	
16.	कुडडपा	कम्यूनिटी डेव. सोसाइटी फॉर वीकर सेक्शन	डी सी सी–1	0	0	0.48	
17.	कुडडपा	डीप्रेसड पीपुल्स डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1	3.064	1.24	3.69	1.38
18.	कुडडपा	डा. अम्बेडरक दलित वर्ग संगम	ओ ए एच–1	3.462	2.69	2.76	1.38
19.	कुडडपा	जगजीवन बलहीन वर्ग संगम	डी सी सी–	2.417	1.93	1.96	0.97
20.	कुडडपा	रायलसीमा एस सी एस टी एंड बी सी डेव. सोसा.	एम एम यू–1	0	0	0.38	
21.	कुडडपा	श्रीनिवास एजू. एंड रूरल डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1	3.063	1.24	1.24	2.75
22.	कुडडपा	श्री पदमावती महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.734	2.76	2.76	1.38
23.	कुडडपा	श्री वेकटश्वर सोसिया इकोनॉमिक डे. सोसाइटी	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	0.538	3.97	6.1	
24.	कुडडपा	श्री कृष्ण देवराय यूवजन संगम	ओ ए एच–1	0	0	1.29	
25.	कुडडपा	विजय सोसिया इकोनॉमिक डेव. सोसाइटी	डी सी सी–1	2.871	0.94	2.85	
26.	कुडडपा	खादी सिल्क ग्रामोद्योग सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.853	2.27	2.37	1.32
27.	चित्तूर	इंदिरा महिला मंडली	एम एम यू–1	0	3.33	3.34	1.17
28.	चित्तूर	ज्योति यूथ एसोसिएशन	डी सी सी–1	1.285	1.96	1.96	0.97
29.	चित्तूर	मदर इंडिया कम्यूनिटी डेव. एसोसिएशन	ओ ए एच–2 एंड डी सी सी–1	10.004	10.51	10.58	
30.	चित्तूर	पेडा प्राजल सेवा समिति	ओ ए एच–2	5.528	2.764	7.97	2.6
31.	चित्तूर	पीपुल्स एक्शन फॉर सोशल सर्विस	ओ ए एच–2 एंड डी सी सी–1	7.876	7.88	7.88	
32.	चित्तूर	पीपुल्स आर्गेनाइजेशन फॉर वेलफेयर एंड एजू. रेटिफिकेशन	डी सी सी–1	1.957	1.96	1.96	0.97

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	चित्तूर	प्रजा अभ्युदय सेवा समिति	एम एम यू–1	0.939	0	0	
34.	चित्तूर	राष्ट्रीय सेवा समीति	ओ ए एच–2 एंड डी सी सी–9	14.646	27.59	22.34	
35.	चित्तूर	सर्वोदय वीमेन वेलफेयर सोसाइटी	ओ ए एच–1एंड डी सी सी–1	4.397	4.39	4.72	
36.	चित्तूर	सेवा भारती	डी सी सी–2	2.646	3.59	3.59	
37.	चित्तूर	श्री वेंकटश्वर महिला मंडली	ओ ए एच–1, डी सी सी–1 एंड एम एम यू–1	7.5	6.44	7.39	1.32
38.	चित्तूर	तेलगू भारती महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.151	2.76	2.76	
39.	पूर्वी गोदावरी	एसोसिएशन फॉर दि केयर ऑफ एजेड	ओ ए एच–1	1.314	1.05	2.02	
40.	पूर्वी गोदावरी	हैल्प दि वीमेन	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	4.722	4.72	4.71	
41.	पूर्वी गोदावरी	पुष्कृमत कांवेंट एजू. कमेटी	डी सी सी–1	1.566	1.96	1.96	0.97
42.	पूर्वी गोदावरी	रविन्द्र एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.09	
43.	पूर्वी गोदावरी	संजय गांधी मैमोरियल आरफेनिज एंड बेडिंग होम	ओ ए एच–1	2.152	2.76	2.76	1.38
44.	पूर्वी गोदावरी	शारदा एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.989	2.59	1.38	
45.	पूर्वी गोदावरी	सुनीता महिला मंडली	एम एम यू–1	0	0.55	1.26	
46.	गुन्टूर	इंदिरा मैमोरियल वीकर सेक्शन डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1	2.151	0	2.61	
47.	गुन्टूर	इंदिरा प्रियदर्शनी गिरीजन बेकवर्ड क्लास महिला मंडली	ओ ए एच–1			1.04	
48.	गुन्टूर	इंटरनेशनल क्रिश्चिन क्रूसेड सर्विस एसो.	डी सी सी–1	0	0	0.48	
49.	गुन्टूर	कोठपीटा महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.764	2.76	2.76	
50.	गुन्टूर	नरसापेठ ताल्लुक एस टी/यूथ क्लब	ओ ए एच–1	2.15	2.64	2.76	1.38
51.	गुन्टूर	नवीन आदर्श महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.756	2.76	1.36	1.38
52.	गुन्टूर	ओंकार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	ओ ए एच–1			0.86	

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	गुन्टूर	प्रकाशम नगर महिला मंडली	डी सी सी–1	1.748	0	3.86	
54.	गुन्टूर	एसईआरडी, एस सी/एस टी एंड क्रिश्चिन वेल. सो.	ओ ए एच–1	1.814	3.65	3.69	1.29
55.	गुन्टूर	सोशल एक्शन रूरल रिहैब, क्रिएटिव एमओरिएशन	ओ ए एच–1	1.382	0	0	
56.	गुन्टूर	सोनिया गांधी हरिजन गिरीजन बलहीन वर्गमूल महिला मंडली	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	7.706	2.31	6.92	
57.	गुन्टूर	श्री शारदा महिला विज्ञान समिति	डी सी सी–1	1.747	1.81	2.92	
58.	गुन्टूर	उदयश्री महिला समाजम	ओ ए एच–1	2.764	0	2.61	1.32
59.	गुन्टूर	वैल्लम्बा वीकर सेक्शन एसोसिएशन	डी सी सी–1	1.35	0	3.92	
60.	गुन्टूर	केन्द्रिक महिला मंडली	ओ ए एच–1	0.738	2.59	2.76	
61.	गुन्टूर	श्री वेंकटश्वर महिला मंडली	ओ ए एच–1	0	0	1.09	
62.	हैदराबाद	अन्नपूर्णा मानव समक्षम समिति	डी सी सी–1	1.262	1.86	0.93	
63.	हैदराबाद	अनुराग सिकन्दराबाद	एम एम यू–1 एंड एन आइ एस–1	1.796	1.82	1.02	
64.	हैदराबाद	अनुराग ह्यूमन सर्विसेज	ओ ए एच–1	2.496	2.62	1.38	1.38
65.	हैदराबाद	पी. एन. हनुमंथराव चेरिटेबल ट्रस्ट	ओ ए एच–1	2.712	2.76	2.76	
66.	हैदराबाद	हेमपाल सोसाइटी	ओ ए एच–1	2.152	1.33	0	
67.	हैदराबाद	महिला दक्षता समिति	डी सी सी–1 एंड एम एम यू–1	3.232	3.63	1.84	
68.	हैदराबाद	ओल्ड ऐज वेलफेयर सेंटर	ओ ए एच–1 एंड एम एम यू–1	5.34	5.21	5.35	
69.	हैदराबाद	साई सेवा संघ	ओ ए एच–1	2.224	1.11	3.02	
70.	हैदराबाद	सोशल इंटीग्रेशन फॉर रुरल इम्प्रूवमेंट	ओ ए एच–1	0.332	3.14	2.49	
71.	हैदराबाद	एसो. ऑफ नॉन गवर्नमेंटल आर्गेनाइजेशन	ओ ए एच–1	0.697	0	0	
72.	हैदराबाद	ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन	ओ ए एच–1	2.197	4.1	1.38	2.76
73.	करीमनगर	संतोष एजूकेशनल सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.823	0	4.51	

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	खम्माम	जयश्री महिला संगम	डी सी सी–1	1.96	1.96	1.96	
75.	कृष्णा	ए. पी. गिरीजन सेवक संघ	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	4.597	4.72	4.72	2.36
76.	कृष्णा		ओ ए एच–1	1.284	2.55	1.27	
77.	कृष्णा	कन्ट्री वीमेन्स एसो. ऑफ इंडिया, विजयवाड़ा	ओ ए एच–1	2.278	2.28	0	
78.	कृष्णा	इंटीग्रेडिट डेवलपमेंट एजेंसी	ओ ए एच–1	1.69	4.01	4.22	0.72
79.	कृष्णा	महिला संगम	ओ ए एच–1	0	1.72	0	
80.	कृष्णा	मदर टेरेसा महिला मंडली	डी सी सी–1	1.858	1.84	1.96	
81.	कृष्णा	सीनियर सिटीजन्स फोरम	ओ ए एच–	2.414	2.36	1.18	
82.	कृष्णा	वासव्य महिला मंडली	डी सी सी–1	1.596	1.79	0.9	0.9
83.	कृष्णा	बापूजी इंटीग्रेटिड रूरल डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.871	2.76	2.76	1.37
84.	कृष्णा	श्री त्रिवेणी एजू. अकेडमी	डी सी सी–	0	2.15	1.96	
85.	कुरनूल	आशा ज्योति एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1			1.33	
86.	कुरनूल	नव भारत एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1 एंड एम एम यू–1	0.859	2.55	3.15	1.38
87.	कुरनूल	प्रतिभा एजूकेशनल सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.24	
88.	कुरनूल	प्रियदर्शनी महिला मंडली	ओ ए एच–1	0	0	1.09	
89.	कुरनूल	रूरल ट्राइबल डेव. सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.03	
90.	कुरनूल	रूरल अप्लीफमेंट ऑफ हैल्थ एंड एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.34	
91.	महबूबनगर	वैथल एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1	2.764	2.76	2.5	
92.	महबूबनगर	सोशल एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट	ओ ए एच–1, डी सी सी–1 एंड एम एम यू–1	6.511	7.31	7.31	3.64
93.	महबूबनगर	नवोदय सेवा संस्थान	ओ ए एच–1	0.992	2.72	0	
94.	महबूबनगर	ग्रामभ्यूदय सेवा संस्थान	ओ ए एच–1	0.757	2.22	1.08	

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	महबूबनगर	स्वराज्य लक्ष्मी आर्गेनाइजेशन फार वीमेन	ओ ए एच–1	0.833	2.17	2.6	1.38
96.	महबूबनगर	संध्या रूरल वेलफेयर सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.833	2.31	2.34	1.38
97.	महबूबनगर	एस. ए. वी. गुप्ता एजूकेशनल सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.827	1.37	2.66	1.38
98.	महबूबनगर	रूरल सोशल वेलफेयर एसो.	ओ ए एच–1	0.833	1.36	2.66	1.32
99.	नलगौंडा	सोसाइटी ऑफ इमैनुअल इवैनजलिजम फार रूरल डेवलपमेंट	ओ ए एच–1	2.312	2.71	2.69	
100.	नलगौंडा	महालक्ष्मी महिला मंडली	ओ ए एच–1	0	2.35	3.93	
101.	नैल्लोर	आर्य दयानन्द महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.764	2.22	2.76	1.38
102.	नैल्लोर	आस्थाना ए चिश्तिया महिला मंडली	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	3.471	4.08	3.26	1.38
103.	नैल्लोर	भारतीय महिला वोलंटरी सर्विस आर्गेनाइजेशन	ओ ए एच–1	3.025	1.25	4.02	
104.	नैल्लोर	डिवाइन (इंडिया)	ओ ए एच–1	0	4.04	0	
105.	नैल्लोर	हरित महिला मंडली सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1	
106.	नैल्लोर	हैल्प दि नीड	डी सी सी–1	1.35	1.96	0.98	
107.	नैल्लोर	इंदिराम्मा महिला मंडली	एम एम यू–1	0.888	1.4	1.05	
108.	नैल्लोर	नेहरू भारथी एजूकेशन इंस्टीट्यूट	ओ ए एच–1	2.151	2.57	2.55	
109.	नैल्लोर	पोलीमेरस एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	2.945	4.56	4.72	1.38
110.	नैल्लोर	श्री विगनेश्वर महिला मंडली	डी सी सी–1 एंड एम एम यू–1	1.378	2.89	3.47	
111.	नैल्लोर	हैल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.877	2.53	2.76	1.38
112.	नैल्लोर	शारदा महिला मंडली	डी सी सी–1	1.35	0	0	
113.	नैल्लोर	लक्ष्मी महिला मंडली	डी सी सी–1	0.332	1.79	1.88	
114.	नैल्लोर	श्री लक्ष्मी पार्वती महिला मंडली	डी सी सी–1	0	0	0.5	
115.	प्रकाशम	3 मेन एकेडमीज	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	1.741	4.15	1.38	
116.	प्रकाशम	आदर्श महिला मंडली	ओ ए एच–1	0	4.06	1.38	

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	प्रकाशम	अरूणोदय महिला मंडली	डी सी सी–1	1.627	1.96	0.98	
118.	प्रकाशम	चन्द्रवंश आर्गेनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट	ओ ए एच–1	0	0	1.11	
119.	प्रकाशम	इंदिरा प्रियदर्शनी महिला मंडली	डी सी सी–1	1.769	0.98	1.96	0.97
120	प्रकाशम	कष्टजीबुला जातीय सेवा संगम	ओ ए एच–1	2.505	0	1.38	
121.	प्रकाशम	लक्ष्मी महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.764	2.75	1.38	1.38
122.	प्रकाशम	महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.152	2.76	1.38	1.38
123.	प्रकाशम	नेताजी युवक केन्द्र	ओ ए एच–1	0	0	1.11	
124.	प्रकाशम	प्रकाशम जिला बालहीन वर्गला कालोनी वर्ला सेवा संगम	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	4.722	4.72	2.36	2.36
125.	प्रकाशम	प्रियदर्शनी महिला मंडली	डी सी सी–1	1.769	1.85	0.92	0.92
126.	प्रकाशम	साबरी गिरीजन महिला मंडली	डी सी सी–1	2.309	1.84	0.92	0.92
127.	प्रकाशम	समता महिला वेदिका	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	3.912	4.44	4.72	
128.	प्रकाशम	श्री कष्टजीवालय जातीय सेवा संगम	ओ ए एच–1	2.514	2.66	0	
129.	प्रकाशम	श्री महालक्ष्मी महिला मंडली	ओ ए एच–1	4.078	2.66	1.38	
130.	प्रकाशम	बाल्मिकी सेवा संगम	ओ ए एच–1	3.662	1.38	2.73	
131.	प्रकाशम	वास्वी एजूकेशनल सोसाइटी	ओ ए एच–1	2.188	2.76	1.38	1.38
132.	प्रकाशम	वुटूपुरी सब्बम्मा वेलफेयर सोसाइटी	डी सी सी–1	1.876	1.96	0.98	0.97
133.	रंगा रेड्डी	फोरम फार सोशल अप्लिफटमेंट	ओ ए एच–1	0	0	1.2	
134.	रंगा रेड्डी	गोल्डन इनवायरमेंटल एजू. टेक्नीकल हैल्थ एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.1	
135.	रंगा रेड्डी	हैदराबाद जिला महिला मंडुलका सामक्या	ओ ए एच–1	2.044	0	0	
136.	रंगा रेड्डी	सेंट अन्थोनस एजूकेशनल सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	0.89	
137.	रंगा रेड्डी	वेंकेटेश्वरा सोशल सर्विस एसोसिएशन	ओ ए एच–1 एंड डी सी सी–1	1.957	1.96	3.01	0.97
138.	रंगा रेड्डी	अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	डी सी सी–1	0.595	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
140.	विशाखापतनम	कस्तूराबाई गांधी महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.152	1.08	0	
141.	विशाखापतनम	प्रियदर्शनी सर्विस आर्गेनाइजेशन	ओ ए एच–1	2.581	1.26	3.89	1.31
142.	विशाखापतनम	श्री वेंकटश्वर यूवजन संगम	ओ ए एच–1	0.971	3.51	4.04	
143.	विजियानगरम	प्रेम समाजम	ओ ए एच–1	2.189	2.15	2.12	
144.	वारंगल	कस्तूरीबाई महिला मंडली	ओ ए एच–1	0	2.55	5.53	
145.	पश्चिमी गोदावारी	सेंट मैरी रिहैबलिटेशन सेंटर फॉर अर्बन, वीडोज और लेपर्स	ओ ए एच–1	2.68	2.76	2.76	1.38
146.	करीमनगर, महबूबनगर, नैल्लोर और विशाखापतनम	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	डी सी सी–4	1.08	0	0	
		2. कर्नाटक					
147.	बंगलौर	अशक्त पोषक सभा	ओ ए एच–1	0	8.36	4.62	
148.	बंगलौर	डा. जचानी राष्ट्रीय सेवा पंथ	ओ ए एच–1	0.645	8.17	2.38	
149.	बंगलौर	मतादहल्ली जपाजीवर्णम सर्वोदय संघ	ओ ए एच–1	3.033	2.55	1.27	
150.	बंगलौर	श्री अमीग्र चौदास एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–2	0.877	0	5.48	1.38
151.	बंगलौर	हैल्प ऐज इंडिया	एम एम एच–1	1.368	1.67	0	
152.	बंगलौर	श्री सतश्रुरग विद्या समस्ते	ओ ए एच–1	2.114	3.49	6.6	2.24
153.	बंगलौर	ईश्वर एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	2.55	
154.	बंगलौर	मदरस केयर एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.32	
155.	बंगलौर	नाइटिंगल मेडिकल ट्रस्ट	ओ ए एच–1	0	0	0.24	
156.	बंगलौर	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	ओ ए एच–1	0	0	1.02	
157.	बेलगाम	रामलिंगेश्वर ग्राममिरोधी संघ	ओ ए एच–1	0.489	2.65	2.78	1.28
158.	बेलगाम	श्री मल्लिकार्जुन जन सेवा सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.06	
159.	बिदर	च्यवन आयुर्वेदिक एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.3	
160.	बिदर	डा. वी आर अम्बेडकर कल्चरल एंड वेल. सोसा.	ओ ए एच–1	0	0	1.28	

1	2	3	4	5	6	7	8
161.	बिदर	संग्राम एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.648	2.44	1.22	1.22
162.	बिदर	नितुर एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.669	2.76	2.76	1.38
	बिदर	शिवलीला वीमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन					1.71
163.	बेल्लारी	प्रजा सेवा समिति	ओ ए एच–1	1.185	0	0	
164.	बेल्लारी	आदर्श एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.787	1.34	2.14	1.23
165.	बीजापुर	श्री सराना ज्योमि विद्या समस्ता	ओ ए एच–1	1.382	2.76	2.76	1.38
166.	चित्रदुर्ग	श्री सदगुरू कबीरा नन्द स्वामी विद्यापीठ	ओ ए एच–1	0.633	2.09	2.28	
167.	चित्रदुर्ग	निरन्तर जन सेवा नेशनल एजूकेशन रिहैबलिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	ओ ए एच–1	0	0	1.06	
168.	देवनगिरी	आदर्श महिला मंडली	ओ ए एच–1	0	0	1.11	
169.	देवनगिरी	श्री मैत्री महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.764	2.76	2.76	
170.	देवनगिरी	श्री शक्ति महिला मंडली	ओ ए एच–1	2.764	2.76	2.76	
171.	गुलबर्ग	महबूब सुभानी एजूकेशन ट्रस्ट	ओ ए एच–1	0	0	1.31	
172.	गुलबर्ग	महादेवी ताई महिला विद्यावर्थक संघ	ओ ए एच–1	2.044	2.76	1.38	2.76
173.	गुलबर्ग	श्री मल्लिकार्जुन विद्यावर्धक संघ	ओ ए एच–1	0	0	1.11	
174.	गुलबर्ग	श्री संगमेश्वरम एजू. सोसाइटी	ओ ए एच–1	0.83	2.76	1.38	1.38
175.	गुलबर्ग	हैदराबाद कर्नाटक पालित वीमेन्स एजूकेशन समिति	ओ ए एच–1	0	0.88	0	
176.	गुलबर्ग	सरनारा नाडु एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.8	2.53
177.	गुलबर्ग	श्री जगदगुरू गुरूसिदेश्वर विद्यावर्धक एंड संस्कृतिका संस्था	ओ ए एच–1	0	0	1.15	
178.	कोलार	श्री रमन महर्षि ट्रस्ट फार डिसबल्ड पर्सन्स	ओ ए एच–1 एंड एम एम यू–1	6.201	8.15	5.77	2.76
179.	कोलार	श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	ओ ए एच–1	0.143	2.49	2.68	1.33
180.	कोलार	श्री विष्णु एजूकेशन सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.29	
181.	म्हांड्या	पूर्णिमा विद्या संस्था अरकीरा	ओ ए एच–1	0.83	0.48	5.45	

1	2	3	4	5	6	7	8
182.	मांड्या	ज्ञान सिंधु एजूकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.49	
183.	टूमकूर	रूरल आर्गेनाइजेशन सोशल एंड एजूकेशनल सोसाइटी	ओ ए एच–1	0	0	1.1	
184.	टूमकूर	1. श्री स्वामी सर्व धर्म शरणालय ट्रस्ट	ओ ए एच–1	0.674	2.82	1.34	
185.	बिदर और बेलगाम	(12) नेहरू युवा केन्द्र संगठन	डी सी सी–2	0.83	0.48	5.45	

जिला पुनर्वास केन्द्र

2878. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अशक्त लोगों के लिए जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सहायता करने और दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसी सेवाएं पहुंचाने के लिए सी बी आर के कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने हेतु सभी जिलों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) के अंतर्गत विजयनगरम और कृष्णा जिलों में जिला रैफरल एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को निधियां निर्मुक्त की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो समुदाय पुनर्वास (सी बी आर) श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, एक पृथक कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय क्षमता निर्माण और लक्षित समूहों के सशक्तिकरण द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को उनकी देहली पर संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए 3 जिला निशक्तता पुनर्वास केन्द्रों (डी डी आर सी) का गठन किया गया है।

(ख) और (ग) एन पी आर पी डी एक राज्य क्षेत्र की योजना है जो 1999–2000 में 82 जिलों को शामिल करते हुए शुल्क की गई थी, जिसमें से दो जिले आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान, इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निधियां निर्मुक्त की गई थीं, परन्तु 10वीं योजना में, राज्य को स्वयं अपने संसाधनों से कार्यक्रम का वित्त–पोषण करना होगा। अतः अधिक जिलों को शामिल करने का निर्णय राज्यों को करना होगा।

जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों की संख्या बढ़ाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताएं

2879. श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मई, 2002 के "लोकमत" में "भारतीय खाद्य निगम 125 करोड़ रुपए की अनियमितताओं पर संदेह के घेरे में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की छानबीन करने के लिए कोई जांच की गई है और अधिकारियों के विरुद्ध चूकों के संबंध में जवाबदेही निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां। यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2002 की रिपोर्ट संख्या 3 (वाणिज्यिक) के अध्याय 7 में प्रकाशित 124.81 करोड़ रुपए मूल्य की कुल राशि के नौ सौदों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा टिप्पणियों से संबंधित है।

(ख) 9 में से 5 मामलों में प्राथमिक जांच पूरी कर ली गई है और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को स्थिति से अवगत करा दिया गया है। शेष 4 मामलों में प्राथमिक जांच चल रही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर कार्यवाही के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राथमिक जांच के परिणामों पर आगे कोई और कार्रवाई शुरू करने से पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होती है।

(ग) सभी 9 मामलों की प्राथमिक जांच पूरी होने और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा स्थिति की समीक्षा करने के बाद ही कार्यवाही के अंतिम परिणामों का पता लग पाएगा।

(घ) इस संबंध में किन्हीं चूकों के लिए यदि कोई अधिकारी जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध यथा अपेक्षित उचित कार्रवाई की जाएगी।

कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्यात

2880. **श्री सईदुज्जमा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत प्रमाणित कार्बनिक खाद्य पदार्थों का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा और कितने मूल्य का ऐसा निर्यात किया गया और किन देशों में इनका निर्यात किया गया और देश के भीतर इनकी कितनी बिक्री हुई;

(ग) क्या देश मे सरकारी और गैर-सरकारी दोनों विशेषज्ञों, प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के माध्यम से "एपेडा" द्वारा इन खाद्य पदार्थों का प्रमाणन भी किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि इंग्लैंड की गोपनीय रिपोर्ट कार्बनिक खाद्य पदार्थों के पौषणिक महत्व का समर्थन करती है जैसाकि वर्ष 1999 में विज्ञान प्रसार (डीएसटी) द्वारा प्रकाशित किये गये समाचार में ऐसे उष्ण कटिबंधीय देशों में पेस्टनाशियों का विकल्प बताया गया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आज विश्व भर में उत्पादित किए जा रहे कार्बनिक खाद्य पदार्थों के निर्यात के संवर्धन हेतु "एपेडा" के प्रयासों के समर्थन के रूप में इस मामले का विस्तार से अध्ययन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि निर्यात आंकड़ों को मदों का कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पाद के रूप में विभेद करके संकलित नहीं किया जाता है इसलिए निर्यात के साथ-साथ देश में बिक्री के संबंध में भी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) निर्यातों के लिए कार्बनिक खाद्य उत्पादों का प्रमाणन अधिकृत प्रमाणन अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एक अधिकृत प्रमाणन अभिकरण है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग कार्बनिक कृषि/बागवानी उत्पादों के निर्यातों के संवर्धन में एकाग्र नीति अपनाने के लिए एपीडा के प्रयासों में सहायता कर रहा है। अभी इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक रुग्णता संबंधी अध्ययन

2881. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन से पता चला था कि 65 प्रतिशत औद्योगिक रुग्णता के लिए श्रम की अपेक्षा प्रबंधन की विफलता जिम्मेदार है जो मात्र तीन प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक स्थिति में सुधार करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने औद्योगिक रुग्णता के संबंध में हाल में कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, मार्च 2001 के अंत की स्थिति (नवीनतम) के अनुसार 3317 गैर लघु क्षेत्र उद्योग (रुग्ण/कमजोर एकक) के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि 42.3 प्रतिशत औद्योगिक रुग्णता कार्यान्वयन, उत्पादन, श्रम, विपणन, वित्तीय एवं प्रशासनिक कारकों में परियोजना प्रबंधन में कमियों के कारण रही है, जिसमें से 3.4 प्रतिशत श्रम के संबंध में परियोजना प्रबंधन कमियों के कारण थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक पुनर्वास के सभी क्षेत्रों अर्थात् प्रारम्भिक चरण में औद्योगिक रुग्णता का पता लगाना, रुग्ण/कमजोर एककों की पहचान, एककों का अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन करना, अर्थक्षम एककों को राहत एवं रियायत देना, बैंकों एव वित्तीय संस्थाओं और स्वयं बैंकों के बीच समन्वय, ऋणों की वापसी अदायगी/पुनर्निर्धारण की अवधि बढ़ाना, ऋणों से इक्विटी में बदलना, ऋणों की एक ही स्थान पर लेन–देन की व्यवस्था, ब्याज दर रियायत एवं दंड संबंधी दर को माफ करना, निर्णीत हर्जाने शामिल करते हुए व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

कताई मिलों का आधुनिकीकरण

2882. श्री राजो सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार में कताई मिलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता मांगी गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य में कताई मिलों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सरकार ने देश में वस्त्र कताई मिलों सहित वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए 01 अप्रैल, 1999 से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है। योजना में वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा योजना की पुष्टि करने पर प्रौद्योगिक उन्नयन परियोजनाओं के लिए प्रभारित पांच प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह योजना बिहार सहित संपूर्ण भारत के लिए लागू है। तथापि, बिहार से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उत्पादों के लेबलों पर उचित अंकन

2883. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खाद्य उत्पादों के पैकेटों पर उन्हें तैयार किए जाने में प्रयोग में लाए गए तत्वों को दर्शाने वाला लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन नियमों का उल्लंघन करने वाले विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने पैकेटों या कंटेनरों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए अक्षरों का कोई आकार भी निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के तहत पहले से पैक मदों में खाद्य सामग्री सहित उत्पादों की "शुद्ध मात्रा" की उसके पैकेज के लेबल पर घोषणा करनी अपेक्षित है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 पैकेज में उत्पादों के संघटकों के नामों को, वजन या मात्रा, जैसी भी स्थिति हो, में उनके घटकों की घटते क्रम में घोषणा करना अपेक्षित है।

(ग) कानून के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दांडिक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है कि लेबल पर सूचना घोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्णों का आकार तथा इसके प्रमुख प्रदर्शन पैनल पैकेज के आकार के अनुपात में होंगे तथा 1 मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुदान हेतु प्रस्ताव

2884. डा. चरणदास महंत : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय, पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब लोगों हेतु चलाए जाने वाले प्रशिक्षण और सहायता केन्द्रों को अनुदान उपलब्ध कराने संबंधी अनेक प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार ने, "जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, अनुसंधान प्रशिक्षण और विकास" के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की योजना के तहत एक प्रस्ताव पिछले वित्त–वर्ष 2001–2002 की अंतिम तिमाही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा था। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, चालू वित्त वर्ष 2002–2003 के लिए अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना के अंतर्गत चार अलग–अलग प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भी भेजे गए हैं जिसके अंतर्गत परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) इन प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समय–सीमा सूचित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण

2885. श्री रतन लाल कटारिया :
श्री जय प्रकाश :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषतः उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ी है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की राज्य–वार मांग आवंटन और वास्तविक खरीद कितनी हुई;

(ग) उक्त अवधि में खाद्यान्नों का वास्तविक मूल्य क्या था और गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को ये खाद्यान्न किस मूल्य पर दिए गए; और

(घ) इस प्रक्रिया में भारतीय खाद्य निगम को कितना नुकसान हुआ?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित खाद्यान्न खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं और ये केन्द्रीय पूल में रखे स्टाक से दिए जाते हैं जो देश में उत्पादित खाद्यान्नों की कुल मात्रा का केवल 15–20 प्रतिशत है और ये किसी राज्य की समस्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं। जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू करने से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के आवंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए नियत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के लिए आवंटन भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं। अप्रैल, 2002 से अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 35 किलोग्राम मात्रा प्रति परिवार प्रति माह आवंटित की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के राज्यवार आवंटन और उठान को बताने वाले ब्यौरे विवरण–I से VI पर दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आर्थिक लागत और गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं

आर्थिक लागत

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	चावल	गेहूं
1999–2000	1074.80	887.51
2000–2001	1180.47	858.26
2001–2002	1204.35	871.30

गरीबी रेखा से नीचे के लिए केन्द्रीय निर्गम भूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

तारीख	चावल	गेहूं
1.4.1999 से	350	250
1.4.2000 से	590	450
25.7.2000 से	565	415

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 25.7.2000 के बाद संशोधन नहीं किया गया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम लाभ और हानि आधार पर कार्य नहीं करता है। भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा खाद्य सबसिडि के रूप में की जाती है।

विवरण-I

(चावल 1999–2000)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक चावल के आवंटन और उठान को बताने वाला वितरण

(हजार टन मे)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवटन			उठान		
		गरेनी	गरेऊ	जोड़	गरेनी	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	453.360	1847.040	2300.400	433.570	1874.350	2307.920

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.400	100.800	109.200	8.320	93.410	101.730
3.	असम	228.720	441.280	670.000	215.900	312.230	528.130
4.	बिहार	412.320	95.040	507.360	234.350	2.220	236.570
5.	दिल्ली	0.000	154.680	154.680	0.000	74.470	74.470
6.	गोवा	3.120	72.840	75.960	8.480	37.650	46.130
7.	गुजरात	94.500	198.00	292.500	96.920	72.130	169.050
8.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9.	हिमाचल प्रदेश	0.000	146.760	146.760	0.000	64.800	64.800
10.	जम्मू और कश्मीर	56.412	376.854	433.266	52.250	290.410	342.660
11.	कर्नाटक	276 000	624.000	900.000	278.100	544.900	823.000
12.	केरल	184.200	1559.640	1743.840	182.000	1009.000	1191.000
13.	मध्य प्रदेश	288.000	124.200	412.200	270.420	48.521	318.941
14.	महाराष्ट्र	253.920	508.560	762.480	239.500	441.390	680.890
15.	मणिपुर	20.600	104.400	125.000	21.070	21.300	42.370
16.	मेघालय	17.160	190.416	207.576	17.550	174.150	191.700
17.	मिजोरम	6.360	118.716	125.076	6.890	84.000	90.890
18.	नागालैण्ड	9.240	115.860	125.100	10.340	103.220	113.560
19.	उड़ीसा	824.715	345.140	1169.855	769.300	118.300	887.600
20.	पंजाब	8.160	3.360	11.520	0.220	0.050	0.270
21.	राजस्थान	3.000	12.860	15.860	1.300	1.440	2.740
22.	सिक्किम	4.080	83.640	87.720	4.210	65.810	70.020
23.	तमिलनाडु	549.480	1265.280	1814.760	535.390	1271.880	1807.270
24.	त्रिपुरा	27.720	169.780	197.500	19.070	133.060	152.130
25.	उत्तर प्रदेश	416.700	323.000	739.700	391.580	96.480	488.060

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	पश्चिम बंगाल	264.840	253.760	518.600	171.660	249.790	421.450
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.800	28.200	30.000	0.000	16.680	16.680
28.	चंडीगढ़	0.240	3.360	3.600	0.030	0.080	0.110
29.	दादरा और नागर हवेली	1.440	5.160	6.600	0.600	0.780	1.380
30.	दमण और दीव	0.240	6.960	7.200	0.040	0.780	0.820
31.	लक्षद्वीप	0.240	6.060	6.300	0.000	5.000	5.000
32.	पांडिचेरी	7.800	16.200	24.000	7.320	4.570	11.890
	जोड़	4422.767	9301.846	13724.613	3976.380	7212.851	11189.231

(अ) अनंतिम

टिप्पणी : इसमें विकेन्द्रीकृत योजना के अधीन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के उठान संबंधी आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-II

(गेहूं 1999–2000)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक गेहूं के आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में) (अ)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन			उठान		
		गरेनी	गरेऊ	जोड़	गरेनी	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	141.000	141.000	0.000	117.600	117.600
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.840	6.960	7.800	0.000	5.350	5.350
3.	असम	0.000	213.900	213.900	0.000	219.170	219.170
4.	बिहार	618.480	242.560	861.040	641.930	17.080	659.010
5.	दिल्ली	0.000	724.800	724.800	0.000	53.940	53.940
6.	गोवा	1.440	32.280	33.720	0.140	13.190	13.330
7.	गुजरात	145.500	594.000	739.500	149.930	144.490	294.420

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	87.960	68.640	156.600	80.320	3.830	84.150
9.	हिमाचल प्रदेश	51.120	91.320	142.440	24.150	30.710	54.860
10.	जम्मू और कश्मीर	17.748	346.800	364.548	16.930	29.160	46.090
11.	कर्नाटक	69.000	351.000	420.000	68.800	146.800	215.600
12.	केरल	0.000	452.640	452.640	0.000	237.000	237.000
13.	मध्य प्रदेश	352.080	151.800	503.880	267.010	49.110	316.120
14.	महाराष्ट्र	471.600	736.560	1208.160	432.110	644.420	1076.530
15.	मणिपुर	0.000	23.220	23.220	0.000	0.120	0.120
16.	मेघालय	0.000	14.460	14.460	0.000	15.690	15.690
17.	मिजोरम	0.000	14.080	14.080	0.000	14.800	14.800
18.	नागालैण्ड	20280	21.210	23.490	2.310	17.160	19.470
19.	उड़ीसा	50.000	370.000	420.000	49.900	116.500	166.400
20.	पंजाब	43.440	18.120	61.560	2.430	0.000	2.430
21.	राजस्थान	257.400	375.820	633.220	191.760	51.680	243.440
22.	सिक्किम	0.000	2.090	2.090	0.000	1.420	1.420
23.	तमिलनाडु	0.000	360.000	360.000	0.000	165.920	165.920
24.	त्रिपुरा	0.000	17.160	17.160	0.000	7.640	7.640
25.	उत्तर प्रदेश	780.600	748.840	1529.440	811.541	32.830	844.371
26.	पश्चिम बंगाल	283.800	777.300	1061.100	278.510	456.730	735.240
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.840	8.160	9.000	0.180	4.570	4.750
28.	चंडीगढ़	1.920	19.680	21.600	0.180	0.180	0.360
29.	दादरा और नागर हवेली	0.360	2.640	3.000	0.178	0.180	0.358
30.	दमण और दीव	0.120	2.280	2.400	0.000	0.030	0.360
31.	लक्षद्वीप	0.000	0.504	0.504	0.000	0.030	0.030

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	पांडिचेरी	0.000	9.000	9.000	0.000	2.110	2.110
	जोड़	3236.528	6938.824	10175.352	3018.309	2599.440	5617.749

(अ) अनंतिम

टिप्पणी : इसमें विकेन्द्रीकृत योजना के अधीन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उठान के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक चावल का आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में) (अ)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1316.648	1847.040	15.570	3179.258	923.047	1002.912	1.333	1927.292
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.384	70.320	0.000	88.704	15.828	13.958	0.000	29.786
3.	असम	457.428	331.280	0.000	788.708	374.143	5.768	0.000	379.911
4.	बिहार	750.840	86.604	0.000	837.444	131.445	1.032	0.000	132.477
5.	छत्तीसगढ़	99.228	20.004	7.185	126.417	76.400	0.060	11.744	88.204
6.	दिल्ली	0.000	163.320	0.000	163.320	0.000	1.980	0.000	1.980
7.	गोवा	6.230	42.840	0.000	49.070	1.483	7.069	0.000	8.552
8.	गुजरात	343.526	216.000	0.000	559.526	113.962	2.584	0.050	116.596
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	1.640	0.000	0.000	1.640
10.	हिमाचल प्रदेश	34.947	62.760	0.984	98.691	21.755	3.539	0.980	26.274
11.	जम्मू और कश्मीर	112.800	150.120	0.000	262.920	64.649	4.096	0.000	68.745
12.	झारखंड	73.800	8.436	0.000	82.236	14.150	0.120	0.000	14.270
13.	कर्नाटक	568.272	917.000	0.000	1485.272	527.845	420.613	0.000	948.458
14.	केरल	365.144	1375.440	5.955	1746.539	417.011	71.939	0.000	488.950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मध्य प्रदेश	468.496	104.196	4.760	577.452	278.330	1.050	3.718	283.098
16.	महाराष्ट्र	521.504	268.560	0.000	790.064	341.107	33.283	0.000	374.390
17.	मणिपुर	31.214	34.320	0.000	65.534	18.670	4.606	0.000	23.276
18.	मेघालय	34.354	190.416	0.000	224.770	30.106	1.058	0.000	31.164
19.	मिजोरम	13.940	81.720	0.000	95.660	13.938	27.122	0.000	41.060
20.	नागालैण्ड	18.480	103.560	0.000	122.040	17.944	0.271	0.000	18.215
21.	उड़ीसा	949.922	44.640	0.000	994.562	659.580	3.340	0.000	662.920
22.	पंजाब	16.800	3.360	0.000	20.160	0.364	0.070	0.000	0.434
23.	राजस्थान	23.595	9.360	0.107	33.062	1.141	0.020	0.064	1.225
24.	सिक्किम	8.916	83.640	0.000	92.556	5.875	3.284	0.000	9.159
25.	तमिलनाडु	1121.664	461.280	0.000	1582.944	1131.124	78.586	0.000	1209.710
26.	त्रिपुरा	55.450	109.440	0.000	164.890	53.567	6.225	0.000	59.792
27.	उत्तर प्रदेश	741.628	131.812	0.000	873.440	320.906	0.098	0.000	321.004
28.	उत्तराखंड	22.172	2.588	0.000	24.760	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	676.064	198.760	0.000	874.824	305.853	34.025	0.000	339.878
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.604	28.200	0.000	31.804	3.020	4.245	0.000	7.265
31.	चंडीगढ	0.480	2.040	0.000	2.520	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नागर हवेली	2.899	2.160	0.050	5.109	2.078	0.556	0.000	2.634
33.	दमण और दीव	0.532	1.320	0.000	1.852	0.211	0.150	0.000	0.361
34.	लक्षद्वीप	0.000	6.540	0.000	6.540	0.000	5.288	0.000	5.288
35.	पांडिचेरी	17.088	21.480	0.000	38.568	7.510	2.394	0.000	9.904
	जोड़	8876.049	7180.556	34.611	16091.216	5874.682	1741.341	17.889	7633.912

(अ) अनंतिम

टिप्पणी : इसमें वर्ष 2000-01 के लिए विकेन्द्रीकृत योजना के अधीन उत्तर प्रदेश (मार्च, 2001 तक) और पश्चिम बंगाल (सितम्बर, 2000 तक) के उठान के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-IV

(गेहूं 2000–2001)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक गेहूं का आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में) (अ)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	96.000	0.000	96.000	0.000	3.295	0.000	3.295
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.840	6.360	0.000	8.200	0.278	0.466	0.000	0.744
3.	असम	0.000	123.600	0.000	123.600	0.000	0.396	0.000	0.396
4.	बिहार	1126.260	129.908	0.000	1256.168	428.651	1.081	0.000	429.732
5.	छत्तीसगढ़	28.428	13.700	0.000	42.128	2.555	0.000	0.083	2.638
6.	दिल्ली	24.540	487.140	0.000	511.680	10.501	0.084	0.000	10.585
7.	गोवा	2.874	20.280	0.000	23.154	0.361	1.272	0.000	1.633
8.	गुजरात	565.287	354.00	0.000	919.287	284.423	2.690	0.020	287.133
9.	हरियाणा	175.918	8.640	0.000	184.558	47.763	0.000	0.000	47.763
10.	हिमाचल प्रदेश	67.369	38.400	0.984	106.753	24.700	2.727	0.905	28.332
11.	जम्मू और कश्मीर	35.520	88.320	0.000	123.840	22.993	7.881	0.000	30.874
12.	झारखंड	110.700	12.652	0.000	123.352	72.526	0.067	0.000	72.593
13.	कर्नाटक	142.068	221.000	0.000	363.068	135.560	63.926	0.000	199.486
14.	केरल	0.000	452.640	0.00	452.640	0.000	30.212	0.000	30.212
15.	मध्य प्रदेश	665.612	138.100	11.050	814.762	277.928	3.518	7.642	289.088
16.	महाराष्ट्र	968.580	496.560	0.000	1465.140	619.256	8.032	0.000	627.288
17.	मणिपुर	0.000	20.520	0.000	20.520	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	12.000	0.000	12.000	0.003	0.120	0.000	0.123
19.	मिजोरम	0.000	15.120	0.000	15.120	0.000	2.602	0.000	2.602
20.	नागालैण्ड	4.560	18.480	0.000	23.040	3.043	1.487	0.000	4.530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	उड़ीसा	102.300	0.000	0.000	102.00	0.000	0.000	0.000	0.000
22.	पंजाब	89.436	18.120	0.000	107.556	10.756	1.515	0.000	12.271
23.	राजस्थान	850.575	392.160	9.208	1251.943	321.592	1.457	8.055	331.104
24.	सिक्किम	0.000	1.200	0.000	1.200	0.000	0.350	0.000	0.350
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.759	0.000	0.759
26.	त्रिपुरा	0.000	15.360	0.000	15.360	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	उत्तर प्रदेश	1537.660	260.916	0.000	1798.576	887.713	1.557	0.000	889.270
28.	उत्तराखंड	11.840	5.124	0.000	16.964	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	577.496	777.400	0.000	1354.896	493.111	39.797	0.000	532.908
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.680	8.160	0.000	9.840	1.737	5.064	0.000	6.801
31.	चंडीगढ़	3.838	11.640	0.000	15.478	0.000	0.000	0.000	0.000
32.	दादरा और नागर हवेली	0.725	0.600	0.020	1.345	0.364	0.120	0.000	0.484
33.	दमण और दीव	0.268	0.480	0.000	0.748	0.014	0.000	0.000	0.014
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.504	0.000	0.504	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	6.240	0.000	6.240	0.000	0.827	0.000	0.827
	जोड़	7095.374	4251.324	21.262	11367.960	3645.828	181.302	16.705	3843.835

(अ) अनंतिम

टिप्पणी : विकेन्द्रीकृत योजना के अधीन मध्य प्रदेश (जनवरी, 2001 तक), उत्तर प्रदेश (मार्च, 2001 तक) के उठान के आंकड़े शामिल हैं।

विवरण-V

(चावल 2001–2002)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चावल का आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में) (अ)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1470.960	1495.680	186.840	3153.480	964.197	564.141	91.522	1719.860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.459	70.320	1.134	95.913	25.007	21.065	0.740	46.812
3.	असम	515.058	311.280	28.152	854.490	429.825	45.296	28.515	503.636
4.	बिहार	656.370	69.732	60.000	786.102	64.639	0.686	43.252	108.577
5.	छत्तीसगढ़	305.748	60.012	86.220	451.980	148.292	0.210	77.884	226.386
6.	दिल्ली	11.790	163.320	0.480	175.590	9.699	18.652	0.243	28.597
7.	गोवा	6.431	42.840	0.979	50.250	3.539	4.208	0.734	8.481
8.	गुजरात	234.604	216.000	12.350	462.954	130.324	2.653	11.785	144.762
9.	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10.	हिमाचल प्रदेश	173.955	62.760	14.172	250.887	102.705	3.772	13.721	120.198
11.	जम्मू और कश्मीर	115.247	150.120	19.323	284.690	120.544	129.449	4.072	254.065
12.	झारखंड	227.000	25.308	36.650	288.958	76.529	5.609	26.925	109.063
13.	कर्नाटक	646.182	444.000	67.287	1157.469	639.186	380.709	64.640	1084.535
14.	केरल	374.958	1375.440	71.460	1821.858	371.894	21.005	61.507	454.006
15.	मध्य प्रदेश	289.756	64.188	57.120	411.064	121.551	0.791	51.922	174.264
16.	महाराष्ट्र	725.426	268.560	93.749	1087.735	426.556	1.509	82.663	510.728
17.	मणिपुर	35.136	34.320	1.914	71.370	25.455	0.000	0.740	26.195
18.	मेघालय	44.240	114.360	3.515	162.115	43.278	4.511	2.812	50.601
19.	मिजोरम	16.461	81.720	3.156	101.337	16.168	18.931	3.156	38.255
20.	नागालैण्ड	24.185	103.560	2.280	130.025	24.185	3.143	2.280	29.608
21.	उड़ीसा	907.045	44.640	88.466	1040.151	488.185	11.584	87.277	587.046
22.	पंजाब	18.080	3.360	0.000	21.440	1.588	0.000	0.000	1.588
23.	राजस्थान	6.282	9.360	1.284	16.926	0.338	0.159	0.484	0.981
24.	सिक्किम	11.205	35.640	1.176	48.021	11.371	5.972	1.146	18.489
25.	तमिलनाडु	1350.423	461.280	35.475	1847.178	1040.753	0.000	24.760	1065.513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	त्रिपुरा	62.718	109.440	7.917	180.075	61.115	15.363	6.786	83.264
27.	उत्तर प्रदेश	736.649	126.636	82.111	945.396	253.688	0.942	84.006	338.636
28.	उत्तराखंड	70.962	7.764	8.028	86.754	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	पश्चिम बंगाल	831.438	128.760	54.960	1015.158	213.648	28.757	27.957	270.362
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.686	28.200	0.591	32.477	2.888	9.585	0.303	12.776
31.	चंडीगढ़	0.350	2.040	0.318	2.708	0.055	0.000	0.318	0.373
32.	दादरा और नागर हवेली	3.009	2.160	0.600	5.769	2.475	0.745	0.570	3.790
33.	दमण और दीव	0.639	1.320	0.120	2.079	0.056	0.219	0.085	0.360
34.	लक्षद्वीप	0.044	6.560	0.040	6.644	0.000	3.000	0.000	3.000
35.	पांडिचेरी	22.701	3.480	1.125	27.306	8.502	0.120	0.917	9.539
	जोड़	9923.197	6124.160	1028.992	17076.349	5827.835	1302.786	903.725	8034.346

टिप्पणी : गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आवंटन और उठान में सूखा राहत बाढ़ राहत शामिल है।

(अ) अनंतिम

टिप्पणी : इसमें उत्तर प्रदेश के विकेन्द्रीकृत योजना के अधीन उठान के आंकड़े (नवम्बर, 2001 तक) शामिल हैं परन्तु बंगाल के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

विवरण-VI

(गेहूं 2001–2002)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक गेहूं के आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में) (अ)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अंअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.000	96.000	0.000	96.000	0.000	7.385	0.000	7.385
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.568	6.360	0.000	8.935	1.715	2.795	0.000	4.510
3.	असम	0.000	123.600	0.000	123.600	0.000	70.011	0.000	70.011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	1164.501	104.604	90.000	1359.105	313.475	0.325	65.300	379.100
5.	छत्तीसगढ़	87.579	41.100	0.000	128.697	39.649	1.788	0.000	41.437
6.	दिल्ली	102.375	413.520	1.920	517.815	77.063	7.645	0.949	85.656
7.	गोवा	3.420	20.280	0.000	23.700	0.000	1.350	0.000	1.350
8.	गुजरात	634.936	354.000	49.400	1038.336	313.857	1.317	44.960	360.134
9.	हरियाणा	182.541	8.640	27.346	218.527	71.349	0.000	22.655	94.004
10.	हिमाचल प्रदेश	74.280	38.400	9.444	122.124	31.021	5.485	9.371	45.877
11.	जम्मू और कश्मीर	36.516	88.320	6.084	130.920	41.962	45.988	3.195	91.145
12.	झारखंड	340.491	37.956	54.980	433.427	152.531	0.861	35.867	189.259
13.	कर्नाटक	161.542	111.000	16.823	289.365	159.682	69.951	16.156	245.790
14.	केरल	0.000	452.640	0.000	452.640	0.000	98.533	0.000	98.533
15.	मध्य प्रदेश	696.227	110.700	132.600	939.527	460.717	6.306	121.639	588.662
16.	महाराष्ट्र	1370.786	496.560	174.112	2041.458	736.350	1.802	151.707	889.859
17.	मणिपुर	0.000	20.520	0.000	20.520	0.000	0.000	0.000	0.000
18.	मेघालय	0.000	12.000	0.000	12.000	0.000	6.334	0.000	6.334
19.	मिजोरम	0.000	12.120	0.000	12.120	0.000	8.887	0.000	8.887
20.	नागालैण्ड	5.937	18.480	0.558	24.975	5.937	12.314	0.558	18.809
21.	उड़ीसा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.468	0.000	0.000	0.468
22.	पंजाब	96.283	18.120	19.723	134.126	44.354	0.000	8.070	52.424
23.	राजस्थान	909.987	392.160	110.496	1412.643	559.028	10.458	102.298	671.784
24.	सिक्किम	0.000	1.200	0.000	1.200	0.000	0.600	0.000	0.600
25.	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.	त्रिपुरा	0.000	15.360	0.000	15.360	0.000	3.000	0.000	3.000
27.	उत्तर प्रदेश	1603.140	250.668	178.680	2032.488	895.511	7.805	162.420	1068.736
28.	उत्तराखंड	38.760	15.372	3.420	57.552	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	पश्चिम बंगाल	422.931	776.400	54.966	1254.297	309.607	159.547	28.952	498.106
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.764	8.160	0.231	10.155	1.547	2.534	0.128	4.209
31.	चंडीगढ़	5.330	11.640	0.000	16.970	0.050	0.000	0.000	0.050
32.	दादरा और नागर हवेली	0.753	0.600	0.240	1.593	0.489	0.230	0.206	0.925
33.	दमण और दीव	0.330	0.480	0.060	0.870	0.020	0.015	0.029	0.064
34.	लक्षद्वीप	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000
35.	पांडिचेरी	0.000	0.240	0.000	0.240	0.000	0.315	0.000	0.315
	जोड़	7942.992	4057.700	931.083	12931.775	4216.382	533.581	774.460	5524.423

टिप्पणी : गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत आवंटन और उठान में सूखा राहत और बाढ़ राहत शामिल है।

(अ) अनंतिम

टिप्पणी : इसमें मध्य प्रदेश जनवरी, 02 तक और उत्तर प्रदेश मार्च, 2002 तक के विकेन्द्रीकृत योजना के अधीन उठान के आंकड़े शामिल हैं।

चाय का उत्पादन/निर्यात

2886. श्री वाई. वी. राव :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

श्री जे. एस. बराड़ :

श्री वाई. जी. महाजन :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2002 तक राज्य–वार प्रतिवर्ष चाय का उत्पादन कुल कितने क्षेत्रफल में हुआ, इसकी उत्पादकता और प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत कितनी रही और इससे कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ख) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाय की प्रति किलो औसत बिक्री मूल्य और प्रति किलो उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारतीय चाय के निर्यात में गत कुछ वर्षों के दौरान कमी आई है या इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के लिये इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय चाय को अन्य देशों की चाय की तुलना में कम मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ राज्यों में वर्ष–दर–वर्ष चाय उत्पादन में कमी आ रही है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) केंद्र सरकार/चाय बोर्ड द्वारा देश में जैविक चाय सहित चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये और उत्तरांचल जैसे गैर–परम्परागत चाय उत्पादक राज्यों में भी चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अशक्त व्यक्ति

2887. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार अशक्त व्यक्तियों की पहचान करने के लिये एक गहन सर्वेक्षण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों से क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) अपने 58वें दौर में (जुलाई–दिसम्बर, 2002) निःशक्तता के संबंध में एक सर्वेक्षण कर रहा है।

पाकिस्तान द्वारा शुल्क में छूट

2888. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पाकिस्तान ने साउथ एशियन प्रेफ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (साप्ता) के अंतर्गत भारत और अन्य दक्षेस देशों को 600 मदों पर शुल्क में छूट दे रखी थी;

(ख) यदि हां, तो इन मदों और इनमें से प्रत्येक पर शुल्क में दी गई छूट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छूटों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) (क) से (ग) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) के सदस्य देश दक्षिण एशियाई अधिमानी व्यापार करार (एसएपीटीए) के अंतर्गत एक दूसरे के साथ टैरिफ रियायतों का आदान–प्रदान करते हैं। पाकिस्तान भी एसएपीटीए के तहत भारत समेत सार्क के सदस्य देशों को रियायतें प्रदान करता है। इन रियायतों को संबंधित सीमा शुल्क अधिसूचना जारी करके वैधानिक स्वरूप दिया गया है और इस कार्य को पाकिस्तान द्वारा दिनांक 17 जून, 2000 की अधिसूचना द्वारा किया गया था। वर्ष 2002 में सुमेलित कोडिंग प्रणाली में किए गए परिवर्तनों के फलस्वरूप बहुत से एचएस कोडों को समाप्त, विलयित या परिवर्तित कर दिया गया है जिसके कारण उक्त सीमा शुल्क अधिसूचना के नवीकरण की आवश्यकता हुई। इसी कारणवश पाकिस्तान सरकार द्वारा 15 जून, 2002 को एक संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना जारी की गई जिसमें सार्क के सदस्य देशों को पहले से मिल रही रियायतें शामिल हैं तथा अधिमानी शुल्क रियायतों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

आयात/निर्यात घरानों द्वारा सीमा शुल्क अपवंचन

2889. डा. रमेश चंद तोमर : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत कुछ वर्षों में देश के बहुत से आयात/निर्यात घरानों ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के सीमा शुल्क का अपवंचन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्यात/आयात घरानों की ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय देश में बेईमान निर्यात/आयात गृहों द्वारा राजस्व कर्मचारियों के गुप्त सहयोग से सीमा शुल्क के अपवंचन का पता लगाने और उसकी रोक–थाम करने के लिये सजग और चौकस हैं।

हशीश की तस्करी

2890. श्री अबुल हसनत खां : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली नशीली दवाओं की तस्करी का एक बड़ा बाजार और अड्डा बनती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान और छह माह में कितनी मात्रा में नेपाली हशीश जब्त की गई है;

(ग) वे मार्ग कौन से हैं जिनके द्वारा हशीश की दिल्ली और देश के अन्य भागों में तस्करी की जाती है; और

(घ) नशीली दवाओं की तस्करी पर काबू पाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्दन) : (क) विभिन्न औषध कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों से प्राप्त अभिग्रहण रिपोर्टों से नशीले पदार्थों के गैरकानूनी धंधे और दिल्ली में और दिल्ली के माध्यम से नशीले पदार्थों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि का पता नहीं चलता है।

(ख) विभिन्न औषध कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1999–2000 और 2001 के दौरान दिल्ली में अभिगृहित नेपाली हशीश के ब्यौरे क्रमशः 2.49 किग्रा. 150.26 किग्रा. और 4 किग्रा. हैं। पिछले छह महीनों के दौरान जून, 2002 के अंत तक नेपाली हशीश का कोई अभिग्रहण नहीं हुआ है।

(ग) नेपाल में उत्पादित हशीश को उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की भूमि सीमाओं के पार से भारत में गैर कानूनी ढंग से लाया जाता है जहां से उसे दिल्ली और मुम्बई जैसे केन्द्रों को ले जाया जाता है।

(घ) स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार पर एक प्रभावशाली नियंत्रण हेतु सरकार ने बहुत से उपाय किये हैं। इनमें समस्त स्वापक औषधियों से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने के लिए और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी निर्देश जारी करना, प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना, केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना, समन्वित कार्रवाई करके स्वापक औषधि के सिंडिकेटों को निष्प्रभावित करना, पुलिस और सुरक्षा बलों को आधुनिक बनाना और अपग्रेह करना, भारत–पाक सीमा पर बाड़ एवं फ्लड लाइटिंग लगाना, स्वापक औषधियों का निषेध करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंर्तगत सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, पूर्व प्रयुक्त होने वाली कुछेक रसायन सामग्रियों जैसे कि ऐसेटिक एनहाइड्राइड, एफिड्राइन आदि को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थों" के रूप में अधिसूचित करना, सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्यीय एजेंसियों के साथ स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की तिमाही समन्वय बैठकें करना, भारतीय और पाकिस्तानी स्वापक–रोधी एजेंसियों की आवधिक द्विपक्षीय बैठकों को आयोजन करना शामिल है।

खाद्यान्नों का निर्यात

2891. श्री एन. एन. कृष्णदास :
श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किए गए खाद्यान्नों का मूल्य घरेलू बाजार में गरीबी रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों को उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्नों के मूल्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष खाद्यान्नों का आयात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार और खाद्यान्न–वार ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) केंद्रीय पूल से निर्यात के लिये गेहूं तथा चावल उपलब्ध किए जा रहे हैं। निर्यातकों को विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल खर्चों की भी अनुमति दी जाती है, जिससे उनके द्वारा देय निवल मूल्य गरीबी रेखा से ऊपर के मूल्य से कम हो जाता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर कोई खाद्यान्न आयात नहीं किए गए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूरोपीय संघ द्वारा भारत को वस्त्रों पर शुल्क में रियायत

2892. श्री सुंदर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान पैनल के समक्ष वरीयता योजना की सामान्य प्रणाली के तहत पाकिस्तान से होने वाले वस्त्र निर्यात पर वरीयता देने से मना करने पर यूरोपीय संघ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान निकाय की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसम्बर, 2004 तक की अवधि के लिये यूरोपीय संघ की वरीयता की सामान्य प्रणाली (जीएसपी) स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ उन सभी उत्पादों के लिये सीमा शुल्क के स्थगन की व्यवस्था है जिन्हें नशीली दवाओं के उत्पादन तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिये विशेष टैरिफ व्यवस्थाओं के तहत श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस विशेष व्यवस्था के अंतर्गत लाभान्वित देशों में से एक है। चूंकि इससे यूरोपीय संघ को भारत के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिये भारत ने फरवरी, 2002 तथा जुलाई, 2002 में आयोजित द्विपक्षीय मंत्रणाओं में यूरोपीय संघ के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। इन मंत्रणाओं के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि पाकिस्तान को विशेष तौर पर दी गई छूटों के चलते, भारत अपने प्रमुख व्यापार, विशेष रूप से वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र में, को गंवा देना। यूरोपीय संघ से ऐसी छूटों से होने वाले प्रतिकूल व्यापार प्रभावों में सुधार करने का आग्रह किया गया था। तथापि, इन द्विपक्षीय मंत्रणाओं से भारत को वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए।

डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान तंत्र के अंतर्गत यूरोपीय संघ के साथ उक्त विवाद के समाधान के प्रथम उपाय के रूप में, यूरोपीय संघ के इस संबंध में मंत्रणाएं करने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 25 मार्च, 2002 को यूरोपीय संघ के साथ मंत्रणाओं का आयोजन किया गया था जिनके दौरान हमारे व्यापार पर पड़ने वाले प्रत्याशित प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में कुछ ब्यौरे यूरोपीय संघ को प्रस्तुत किये गये थे। तथापि, इन मंत्रणाओं का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। हालांकि, हमने अभी भी यूरोपीय संघ से उपचारात्मक कार्रवाई का विकल्प खुला रखा है, परंतु आगे की कार्रवाई डब्ल्यूटीओ की नियमों के अनुसार की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संहिता

2893. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) ने सरकार को यह प्रस्ताव किया है कि खाद्य पदार्थ उद्योग की गतिविधियों के विनियमन संबंधी विभिन्न कानूनों में सामंजस्य होना चाहिये और इन्हें एक ही कानून के अंतर्गत रखा जाना चाहिए;

(ख) क्या उक्त मुद्दे की जांच करने के लिये मंत्रियों का एक दल गठित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) एक एकीकृत खाद्य कानून का मसौदा तैयार करने के लिये मंत्रियों का दल गठित किया गया है।

(ग) मंत्रियों के दल ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऊन बोर्ड

2894. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेड़ पालकों को ऊन बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान राजस्थान में प्रत्येक वर्ष कितने भेड़ पालकों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ऊन बोर्ड के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऊन बोर्ड के कार्यनिष्पादन की उन्नति के लिए उठाए गए कदम क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना (आई. एस. डब्ल्यू. डी. पी.) तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एच. आर. डी.) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में प्रशिक्षित भेड़ पालकों की संख्या निम्न प्रकार से है–

वर्ष	आई.एस.डब्ल्यू.डी.पी.	एच.आर.डी.
1999–2000	1230	–
2000–2001	7200	45
2001–2002	4260	19
कुल	12690	64

(ग) से (ङ) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा मॉनीटरिंग आवधिक रूप से संयुक्त सचिव (ऊन) द्वारा संचालित इसकी कार्यकारी बैठक में, माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा संचालित इसकी आम बैठक में तथा उन विभिन्न अन्य मंचों पर जहां मंत्रालय की प्लान योजनाओं की पुनरीक्षा तथा मॉनीटरिंग की जाती है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के लेखा–परीक्षित लेखों सहित इसकी वार्षिक रिपोर्ट भी प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड के प्रभाव में सुधार लाने के लिये उठाये जा रहे कदमों में केंद्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा बोर्ड की अध्यक्षता ग्रहण करना, नौवीं योजना अवधि में बोर्ड के लिये 28 करोड़ रुपये के बजट आवंटन को 10वीं योजना अवधि के दौरान 40 करोड़ रुपये करना, बोर्ड के अधिकारियों तथा राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच लगातार बातचीत, आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

सुविधा स्कीम

2895. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेतनभोगियों की आयकर विवरणियां इकट्ठे जमा करने के लिये 'सुविधा स्कीम' शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा विवरणियों को इकट्ठे जमा करने की स्कीम–2002 के नाम से एक स्कीम को अधिसूचित करने के लिये दिनांक 24 जून, 2002 की अधिसूचना का. आ. संख्या 661 (अ) जारी की है। अन्य बातों के साथ–साथ स्कीम की मुख्य विशेषताओं में निम्न व्यवस्था भी की गई है :

(i) आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणियां इकट्ठे तैयार करने प्राधिकृत के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर सुपाठ्य मीडिया पर वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा अपने नियोक्ता के जरिए आय की विवरणियां प्रस्तुत करने का एक अतिरिक्त तरीका;

(ii) निर्धारित तारीख तक 'बल्क रिटर्न' के नाम से विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर सुपाठ्य मीडिया पर आंकड़ों के साथ–साथ प्रस्तुत किए जाने के लिये फार्म सं. 2घ अथवा फार्म 3 में आय की विवरणी;

(iii) इकट्ठी विवरणियां प्राथमिकता के आधार पर संसाधित की जाती हैं, किंतु उसी ढंग से जैसी कि आय की अन्य विवरणियां, जो सामान्य अवधि के दौरान प्राप्त होती हैं;

(iv) इन विवरणियों से उद्भूत होने वाली वापिस की जाने वाली राशियां या तो कर्मचारी द्वारा दी गई सहमति पर विवरणी दायर करने वाले नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाएंगी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली के जरिए कर्मचारी के बैंक खाते में जमा की जाएगी;

(v) इस समय, यह स्कीम अहमदाबाद, बंगलौर, बड़ौदा, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, मुम्बई, नागपुर, पुणे और थाणे में कर के लिये निर्धारित पात्र नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों पर लागू है।

गुजरात में सिक्कों की कमी

2896. श्री दिलीप संघाणी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात में एक, दो और पांच रुपये के सिक्कों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने राज्य को पर्याप्त संख्या में सिक्के उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि, राज्य में अभिभावी उपद्रवपूर्ण स्थितियों के कारण वर्ष 2002 के पूर्वार्ध में गुजरात में करेंसी तिजोरियों (चेस्टों) और छोटे सिक्कों के डिपुओं में प्रेषणों के निर्बाध प्रवाह में कुछ बाधा आई थी।

(ग) गुजरात राज्य में सिक्कों की कमी से निपटने के लिये सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2002-2003 के लिए अहमदाबाद स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को विभिन्न मूल्यवर्गों के 605 मिलियन अदद रुपये, सिक्के आवंटित किए हैं। जब भी सिक्कों की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संबंधित स्थानों पर करेंसी चेस्टों को सिक्कों के प्रेषण का प्रबंध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चल वाहनों/मेलों के जरिए भी सिक्कों के संवितरण का प्रबंध किया जाता है।

[हिन्दी]

धागे की आपूर्ति

2897. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग में धागे की आपूर्ति में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 में हथकरघा उद्योग की मांग की तुलना में कितने धागे की आपूर्ति की गई; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान धागे का औसत मूल्य क्या रहा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वस्त्र मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग के इस्तेमाल के लिये बाजार में आपूर्ति किए गए धागे का ब्यौरा निम्न प्रकार है

वर्ष	आपूर्ति किए गए धागे की मात्रा (मिलियन किग्रा. में)
1999-2000	587
2000-2001	601
2001-2002	607

(घ) वस्त्र मंत्रालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

हथकरघा क्षेत्र द्वारा इस्तेमाल किए गए धागे का औसत मूल्य निम्न प्रकार है

अवधि	प्रति किग्रा. औसत मूल्य (रुपये में)
मार्च, 2000	87.32
मार्च, 2001	92.38
मार्च, 2002	84.25

यूनिट-64 स्कीम

[अनुवाद]

2898. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री 15 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2097 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सूचना के कब तक एकत्र किए जाने और सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आश्वासन की पूर्ति कर दी गई है। उत्तर की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

XIII लोक सभा का नौवां सत्र

वित्त मंत्रालय अर्थिक कार्य विभाग आश्वासन पूर्ति की तिथि : 01.08.02

प्रश्न सं., तारीख और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
दिनांक 15.3.2002 को श्री नरेश पुगलिया द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 2097	यूनिट–64 जिसमें पूछा गया था कि (क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 30 जून, 2001 को समाप्त हुए वर्ष हेतु यूनिट स्कीम 1964 (यू.एस.–64) के अंतर्गत लाभांशों की घोषणा और संवितरण किया था; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; (ग) क्या बड़ी संख्या में लघु यूनिट धारकों ने इसी योजना में लाभांश के पुनः निवेश का विकल्प चुना था; (घ) यदि हां, तो क्या इन यूनिट धारकों को प्रथानुसार राशि के	(क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि इसने 30.6.2.001 को समाप्त हुए वर्ष के लिये 10 प्रतिशत की दर (1 रु. प्रति यूनिट) से आय वितरण करने की घोषणा की थी और जुलाई, 2002 माह की भी यही दर थी। (ग) 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यू.एस.–64 के लघु निवेशकों के 40 प्रतिशत ने, जिनके पास 30 जून, 2001 को 5000 अथवा कम यूनिट थे, स्वयं योजना में लाभांश का	संबंधित एजेंसी से सूचना अपेक्षित थी।

1	2	3	4	5
	पुनः निवेश हेतु यूनिटें जारी की गई हैं;		पुनर्निवेश करने का विकल्प दिया था।	
	(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और		(घ) यूनिटधारकों को पुनर्निवेशित राशि के लिये 6.09 रु. प्रति यूनिट की दर से यूनिटों को आवंटन किया गया था, जो 1 जनवरी, 2002 को चल रहे यूनिटों का निवल परिसंपत्ति मूल्य था।	
	(च) यूनिट-धारकों को कब तक यूनिटें आवंटित कर दिये जाने की संभावना है जिसके लिये वे अधिकृत हैं?		(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।	

[हिन्दी]

क्षेत्रीय शेयर बाजारों में कारोबार

2899. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान क्षेत्रीय बाजारों/छोटे शेयर बाजारों में कारोबार के गिरते रुझान की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान जुलाई, तक क्षेत्रीय/छोटे शेयर बाजारों में प्रतिमाह किए गए कारोबार का शेयर बाजार-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने क्षेत्रीय/छोटे शेयर बाजारों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिये क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इनके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते) : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि सेबी ने यह नोट किया है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान क्षेत्रीय तथा लघु स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार की ह्रासमान प्रवृत्ति रही है। कुछ क्षेत्रीय/लघु एक्सचेंजों का टर्नओवर अत्यल्प अथवा नगण्य अथवा शून्य था।

(ख) क्षेत्रीय/लघु स्टॉक एक्सचेंजों में विगत वर्ष के दौरान जून, 2002 तक प्रत्येक महीने हुए कुल कारोबार का शेयर बाजार-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय/लघु स्टॉक एक्सचेंजों का अस्तित्व बनाए रखने के लिये सेबी ने अनेक कदम उठाए हैं। एक ऐसे ही कदम के रूप में स्टॉक एक्सचेंजों को सहायक कंपनियां गठित करने तथा वृहत्तर एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अनुमति दी गई थी। यह उनके द्वारा वृहत्तर एक्सचेंजों यथा बीएसई/एनएसई में कारोबार के द्वारा अपनी कारोबार मात्राओं में वृद्धि करने को सुकर बनाता है। इस तरह स्टॉक एक्सचेंजों ने इस मार्ग का लाभ उठाया है तथा अपनी सहायक कंपनियां गठित की हैं।

विवरण

टर्न ओवर (करोड रु. में)

स्टॉक एक्सचेंज	कलकत्ता	दिल्ली	अहमदाबाद	यूपीएसई	बंगलौर	लुधियाना	पुणे	ओटीसीसीई आई	हैदराबाद	आईसी एसई	मद्रास
अप्रैल, 01	3501.84	1178.00	1943.98	1367.93	26.62	215.15	369.56	0.38	13.24	0.02	0.89
मई, 01	4554.63	1551.00	2060.29	1217.45	23.90	255.55	393.73	1.45	11.01	0.04	1.46
जून, 01	3021.89	1663.00	1617.96	1232.83	16.94	184.39	240.89	0.20	8.92	0.08	2.02
जुलाई, 01	1624.81	484.00	203.72	320.24	1.15	78.20	100.22	0.77	1.45	0.44	0.73
अगस्त, 01	1675.14	178.00	302.24	610.62	0.75	64.36	23.53	0.49	0.72	0.75	0.36
सितम्बर, 01	1894.03	165.00	424.20	834.07	0.33	41.04	13.93	0.18	0.30	4.34	1.43
अक्तूबर, 01	1420.57	158.00	753.34	991.39	0.24	12.27	12.91	0.03	0.27	5.31	1.24
नवम्बर, 01	1942.22	87.00	890.89	1275.89	0.16	3.21	7.93	0.09	1.81	2.12	2.00
दिसम्बर, 01	2395.79	149.00	1610.10	1536.36	0.14	1.79	4.34	0.05	1.46	5.49	3.43
जनवरी, 02	2452.91	121.00	2274.49	1863.58	0.03	0.65	3.18	0.06	0.52	3.71	2.07
फरवरी, 02	1634.05	58.00	1611.67	13214.03	0.00	0.00	0.61	0.07	0.63	8.32	4.76
मार्च, 02	956.83	36.00	1050.66	772.92	0.00	0.00	0.20	0.02	0.93	24.75	3.75
अप्रैल, 02	945.17	5.43	1127.83	1400.07	0.00	0.00	0.14	0.0007	5.59	5.17	1.6
मई, 02	807.47	1.61	1305.56	1328.62	0.00	0.00	0.0034	0.005	1.7	7.32	2.44
जून, 02	601.85	0.8	1063.74	1272.77	0.00	0.00	उ.न.	0.00	2.4	5.73	1.63

स्टॉक एक्सचेंज	बड़ोदरा	भुवनेश्वर	कोयम्बटूर	एम.पी.	मगध	जयपुर	मंगलौर	एसकेएसई	कोचीन	गुवाहाटी
अप्रैल, 01	0.019	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00
मई, 01	0.199	0.00	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04	0.00
जून, 01	0.328	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	0.00
जुलाई, 01	0.559	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00
अगस्त, 01	0.579	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
सितम्बर, 01	0.413	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

स्टॉक एक्सचेंज	बड़ोदरा	भुवनेश्वर	कोयम्बटूर	एम.पी.	मगध	जयपुर	मंगलौर	एसकेएसई	कोचीन	गुवाहाटी
अक्तूबर, 01	0.691	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नवम्बर, 01	0.625	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिसम्बर, 01	1.011	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जनवरी, 02	1.660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
फरवरी, 02	2.205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मार्च, 02	1.833	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
अप्रैल, 02	1.78	0.00	0.00	0.00	0.304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मई, 02	उ.न.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जून, 02	उ.न.	0.00	0.00	0.00	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

सरकार पर वित्तीय संस्थाओं का बकाया ऋण

2900. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का कुल कितना ऋण है;

(ख) उक्त ऋणों पर भारत सरकार को प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ता है; और

(ग) सरकार ने विदेशी ऋण को कम करने के लिये क्या कदम उठाए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) दिनांक 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार पर विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थाओं की कुल बकाया ऋण की राशि इस प्रकार थी

(राशि करोड़ रुपयों में)

1. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)	93880.30
2. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)	28003.50
3. एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	13804.37
4. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)	1065.19
5. यूरोपीय आर्थिक समुदाय विशेष कार्रवाई ऋण (ईईसी–एसएसी)	178.93
6. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक)	82.46

(ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 के दौरान बकाया राशियों पर अदा की गई ब्याज की राशि के दातावार ब्यौरे तथा आगामी तीन वित्तीय वर्षों के लिये अनुमानित ब्याज का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार एक विवेकसम्मत विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का अनुसरण कर रही है जो बहुपक्षीय तथा द्वीपक्षीय स्रोतों से रियायती तथा कम खर्चीले ऋणों पर केंद्रित है, जिसमें कुल विदेशी ऋण की परिपक्वता संरचना को प्रबंध योग्य सीमाओं के तहत बनाए रखा जाता है, अल्पावधि ऋण को सीमित किया जाता है, अपेक्षाकृत महंगे विदेशी ऋण का पूर्व भुगतान किया जाता है तथा जिसमें पूंजी खाते और निर्यातों पर तथा चालू खाते पर अदृश्य प्राप्तियों में गैर ऋण प्रवाहों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

विवरण

ब्याज भुगतान

(करोड़ रु.)

दाता	वास्तविक	अनुमानित		
	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
आईबीआरडी	1312.84	1160.19	1158.71	1082.75
आईडीए	671.90	708.89	743.46	756.03
एडीबी	812.22	898.55	920.15	887.97
आईएफएडी	10.01	11.22	11.04	11.35
ईईसी (एसएसी)	1.07	1.03	1.01	1.00
ओपेक	2.35	2.18	1.26	1.02
जोड़	2810.39	2782.06	2835.63	2740.12

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी

2901. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अब तक केंद्र सरकार के कितने कर्मचारियों ने विकल्प चुना है:

(ख) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु वर्तमान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) अभी तक अधिशेष घोषित किए गए केवल चार स्थाई कर्मचारियों ने ही दिनांक 28.2.2002 को शुरू की गई विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को अपनाया है। चूंकि यह एक स्वैच्छिक स्कीम है, इसलिए इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।

(ग) से (ङ) संसदीय स्थाई समिति, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2002–03 के लिए अनुदान मांगों पर अपनी 87वीं रिपोर्ट में पाया है कि मौजूदा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पैकेज ने कर्मचारियों को बहुत अधिक आकर्षित नहीं किया है और इसलिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को और अधिक आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। समिति की टिप्पणियों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

एशियाई विकास बैंक से सहायता

2902. श्री सुरेश कुरुप : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों ने आर्थिक एवं आधारभूत सुधारों के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता प्राप्त की;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय सहायता मंजूर करने के संबंधी में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की शर्तें क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) गुजरात और मध्य प्रदेश।

(ख) गुजरात को 250 मिलियन अमरीकी डालर तथा मध्य प्रदेश को 175 मिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं।

(ग) **गुजरात**

गुजरात सरकार ने परियोजना संबंधी जिन शर्तों पर सहमति जताई है वे, राजकोषीय घाटे में कमी, निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु समर्थकारी माहौल, कर–सुधारों और राज्य के स्वामित्वाधीन उद्यमों के यौक्तिकीकरण, निर्निहितीकरण और पुनर्संरचना, विद्युत, पत्तन तथा सड़क क्षेत्र में सुधारों से संबंधित हैं।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना संबंधी जिन शर्तों पर सहमति जताई है वे, लोक वित्त संबंधी सुधारों, सरकारी उद्यमों में सुधार, कारपोरेट अभिशासन, निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु समर्थकारी माहौल, सामाजिक विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण से संबंधित हैं।

प्रोसेसरों को अनुचित वित्तीय लाभ के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

2903. श्री अरुण कुमार : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या II (अप्रत्यक्ष कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर) में प्रोसेसरों को करोड़ों रुपये के अनुचित लाभ दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रोसेसरों का ब्यौरा क्या है जिनका अनुचित रूप से पक्ष लिया गया है;

(ग) क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फरीदाबाद में किसी आयुक्त को पक्ष लेने एवं सरकार को हानि पहुंचाने के लिये आरोपित किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रोसेसरों का पक्ष लेने वाले एवं सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने वाले अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिन्गी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि. एवं महा. ले. प.) ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या II में यह पाया है कि स्वतंत्र टैक्सटाइल्स संसाधकों द्वारा उत्पादित संसाधित वस्त्रों पर उत्पादन क्षमता के आधार पर शुल्क लगाए जाने संबंधी स्कीम में कतिपय कमियां थीं। तथापि, मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है।

फरीदाबाद में किसी संसाधक का पक्ष लेते हुए सरकार को हानि पहुंचाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के किसी भी आयुक्त पर आरोप लगाए जाने संबंधी कोई मामला नहीं है।

व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र

2904. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के पास विकलांगों के लिए कुछ और व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

2905. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का प्रयोग आयात–निर्यात नीति के अंतर्गत अनुमेय वस्तुओं के आयात सहित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय यात्री अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद भारत आने पर विदेश में विदेशी मुद्रा में किए गए अपने व्यय को नियमित करा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नियमों एवं दिशा निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने विदेशी मुद्रा कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के प्रयोग के संबंध में परिपत्र जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किसी भी उद्देश्य के लिए इंटरनेट पर किया जा सकता है जिसके लिए भारत में किसी प्राधिकृत

विक्रेता से मुद्रा खरीदी जा सकती है अथवा आयात–निर्यात नीति के तहत स्वीकार्य किसी भी सामान का आयात किया जा सकता है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि रेजिडेंट जब विदेश में हो तो अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि करेंसी शब्द में अन्य बातों के साथ–साथ, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड एवं डेबिट कार्ड इत्यादि शामिल हैं और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियम, विनियमन तथा जारी किए गए निदेश आदि क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड, आदि पर लागू होते हैं। तदनुसार, भुगतान के विभिन्न तरीके होने के कारण क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आदि द्वारा भुगतान अधिनियम के तहत बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और जारी निर्देशों के अनुसार क्रेडिट कार्डों, एटीएम कार्डों, डेबिट कोर्डों आदि पर भी लागू होते हैं।

वस्त्रों के निर्यात की संभावनाएं

2906. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई के कारण भारत का वस्त्र निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से वस्त्रों के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी
1990–2000	10508.6	10.1%
2000–2001	12037.6	14.6%
2001–2002	10715.0	–11.0%

वर्ष 2001–02 के दौरान वस्त्रों के निर्यात में गिरावट, मुख्यतः 11 सितम्बर के आक्रमण के कारण प्रभावित अमरीका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारी सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था में सामान्यतः मंदी आने के कारण आई। इसके अतिरिक्त अन्य कारण, चीन, बांग्लादेश आदि जैसे हमारे पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्द्धा का बढ़ना भी है।

(घ) सरकार वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए समय–समय पर अनेक कदम उठाती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं :

1. सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले सिलाए परिधान क्षेत्र के बूवन क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है।

2. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) प्रचालित की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

3. टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई प्रसंस्करण और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्य हास की सुविधा प्रदान की गई है। राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत को भी घटाया गया है।

4. पिछड़े समूहों के एकीकरण की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2004 तक विकेंद्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

5. वस्त्र क्षेत्र में कुछ रियायतों के साथ स्वचल मार्ग के माध्यम से 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति दी है।

6. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्टा) इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केंद्र (एटीडीसी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

7. पारि–परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान करते हुए आयातक देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्त्र उद्योग (जिसमें निटवीयर और शालें शामिल हैं) को सक्षम तथा सुग्राही बनाना।

भारतीय रेशम के आयात-निर्यात संबंधी अध्ययन

2907. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयात–निर्यात बैंक ने भारतीय रेशम उद्योग का अध्ययन कराया है जिसमें कारपोरेट/विदेशी निवेशकों की भागीदारी के द्वारा व्यापक पैमाने पर रेशम (रेशम कीट पालन) के उत्पादन का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद ने आगामी पांच वर्षों में रेशम निर्यात में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। एक्जिम बैंक द्वारा अपनी अध्ययन रिपोर्ट में दी गई प्रमुख नीतियों और सिफारिशों को संक्षेप में नीचे दिया गया है :

बड़े वृहत पैमाने पर रेशम उत्पादन (उन्नत उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता) प्राप्त करने और रेशम सामानों तथा अपरिष्कृत रेशम के निर्यात में सुधार लाने के लिए, भारत को रेशम उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के वैज्ञानिक तरीकों पर अधिक बल देना होगा।

अधिक उपज देने वाली शहतूती किस्मों को लगाकर तथा अधिक उत्पादन करने वाली द्विफसलीय हाइब्रिड्स का पालन कर रेशम उत्पादन में कार्यक्षमता को प्राप्त किया जा सकता है।

रेशम कीट पालन, रिलिंग, सिल्क थ्रोइंग और रेशम विनिर्माण के रंगाई चरणों के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय सफलता को भी प्राप्त किया जाना है ताकि उच्चकोटि के रेशम के उत्पादन को प्राप्त किया जा सके।

बड़े पैमाने पर उत्पादन इस उद्योग में कॉरपोरेट और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देकर संभव होगा। भारत, भारतीय रेशम उद्योग को कॉरपोरेट बनाने के लिए चीन के मॉडल को अपना सकता है।

अनेक यूरोपीय देशों द्वारा पहचान किए गए पारि मानदंडों को अपनाकर वस्त्र की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकेगी।

उत्पाद विविधिकरण एक अन्य क्षेत्र है जिसके द्वारा उच्चतर निर्यात वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

विपणन के संबंध में, रेशम उत्पादों के संवर्धन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है। भारतीय रेशम के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को बेहतर कोटि के रेशम की आश्वस्तता देने हेतु बहुत महत्वपूर्ण है।

सिफारिशों को विधिवत् नोट कर लिया गया है। रेशम उत्पादन क्षेत्र की दसवीं योजना नीति और योजनाएं पहले ही सिफारिश किए गए तरीकों के अनुसार है।

(ग) और (घ) पिछले निष्पादन और 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संभावित वृद्धि के उनके मूल्यांकन के आधार पर अगले पांच वर्षों के लिए परिषद द्वारा प्रक्षेपण किया गया है।

(ङ) सरकार रेशम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि लाने के लिए अनेक कदम उठा रही है

1. सरकार विभिन्न निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, टेक्स–स्टाईल्स इंडिया जैसी स्वदेशी मेलों में व्यापक संवर्धन स्टॉल का आयोजन करना, विदेश व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार, 'सिल्क इंडिया' पत्रिका का प्रकाशन और स्वदेशी रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग पूर्वानुमान कार्ड, निर्यातकों में विदेश व्यापार सूचना का प्रसार आदि शुरू करने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुंबई को सहायता प्रदान कर रही है।

2. उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु, वस्त्र क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत चालू ब्याज दर से 5 प्रतिशत कम बिंदु पर ऋण, अन्य बातों के साथ–साथ रेशम क्षेत्र को उपलब्ध है।

3. अपरिष्कृत रेशम के आयात को ओजीएल के अंतर्गत लाकर उदार बनाया गया है जिससे अच्छी कोटि के रेशम की उपलब्धता बढ़ी है।

4. रिलिंग, बुनाई, टिवर्स्टिंग, प्रसंस्करण और मुद्रण के लिए अपेक्षित रेशम उद्योग की विशिष्ट मशीनरी मदों के इनपुट को 10 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क पर अनुमति दी गई है। ऐसी मशीनरी के अनुरक्षण हेतु स्पेयर पार्ट्स के आयात की भी 10 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क पर अनुमति दी जाती है।

5. मूल्य संवर्धन/इनपुट–आउटपुट मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया।

6. सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों और इसकी उत्पादकता व लागत प्रतिस्पर्धा को भारतीय रेशम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए द्विफसलीय रेशम की उच्च गुणवत्ता के उत्पादन कार्यक्रम शुरू किए हैं। रेशम विकास की प्रक्रिया की सभी प्रौद्योगिकीयों और करघों और डिजाइनों के सुधार के लिए इनपुट्स के साथ उत्पादों को इस प्रकार विविधिकृत करने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं ताकि वे देश के निर्यात अंश का विस्तार कर सकें।

खाद्य घोटाले

2908. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 2002 के 'द ट्रिब्यून' में 'नाऊ, मल्टी करोड़ राइस राइवर्सन स्कैम' शीर्षक से छपे समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त घोटाले की कोई जांच कराई गई है और दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दायर किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के तीन अधिकारियों की समिति ने सूचित किया है कि निर्यातकों को रिलीज किए जाने वाले स्टॉक से संबंधित कागजात उपयुक्त तौर पर बनाए गए थे। तथापि, पुलिस द्वारा एक मामला रजिस्टर किया गया और एक सहायक प्रबंधक को गिरफ्तार किया, जिसे निलंबित भी कर दिया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो को सुदृढ़ करना

2909. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो को सुदृढ़ करने एवं उसके आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अन्य किन कदमों को उठाने के विषय में विचार किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने सभी कार्यालयों को आधुनिक संचार पद्धतियों के उपयोग के जरिए जोड़ने, ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण करने तथा उपभोक्ताओं को ऑन लाइन सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई है।

(ग) विभिन्न उत्पादों के संबंध में भारतीय मानक प्रतिपादित करते समय, भारतीय मानक ब्यूरो यह सुनिश्चित करता है कि उनमें मानव सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं को

शामिल कर लिया जाए। जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में उत्पादों को भारतीय ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन स्कीम के तहत लाया गया है।

[हिन्दी]

कल्याणकारी योजनाओं के लिए विदेशी ऋण

2910. श्री राम सिंह कस्वां : क्या वित्त और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी ऋणों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) कितने राज्यों ने उक्त अवधि के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त निधियों को खर्च नहीं किया है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वित्त मंत्रालय को कल्याण योजनाओं के लिए प्राप्त ऋणों का उचित रूप से उपयोग न किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) भारत सरकार को प्राप्त विदेशी सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को जारी की जाती है। इसके अलावा, विदेशी सहायता मुख्यतया परियोजना से जुडी होती है और इसलिए किसी भी परियोजना के लिए मंजूर की गई सहायता का उपयोग परियोजना की कार्यान्वयन–अवधि के दौरान किया जाता है। परिणामस्वरूप किसी भी समय विशेष पर ऐसी अनप्रयुक्त राशि रहेगी ही जो मिल रही सहायता को प्रतिबिम्बित करती है तथा जो परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान इस्तेमाल की जाएगी।

जनजातियों के लिए गैर-सरकारी छात्रावास/विद्यालय

2911. श्री रामानन्द सिंह : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए स्थापित उन गैर–सरकारी जनजातिय बालिका विद्यालयों/आदिवासी आश्रमों/छात्रावासों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है;

(ख) क्या वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 के लिए मध्य प्रदेश के जनजातीय बालिका विद्यालयों/छात्रावासों/आश्रमों के लिए अनुदान के प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों के कब तक मंजूर किए जाने और अनुदानों के जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) मध्य प्रदेश में शैक्षिक परिसरों, आवासीय विद्यालयों/गैर आवासीय विद्यालयों और होस्टलों के लिए जिन गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान मंजूर किए गए उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी पहलुओं से पूर्ण, सहायता अनुदान के लिए वर्ष 2001–2002 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का या तो मंजूरी दे दी गई है या मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं। जिन मामलों में, वर्ष 2001–2002 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में कोई किस्म दस्तावेज की कमी थी, उनमें संगठनों/राज्य सरकारों को अपेक्षित सूचना देने का अनुरोध किया गया था। कुछ संगठनों/राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। वर्ष 2002–03 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों पर मंजूरी देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके विलम्ब के मुख्य कारण योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तावों का पूर्ण रूप से प्राप्त न होना तथा राज्य सरकारों द्वारा संगठनों की निरीक्षण रिपोर्टें भेजने में देरी करना है।

विवरण

शैक्षिक परियोजना की मंजूरी से प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों के नाम

संगठन का नाम	पता	परियोजना
1	2	3
आदर्श शिक्षा समिति	ग्राम–बकिया, रामपुर बगलन, जिला सतना, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर (सं. 2)
आदर्श शिक्षा समिति	ग्राम–हिंडोरिया, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के पास, जिला दामोह, म.प्र.	आवासीय स्कूल
आदिवासी विकास समिति	डा.–बाबालिया, तहसील निवास, जिला मंडला, म.प्र.–462004	गैर–आवासीय स्कूल
अन्नपूर्णा शिक्षा समिति	सेमरखपा (आचली) त. व जिला मंडला–448661, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
आराधना ग्रामीण सेवा समिति	सावित्री शिक्षा निकेतन, लाला राम बाजपेयी, पूर्व गृह मंत्री की बगिया, मतन मोहल्ला–निवारी, पो. निवारी, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर
आशादीप कल्याण समिति	प्रधान कार्यालय 86, विनोबा वार्ड, सिहोरा, जिला जबलपुर, पिन–483225 म.प्र.	शैक्षिक परिसर
	शाखा कार्यालय एफ 216 (न्यू एमपीईबी कालोनी, मंथार) पो. बीरसिंहपुर, नया जिला, उमरा, पुराना जिला–शहडोल, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय स्कूल
बंधेवाल शिक्षा समिति	92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल–462038, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय कूल शैक्षिक परिसर
भील सेवा संघ	ग्राम अंबा, ब्लॉक रामा, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर
चंबल विकास संस्थान	एचआईजी–877, हाऊसिंह बोर्ड कोलोनी, मोरेना–476001, मध्य प्रदेश	गैर–आवासीय स्कूल
चित्रांशी शिक्षा प्रसार समिति	15, न्यू गायत्री नगर, तानसेन रोड, ग्वालियर–474002 (मध्य प्रदेश) प्रधान कार्यालय–634, जीवाजी नगर थाटीपुर, ग्वालियर	गैर–आवासीय स्कूल
डॉ. अम्बेडकर सर्वोदय विकास परिषद	10, इकबाल कॉलोनी, अशोका गार्डन, भोपाल–462023, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
ग्राम चेतना सेवा समिति	दुकान नं. 43, टीआईटी कॉम्पलैक्स होटल राधिका पैलेस के सामने, मोरेना–476001, म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल
ग्रामीण सेवा केंद्र	ग्राम स्वराज्य आश्रम, मंडलीनाथु (वाया राणापुर) जिला–झाबुआ, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
हेल्पलाइन कंस्लटेंसी सोसायटी	ए–13 इंदिरा नगर, थाटीपुर, ग्वलियर, म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल

1	2	3
जगत शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति	श्री जे.पी. शर्मा का घर, कमलागंज, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर
कस्तूरबा बनवासी कन्या आश्रम	ग्राम निवाली, जिला बदुआनी, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
कस्तूरबा गांधी नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट	कस्तूरबा ग्राम, इंदौर–452020, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
लवली समाज सेवा एवं शिक्षा प्रसार समिति	के.एल. दुबे बिहारी वार्ड, खुराई ब्लॉक, जिला सागर, म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल
स्व. श्री जगनाथ शिक्षा प्रसार समिति एवं समाज कल्याण समिति	एम.पी.ई.बी. कालोनी, मालथोना, जिला सागर, म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल
एम.पी. आदिवासी सेवक संघ	डा.–जयसिंह नगर, जिला शहडोल, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
एम.पी. अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ	166–ई, मुनीनगर, उज्जैन, म.प्र.	आवासीय स्कूल
मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ	माथुर भवन, मुन्नु के पीछे, अमाहिया, रेवा, जिलाः शहडोल–486001, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
महाकौशल महिला शिक्षा समिति	म.नं. 3236, तुलसीनगर, स्व. बाबरील स्कूल, रणजी बस्ती, जबलपुर–482005, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर
पांडे शिक्षा समिति	बामरचे, डा. देवदाह, जिला सतना, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
परनामी आदिवासी शिक्षा समिति	डा. सिरसी जागीर जिला गुना, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
प्रमोद आदिवासी विकास परिषद	म.नं. 1299, चंद्रशेखर वार्ड, रणजी बस्ती, जबलपुर–482005, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
प्रसाद एकता समिति	अर्जुन नगर, गांव, सिलवानी, रायसेन, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर
पं. प्यारेलाल शिक्षा समिति	पुलिस चौकी के नजदीक, लल्ला रावत, सदर बाजार, सागर, म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल
पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसायटी	79, महामाई बाग, पुष्पा नगर, चौवराहा, भोपाल–462010, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
राजेन्द्रा आश्रम ट्रस्ट	डा.–काठियावाड़, जिला झाबुआ–457885, म.प्र.	शैक्षिक परिसर

1	2	3
रामा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी	92, पुराना नारियल खेड़ा, भोपाल म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल
रिचा समाज सेवा एवं शिक्षा प्रसार समिति	जीनियस पब्लिक स्कूल, कृष्णा विहार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर गैर–आवासीय स्कूल
रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी	पुष्पा सोशल सेंटर, सिलवानी डा., पिन–464886, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	शैक्षिक परिसर
सैद्धांतिक शिक्षा समिति	म.नं. 11, मानेगांव, चंपानगर डा.–वेस्टलैंड, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर–482005, म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल
सव्या सांची सेंटर आफ अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट	अमर निकंज, कारोंडिया नार्थ, सिद्धी एम.पी.–486661	शैक्षिक परिसर
सेवा भारती म.प्र.	'मातृच्छाया' स्वामी रामतीर्थ नगर, नजदीक मैदा मिल, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462001, म.प्र.	छात्रावास (सं. 3)
श्री लाल बहादुर शिक्षा प्रसार समिति	यादव कालोनी, तहसील सागर, म.प्र.	गैर–आवासीय स्कूल
शक्ति स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, ग्वालियर	म.नं. 37, पंचवटी कालोनी, ए.बी. रोड, ग्वालियर, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
शिवम सोशल डेवलपमेंट सोसायटी	श्री ओमप्रकाश शिवहरे का घर, जिला न्यायाधीश के आवास के पीछे, गणेशपुरा, मुरेना–476001, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
श्री लव शिक्षा प्रसार समिति	गांव सीरनु, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, म.प्र.	शैक्षिक परिसर
श्री रामकृष्णा विवेकानंद सेवाश्रम	माई की बगिया, अमरकंटक, शहडोल, म.प्र. 484886	शैक्षिक परिसर

[अनुवाद]

वैश्वीकरण का प्रभाव

2912. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्वीकरण का औद्योगिक एवं कृषि के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो **तत्संबधी ब्यौरा** क्या है और इस प्रभाव को रोकने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंत गंगाराम गीते) : (क) निम्नलिखित सारणी वर्ष **1980–81** से लेकर **1991–92** और **1992–93** से **2001–02** तक की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (उपादान लागत पर) की क्षेत्रक–वार औसत वास्तविक वृद्धि दरों को दर्शाती है :

1993–94 के मूल्यों पर क्षेत्रक–वार औसत वास्तविक वृद्धि दरें

(प्रतिशत में)

क्षेत्रक	1980–81 से 1991–92	1992–93 से 2001–02
1. कृषि और संबद्ध	3.9	3.4
2. उद्योग	6.3	6.0
3. सेवा	6.4	7.7

जैसाकि उपरोक्त सारणी से पता चलता है 1992–93 से लेकर 2001–02 के दौरान की आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों तथा उद्योग की औसत वृद्धि दरों में मामूली गिरावट आई है। तथापि सुधार–पश्च अवधि के दौरान सेवा क्षेत्रक का विकास काफी ऊंची दर से हुआ है। कृषि के विकास में गिरावट, विशेषकर 1990 के दशक के अंत में, अनियमित मानसून के कारण हुई। 1990 के दशक के अंत में उद्योग के सापेक्षिक रूप से कमजोर निष्पादन के कारण समग्र औद्योगिक विकास में भी गिरावट हुई। इसका मुख्य कारण अनेक संरचनात्मक और चक्रीय कारक थे, जैसे कि सामान्य कारोबारी और निवेश चक्र, घरेलू और विदेशी मांग की कमी, ऊंची वास्तविक ब्याज दरें, आधारढांचा संबंधी अड़चनें आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई बाह्य आघातों (जैसे कि 1997–98 का पूर्वी एशियाई संकट, 2000–01 में तेल के मूल्य में वृद्धि और हाल ही की भूमंडलीय आर्थिक मंदी) और घरेलू बाधाओं (जैसे कि प्रतिकूल सुरक्षा परिवेश और उडीसा में चक्रवात तथा गुजरात में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं) का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) सरकार ने कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये इस प्रकार हैं–कृषि में सरकार परिव्यय की वृद्धि, व्यापार उद्योग, आधारढांचा और वित्तीय क्षेत्रकों में नीतियों का उदारीकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की कर सीमाओं का यौक्तिकीकरण, ब्याज दरों को कम करना तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य पूरक वृहत आर्थिक नीतियां।

भारतीय खाद्य निगम के केरल स्थित गोदामों में कदाचार

2913. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय खाद्य निगम के केरल स्थित गोदामों में कदाचार जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में जांच कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) केरल के भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में कदाचार की कोई सूचना नहीं है। तथापि, केरल राज्य सरकार से हाल में एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें केरल में खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

उड़ीसा के विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2914. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उडीसा में विभिन्न श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है और केंद्र सरकार ने उसके पुनर्वास के लिए क्या–क्या योजनाएं चलाई हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1998 से उडीसा सरकार को योजना वार और धनराशि वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले एवं पुनर्वासित किए जाने वाले विकलांग व्यक्तियों की वर्ष वार संख्या क्या है;

(घ) क्या उडीसा सरकार पर्याप्त संख्या में विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए मंजूर की गई धनराशि का पूर्ण उपयोग करने में असफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा 1993–1995 में कराए गए एक सर्वेक्षण में 62924 अस्थि विकलांग, 47473 दृष्टि विकलांग, 36305 श्रवण विकलांग तथा 11501 मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की पहचान की गई थी। उड़ीसा राज्य में भारत सरकार राष्ट्रीय संस्थाओं, क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों तथा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र तथा प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाओं के क्षेत्र में जनशक्ति विकास संबंधी अनेक कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और मेरूदंड क्षतिग्रस्त तथा अस्थि विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने संबंधी योजना तथा सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत गैर सरकारी–संगठनों को सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम भी स्वरोजगार उद्यमों के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराता है।

(ख) से (घ) वर्ष 1998–99 से 2001–2002 के दौरान विकलांगों के रोजगार संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को निर्मुक्त सहायतानुदान 1.61 लाख रुपये था। 1998–2001 के दौरान 109 विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां प्राप्त हुईं। 1999–2000 के अंत में विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम को एक राज्य क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया है और अब तक 379.40 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है। निधियों के उपयोग में कुछ समय लग सकता है क्योंकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनेक उपाय शामिल हैं तथा पुनर्वास एक बहुआयामी कार्यकलाप है।

(ङ) कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा निधियों आदि के उपयोग को मॉनीटर करने के लिए राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य में विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त के रूप में एक तंत्र पहले ही विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय इस संबंध में प्रगति को मॉनीटर भी करता है ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

चीनी विकास कोष

2915. **श्री सुनील खां** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी विकास कोष उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है जिसके लिए इसका गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) आज की तारीख में चीनी विकास कोष में कितनी धनराशि संचयी शेष है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में चीनी विकास कोष से अल्पकालिक ऋणों सहित जारी किए गए ऋणों का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि चीनी विकास निधि अधिनियम ने प्लांट और मशीनरी के आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना विकास की परियोजनाओं के वित्त पोषण के तंत्र के माध्यम से मुख्यतः चीनी उद्योग के विकास की गतिविधियों को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा कर दिया है, तथापि, चीनी उद्योग के विकास के लिए चीनी विकास निधि से वित्त पोषण के नए क्षेत्र उभर रहे हैं। तदनुसार, 21 जून, 2002 से चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन किया गया है ताकि निधि से निम्नलिखित के लिए वित्त प्रदान किया जा सके :

(i) खोई आधारित विद्युत–सह–परियोजनाओं के लिए किसी चीनी फैक्ट्री अथवा उसकी किसी यूनिट को ऋण देने हेतु ताकि उनकी व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

(ii) एल्कोहल से एन्हाइड्रस एल्कोहल अथवा इथानोल के उत्पादन के लिए किसी चीनी

फैक्ट्री अथवा उसकी किसी यूनिट को ऋण देने हेतु ताकि उनकी व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

(iii) चीनी की निर्यात खेपों पर आंतरिक दुलाई और भाड़ा प्रभारों पर होने वाले खर्च की अदायगी करने के लिए ताकि इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार निधि में 1345.44 करोड़ रुपये उपलब्ध थे।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक चीनी विकास निधि से विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋण के शीर्षवार, वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य	आधुनिकीकरण/ पुनर्स्थापन वितरित राशि	गन्ना विकास वितरित राशि	लघु अवधि ऋण वितरित राशि
1	2	3	4
1999-2000			
बिहार	5546.79	–	–
उत्तर प्रदेश	5124.428	96.975	513.60
महाराष्ट्र	952.93	463.59	307.22
कर्नाटक	2194.43	214.19	–
गुजरात	1522.00	–	–
आंध्र प्रदेश	662.950	60.345	141.17
हरियाणा	–	85.81	49.50
तमिलनाडु	–	238.89	265.00
पंजाब	–	89.78	–
मध्य प्रदेश	–	59.38	–
2000-2001			
आंध्र प्रदेश	687.95	192.534	–
कर्नाटक	394.43	111.32	–
महाराष्ट्र	2128.898	101.79	–
उत्तर प्रदेश	2331.009	94.24	–
बिहार	1337.00	–	–
तमिलनाडु	494.40	–	49.95
हरियाणा	355.61	–	50.00
पंजाब	–	172.26	–
2001-2002			
महाराष्ट्र	5836.482	400.595	–
उत्तर प्रदेश	2069.967	158.755	–
आंध्र प्रदेश	498.71	–	–
बिहार	969.09	–	–
तमिलनाडु	1269.79	135.37	–
गुजरात	831.264	–	–
कर्नाटक	470.00	–	–
हरियाणा	355.61	57.51	–
2002-2003			
आंध्र प्रदेश	1492.31	–	–
महाराष्ट्र	1346.254	256.50	–
तमिलनाडु	775.39	–	–
उत्तर प्रदेश	485.624	–	–

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की कीमतें

2916. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में चावल निर्यात के क्षेत्र में भारत का कौन–सा स्थान है;

(ख) सरकार द्वारा अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 प्रतिशत भारतीय चावल का व्यापार थाइलैंड के चावल की तुलना में काफी सस्ती दर पर किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अन्य देशों से चावल के निर्यात मूल्यों में हुई तीव्र बढ़ोत्तरी के विपरीत भारतीय चावल का 25 प्रतिशत व्यापार गत वर्ष के मूल्य के आधे मूल्य पर किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) वर्ष 2001–2002 के दौरान भारत ने 1.53 मिलियन एमटी गैर–बासमती और 0.66 मिलियन एमटी बासमती चावल का निर्यात किया था। इस प्रकार भारत का विश्व निर्यातों में थाइलैंड (6.5 मिलियन एमटी), वियतनाम (3.5 मिलियन एमटी) और यूएसए (2.6 मिलियन एमटी) के बाद चौथा स्थान रहा।

(**स्रोत** : कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली)

(ख) चावल का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछेक कदमों में प्रचार अभियान, विदेशों में शिष्टमंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी, संभाव्य क्रेताओं को आमंत्रित करना और गुणवत्ता में सुधार करने, पैकेजिंग करने, उत्पादों के ब्रांड का संवर्धन करने, बाजार सर्वेक्षण करने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और विपणन और परिवहन के कारण आई लागत की डब्ल्यूटीओ के कुछ स्वीकार्य नियमों के तहत प्रतिपूर्ति करना।

(ग) से (च) उन सही तुलनात्मक दरों का उल्लेख करना संभव नहीं है जिन पर भारतीय और अन्य देशों के चावल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार किया जा रहा है। क्योंकि इस कार्य में विभिन्न घटक शामिल हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मांग और पूर्ति की स्थिति, घरेलू मांग और पूर्ति की स्थिति, घरेलू कीमतें, उपभोक्ता की पसंद और व्यापार किए गए माल की किस्में।

जूट खरीद नीति

2917. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जूट खरीद नीति में कोई परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास जूट उत्पादकों को लाभ पहुंचाने हेतु जूट खरीद की वर्तमान नीति पर नए सिरे से विचार करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार की वर्तमान न्यूनतम समर्थन नीति का उद्देश्य पटसन उत्पादकों को लाभ पहुंचाना है। भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति को क्रियान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण है। जब कभी कच्चे पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे चली जाती हैं, तब जेसीआई पटसन उत्पादक राज्यों में अपने क्रय केंद्रों जिनकी संख्या 171 है, द्वारा तथा सहकारी समितियों द्वारा बाजार में प्रवेश करती है। इस समय, चालू अधिप्राप्ति नीति को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

2918. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात करने वाली पंजीकृत इकाइयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जा रही छूटों एवं सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अद्यतन ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद से पंजीकृत कालीन सहित हस्तशिल्प मदों का निर्यात करने वाली पंजीकृत इकाइयों की संख्या क्रमशः 6692 और 2458 हैं।

(ख) हस्तशिल्प मदों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जा रही छूट एवं सुविधाएं इस प्रकार है : निर्यात पर शुल्क वापसी; वरचुअल प्रदर्शनी के लिए वेबसाइट को विकसित करने हेतु मार्किट ऐक्सेस इनिशियेटिव स्कीम से निधियों की पात्रता; पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5.00 करोड़ रुपये के औसत निर्यात निष्पादन प्राप्त करने पर निर्यात गृह स्तर के लाभ की पात्रता; निर्यात के एफ.ओ.बी. मूल्य के 3 प्रतिशत तक शुल्क मुक्त आयात की पात्रता और निर्यातकों के लिए विदेशों में मेलों/प्रदर्शनी में भागीदारी के साथ-साथ अनुसंधान करने के लिए एम डी ए स्कीम के अंतर्गत सहायता। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद एवं कालीन निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली में वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला व कालीन मेला आयोजित कराने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। विदेशों में मेले/त्यौहारों में भाग लेने, सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करने एवं आंतरिक व बाहरी प्रचार के लिए भी दोनों परिषदों को सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कालीन व्यापारियों को प्रोत्साहन

2919. श्री रामरती बिन्द : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भदोही-मिर्जापुर (उ.प्र.) के कालीन व्यापारियों को प्रोत्साहन देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कालीन के व्यापारियों को पुनः प्रोत्साहन धनराशि देना शुरू करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने व्यापारियों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राज्यों को ऋण

2920. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को राज्यवार, कितनी धनराशि प्रदान कराई गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा प्रशासनिक कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से अपना प्रशासनिक व्यय घटाने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुपक्षीय सहायता के राज्यवार भुगतान को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा प्रशासनिक कार्यों पर खर्च की गई धनराशि संबंधित वर्ष के लिए राज्यों के बजट में किए गए प्रावधानों द्वारा निर्देशित होती है।

(ग) और (घ) रोकड़ असंतुलन समस्याओं से निजात पाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकारों से दूरदर्शी राजकोषीय प्रबंधन के लिए यथोचित उपाय शुरू किए जाने तथा उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही व्यय संपीडन को अभिनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी गठित की है। समिति को अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2002 तक प्रस्तुत करनी है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरित बहुपक्षीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1025.83	1176.07	2402.07
2.	असम	44.70	109.45	123.86
3.	बिहार	89.06	58.24	0.60
4.	गुजरात	215.80	870.86	420.03
5.	हरियाणा	212.61	292.01	304.49
6.	हिमाचल प्रदेश	4.79	11.88	10.97
7.	कर्नाटक	204.57	99.38	1364.90
8.	केरल	25.24	39.75	29.01
9.	मणिपुर	0.30	0.28	0.00
10.	महाराष्ट्र	119.63	169.09	154.63
11.	मध्य प्रदेश	521.81	33.73	387.96
12.	उड़ीसा	365.00	381.89	245.18
13.	पंजाब	1.09	0.37	0.45
14.	राजस्थान	38.23	131.89	91.90
15.	तमिलनाडु	406.45	488.34	202.50
16.	उत्तर प्रदेश	292.88	1513.21	588.07
17.	उत्तरांचल	0.00	22.22	19.21
18	पश्चिम बंगाल	0.00	2.67	1.21

[अनुवाद]

रेशम कीट पालन का संवर्धन

2921. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केंद्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल में रेशम कीट पालन के संवर्द्धन हेतु जिलावार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार राज्य रेशम कीट पालन बोर्डों के कार्य–निष्पादन का सत्यापन करा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) रेशम उत्पादन के विकास के लिए निधियां राज्यों को दी जाती हैं, न कि जिलों को। केंद्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में रेशम उत्पादन के संवर्द्धन के लिए दी गई राशि निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	राशि
1999–2000	72.32
2000–2001	94.46
2001–2002	94.92

(ख) और (ग) भारत सरकार केंद्रीय रेशम बोर्ड के कार्य निष्पादन पर नजर रखती है और इसके माध्यम से केंद्रीय रूप से सहायता प्रदान की गई रेशम उत्पादन योजनाओं का कार्यान्वयन, कार्य–निष्पादन तथा उन्हें प्रभावी बनाती है।

शिष्टमंडल का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा

2922. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक उच्च अधिकार प्राप्त भारतीय शिष्टमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन में निवेश को आकर्षित करने हेतु हाल ही में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिष्टमंडल को मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस दौरे का क्या निष्कर्ष निकला तथा कितने संभावित निवेश समझौते किए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (ग) देश में अच्छे निवेश के माहौल के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जैव–प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की क्षमता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग तथा फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "डेस्टिनेशन इंडिया" कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय सरकारी तथा व्यापारिक शिष्टमंडल ने जून, 2002 में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय तथा स्विट्जरलैंड के व्यापारियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भी बातचीत हुई थी। ऐसे कार्यक्रम विदेशी निवेशक समुदाय को नीतिगत परिवर्तनों के बारे में सूचना देकर और इस देश में निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों के खुलने के अवसरों को बता कर काफी लाभप्रद सिद्ध होते हैं जो भारत में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवश्यक मुद्दे होते हैं।

लेवी चीनी मूल्य समानता कोष

2923. श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997–98 के बाद लेवी चीनी मूल्य समानता कोष (एल.एस.पी.ई.एफ.) के तहत लेवी चीनी के लिए थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं का कमीशन तय नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लेवी चीनी के लिए कमीशन निर्धारण संबंधी निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लेवी चीनी का वितरण करने के लिए थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन निर्धारित करती है। जो मार्जिन एक बार निर्धारित कर दिया जाता है वह तब तक लागू रहता है जब तक इसे संशोधित नहीं कर दिया जाता। मार्जिन निर्धारित करने के दिशा–निर्देशों को 1.4.1996 से संशोधित किया गया था और तब से निम्नलिखित राज्यों के मामले में उनके सामने दी गई अवधि के लिए मार्जिन संशोधित किया गया है :

आंध्र प्रदेश	1999–2000
बिहार	फरवरी–मार्च, 2000
दिल्ली	1996–97
गुजरात	1996–97
गोवा	1996–97 (केवल थोक विक्रेता)
हरियाणा	1999–2000
हिमाचल प्रदेश	1997–98
कर्नाटक	1996–97 (ढुलाई प्रभारों को छोड़कर)
केरल	1996–97 (थोक विक्रेताओं के संबंध में)
उड़ीसा	फरवरी–मार्च, 2000
पंजाब	1997–98
राजस्थान	1998–99
त्रिपुरा	1997–98
उत्तर प्रदेश	1996–97 (ढुलाई और हैंडलिंग प्रभारों को छोड़कर)
पश्चिम बंगाल	दिसम्बर, 1999 से मार्च, 2000

मार्जिन में संशोधन करने के लिए हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा की राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। प्रस्तावों की जांच करने पर राज्य सरकारों से कुछ स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे गए थे। इस संबंध में अब तक केवल एक राज्य अर्थात त्रिपुरा ने आवश्यक कार्रवाई की है। अन्य राज्य सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। त्रिपुरा के संबंध में मार्जिन निर्धारित करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

शेष राज्य सरकारों में से किसी से भी मार्जिन संशोधित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत और म्यांमार के बीच व्यापार में अड़चनें

2924. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच व्यापार–संवर्द्धन में आ रही अड़चनों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच इन अड़चनों को दूर करने तथा व्यापार संवर्द्धन के लिए कोई वार्ता हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां। सरकार को भारतीय कंपनियों सहित विदेशी व्यापार कंपनियों के लिए व्यापार लाइसेंसों का इस समय नवीकरण न करने, 1997 से सभी सीमा व्यापार स्थलों के जरिए म्यांमार प्राधिकरणों की प्रतिबंधित वस्तु–विनिमय व्यापार नीति, दूसरे सीमा व्यापार स्थल को खोलने तथा भारत और म्यांमार के बीच व्यापार को बढ़ाने से संबंधित बुनियादी संरचना और सुरक्षा वातावरण संबंधी बाधाओं से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी है।

(ख) और (ग) दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार के संवर्द्धन से संबंधित उपर्युक्त समस्याओं में से कुछ अर्थात मोरेह और तामू में बुनियादी संरचना सुविधाएं, म्यांमार सरकार द्वारा व्यापार और उनके वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध और दूसरे सीमा व्यापार स्थल के रूप में चम्पई–रिह को तुरंत खोलने की आवश्यकता इत्यादि पर नई दिल्ली में 10–11 जुलाई, 2002 को हुई दोनों देशों के गृह मंत्रालयों के बीच हुई राष्ट्रीय स्तर की आठवीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया था ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाया जा सके।

कपास और रेशम पर आयात शुल्क

2925. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से घरेलू कपास रेशम उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कपास और चीनी रेशमी धागे पर आयात शुल्क में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) से (ग) केंद्रीय सरकार को कपास के आयात के शुल्क को बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। सभी संबंधित पक्षों के हितों को तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच के वर्तमान अंतर को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिनांक 9.1.2002 से कपास के आयात पर सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सरकारों ने अपरिष्कृत रेशम के आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी करने तथा अन्य कार्रवाईयों के संबंध में अनुरोध किया। पाटनरोधी अन्वेषण की कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी से संबंधित मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्वचालित गणक मशीनें (ए.टी.एम.)

2926. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निकट भविष्य में और स्वचालित गणक मशीनें (एटीएम) स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में लगाई गई स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) का बैंक वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधारभूत आंकड़ों (डाटाबेस) से जिला वार सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाई जाने वाली प्रस्तावित स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में लगाई गई स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	एटीएम की संख्या
1.	इलाहाबाद बैंक	12
2.	आंध्रा बैंक	4
3.	बैंक आफ बड़ौदा	1
4.	बैंक आफ इंडिया	0
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1
6.	केनरा बैंक	1
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2
8.	कार्पोरेशन बैंक	4
9.	देना बैंक	1
10.	इंडियन बैंक	1
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	5
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	1
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0
14.	पंजाब नेशनल बैंक	39
15.	सिंडिकेट बैंक	0
16.	यूको बैंक	0
17.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	0
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	0
19.	विजया बैंक	0

विवरण-II

राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रस्तावित स्वचालित गणक मशीनों (एटीएम) की संख्या—राज्यवार और बैंकवार

राज्य	इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक आफ बड़ौदा	बैंक आफ इंडिया	बैंक आफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	कारपोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब नेशनल बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूको बैंक	यूनियन बैंक आफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	विजया बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	25 एटीएम लगाने का प्रस्ताव है। स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	1	4	0	9	1	5	0	14		3	2	0	0	3	0	1	3	1	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	2	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	2	1	0	8	1	4	3	20		2	7	3	0	14	0	1	2	1	1
गोवा	0	0	0	3	0	2	0	7		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	0	0	0	10	1	0	0	10		4	1	0	0	7	0	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	1	0	0	4		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
झारखंड	0	0	0	2	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कर्नाटक	1	0	0	9	1	10	2	30		0	0	0	0	6	0	1	2	0	7
केरल	0	0	0	2	1	5	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	2	0	0	2	1	0	0	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	4	0	0	15	7	5	2	24	25 एटीएम लगाने का प्रस्ताव है। स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	3	4	6	0	10	0	0	9	1	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
पंजाब	0	0	0	2	0	0	0	3		2	1	1	1	9	0	0	1	0	0
राजस्थान	1	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	11	0	0	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	1	0	9	1	10	1	17		15	8	0	0	6	0	1	6	1	1
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तरांचल	1	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	9	0	0	3	0	0	2	3		0	2	1	0	34	0	1	0	0	1
पश्चिम बंगाल	4	0	0	4	0	0	0	7		2	1	0	0	6	0	1	2	1	0

[अनुवाद]

अलसी तेल का आयात

2927. श्री अनंत नायक : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन देशों से सूर्यमुखी और अलसी तेल का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार के पास सूर्यमुखी और रिफाइंड अलसी तेल का रियायती शुल्क पर आयात करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में वर्ष 2002–2003 के लिए कितना आयात लक्ष्य निर्धारित किया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (घ) खाद्य तेलों (कोपरा/नारियल तेल के अलावा) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है। सरकार खाद्य तेलों के आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। ऐसे आयात देश में खाद्य तेलों की मांग, आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मूल्यों और आयातकों के वाणिज्यिक विवेक पर आधारित होते हैं।

चालू तेल वर्ष (नवम्बर–अक्तूबर) के दौरान जून, 2002 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, अपरिष्कृत सूरजमुखी तेल का आयात अर्जेंटीना से किया गया है जबकि कैनोला/रेपसीड तेल का आयात कनाडा से किया गया है।

2002–2003 में 50 प्रतिशत के छूट–प्राप्त सीमा शुल्क पर (75 प्रतिशत के सामान्य शुल्क की तुलना में) कुल 1.50 लाख टन (प्रशुल्क दर कोटा) तक अपरिष्कृत सूरजमुखी/कुसुम तेल आयात करने का प्रावधान है। इसी प्रकार, 45 प्रतिशत की छूट प्राप्त सीमा शुल्क जमा 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क पर (75 प्रतिशत के सामान्य शुल्क जमा 4 प्रतिशत के विशेष अतिरिक्त शुल्क की तुलना में) 2002–2003 में कुल 1.50 लाख टन तक (प्रशुल्क दर कोटा) परिष्कृत रेपसीड, कोलजा या सरसों के तेल का भी आयात करने का प्रावधान है।

रैनबैक्सी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की जांच

2928. डा. बलिराम : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अगस्त, 2001 के "इकॉनोमिक टाइम्स" में "ई.डी.कॉल्स फॉर बुक्स इन रैनबैक्सी यू.के. केस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच पूरी कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आवासीय स्कूल

2929. श्री राजैया मल्याला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के लाभ के लिए आवासीय स्कूल खोलने/स्थापित करने के लिए प्रति बच्चा सहायता की मात्रा, शिक्षकों के वेतन और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और स्कूलों, छात्रावास और स्कूल के लिए स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के मामले में गैर सरकारी संगठनों को कितनी सहायता जारी की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों के उद्यमियों को भा.औ.वि.बैं. (आई.डी.बी.आई.) की सहायता

2930. श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उद्यमियों से राज्य वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से स्वीकृत तथा अस्वीकृत आवेदनों की राज्य वार संख्या क्या है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या, स्वीकृत एवं अस्वीकृत आवेदनों की संख्या और दी गई वित्तीय सहायता राशि का राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

विवरण-I

आई.डी.बी.आई. द्वारा प्राप्त राज्य वार आवेदन

राज्य	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	125	124	91
असम	8	6	7
बिहार	8	4	8
छत्तीसगढ़	11	8	2
गोवा	5	11	6
गुजरात	158	103	45
हरियाणा	47	41	21
हिमाचल प्रदेश	20	7	4
जम्मू और कश्मीर	2	6	1
झारखंड	6	3	4
कर्नाटक	75	70	45
केरल	14	17	8
मध्य प्रदेश	36	40	26
महाराष्ट्र	311	369	263
मेघालय	1	2	0
उड़ीसा	24	14	10
पंजाब	64	43	20
राजस्थान	81	63	32
तमिलनाडु	124	113	93
चंडीगढ़	4	2	2
दादरा एवं नगर हवेली	10	7	7
दिल्ली	34	46	23
दमन एवं दीव	7	3	3
पांडिचेरी	5	2	0
उत्तर प्रदेश	63	70	30
उत्तरांचल	10	4	3
पश्चिम बंगाल	83	53	40

विवरण-II

वर्ष 1999–00, 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान प्राप्त आवेदनों में से वर्ष 1999–00 से 2001–02 के दौरान आईडीबीआई द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत राज्य वार आवेदन

राज्य	स्वीकृत	अस्वीकृत
1	2	3
आंध्र प्रदेश	222	116
असम	19	2
बिहार	12	8
छत्तीसगढ़	8	11
गोवा	14	8
गुजरात	194	106
हरियाणा	75	34
हिमाचल प्रदेश	18	12
जम्मू और कश्मीर	5	4
झारखंड	9	4
कर्नाटक	112	74
केरल	28	9
मध्य प्रदेश	62	40

1	2	3
महाराष्ट्र	682	254
मेघालय	3	0
उड़ीसा	32	15
पंजाब	93	34
राजस्थान	136	39
तमिलनाडु	217	106
चंडीगढ़	5	3
दादरा एवं नगर हवेली	15	9
दिल्ली	77	26
दमन एवं दीव	8	5
पांडिचेरी	6	1
उत्तर प्रदेश	100	57
उत्तरांचल	14	3
पश्चिम बंगाल	119	51

विवरण-III

आई डी बी आई द्वारा संस्वीकृत एवं संवितरित राज्य वार सहायता

(करोड रु.)

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत			संवितरित		
		1999–00	2000–01	2001–02	1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3450	2719	1874	1698	1476	701
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	43	25	111	30	33	34
4.	बिहार	127	7	17	110	28	6
5.	छत्तीसग	208	103	8	5	26	11
6.	दिल्ली	1923	4406	2834	1331	2688	1170
7.	गोवा	14	81	10	103	64	21
8.	गुजरात	4154	3142	1131	2464	816	902
9.	हरियाणा	557	790	272	388	612	240
10.	हिमाचल प्रदेश	333	69	17	327	74	87
11.	जम्मू और कश्मीर	41	55	300	42	59	0

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	झारखंड	114	13	3	208	34	6
13.	कर्नाटक	1060	1107	877	956	1549	552
14	केरल	178	205	216	118	173	105
15	मध्य प्रदेश	924	233	275	660	357	312
16	महाराष्ट्र	4261	5383	4946	3665	4216	4277
17	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
18	मेघालय	0	17	0	0	0	10
19	मिजोरम	0	0	0	0	1	0
20	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
21	उड़ीसा	106	222	176	204	205	49
22	पंजाब	1039	733	528	561	801	608
23	राजस्थान	778	755	499	681	637	295
24	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
25	तमिलनाडु	1542	2308	586	1241	1204	556
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	756	821	514	781	614	211
28	उत्तरांचल	62	45	25	43	49	32
29	पश्चिम बंगाल	903	1319	252	628	860	370
30	संघ राज्य क्षेत्र	167	120	46	96	128	56
	(i) अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0	0	0	0
	(ii) चंडीगढ़	38	50	17	26	59	5
	(iii) दादरा और नागर हवेली	68	18	29	35	31	31
	(iv) दमण और दीव	56	28	0	18	30	9
	(v) लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
	(vi) पांडिचेरी	5	24	0	17	8	11

[अनुवाद]

बकाया कर

2931. श्री दिन्शा पटेल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से औद्योगिक/वाणिज्यिक इकाइयों/व्यक्तियों के पास 25 करोड़ रुपये से अधिक के कितने आयकर, सम्पदा कर तथा अन्य वाणिज्यिक कर बकाया पड़े हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की वसूली हुई है; और

(ग) उनसे शेष बकाया राशि न वसूले जाने के क्या कारण हैं?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) सूचना एकत्र की जाएगी तथा प्रस्तुत कर दी जाएगी। सम्पदा कर तथा वाणिज्यिक कर राज्य के विषय हैं। केंद्रीय सरकार राज्य करों की बकाया राशियों के संबंध में सूचना नहीं रखती है।

(ख) (क) के उत्तर के अनुरूप।

(ग) कर की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अपील सहित विभिन्न सांविधिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जब तक अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, मांग की सम्पूर्ण राशि की वसूली नहीं हो सकती।

मोदी जेराक्स पर आयकर का छापा

2932. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राम मोहन गाड्डे :
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री अम्बरीश :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राधिकारियों और अन्य एजेंसियों द्वारा हाल ही में मोदी जेराक्स के विभिन्न परिसरों पर छापा मारा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छापों के दौरान पकड़ी गई/जब्त की गई मदों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे गए हैं।

(ख) कुछ अभिशंसी दस्तावेज और परिसम्पत्तियां जब्त की गई थीं।

(ग) 109.5 लाख रु. की नकदी, 10.75 लाख रु. के आभूषण, 34.44 लाख रु. के शेयर और 38.01 लाख रुपये के एफ डी आर जब्त किए गए हैं।

'निरतार' में निदेशक

2933. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले के ओलतपुर में 'निरतार' में किसी पूर्णकालिक निदेशक की स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बात के मद्देनजर विभिन्न सामाजिक कल्याण परियोजनाओं का कार्यान्वयन और चल रही परियोजनाओं की जांच रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उड़ीसा के 'निरतार' में एक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (निरतार) संस्थान के अधिदेश के अनुसार पुनर्वास सेवाएं देने, जनशक्ति विकास और अनुसंधान आदि सहित सभी कार्यकलाप चला रहा है। वर्तमान में निदेशक का पद खाली है। आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन

जारी कर दिया गया है और उसके प्रत्युत्तर में मंत्रालय में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का स्थानांतरण

2934. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) को उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग स्कीम' के तहत एफ.आई.पी.बी. के बहुत सारे कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) स्वतः मार्ग के अंतर्गत अधिकतर क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। प्रसारण, घरेलू एयरलाइंस, एकीकृत नगर क्षेत्र (टाउनशिप) रक्षा उद्योग, चाय बागानों इत्यादि जैसे कुछ क्षेत्रों में ही विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है। विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड में प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर अधिसूचित दिशा निर्देशों के आधार पर विचार किया जाता है और सामान्यतः इनका निपटान इनके प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताहों की समयावधि के भीतर किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खाते

2935. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खातों की गहन जांच करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खातों की किस सीमा तक जांच की जा चुकी है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई) ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) के लेखों की संवीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक आधार पर की जा रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो की भी नियमित रूप से समीक्षा तिमाही बैठकों में की जाती है।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), प्रायोजक बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है

(i) बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष में एक बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षा;

(ii) प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त निरीक्षकों द्वारा वर्ष में एक बार आंतरिक निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा;

(iii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत दो/तीन वर्षों में एक बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नाबार्ड द्वारा सांविधिक निरीक्षण;

(iv) सर्किल के महाप्रबंधक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों के साथ तिमाही बैठक में आवधिक समीक्षा।

[हिन्दी]

एस्बेस्टस का निर्यात

2936. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अधिकतम संख्या में एस्बेटस की चादरों/पाइपों का विनिर्माण होता है;

(ख) क्या एस्बेटस उत्पादों का निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्यातों से कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) क्या स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार एस्बेटस उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के कारण फेफड़े के रोग होते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन इकाइयों को बंद करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन इकाइयों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) उन स्थानों के नाम जहां अधिकतम संख्या में एस्बेस्टस चादरों/पाइपों का विनिर्माण होता है, महाराष्ट्र तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) एस्बेस्टस चादरों/पाइपों के भारतीय निर्यातों के मूल्य निम्नानुसार हैं

क्र.सं.	मद	2000–01	2001–02 (फरवरी, 2002 तक)
1.	एस्बेस्टस सीमेंट चादरें (नालीदार चादर को छोड़कर)	238.53	270.25
2.	एस्बेस्टस सीमेंट पाइप	7.17	5.08

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस

(घ) से (छ) स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा ऐसा कोई निर्णायक अध्ययन नहीं किया गया है जिसमें यह बताया गया हो कि एस्बेस्टस चादरों के विनिर्माण से फेफड़े की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए सरकार के समक्ष इन इकाइयों को बंद करने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

उद्योगों/कंपनियों को बैंक ऋण

2937. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री तूफानी सरोज :
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री 2 मई, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5759 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पुस्तक बैंकों की स्थापना

2938. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के पास पुस्तक बैंकों की स्थापना हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2002–03 के लिए जनजातीय छात्रों के लिए केंद्र प्रायोजित पुस्तक बैंक स्कीम के अंतर्गत 20.00 लाख रुपये निर्मुक्त करने हेतु कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। तथापि, निर्णय लेने के संबंध में कोई समय-सीमा सूचित करना संभव नहीं है।

कॉफी का उत्पादन

2939. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों का कॉफी उत्पादन क्षेत्र, उनकी उत्पादकता और कॉफी रोपण वाली भूमि का औसत आकार वर्ष-वार और राज्य-वार कितना रहा है;

(ख) प्रति किलोग्राम इंस्टेंट कॉफी के लिए प्रसंस्कृत कॉफी बीजों और चूर्ण का औसत मूल्य कितना है और प्रति किलोग्राम कितना मूल्य कॉफी उत्पादकों को उपलब्ध कराया गया;

(ग) नौवीं योजना अवधि के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार प्रति हेक्टेयर कॉफी के उत्पादन की औसत लागत क्या है और उत्पादकों के लाभ की दर क्या रही है;

(घ) क्या कॉफी बोर्डों द्वारा पहचान किए गए कोई नीलामी प्लेटफार्म हैं;

(ङ) यदि हां, तो कॉफी उत्पादकों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान किन देशों को कॉफी का निर्यात किया गया, किस किस्म की कॉफी का निर्यात किया गया, प्रतिस्पर्द्धी देशों के नाम क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनका विक्रय मूल्य क्या है;

(छ) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी कॉफी का आयात किया गया; और

(ज) किसी देश के साथ इस संबंध में किए गए करारों या रियायती शुल्क के करारों संबंधी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम

2940. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार और केंद्र अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इस निगम को योगदान प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारें इस निधि में योगदान करती हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसमें योगदान न करने वाली ऐसी कौन-कौन सी राज्य सरकारें हैं; और

(च) इससे कितने लोग लाभान्वित हुए और गत तीन वर्षों के दौरान माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम द्वारा कितना ऋण दिया गया?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) गरीबी की रेखा से दुगुने नीचे रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों से लक्षित लाभार्थियों को आय सृजक कार्यकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है। आधारभूत लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए इसके दो माध्यम हैं। एक संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राज्य माध्यम एजेंसियों के जरिए तथा दूसरा गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से। राज्य माध्यम एजेंसियां सावधि योजना को चलाती हैं। राज्य माध्यम एजेंसियां सावधि ऋण योजना को संचालित करती हैं जो 5 लाख रु. तक की लागत की परियोजनाओं के लिए हैं जिसमें से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा 85 प्रतिशत वित्त पोषित किया जाता है। वे मार्जिन मनी ऋण योजना को भी संचालित करते हैं जिसके अंतर्गत उपलब्ध किया जाने वाला ऋण प्रति यूनिट 1.25 लाख रु. है। गैर सरकारी संगठनों

के माध्यम से लघु ऋण योजना के अंतर्गत 10,000 रु. तक की स्व–रोजगार कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों को लगभग 1000 सदस्यों वाले 50 स्व–सहायता समूहों के संवर्द्धन एवं स्थाईकरण के लिए 2.15 लाख रु. तक ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाता है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों को एन एम डी एफ सी की प्राधिकृत अंश पूंजी का 26 प्रतिशत अंशदान करना होता है। निर्धारित इक्विटी तथा विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए अंशदान को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संघ सरकार ने अब तक एन एम डी एफ सी की इक्विटी में 235.26 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया है।

(च) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान 52.41 लाख रु., 100.15 लाख रु. तथा 477. 67 लाख रु. की राशि क्रमशः 7359, 11418 तथा 24529 लाभार्थियों को शामिल करते हुए निर्मुक्त की गई।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम एन एम डी एफ सी की इक्विटी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अंशदान का ब्यौरा

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्धारित इक्विटी	अंशदान की गई इक्विटी	लंबित अंशदान	प्रतिशतता अंशदान
1	2	3	4	5
अंडमान व निकोबार*	7.92	0.00	7.92	0.00
आंध्र प्रदेश	631.03	500.04	130.00	79.24
अरुणाचल प्रदेश*	18.75	0.00	18.75	0.00
असम	632.20	0.00	632.20	0.00
बिहार	1204.45	500.04	704.41	41.52
चंडीगढ	13.48	38.89	–25.41	288.50
दादरा व नगर* हवेली	0.50	1.45	–0.95	290.00
दमन व दीव*	1.07	0.00	1.07	0.00
दिल्ली	126.69	50.00	126.69	0.00
गोवा*	36.19	0.00	36.19	0.00
गुजरात	337.81	205.00	132.81	60.69
हरियाणा	152.68	25.00	127.88	16.37
हिमाचल प्रदेश	18.42	18.42	0.00	100.00
जम्मू और कश्मीर	358.18	0.00	356.18	0.00
कर्नाटक	542.54	300.04	242.50	55.30
केरल	1090.18	125.00	965.18	11.47
लक्षद्वीप*	4.33	0.00	4.33	0.00
मध्य प्रदेश	358.98	200.00	158.98	55.71
महाराष्ट्र	1209.95	0.00	1209.95	0.00
मणिपुर	66.95	0.00	66.95	0.00
मेघालय*	106.55	0.00	106.55	0.00
मिजोरम	57.10	57.00	0.10	99.32
नागालैंड	94.85	0.00	94.85	0.00
उड़ीसा	111.58	38.23	73.35	34.26
पांडिचेरी	9.78	0.00	9.78	80.00
पंजाब	1164.36	10.00	1154.38	0.86
राजस्थान	371.25	30.00	341.25	8.08
सिक्किम*	11.24	0.00	11.24	0.00
तमिलनाडु	548.04	300.00	248.04	54.74
त्रिपुरा	32.67	5.00	27.67	15.30

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	2213.89	700.06	1513.83	31.62
पश्चिम बंगाल	1468.39	1065.00	503.39	72.53
कुल	13000	4169.17	8830.83	32.00

*अक्रियाशील राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

नेपाल से प्लास्टिक के सामान का आयात

2941. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से प्लास्टिक के सामान का आयात निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नेपाल से कितने मूल्य के प्लास्टिक के सामान का आयात किया गया;

(ग) क्या नेपाल से प्लास्टिक के सामान के अत्यधिक आयात के कारण देश की 30 से भी अधिक प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयां बंद हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा घरेलू प्लास्टिक उद्योग को बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल से निर्यातित प्लास्टिक वस्तुओं के निम्नलिखित मूल्य से आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति मालूम होती है :

वर्ष	आयात का मूल्य भारतीय करोड़ रु. में
1999–2000	32.53
2000–2001	40.82
2001–2002	64.43

(ग) और (घ) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि भारत नेपाल व्यापार संधि के तहत नेपाल से प्लास्टिक वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयातों से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, इस कारण से भारत में कुछ प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाईयों के बंद होने के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ङ) भारत–नेपाल व्यापार संधि के संगत प्रावधानों में भारत में प्लास्टिक उद्योग समेत घरेलू उद्योग को सुरक्षा प्रदान करते हेतु दिनांक 2 मार्च, 2002 को संशोधन किए गए हैं। संधि के तहत ऐसे तरीके से अथवा इतनी मात्रा में आयात होने पर जिससे घरेलू उद्योग अथवा वस्तु से संबंधित इसके पर्याप्त हिस्से को क्षति हो रही हो अथवा होने का खतरा हो तो आयातक देश उपयुक्त उपाय करने की दृष्टि से इस प्रयोजनार्थ दोनों सरकारों द्वारा गठित संयुक्त समिति में विचार विमर्श करने के लिए अनुरोध कर सकता है। यदि संयुक्त समिति की वार्ताओं में ऐसा अनुरोध किए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि में मुद्दे का समाधान न हो पाए तो अनुरोध करने वाली सरकार उचित निवारक उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

करों में पश्चिम बंगाल का हिस्सा

2942. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने आयकर के रूप में ऐसे करों की वसूली में से पश्चिम बंगाल सरकार को 29 प्रतिशत के भुगतान की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार ने गत वित्त वर्ष के दौरान अपेक्षित धनराशि की तुलना में 766 करोड़ रुपये कम की धनराशि जारी की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल द्वारा वसूल किए गए कुल करों से 1000 करोड़ रुपये कम देने का निर्णय लिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने करों की राशि को 12 हिस्सों में जारी करने का निर्णय लिया है जिनकी संख्या को उन्होंने अब 16 कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय करों और प्रशुल्कों की निवल प्राप्तियों का 29.5 प्रतिशत सभी राज्यों में बांटा जाएगा।

(ख) और (ग) अधिनर्णय अवधि के किसी भी वर्ष के दौरान किसी राज्य को निर्गम, उसके लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत पारस्परिक शेयर के अनुसार किया जाता है। इसलिए राज्य को जारी धनराशियां, पश्चिम बंगाल सहित किसी भी राज्य द्वारा वसूल किए गए कुल करों पर आधारित नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निजी बीमा कंपनियां

2943. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में जीवन बीमा क्षेत्र में कौन–कौन सी निजी विदेशी कंपनियां कार्य कर रही हैं और ये कब से कार्य कर रही हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान इन कंपनियों ने कितने बीमा कारोबार की कितनी राशि पर कब्जा जमाया;

(ग) क्या इससे गत वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के कारोबार पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा विदेशी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अन्य देशों में भी अपने कार्य क्षेत्रों का विस्तार किया है; और

(च) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और वर्ष 2001–2002 के दौरान इससे कितनी प्रीमियम आय प्राप्त हुई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इसके विपरीत, मौजूदा ग्राहकों को अपनी तरफ बनाए रखने तथा नए कारोबार के हिस्से में वृद्धि करने के लिए एलआईसी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप वर्ष 2000–01 में हुई 64.98 प्रतिशत की वृद्धि के बाद वर्ष 2001–02 में 137.03 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई।

(ङ) और (च) जी, हां। गत वर्ष, एलआईसी ने नेपाल में अपने प्रचालन शुरू किए हैं और नेपाल से 2,67,83,279 रु. की प्रीमियम आय जुटाई है।

विवरण

जीवन बीमा करोबार में निजी बीमा कम्पनियों के नाम पंजीकरण की तारीख सहित नीचे दिए गए हैं। इन कम्पनियों ने मार्च, 2002 तक 29661.69 लाख रु. की प्रीमियम आय अर्जित की है।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	आईआरडीए के पास पंजीकरण की तारीख
1	2	3
1.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि	23.10.200
2.	मैक्स न्यू यार्क लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	15.11.2000
3.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	24.11.2000
4.	ओम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि	10.1.2001
5.	बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.1.2001
6.	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	12.2.2001
7.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	30.3.2001
8.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	2.8.2001

1	2	3
9.	बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.8.2001
10.	मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	6.8.2001
11.	एएमपी सन्मार लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	3.1.2002
12.	डाबर–सीजीयू लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	14.5.2002

अस्पृश्यता संभाव्य क्षेत्र

2944. श्री खगेन दास : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अस्पृश्यता संभाव्य क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पहचान की धीमी गति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अस्पृश्यता के मामलों की जांच करने के लिए विशेष अदालतें गठित की हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र ने अस्पृश्यता संभाव्य क्षेत्रों की पहचान कर ली है तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी राज्य में अस्पृश्यता क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तमिलनाडु में चूंकि अधिकांश मामलों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है इसलिए राज्य में अस्पृश्यता संभाव्य ग्रामों की पहचान की गई है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या नगण्य/शून्य है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में बाईस विशेष सचल न्यायालयों की स्थापना की गई है। तमिलनाडु में 4 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना मामलों के परीक्षण के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत की गई है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं। कर्नाटक में तालुक मुख्यालय में सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मामलों का परीक्षण करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामलों को जिला न्यायालय द्वारा देखा जाता है। उन अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या नगण्य/शून्य है, इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

निर्यात लक्ष्य

2945. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ग) जी, हां। वित्त वर्ष 2002–03 के लिए डालर के रूप में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वाणिज्य विभाग द्वारा घोषित मध्यावधि निर्यात कार्यनीति और विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों द्वारा तैयार की गई कार्य योजनाओं के आधार पर विशिष्ट उत्पाद और बाजार से संबद्ध कार्यनीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है। वर्ष 2002–07 की एग्जिम नीति में निर्यातों का संवर्धन करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं–विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त कार्यक्रम, कतिपय कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु कुछेक अनुमत्य खर्चों की प्रतिपूर्ति संबंधी एक योजना, लघु क्षेत्र के निर्यात में सहायता के लिए समूहों का विकास, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यातों के लिए अतिरिक्त सहायता, सौदों की लागत को आगे और कम करना इत्यादि।

[अनुवाद]

ग्रीन फंड

2946. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **वित्त और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों की तर्ज पर "ग्रीन फंड" शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि निवेशकों को आश्वस्त किया जा सके कि उनके अंशदान का उपयोग पारिस्थितिकी रूप से अनुकूल और पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुंचाने वाली परियोजनाओं के लिए किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पर्यावरण निधि की स्थापना संबंधी व्यवहार्यता की सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय में जांच की जा रही है।

कम्पनियों द्वारा दस्तावेज जमा करना

2947. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बड़ी संख्या में घरेलू कम्पनियां रजिस्ट्रार को दस्तावेज जमा करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुश्किल और कठिन प्रपत्र कम्पनियों के लिए कंपनी रजिस्ट्रार की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन न करने का एक कारण है; और

(घ) यदि हां, तो प्रपत्रों और अन्य औपचारिकताओं को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि कम्पनियों द्वारा उन्हें पूरा किया जा सके?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 के लिए अपने तुलन पत्र एवं वार्षिक विवरणियां दायर करने में असफल रहने वाली कम्पनियों की संख्या क्रमशः 2,42,738 और 2,46,776 है।

(ग) और (घ) सभी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज दायर करना आवश्यक होता है। जो एक निगम का गठन करते हैं उन्हें पंजीकरण के समय इसका पता चलता है। औपचारिकताओं को सुप्रवाही बनाने का प्रयास एक सतत प्रक्रिया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में करदाता

2948. श्री भीम दाहाल : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1990-91, 2000-2001 के दौरान तथा चालू वर्ष में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कितने करदाता हैं; और

(ख) पिछले वित्त वर्ष की तुलना में उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में इनकी संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख)

वित्त वर्ष	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कर निर्धारितियों की संख्या	गत वित्त वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
1990-1991	2.18 लाख	58.40 प्रतिशत
2000-2001	5.82 लाख	19.51 प्रतिशत
2001-2002	7.24 लाख	24.4 प्रतिशत

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण की निगरानी

2949. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं है कि ऋण लेने वाले ऋण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए उन्हें ऋण प्रदान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के रूप में दिए गए सरकारी धन की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) जी, नहीं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास संवितरित पश्चात निगरानी एवं पर्यवेक्षण की प्रणाली है, जिससे वे व्यावसायिक स्थलों का आवधिक दौरा करके, मशीनरी एवं अन्य अचल आस्तियों की खरीद संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करके, निरीक्षण द्वारा चालू आस्तियों के आवधिक सत्यापन और ऋणकर्ताओं द्वारा स्टाक संबंधी विवरण आवधिक रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा के द्वारा निधियों का उद्दिष्ट उपयोग सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा आंतरिक निरीक्षण और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण द्वारा भी इस पहलू की निगरानी की जाती है।

[हिन्दी]

हेरोइन जब्त किया जाना

2950. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 2002 के खानपुर (महाराष्ट्र) से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "लोक मत" में "12 करोड़ की हेरोइन और 68 लाख नकद बरामद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। सीमा शुल्क आयुक्तालय (सहार), मुम्बई, की हवाई आसूचना इकाई ने दो अलग-अलग मामलों में 26/27 जून, 2002 की रात में 68.39 लाख रुपये की भारतीय करेंसी और 11.742 किलोग्राम हेरोइन का अभिग्रहण किया था। मलयेशियाई पासपोर्ट धारक भारतीय मूल के दो व्यक्तियों को करेंसी के अभिग्रहण के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और गिनी के पासपोर्ट धारक एक व्यक्ति को हेरोइन के अभिग्रहण के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

(ग) क्रमशः दोनों मामलों में जांच पूरी होने के बाद करेंसी के अभिग्रहण के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और हेरोइन के अभिग्रहण के संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

2951. श्री सुबोध मोहिते : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड ने ग्रामीण ऋण संबंधी प्रो. वी.एस. व्यास समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विकास कार्य योजना/समझौता ज्ञापन (डीएपीएमओयू) की शुरूआत, विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरूआत, कारोबार के विकास के लिए बैंकों को सहायता प्रदान करने, तकनीकी निगरानी और मूल्यांकन कक्षों (टीएमईसी) और कारबार विकास कक्षों (बीडीसी) की स्थापना के लिए सहकारी विकास निधि (सीडीएफ) से सहायता,

संगठनात्मक विकास पहलों के माध्यम से मानव संसाधन विकास, सहकारी बैंकों के बेहतर कार्यनिष्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन पुरस्कार की शुरूआत, सहयोगी जागरूकता कार्यक्रम, वसूली से संबद्ध पुनर्वित आदि जैसी कई पहलें की हैं।

(ग) से (ङ) नाबार्ड द्वारा ग्रामीण ऋण पर प्रो. वी. एस. व्यास समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2001 में प्रस्तुत की थी। समिति ने सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं जैसी ग्रामीण ऋण संस्थाओं के मानव संसाधन विकास के संबंध में और ग्रामीण वितरण की योजना, पर्यवेक्षण और समन्वय के क्षेत्र में व्यापक सिफारिशें की हैं। नाबार्ड अपने कार्यान्वयन का समन्वयन कर रहा है और इस संबंध में जिला विकास प्रबंधकों के और कार्यालय खोलने, सहकारी विकास निधि के क्षेत्र को व्यापक बनाने तथा कृषि बीमा निगम को बढ़ावा देने जैसे संस्था विकास में प्रत्यक्ष योगदान आदि करने के लिए उपाय किए हैं।

अनाथालयों में बच्चों का यौन शोषण

2952. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाबलीपुरम, चेन्नई के निकट पुंजेरी गांव के एक अनाथालय में बच्चों के यौन शोषण से संबंधित हाल ही की रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों के अनाथालयों के बारे में भी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां। महाबलीपुरम, चेन्नई में एक अनाथालय 'लिटिल होम' में संवासियों के कथित रूप से यौन शोषण के एक मामले की सूचना तमिलनाडु सरकार को मिली थी। बच्चों को उनके माता–पिता को लौटाने और जहां ऐसा संभव नहीं है, उन्हें किशोर गृहों में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की गई है। यह अनाथालय अब कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग और पुलिस को अन्य अनाथालयों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति के प्रति सतर्क रहने के अनुदेश दिए हैं।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता

2953. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को विश्व बैंक से जल प्रबंधन क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वित्त सहायता में से महाराष्ट्र और राजस्थान को कितनी धनराशि प्रदान की गई?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में उल्लेख किए अनुसार।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	हस्ताक्षर की तारीख	समापन की तारीख	30.6.92 तक की स्थिति के अनुसार उपयोग (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	254.90	22.09.95	31.03.03	158.065
2.	पनबिजली परियोजना (महाराष्ट्र सहित नौ सहभागी राज्य)	122.40	22.09.95	31.03.03	75.099
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	290.90	05.01.96	30.09.02	168.571
4.	तृतीय आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	325.00	03.06.97	31.01.03	141.592
5.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुरर्संरचना परियोजना	149.20	08.03.02	31.10.07	5.00
6.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	140.00	15.03.02	31.03.08	5.00
7.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंध परियोजना	98.90	04.06.02	31.01.09	0.000
8.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	65.50	04.01.01	31.12.06	3.523
9.	द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	151.60	08.03.02	31.12.07	4.000
10.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	52.40	22.07.96	31.05.03	30.400
11.	द्वितीय चेन्नई जलापूर्ति परियोजना	80.50	20.11.95	31.03.04	67.707
12.	मुम्बई मल निपटान परियोजना	149.783	28.12.95	31.12.02	101.128

*इसमें वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान महाराष्ट्र को जारी किए गए 23.75 करोड रु. (लगभग 5.00 मिलियन अमरीकी डालर) शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार

2954. श्री पी.सी. थामस : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच निर्यात और आयात बढ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार बढाने हेतु और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) श्रीलंका के साथ पिछले तीन वर्षों के भारत के व्यापार आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु.)

वर्ष	श्रीलंका को किया गया निर्यात	श्रीलंका से किया गया आयात
1999–2000	2163.05	191.67
2000–2001	2896.39	211.72
2001–2002	3000.98	321.50

(ग) भारत और श्रीलंका के बीच एक मुक्त व्यापार करार पर 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के अंतर्गत दोनों देश चरणबद्ध ढंग से टैरिफ समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह करार मार्च, 2000 को लागू हुआ था और हाल ही में इसके कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में सुधार लाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में व्यापार मेलों में भागीदारी और व्यापार शिष्टमंडलों का आना–जाना आदि शामिल हैं। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के व्यापार मेलों में नियमित रूप से भाग ले रहा है।

भारत ने श्रीलंका के साथ जनवरी, 2001 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें श्रीलंका सरकार को भारत से भारतीय विनिर्माण का माल एवं सेवाओं, जिसमें उपभोक्ता टिकाऊ माल, परामर्शी सेवाएं और खाद्य मदें आदि शामिल हैं, का आयात करने के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सुविधा दी गई है जो तीन वर्षों की अवधि में वितरित की जाएगी।

पेटेंट कार्यालय में कर्मचारियों की उपलब्धता

2955. श्री सईदुज्जमा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व भर की फर्मों के लिए अपने पेटेंट दर्ज कराने के लिए बंगलौर एक आकर्षक स्थल बन गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेटेंट कार्यालय में पर्याप्त और सुनिश्चित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नई दिल्ली में संपूर्ण परामर्श सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देश को नुकसान न पहुंचाया जा सके?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) वर्ष 2000–01 में भारतीय पेटेंट कार्यालय में दायर किए गए 8503 पेटेंट आवेदनों में से कर्नाटक से केवल 112 आवेदन दायर किए जाने की सूचना है। उससे पिछले 5 वर्षों में भी कर्नाटक से दायर किए गए आवेदन भारतीय पेटेंट कार्यालय में दायर कुल आवेदनों का 2 प्रतिशत से भी कम थे।

(ख) सरकार ने कोलकाता (मुख्यालय) मुंबई, चेन्नई और नई दिल्ली स्थित अपने सभी पेटेंट कार्यालयों के व्यापक आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। पेटेंट कार्यालयों में बढ़ते कार्यभार को पूरा करने के लिए उपयुक्त तकनीकी योग्यता वाले अतिरिक्त स्टाफ हेतु पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा, सभी कार्यालयों को इलेक्ट्रोनिक तरीके से जोड़ने के लिए पेटेंट कार्यालयों के कार्यों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण भी शुरू किया गया है ताकि वे सूचना/आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकें। पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से पेटेंट और प्रक्रिया पर एक मैनुअल भी जारी कर दिया गया है व उसे वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में वृद्धाश्रम

2956. श्री राजो सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलावार कितने वृद्धाश्रम कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान इन्हें क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं और इन वृद्धाश्रमों से कितने वृद्ध व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन वृद्धाश्रमों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय

और अधिकारिता मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिला मुक्ति वाहिनी द्वारा पटना जिले में एक वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सक तथा दवाएं, पोषण और आरोग्य; मनोरंजन सुविधाएं जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र तथा आउटिंग्स आदि शामिल हैं। वृद्धाश्रम से लाभान्वित वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 25 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अफीम उत्पादको की समस्याएं

2957. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम उत्पादकों ने अफीम के मूल्य बढ़ाने, कृषि क्षेत्रों का विस्तार करने और प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत का प्रावधान करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। अफीम के किसानों और अन्य लोगों द्वारा समय-समय पर ऐसे कई सुझाव दिए जाते रहे हैं और मांगें की जाती रही हैं।

(ख) अफीम नीति बनाते समय ऐसे सभी सुझावों और मांगों को ध्यान में रखा जाता है जिसे प्रत्येक वर्ष सितम्बर-अक्तूबर में बनाया जाता है।

[अनुवाद]

निर्यात संवर्धन परिषदों/निर्यात प्रसंस्करण जोनों के लिए धनराशि

2958. श्री पी. डी एलानगोवन : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में निर्यात संवर्धन परिषदों और निर्यात प्रसंस्करण जोनों/विशेष आर्थिक जोनों के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और किन-किन उद्देश्यों के लिए इस धनराशि को खर्च किया गया;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए कोई आवंटन निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) तमिलनाडु स्थित निर्यात संवर्धन परिषदों तथा निर्यात प्रसंस्करण जोन को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

संगठनों के नाम	प्रयोजन	1999-2000	2000-2001	2001-2002
चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई	विपणन विकास सहायता स्कीम के तहत निर्यात संवर्धन कार्य कलापों के लिए	2.54	3.92	5.78
हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, चेन्नई	निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए	0.33	0.45	0.34
चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई	बाजार पहुंच पहल स्कीम यू एस ए/जापान को जूतों/चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात की वृद्धि हेतु	-	-	2.52
मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, चेन्नई	मोड्यूल्स की खरीद, अहाते की दीवारों का निर्माण, इत्यादि हेतु	4.00	4.00	3.49

विशेष आर्थिक जोन के लिए कोई निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए केंद्र द्वारा स्कीम के तहत किसी वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है।

भारतीय खाद्य निगम का बैंक ओवरड्राफ्ट

2959. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का बैंक ओवरड्राफ्ट वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इसे कम करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की वसूली और अन्य प्रचालनों हेतु स्वीकृत कैश क्रेडिट सीमा के तहत कार्य करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के बैंक ओवर ड्राफ्ट (कैश क्रेडिट सीमा) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार	— 17,796.66 करोड़ रुपये
मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार	— 22,246.23 करोड़ रुपये (अनंतिम)
मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार	— 27,142.83 करोड़ रुपये (अनंतिम)

भारतीय खाद्य निगम के बैंक ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :

(i) खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्यों में संगत वृद्धि के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि।

(ii) खाद्यान्नों की वसूली के उच्चतर स्तर।

(iii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उठान/बिक्री में कमी।

(iv) बफर स्टाक का उच्चतर स्तर।

(v) केंद्रीय निर्गम मूल्यों में कमी।

(vi) विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के खातों पर बकाया राशियों (अन्य मंत्रालयों से लिए जाने हैं) को सेटल करने और वसूली करने में हुआ विलंब।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) 'ग' और 'घ' श्रेणी के/पुराने स्टाक का निविदाओं के जरिए निपटान।

(ii) निर्यात के प्रयोजनार्थ अधिशेष स्टाक की बिक्री।

(iii) अन्य मंत्रालयों से बकाया राशि को शीघ्र रिलीज करवाना।

(iv) मासिक राजसहायता को तुरंत रिलीज करना ताकि बैंक ओवर ड्राफ्ट को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में विकास केंद्रों हेतु अनुदान

2960. डा. चरणदास महंत : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्ग जिले में विकास केंद्रों की स्थापना हेतु 332 लाख रुपये की सहायता हेतु छत्तीसगढ़ सरकार का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पिछले एक वर्ष से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (ङ) छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बोराई विकास केंद्र के लिए 31.3.2000 तक 1000.00 लाख रुपये की कुल केंद्रीय सहायता में से 793.00 लाख रुपये पहले ही अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य को जारी किए जा चुके थे। योजना आयोग द्वारा इस योजना को राज्यों को हस्तांतरित कर दिए जाने से बजट अनुमान 2002–03 में कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया गया। अब चालू वित्तीय वर्ष के लिए यह योजना पुनः औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को वापस सौंप दी गई है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को निधियां प्राप्त हो जाने के पश्चात 207.00 लाख रुपये की शेष राशि को जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रिंट इकाइयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2961. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रिंट इकाइयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने प्रिंट मीडिया क्षेत्र को निम्नलिखित सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खोलने का निर्णय किया है :

(i) अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड के तीन–चौथाई निदेशकों और सभी प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों तथा सम्पादकीय स्टाफ निवासी भारतीय होने की शर्त के अध्यधीन समाचारों व ताजी घटनाओं से संबंधित समाचार पत्रों तथा मैगजीनों के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

(ii) भारतीय संस्करणों सहित विदेशी तकनीकी, वैज्ञानिक और विशिष्ट मैगजीनों पत्रिकाओं/जर्नलों का प्रकाशन करने के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से 74 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रिंट इकाइयों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई है।

परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

2962. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के विध्वंसकारी क्षेत्रों में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को विश्व बैंक की व्यापक सहायता के बिना सम्पन्न नहीं किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जल चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना का नियोजन, वित्त–पोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं तथा आयोजना–आवंटन की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार भी कतिपय श्रेणी की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। संसाधनों में अन्तर को पाटने के लिए, भारत सरकार राज्य सरकारों के अनुरोध पर विदेशी सहायता जिसमें विश्व बैंक से प्राप्त सहायता भी शामिल है, प्राप्त करने में राज्य सरकार की मदद करती है।

दसवीं योजना (2002–2007) के बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित दल ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को उनके द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान के आधार पर उन नदी घाटियों (बेसिन) के लिए, जिनमें बाढ़ आने की सम्भावना है, अगले 15 से 20 वर्षों के दौरान सभी महत्वपूर्ण बाढ़ प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देने के लिए निधियों की जरूरत का आकलन करना चाहिए। इसके बाद आन्तरिक और बाहरी संसाधनों से बाढ़ प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने के

लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों पर विचार किया जा सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए प्रतिपूर्ति

2963. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अनुसार सरकार द्वारा घोषित गारंटी मूल्य पर पटसन/वस्त्र उत्पाद की संपूर्ण मात्रा को अपनी नोडल एजेन्सियों के माध्यम से सरकार को खरीदना होता है;

(ख) क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन में नोडल एजेन्सियों को हुए पूरे घाटे की प्रतिपूर्ति के प्रति भी प्रतिबद्ध है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1999–2000 के दौरान और आज तक भारतीय पटसन निगम (जे सी आई) द्वारा खरीदे गए पटसन में न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी परिचालन में हुए घाटों और प्रतिपूर्ति संबधी घाटों, खरीद और बजटीय प्रावधान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय पटसन निगम को हुए संपूर्ण घाटों की प्रतिपूर्ति नीति के अनुसार कर दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सी सी आई, एफ सी आई और नेफेड जैसी अन्य एजेन्सियों को हुए घाटों की प्रतिपूर्ति भी सरकार द्वारा की जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) भारत सरकार प्रत्येक मौसम के लिए पटसन/मेस्टा की विभिन्न किस्मों और श्रेणियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है। भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) पटसन/मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान चलाने के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। जेसीआई बाजार में तब प्रवेश करती है जब कभी कच्चा पटसन/मेस्टा की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे चली जाती हैं। जेसीआई द्वारा बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के न्यूनतम समर्थन दर पर उत्पादकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कच्चे पटसन/मेस्टा की मात्रा खरीद करना अपेक्षित होता है। इसी प्रकार अपरिष्कृत कपास के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को महाराष्ट्र, जहां अपरिष्कृत कपास (अभिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 लागू है, को छोड़कर सभी कपास उत्पादक राज्यों में बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के कपास की खरीद हेतु नोडल अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के लिए वर्ष 1999–2000 से 20001–2002 तक के न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के संबंध में वर्ष–वार बजटीय, अधिप्राप्ति, उठाये गए घाटे और प्रतिपूर्ति किए गए घाटों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) जेसीआई द्वारा दावा किये गये घाटों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जेसीआई को उठाए गए घाटों को पूर्ण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(च) से (ज) जी, हां। सीसीआई, एफसीआई और नेफेड के मामले में ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(1) सीसीआई के मामले में वर्ष 1999–2000 (अक्तूबर–सितंबर) में, सीसीआई को न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के कारण कोई घाटा नहीं हुआ। 2000–2001 (अक्तूबर–सितंबर) में, चूंकि कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर रहीं इसलिए, सीसीआई द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के अंतर्गत कोई खरीद नहीं की गई थी। चालू वर्ष 2001–2002 (अक्तूबर–सितंबर) के दौरान, सीसीआई ने न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के कारण लगभग 100 करोड़ रुपए का घाटा सूचित किया है जिसमें निगम को 25 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति आज की तारीख तक कर दी गई।

(2) एफसीआई के मामले में सरकार उपभोक्ता

सब्सिडी के रूप में खाद्यान्न की किफायत कीमत और केन्द्रीय निर्गमन मूल्य (सीआईपी) के बीच के अंतर की प्रतिपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों की बफर तक ले जाने वाली लागत की भी एफसीआई को प्रतिपूर्ति की जाती है। उपभोक्ता सब्सिडी और बफर सब्सिडी दोनों मिलकर खाद्य सब्सिडी होते हैं। सरकार ने वर्ष 1999–2000 में 8.85 हजार करोड़ रुपए, वर्ष 2000–2001 में 11.46 हजार करोड़ रुपए और वर्ष 2001–2002 में 16.72 हजार करोड़ रुपए, एफसीआई को खाद्य सब्सिडी के रूप में रिलीज किए गए।

(3) नेफेड के मामले में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियानों में तिलहन और दाल की खरीद में नेफेड द्वारा उठाये जाने वाले संपूर्ण घाटे, यदि कोई हो, की प्रतिप्रर्ति करने के लिए बचनबद्ध है। वर्ष 2000–2001, 2001–2002 और 2002–2003 के दौरान सरकार ने 'खाता आधार पर' मूल्य समर्थन योजना अभियानों के लिए क्रमशः 25.00 करोड़ रुपए, 340.55 करोड़ रुपए और 298.48 करोड़ रुपए जारी किए। घाटे की सही राशि का ब्यौरा भारत सरकार को नेफेड द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में भारतीय पटसन निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के संबंध में बजटीय प्रावधान, अधिप्राप्ति और उठाये गए घाटों को वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	बजटीय प्रावधान (करोड़ रु. में)	180 कि.ग्रा. की लाख गांठ में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत अधिप्राप्ति	न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान में जेसीआई द्वारा सूचित किया अधिप्राप्ति घाटा (करोड रु. में)	भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में दी गई नीधि (करोड रु. में)
1999–2000	16.00	0.18	55.46*	16.00
2000–2001	35.00	4.54	52.39*	35.00
2001–2002	35.00	2.45	65.00* (अनंतिम)	35.00

*इन आंकड़ों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। जेसीआई को इन घाटों के लिए घाटों/औचित्य के विस्तृत ब्यौरे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।

वस्त्र क्षेत्र की निर्यातोन्मुखी इकाइयों में गिरावट

2964. श्री वाई. वी. राव. क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र क्षेत्र की निर्यातोन्मुखी इकाइयों में भारी नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन इकाइयो की सहायता हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) सूती/मानव–निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों (गैर–लघु उद्योग) के निर्यातोन्मुख एककों से पिछले चार वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में अप्रैल, 2002 तक स्पन यार्न तथ फैब्रिकों के उत्पादन का विवरण निम्नलिखित है :

अवधि	स्पन यार्न का उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)	फैब्रिको का उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर)
1998–1999	299	85
1999–2000	349	111
2000–2001	366	117
2001–2002 (अनंतिम)	333	122
2002–2003 (अप्रैल)	30	10
2001–2002 (अप्रैल)	28	11

शत–प्रतिशत स्पन यार्न एवं फैब्रिक के उत्पादन ने पिछले चार वर्षों के दौरान क्रमशः 3.7 प्रतिशत तथा 12.8 प्रतिशत की समेकित वार्षिक वृद्धि दर दर्शाई। तथापि, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के दौर के कारण अप्रैल 2002 के दौरान स्पन यार्न एवं फैब्रिक में लगभग 7.14 प्रतिशत तथा 9.09 प्रतिशत गिरावट आई।

(ग) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए समय–समय पर विभिन्न कदम उठाए गए हैं और इससे निर्यातोन्मुख एककों सहित वस्त्र एककों के कार्यान्वयन में सुधार आया है

(1) शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिए कुछ विकल्प छोड़ते हुए अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण।

(2) आयात–निर्यात नीति में उल्लिखित निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों/अर्द्ध निर्यात क्षेत्रों के संबंध में उप–ठेकेदारी के प्रावधानों के संबंध में हाल ही में कुछ संशोधन किए गए हैं और आयात–निर्यात नीति में उल्लिखित आवश्यकताओं जैसे जॉब–कार्य मजदूर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तहत पंजीकृत हो, जॉब कार्य के लिए सामान भेजने से पूर्व एककों में आवश्यक वर्दी पहने हो, तथा रेंज–अधिकारी को नमूने भेजे जाने को समाप्त कर दिया गया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 1.4.99 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) को प्रचालित किया गया जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। टी.यू.एफ.एस. के तहत सहायता प्रदान करने से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए एक अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

(4) बुनाई, प्रसंस्करण तथा परिधान मशीनों को बढ़े हुए मूल्यहास की सुविधा को 50 प्रतिशत की दर तक बढ़ाया गया है, जो टी.यू.एफ. एस. के तहत कवर होती है।

(5) कपास प्रौद्योगिकी मिशन को, प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के निर्यात के लिए कपास का उत्पादन, उत्पादकता तथा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए संकेन्द्रित कदम के रूप में शुरू किया गया है।

(6) स्वचल मार्ग से शत–प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागीदारी को वस्त्र क्षेत्र में अनुमति प्रदान की गई है।

व्यवसायिकों के लिए बाजार तक पहुंच

2965. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों के व्यक्तियों की आवाजाही से बाजार तक पहुंच को रोकने के लिए विकसित देशों ने अनेक विनियम निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने व्यवसायिकों के लिए बाजार तक आसानी से पहुंच हेतु विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं संबंधी जारी वार्तालाप के दौरान कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फिक्की ने भी प्रस्ताव को तैयार करने में सहायता की है;

(च) यदि हां, तो फिक्की के सुझावों को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है और प्रस्ताव में कितना समाविष्ट किया गया है;

(छ) उक्त प्रस्ताव के मामले में अन्य विकासशील देशों की क्या राय है; और

(ज) इस पर विश्व व्यापार संगठन और अन्य विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) मूल निवासी व्यक्तियों के आवागमन के जरिए सेवाओं की आपूर्ति अर्थात पद्धति 4 विकासशील देशों का प्राथमिक हित है। आपूर्ति की इस पद्धति के अंतर्गत की गई वचनबद्धताएं अधिकाशतः वाणिज्यिक उपस्थिति अर्थात पद्धति 3 से संबंधित होती हैं और इसलिए विकासशील देशों के लिए इनका सीमित उपयोग है। इसके अलावा ये वचनबद्धताएं प्राथमिक रूप से सामान्य होती हैं तथा उन पर बहुत सी सीमाएं एवं प्रशासनिक बाधाएं लागू होती हैं। इन वचनबद्धताओं में मौजूद सीमाओं में सेवा प्रदता के प्रवेश तथा प्रतिबंध, प्रवास की अवधि सीमाएं, बीजा पर मात्रात्मक सीमाएं आर्थिक आवश्यकताओं का परीक्षण (ई एन टी) अर्हताओं को मान्यता का अभाव तथा सामाजिक सुरक्षा करों का भुगतान शामिल हैं।

(ग) से (च) डब्ल्यू टी ओ की चालू सेवा वार्ताओं के दौरान भारत ने सेवाओं के व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट्स) के अंतर्गत व्यवसायिकों के आवागमन के उदारीकरण के संबंध में एक प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को तैयार करने में, पणधारियों एवं उद्योग संघों, जिनमें फिक्की भी शामिल है, से परामर्श किया गया है। इस प्रस्ताव में व्यवसायिकों के आवागमन में आने वाली बाधाओं का पता लगाया गया है और इस क्षेत्र में सार्थक उदारीकरण तथा पद्धति 4 के जरिए सेवाओं के व्यापार में सुधार हेतु कार्यनीति संबंधी सुझाव दिए गए हैं। सुझाई नीतियों में सामान्य वचनबद्धताओं में स्वतंत्र व्यवसायिकों की श्रेणी को शामिल करके पद्धति 3 से वचनबद्धताओं को अलग करना इ एन टी के प्रयोग में भेद भाव पूर्ण व्यवहार की गुंजाइश को कम करने हेतु बहुपार्श्वीय मानकों की स्थापना करना; सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट; बीजा प्रणाली के लिए पारदर्शी तथा उद्देश्य पूर्ण प्रशासन तथा पृथक बीजा प्रक्रिया शुरू करके अस्थाई सेवा प्रदाताओं से स्थाई श्रम प्रवाह को अलग करना; सदस्य देशों के बीच परस्पर मान्यता करार (एम आर ए) को सुविधाजनक बनाने के लिए बहुपार्श्वीय मानकों की स्थापना करना; तथा विकासशील देश के व्यवसायिकों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देना शामिल हैं। इस प्रस्ताव में विकसित देशों से पद्धति 4 के तहत विशिष्ट क्षेत्रीय वचनबद्धताओं की मांग भी की गई है।

(छ) और (ज) सी टी एल के विशेष सत्र में बातचीत के दौरान डब्ल्यू टी ओ सदस्य देशों ने विकासशील देशों के लिए भारत के प्रस्ताव में उठाए गए मुद्दों के महत्व की प्रशंसा की और उनमें रुचि दिखाई। विकासशील देश विशेष रूप से आपूर्ति की इस पद्धति के उदारीकरण में रुचि दिखा रहे थे और विकसित देशों से और अधिक क्षेत्र विशिष्ट वचनबद्धताएं चाहते थे। यद्यपि विकसित देश और अधिक प्रक्रियात्मक पारदर्शिता तथा सेवा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नियमों तथा विनियमों के संबंध में अधिक सूचना प्राप्त करने का समर्थन कर रहे थे और कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषाओं से संबंधित कार्य करने के लिए प्रवृत्त थे परन्तु पृथक बीजा प्रक्रियाओं तथा सामाजिक सुरक्षा भुगतानों से छूट और एम आर ए के लिए बहुपार्श्वीय मानकों के विकास के प्रस्तावों की ओर अनुकूल रूप से प्रवृत्त नहीं थे।

रबड़ की खेती हेतु अध्ययन

2966. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबड़ की खेती प्रसंस्करण इकाई और तकनीकी रूप से आदर्श विशेष रबड़ प्रसंस्करण के अध्ययन हेतु एक शिष्टमंडल दक्षिण पूर्व एशिया भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त शिष्टमंडल के दौरे के क्या निष्कर्ष निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार द्वारा एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें अधिकांश तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ (टी एस आर) के प्रसंस्करणकर्ता शामिल थे, को मुख्य रबड़ निर्यातक देशों में प्रयुक्त टी एम आर प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों को उन्हें प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जुलाई, 2002 में इंडोनेशिया, थाइलैंड और सिंगापुर भेजा गया था।

(ग) दौरे के समय, प्रतिनिधिमंडल ने टी एम आर उत्पादन हेतु मशीनों के कुछेक अग्रणी विर्निमार्ताओं के साथ संपर्क साधने के अलावा इंडोनेशिया तथा थाइलैंड में कुछ रबड़ बागानों तथा कुछ टी एम आर कारखानों तथा सिंगापुर में टी एस आर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का भी दौरा किया। दौरे से भारत के टी एस आर प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए फसल संग्रह में नवीनतम विकास, प्रसंस्करण तकनीकों, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लॉक रबड़ के उत्पादन हेतु पैकेजिंग प्रणाली का भी प्रदर्शन किया गया। टीम ने उत्पादन के विभिन्न पहलुओं, गुणवत्ता सामंजस्य इत्यादि पर प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ भी सीधी वार्ताएं कीं दौरे से प्रसंस्करणकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु भारत में उत्पादित टी एम आर की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

समान खाद्यान्न खरीद नीति

2967. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई समान खाद्यान्न खरीद नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजु) : (क) से (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित औसत गुणवत्ता मानदंड वाले खाद्यान्नों की वसूली संबंधी वर्तमान नीति राज्य सरकारों की मदद से उन सभी राज्यों में एक समान रूप से क्रियान्वित की जा रही है, जिनके पास वसूली करने की क्षमता है।

संगमरमर के आयात पर प्रतिबंध

2968. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगमरमर के आयात के संबंध में सरकार की मौजूदा नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में संगमरमर के आयात के कारण घरेलू संगमरमर व्यापारी और कामगार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या संगमरमर के आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु संगमरमर उद्योग की ओर से कोई मांग की गई है·

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है और क्या सरकार का संगमरमर के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) सरकार के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में तथा हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार वस्तुओं पर से आयात प्रतिबंध 1990 के दशक की शुरूआत से ही हटाए जा रहे हैं। भुगतान संतुलन के कारण जिन वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाए रखे गए थे इस समय उन सभी वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। तदनुसार, निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण, 2002–2007 के अध्याय 68 में

यथा सम्मिलित परिष्कृत संगमरमर के ब्लाक/टाइलों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है और इसके लिए डीजीएफटी से कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि भारत ने अनगढ़ और अपरिष्कृत संगमरमर पर आयात प्रतिबंधों को कायम रखा है। तदनुसार, आई टी सी (एचएस) के अध्याय 25 के तहत आने वाले अपरिष्कृष्त अथवा अनगढ़ तरीके से काटे गए संगमरमर, जिसका अनगढ़ संगमरमर ब्लाक के लिए 300 अमरीकी डालर प्रति मी.टन और उससे अधिक तथा स्लैब्स के लिए 450 अमरीकी डालर और उससे अधिक के अधिकतम मूल्य पर 1.4.1999 से 31.03.2001 तक विशेष आयात लाइसेंस को अभ्यर्पित करने के बाद आयात करने की अनुमति थी, के आयात को 1.4.2001 से प्रतिबंधित कर दिया गया है अर्थात इसका आयात केवल डीजीएफटी द्वारा जारी लाइसेंस पर ही किया जा सकता है। इस प्रतिबंध के मद्देनजर आई टी सी (एचएस) के अध्याय 25 के तहत आने वाले अपरिष्कृत अथवा अनगढ़ तरीके से काटे गए संगमरमर का आयात 2000–2001 में हुए 61987 मी.टन से गिरकर 2001–2002 में 41967 मी.टन रह गया है। आयात पर पूर्ण प्रतिबंध न तो संभव है और न ही वांछनीय।

[अनुवाद]

बैंक धोखाधड़ी

2969. श्री अधीर चौधरी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 2002 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "रूपीज 72 करोड़ बैंक फ्राड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने कोठारी कम्पनी समूह को मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार कुल 68.10 करोड़ रुपए की विभिन्न ऋण सीमाएं/सुविधाएं प्रदान की थीं, जो अनियमित हो गईं। यह आरोप लगाया गया है कि इस समूह ने साम्यिक बंधक के सृजन के उद्देश्य के साथ-साथ बिक्रियों/लाभों के बढ़े हुए तथ्यों के लिए बैंक को नकली और जाली पावर ऑफ एटार्नी जमा किया था। बैंक ने कुल 93.92 करोड़ रुपए की राशि के लिए कंपनी के विरुद्ध गुवाहाटी ऋण वसूली अधिकरण में मामला दायर किया है। बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भी शिकायत दर्ज की है जिसने मामला दर्ज कर लिया है और मुख्य अभियुक्त श्री मोतीलाल कोठारी को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। बैंक ने मुख्य सतर्कता आयोग के परामार्श से मंजूरी आचरण तथा अग्रिमों पर अनुवर्ती कार्रवाई से जुड़े अपने अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की है और उन पर उचित दंड लगाया है।

दक्षेस देशों के साथ व्यापार

2970. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठमांडू में अपनी बैठक के बाद दक्षेस देशों के बीच कितनी धनराशि का व्यापार हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने दक्षेस देशों के बीच व्यापार पर भारत-पाकिस्तन तनाव के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दक्षेस देशों के साथ गत छह महीनों के दौरान देश-वार कितनी धनराशि का व्यापार हुआ है; और

(ङ) तनाव के पहले की अवधि की तुलना में यह कितना कम है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) यद्यपि भारत तथा सार्क देशों के बीच व्यापार के आंकडे सरकारी संगठन द्वारा संकलित किए जाते हैं, परन्तु अन्य सार्क सदस्य देशों जैसे श्रीलंका-बंगलादेश, बंगलादेश-नेपाल, इत्यादि के बीच व्यापार से संबंधित आंकडे

संकलित करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। काठमांडू में 21–22 अक्तूबर, 2001 को सार्क के मुख्य बिन्दुओं पर बैठक हुई थी। भारत का सार्क सदस्य देशों के साथ अक्तूबर, 2001 से मार्च, 2002 (नवीनतम उपलब्ध) तक व्यापार के आंकड़े संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वाणिज्य विभाग को सार्क देशों के बीच व्यापार पर भारत–पाक तनाव के किसी प्रभाव की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत का सार्क सदस्य देशों के साथ जनवरी, 2002–मार्च, 2002 (नवीनतम उपलब्ध) की अवधि के दौरान हुए व्यापार के आंकड़े और पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़े संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सार्क सदस्य देशों से भारत में आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

महीना	बंगलादेश	भूटान	नेपाल	मालदीव	पाकिस्तान	श्रीलंका
अक्तूबर, 01	3188	शून्य	16364	7	4188	2333
नवम्बर, 01	3270	शून्य	18039	शून्य	6175	1193
दिसम्बर, 01	2375	2333	15276	7	1925	909
जनवरी, 02	2605	1185	15605	शून्य	1213	2679
फरवरी, 02	2264	1080	17280	10	1120	5804
मार्च, 02	1588	1345	4420	63	1331	3997

भारत से सार्क सदस्य देशों को निर्यात

(मूल्य लाख रुपए में)

महीना	बंगलादेश	भूटान	नेपाल	मालदीव	पाकिस्तान	श्रीलंका
अक्तूबर, 01	36640	शून्य	9443	1245	3982	24502
नवम्बर, 01	38934	शून्य	7368	630	2607	18757
दिसम्बर, 01	24143	शून्य	8260	1161	2648	39750
जनवरी, 02	24848	841	7123	830	3503	27833
फरवरी, 02	27248	शून्य	8290	771	6408	23180
मार्च, 02	22353(पी)	3(पी)	10714(पी)	1492(पी)	5320(पी)	34899(पी)

विवरण-II

सार्क सदस्य देशों से भारत में आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

महीना	बंगलादेश	भूटान	नेपाल	मालदीव	पाकिस्तान	श्रीलंका
जनवरी, 01	3338	1327	11174	शून्य	1454	3581
फरवरी, 01	110	945	12343	शून्य	2974	1112
मार्च, 01	2699	1029	12332	2	1335	1614

भारत से सार्क सदस्य देशों को निर्यात

(मूल्य लाख रुपए में)

महीना	बंगलादेश	भूटान	नेपाल	मालदीव	पाकिस्तान	श्रीलंका
जनवरी, 01	47936	शून्य	3717	996	6735	24042
फरवरी, 01	35705	1	3985	708	7344	22099
मार्च, 01	41399	19	6096	445	10177	27985

सार्क सदस्य देशों से भारत में आयात

(मूल्य लाख रुपए में)

महीना	बंगलादेश	भूटान	नेपाल	मालदीव	पाकिस्तान	श्रीलंका
जनवरी, 02	2605	1185	15605	शून्य	1213	2679
फरवरी, 02	2264	1080	17280	10	1120	5804
मार्च, 02	1588	1345	4420	63	1331	3997

भारत में सार्क सदस्य देशों को निर्यात

(मूल्य लाख रुपए में)

महीना	बंगलादेश	भूटान	नेपाल	मालदीव	पाकिस्तान	श्रीलंका
जनवरी, 02	24848	841	7123	830	3503	27833
फरवरी, 02	27248	शून्य	8290	771	6408	23180
मार्च, 02	22363(पी)	3(पी)	10714(पी)	1492(पी)	5320(पी)	34899(पी)

भारतीय स्टेट बैंक की अनुपयोज्य आस्तियां

2971. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च, 2002 में समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान पहचानी गई अनुपयोज्य अस्तियों में से 2436 करोड़ रुपए की धनराशि को बट्टे खाते में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999 2001 और 2001 के मार्च महीने तक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कितनी धनराशि की अनुपयोज्य आस्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया गया;

(घ) ऐसी भारी धनराशि को बट्टे खाते में डाले जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के पास कितनी धन–राशि की अनुपयोज्य आस्तियां हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान अनुपयोज्य आस्तियों में से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष–वार कितनी धनराशि की वसूली की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) मार्च, 1999 2000, 2001 और 2002 को समाप्त वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बट्टे खाते में डाली गई अनुपयोज्य अस्तियों की राशि निम्नलिखित है :

(राशि करोड़ रुपये में)

मार्च को समाप्त वर्ष	बट्टे खाते डाली गई राशि
1999	414
2000	414
2001	984
2002	2492

(घ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण को बट्टे खाते डालने के कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ तुलन पत्र का शोधन करना तथा उन लेखों को बट्टे खाते डालना जिनमें पूरा प्रावधान पहले ही किया जा चुका है और पात्र कर–लाभ प्राप्त करना है। तथापि, इन लेखों में बट्टे खाते में डालने के बावजूद वसूली के प्रयास जारी हैं।

(ङ) 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों की कुल राशि 15,485.85 करोड़ रुपए है।

(च) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों से वसूल की गई राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	वसूल की गई राशि
1999–00	1154
2000–01	1631
2001–02	1352

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास

2972. श्री रामजी मांझी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छात्रावास सुविधाओं की कमी के कारण सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों के छात्र बड़ी संख्या में बेहतर शैक्षणिक अवसरों से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने छात्रावास स्वीकृत किये गए हैं और उनमें से अब तक कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया है;

(ग) सभी छात्रावासों के निर्माण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक स्वीकृत किये गए छात्रावासों के शीघ्र निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) अन्य पिछड़े वर्ग के सभी छात्रों को आवास उपलब्ध कराने के लिए देश में पर्याप्त होस्टल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों की योजना के अन्तर्गत कुल 149 होस्टलों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 47 का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

(ग) होस्टलों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। 102 अपूर्ण होस्टलों में से 2001–02 के अन्त तक 57 को स्वीकृति प्रदान की गई। इनका निर्माण 2 वर्षों में किया जाना है। शेष 45 होस्टलों के सम्बन्ध में कुछ मामलों में विलम्ब राज्य सरकार द्वारा बराबरी का शेयर निर्मुक्त करने में विलम्ब अथवा प्रस्तावित होस्टलों के स्थान में परिवर्तन अथवा राज्य सरकारों की अन्य प्रशासनिक समस्याओं के कारण है।

(घ) राज्य सरकारों से होस्टलों के निर्माण के सम्बन्ध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और होस्टलों का निर्माण निधियों की निर्मुक्ति की तारीख से दो वर्षों के भीतर पूरा करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

बैंक ऋण की वसूली

2973. श्री राम टहल चौधरी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** बैंक ऋणों की वसूली के बारे में 8 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सूचना के कब तक सभा पटल पर रख दिये जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा चुकी है और आश्वासन की पूर्ति के लिए 25 जुलाई, 2002 को संसदीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित की जा चुकी है। उक्त आश्वासन की पूर्ति के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजे गए ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैकिंग प्रभाग — पूर्ति की तारीख

प्रश्न सं. एवं तारीख	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा पूरा किया गया	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
श्री रामजीलाल सुमन, डा. सुशील कुमार इंदौरा, श्री शिवाजी विठ्ठलराव काम्बले, श्री शिवाजी माने, श्री बीर सिंह महतो द्वारा 8.3.2002 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 1369	**बैंक ऋणों की वसूली** जिसमें पूछा गया था कि : (क) क्या सरकार ने उन बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की है जिन्होंने बैंकों और गैर–बैकिंग वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है और उन्हें निर्धारित अवधि के अन्दर वापस नहीं किया है;	(क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।	(क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं (एफआई) बड़े औद्योगिक घरानों समेत चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सहित उपर्युक्त कार्रवाई करता है। चूंकि सिविल न्यायालयों में कानूनी मामले अधिक समय ले रहे थे अतः सरकार चूककर्ता उधारकर्ताओं से संबंधित मामलों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की है। बैंकों/एफआई के बकायों की तेजी से वसूली करने के	भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना प्राप्त की जानी थी।

1	2	3	4	5
	(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 2001 के अंत तक इन औद्योगिक घरानों के विरुद्ध कुल कितनी धनराशि बकाया थी; (ग) वे कौन–कौन से औद्योगिक घराने हैं जिनके विरुद्ध इन ऋणों की वसूली हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कार्रवाई की गई है; और (घ) उक्त कार्रवाई के जरिए कितनी धनराशि की वसूली की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?		लिए देशभर से उनतीस ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) एवं 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) की स्थापना की गई है। (ख) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के 20 शीर्ष उधारकर्ताओं, जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए हैं, के पास 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार 4492.49 करोड़ रुपए राशि बकाया है। (ग) बैंकों में प्रचलित प्रथा एवं रीति–रिवाजों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली संविधि तथा सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक वाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंध के अनुक्रम में ग्राहकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। (घ) मार्च, 2002 तक डीआरटी ने कुल 23,393 मामलों का निपटारा किया है तथा 4736.51 करोड़ रुपए की राशि की वसूली में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में समय खपाने वाली प्रक्रिया में गए बिना बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को प्रभावी रूप से प्रतिभूति को लागू करने के लिए सरकार ने जून, 2002 में एक अध्यादेश पहले ही प्रख्यापित किया है। उक्त अध्यादेश आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी एवं आस्ति प्रतिभूतिकरण की स्थापना की व्यवस्था करता है।	

[हिन्दी]

विदेशी निवेशकों द्वारा लाभ का प्रेषण

2974. श्री हरिभाई चौधरी : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेशकों द्वारा अपने विदेशी पूंजी निवेश पर अर्जित लाभों के अपने देश को प्रेषण पर लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश सहित आज तक देश–वार कुल कितना विदेशी निवेश हुआ?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) विदेशी निवेश पर लाभ का प्रेषण अधिकृत डीलरों द्वारा किया गया एक चालू खाता लेनदेन है तथा यह भारत सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत शमिल है। ऐसे प्रेषणों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निम्न प्रकार है :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक के स्वतः मार्ग के अन्तर्गत	11,687.68 करोड़ रुपए
(ii) एसआईए/एफआईपीबी मार्ग के अन्तर्गत	58,165.09 करोड़ रुपए
योग	69,852.77 करोड़ रुपए

शीर्षस्थ दस निवेशकर्ता देशों के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार पोर्टफोलियो निवेश नीचे दिया गया है :

(i) पीआईएस के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवल निवेश	56,618.67 करोड़ रुपए
(ii) पीआईएस के तहत अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित निकाय निवेश	407.78 करोड़ रुपए

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/विदेशी निगमित निकायों के संबंध में देशवार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

विवरण

शीर्षस्थ दस निवेशकर्ता देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विवरण

(करोड़ रुपए)

1. मारीशस	26,977.16
2. संयुक्त राज्य अमरीका	12,372.78
3. जापान	4,835.03
4. जर्मनी	3,556.49
5. नीदरलैंड्स	3,116.90
6. यू.के.	3,823.17
7. दक्षिण कोरिया	2,278.07
8. फ्रांस	1,879.78
9. इटली	1,642.84
10. सिंगापुर	1,511.94

[अनुवाद]

विशेष संघटक योजना

2975. श्री रघुनाथ झा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एस सी ए और एस सी पी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों के पास सही समय पर नहीं पहुंचती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई है कि धनराशि क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों के पास सही समय पर पहुंचे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि धनराशि क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों के पास बिना विलंब के पहुंचे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में 100 प्रतिशत सहायतानुदान निर्मुक्त किया जाता है। निधियों के उपयोग की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ आवधिक समीक्षा की जाती हैं। जब कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा निधियों की प्राप्ति में विलम्ब का कोई मामला सरकार के

ध्यान में लाया जाता है तो इसे राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है।

गोदामों में पड़े जब्त किए गए स्वापक पदार्थ

2976. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गोदामों में स्वापक पदार्थ–वार कितनी मात्रा में जब्त किये गए स्वापक पदार्थ पड़े हैं और वे कब से पड़े हैं;

(ख) क्या जब्त किये स्वापक पदार्थों के मुकदमा पूर्व निपटान हेतु संबंधित अधिनियम में प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो जब्त किये गये स्वापक पदार्थों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायालय की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस समय गोदामों में पड़े जब्त स्वापक पदार्थों की संपूर्ण मात्रा के निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एम. रामचन्द्रन) : (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गोदामों में पड़ी स्वापक औषधियों की कुल मात्रा के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। इन स्वापक औषधियों को लम्बे समय के अंतराल में विभिन्न कार्यवाहियों के दौरान अभिगृहीत किया गया था और इनमें से कुछ के अभिगृहित स्वापक औषधियां 1987 से गोदामों में पड़ी हुई हैं।

(ख) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 52 क में स्वापक औषधियों की मुकदमा–पूर्व निपटान की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उनके गोदामों में पड़ी हुई सभी स्वापक औषधियों की चालू पुनरीक्षा पूरी होने के पश्चात्, संबंधित न्यायालयों की अनुमति से स्वापक औषधियों का मुकदमा–पूर्व निपटान किया जा सकता है।

विवरण

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के गौदामों में पड़ी हुई स्वापक औषधियों की कुल मात्रा के ब्यौरे

(कि. ग्रा. में)

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की क्षेत्रीय इकाई	अफीम	मार्फीन	हेरोइन	गांजा	हशीश	कोकीन	मेथाक्वालोट
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	22.466	2.900+18 ऐम्प्यूल्स	526.030	0	452.384	0.208	605.410
मुम्बई	5.000	0	151.000	2517.500	301.180	0.750	2202.610
चेन्नई	18.750	0	308.111	1570.367	0	0	11.300
अहमदाबाद	0	0	0	0	599.953	0	0
चंडीगढ़	23.090	0	8.000	0	97.005	0.003	0
वाराणसी	10.576	0.300+24 ऐम्प्यूल्स	11.003	249.075	22.006	0	0
जोधपुर	81.154	0	212.302	0	27.258	0	4.910

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू	0	0	15.000	0	9.600	0	0
कोलकाता	37.270	0	103.478	7598.628	38.014	0	110152 गोलियां + 0.2 किलोग्राम
योग	198.316	3.200+42 ऐम्प्यूल्स	1334.924	11935.57	1547.396	0.961	2824.43 + 110152 गोलियां

रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा कंपनी अधिनियम का उल्लंघन

2977. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :
श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने इस बात का पता लगाया है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के तुलन पत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) और रिलायंस इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम लिमिटेड (आर पी एल) के शेयरों में अपने कारोबार के बारे में सूचना वितरित नहीं कर कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर. पी. एल.) ने मूल प्रयोजन से हट कर 1000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि का उपयोग जोखिमपूर्ण कारोबारी गतिविधियों के लिए किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिलायंस पैट्रोलियम लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों के पूर्णरूपेण निरीक्षण के आदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, मैसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा उनकी चार सहायक कम्पनियों की लेखाबहियों और अन्य रिकार्डों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्टें भी प्राप्त हो चुकी हैं। दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (प्रादेश याचिका संख्या 2001 का 1549) भी दायर की गई है। मामला निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्र

2978. श्री रामदास आठवले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में राष्ट्रीय फैशन संस्थान के केन्द्रों का राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्रों को किन–किन स्थानों पर स्थापित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के सुचारु संचालन एवं रखरखाव हेतु खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) आज की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सात केन्द्र हैं जो नीचे दर्शाये गए हैं :

दिल्ली	–	नई दिल्ली
कर्नाटक	–	बंगलौर
पश्चिम बंगाल	–	कोलकाता
तमिलनाडु	–	चेन्नई
गुजरात	–	गांधीनगर
आंध्र प्रदेश	–	हैदराबाद
महाराष्ट्र	–	मुंबई

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, निफ्ट का कोई नया केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सात केन्द्रों पर हुए खर्च नीचे दिये गए हैं

(लाख रुपये में)

ब्यौरे	1999–2000	2000–2001	2000–2002
कक्षा उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, फर्नीचर व फिक्सचर्स और अन्य परिसंपत्तियों जैसे अध्यसरंचना	104.99	218.61	541.55
भवन	865.03	1471.34	1572.27
कुल	970.02	1689.95	2113.82

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

समुद्री खाद्य उद्योग के विकास हेतु कदम

2979. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के समुद्री खाद्य उद्योग को पुनर्जीवित एवं उसका विकास करने हेतु उपाय करने का निर्णय लिया है जो कि एम पी इ डी ए एवं वाणिज्य विभाग द्वारा यथा संशोधित आई आई एम, कोलकाता की सिफारिशों के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वित करने हेतु स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उनकी टिप्पणियों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई कार्य योजना यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार नए उद्यमियों/उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एक आवर्ती कोष सृजित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा से मुकाबला करने के लिए समुद्री खाद्य उद्योग की विद्यमान इकाइयों के विविधीकरण और मूल्यवर्धक परियोजनाओं/योजनाओं का वित्तपोषण करने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कोष को सृजित करने पर विचार कर रही है और इस कोष के लिए कार्पस का सृजन कब तक किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) सरकार ने समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात उद्योग तथा उसकी अवस्थापना संबंधी जरूरतों के वित्तपोषण की पद्धति का पुनर्गठन करने के बारे में एक योजना तैयार करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता की सिफारिशों की जांच की है। अध्ययन में अन्य बातों के साथ–साथ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक पुनर्गठन निधि को सृजित करने की सिफारिश की गई थी।

सरकार ने समुद्री खाद्य उद्योग के लिए उक्त पुनर्गठन निधि को सृजित करने के सुझाव की जांच की है तथापि, प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

भ्रष्टाचार के मामले

2980. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश के गैर सरकारी संगठनों

को अनुदान प्रदान करने से संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार पर गौर किया है; और

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार निवारण हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देने से संबंधित अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की किसी घटना का सरकार को पता चलने पर विद्यमान कानूनों, नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। विलम्ब को दूर करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदानों की निर्मुक्ति और उसकी मॉनीटरिंग को सरल बना दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं

2981. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों, मिट्टी के तेल, चीनी, आदि की पर्याप्त मात्रा लाभार्थियों तक नहीं पहुंची है, जैसाकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट संख्या 3 (सिविल) के पैरा 1.8 में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों और इनके अन्यत्र उपयोग के तरीकों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट संख्या 2000 की 3 (सिविल) में यह टिप्पणी की है कि राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं का एक बड़ा भाग, उनके खुले बाजार में विपथन हो जाने के कारण लाभभोगियों तक नहीं पहुंचा है। तथापि, विपथन की मात्रा के संबंध में कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है ताकि वे उनसे संबंधित बिन्दुओं की जांच कर सकें और उन पर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे नियंत्रक और महालेखा। परीक्षक के पास भेज दिया गया है।

मसालों के नवीन उपयोग

2982. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड मसालों के नवीन उपयोगों की खोज करने हेतु आविष्कारी अनुसंधान का समर्थन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन संस्थाओं को मसाला बोर्ड के साथ संबद्ध किया जा रहा है;

(ग) क्या मसाला बोर्ड ने इन संस्थाओं से भारत में उपलब्ध मसालों की औषधीय उपयोगिता की जांच-पड़ताल करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो औषधीय उपयोगिता के संबंध में अनुसंधान करने हेतु किन मसालों की पहचान की गई है; और

(ङ) मसाला बोर्ड के इस नवीन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) मसाला बोर्ड ने मसालों के नए प्रयोग जैसे औषधीय, पौषणिक, भेषजीय तथा मसालों के न्यूट्रासिटिकल गुणों के संबंध में विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुसंधान संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संस्थान हैं— नागार्जुन रिसर्ज फाउंडेशन, थोडूपुझा, केरल; इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, कोयम्बतूर, तमिलनाडु; सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसीनल एंड एरोमेटिक प्लांटस, लखनऊ, उ.प्र.; नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रीशन, हैदराबाद; केरल आयुर्वेद फार्मेसी लि., अलवाये, केरल; मैं. सामी लेबोरेटरी, बैंगलूर कर्नाटक। अपने औषधीय गुणों के कारण अनुसंधान के लिए अभिज्ञात किए गए मुख्य मसाले यह हैं—अदरक, लहसून, अजवाईन, दालचीनी, मेथी, हल्दी तथा काली मिर्च। उत्पाद विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यू एन पी डी तथा मसाला बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप

से ब्याज रहित ऋण प्रदान करने हेतु आवर्ती निधि की स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

संकट ग्रस्त चीनी मिल

2983. श्री मानसिंह पटेल :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं के निवारण हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विदेशों में स्थित चीनी मिल भी उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका कि भारतीय चीनी मिल कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) पिछले तीन चीनी मौसमों और वर्तमान पेराई मौसम के दौरान चीनी का उच्च स्तर पर उत्पादन होने के कारण चीनी मिलों के पास भारी मात्रा में स्टाक जमा हो गया है। इससे स्टाक रखने की अत्यधिक लागत वहन करनी पड़ रही है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में भी कमी हुई है जिससे चीनी मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

चीनी मिलों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) चीनी फैक्ट्रियों का लेवी दायित्व 1.1.2000 से 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है और बाद में 1.2.2001 से इसे 15 प्रतिशत कर दिया गया। इसे 1.3.2002 से और घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे चीनी फैक्ट्रियां खुले बाजार में खुली बिक्री के कोटे के अधीन और अधिक चीनी बेच सकेंगी और इस प्रकार बेहतर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

(ii) मात्रात्मक सीमा पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(iii) चीनी के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :

(क) निर्यात की जाने वाली चीनी को लेवी दायित्व से छूट दी गई है।

(ख) चीनी के निर्यात के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य पर 4.1 प्रतिशत की दर से डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी गई है।

(ग) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में संशोधन किया गया है ताकि उसका अन्य बातों के साथ-साथ चीनी के निर्यात पर चीनी फैक्ट्रियों को आन्तरिक ढुलाई और भाड़ा प्रभारों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने विदेशों में स्थित चीनी मिलों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीन और दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार का विस्तार

2984. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास चीन और दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार का विस्तार करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई; और

(घ) इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि चीन तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ाया जाए। इन देशों को भारतीय निर्यात हित के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल हैं– कृषि उत्पाद, खनिज एवं अयस्क, वस्त्र, चर्म तथा चर्म वस्तुएं रत्न एवं आभूषण, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं, इंजीनियरिंग वस्तुएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि। भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिए लगातार किए जाने वाले उपायों में शामिल हैं : व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, सूचना/शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान, व्यापार संबंधी कार्य दल, संयुक्त व्यापार समितियों की सरकारी स्तर पर बैठकें, संयुक्त व्यापार परिषदों के तत्वाधान में संबंधित वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के बीच बैठकें इत्यादि।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बंद करना

2985. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक विवरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने देश भर में स्थित कई गोदामों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बंद करने से संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बंद करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, कुछ श्रमिक समस्याओं के कारण बिहार, झारखंड तथा उत्तरांचल में भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदाम इस समय काम नहीं कर रहे हैं, इससे इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास

2986. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुए औद्योगिक विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) औद्योगिक उत्पादन में भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पृथक–पृथक हिस्सा कितना है; और

(ग) उदारीकरण के बाद के वर्षों में भारतीय कम्पनियों ने किन क्षेत्रों में अधिकतम वृद्धि–दर दर्ज की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई. आई. पी.) के द्वारा मापा जाता है जिसमें इस समय क्षेत्र–वार, उपयोग आधारित और दो अंकों के स्तर के वर्गीकरण को अपनाया जाता है। आई. आई. पी. के आकलन के प्रयोजन हेतु भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भिन्न–भिन्न वर्गीकरणों का उपयोग नहीं किया जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	वृद्धि दर (%)
1999–2000	6.7
2000–2001	5.0
2001–2002	2.8
2002–2003 (अप्रैल–मई)	3.8

[अनुवाद]

शहतूश पर से प्रतिबंध उठाना

2987. श्री वी. वेत्रिसेलवन :

डा. मन्दा जगन्नाथ :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत, चीन और नेपाल में **शहतूश अत्यधिक संरक्षित पशु है और वर्ष 1979 से शहतूश का व्यापार प्रतिबंधित है;**

(ख) क्या शहतूश बुनाई पर लगे प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) शहतूश, तिब्बती हिरन, जिसे सामान्यतः चिरू के नाम से जाना जाता है, के पेट के निचले भाग के बालों से प्राप्त अति उत्तम ऊन है। चिरू वन्य जीव (संरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–1 में सूचीबद्ध है तथा भारत में शहतूश का व्यापार प्रतिबंधित है।

(ख) और (ग) शहतूश के व्यापार पर लगा प्रतिबंध उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

दीन दयाल हथकरघा
प्रोत्साहन योजना

2988. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

श्री सुबोध मोहिते :

श्री राम सिंह कस्वां :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितनी धन राशि का आवंटन किया गया है;

(ग) अब तक दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने उक्त योजना के कार्यान्वयन में विलंब किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2000–01 से हथकरघा क्षेत्र के लिए दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना शुरू की है।

(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए स्वीकृत की गई निधियां निम्न प्रकार हैं :

क्र.सं.	वर्ष	योजना के लिए आवंटित राशि	योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनकी परियोजनाओं हेतु स्वीकृत/जारी की गई राशि	
			स्वीकृत	जारी
1.	2000–01	4300.00	2465.54	1695.84
2.	2001–02	7930.00	9177.22	5935.00
3.	2002–03 (आज तक)	8200.00	2151.43	1925.49
	कुल	20430.00	13794.19	9556.33

(ग) अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं में कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 81,157 है।

(घ) और (ङ) जी, हां। अब तक जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने योजना को कार्यान्वित नहीं किया है, वे निम्नलिखित हैं :

1.	बिहार	5.	उड़ीसा
2.	हरियाणा	6.	पंजाब
3.	झारखण्ड	7.	राजस्थान
4.	महाराष्ट्र	8.	मिजोरम

9. सिक्किम
10. गोवा
11. दादरा व नगर हवेली
12. पाण्डिचेरी

[अनुवाद]

निर्धनों एवं दलितों को बैंक ऋण

2989. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलित एवं निर्धन लोगों को अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी प्रकार का ऋण संस्वीकृत करा पाना असंभव हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दलितों को ऋण संस्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास प्रश्न में पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना नहीं होती है। तथापि, सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होता है, जैसाकि संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा दलितों को ऋण मंजूर करने की प्रक्रियाओं और फार्मों के सरलीकरण के लिए कई उपाय किए हैं और बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित जातियों/जनजातियों और दलितों से प्राप्त शिकायतों की बैंक-वार और राज्य-वार संख्या के संबंध में कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं हैं। तथापि, शिकायत प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक उसे अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह विशिष्ट बैंक शाखा स्थित है, जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय कार्यालय शिकायत की जांच करता है और उस मामले में आवश्यक कार्रवाई करता है।

विवरण-I

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. उधारकर्ताओं को दी गई सब्सिडी और कोटा सहित छूटों का ब्यौरा

योजना	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण	सब्सिडी	मार्जिन	प्रतिभूति
1	2	3	4	5
एसजीएसवाई (कोई ऋण सीमा नहीं)	50 प्रतिशत	अधिकतम 10,000 रु. की प्रतियोजना लागत का 50 प्रतिशत परियोजना समूह लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.25 लाख रुपये	व्यक्तियों के मामले में 50,000 रु. तक तथा समूह के मामले में 5 लाख रु. तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं	50,000 रु. के व्यक्तिगत ऋण तथा 5 लाख रु. तक के सामूहिक ऋण के लिए बैंक ऋण से सृजित आस्तियों को प्राथमिक पतिभूति के रूप में बैंक के पास दृष्टिबंधक रखा जाएगा। उन मामलों में बैंक के विवेक से भूमि बंधक/अन्य पक्ष गारंटी प्राप्त की जा सकती है जहां

1	2	3	4	5
				चल आस्तियां सृजित न की गई हों। 50,000 रुपए से अधिक के व्यक्तिगत ऋणों तथा 5 लाख रुपए से अधिक के सामूहिक ऋणों पर उपयुक्त मार्जिन राशि/सम्पार्श्विक प्राप्त की जा सकती है।
एसजेएसआरवाइ (परियोजना लागत की अधिकतम सीमा 50,000 रु.)	जनसंख्या में उनके अनुपात की मात्रा के लिए	अधिकतम 7500 रु. के साथ परियोजना लागत का 15 प्रतिशत। समूह के लिए अधिकतम 1.25 लाख रु. के साथ परियोजना लागत का 50 प्रतिशत	परियोजना लागत का 5 प्रतिशत	इस ऋण के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक नहीं होती। सिर्फ सृजित आस्तियों को बैंक के पास दृष्टिबंधक/बंधक/गिरवी रखा जाएगा।
पीएमआरवाई (कारोबार क्षेत्र के लिए 1 लाख रु. तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 2 लाख रु. की परियोजना लागत सीमा)	22.5 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 10 वर्ष तक की छूट (अर्थात 18 से 45 वर्ष तक)	अधिकतम 7,500 रु. सहित परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर राज्यों में 15,000 रु.)	परियोजना लागत का 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत ताकि सब्सिडी और मार्जिन राशि को मिलाकर परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक किया जा सके।	1 लाख रु. तक की परियोजना के लिए कोई सम्पार्श्विक/अन्य पक्ष गारंटी नहीं। भागीदारी फर्मों के मामले में प्रतिव्यक्ति 1 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए कोई सम्पार्श्विक नहीं। भागीदारी फर्मों के लिए कुल ऋण 5 लाख से अधिक नहीं। उद्योग के मामले में 2 लाख रु. की परियोजना लागत के साथ ऋणों के लिए कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूति नहीं।
एसएलआरएस (परियोजना लागत अधिकतम सीमा 50,000 रु.)	मुख्य रूप से स्केवेंजरों और उनके आश्रित	अधिकतम 10,000 रु. के अध्यधीन परियोजना लागत का 50 प्रतिशत।	6,500 रु. तक की सहायता के लिए राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम से 4 प्रतिशत की परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से उधारकर्ता मार्जिन सहायता प्राप्त कर सकते हैं।	कोई सम्पार्श्विक नहीं। सिर्फ ऋण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधन।
डीआरआई (ऋण सीमा 6,500 रु.)	40 प्रतिशत	कोई सब्सिडी नहीं। ब्याज की घटी हुई दरें (ब्याज सब्सिडी योजना)	शून्य	कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूतित नहीं। सिर्फ ऋण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधन।

विवरण-II

अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण के प्रवाह के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी मार्गनिर्देश

1. अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्य प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्ग का हिस्सा है। बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले अपने अग्रिमों के अनुपात को 40 प्रतिशत तक बढ़ाना है और कमजोर वर्गों को अग्रिमों का स्तर कुल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

2. डीआरआई अग्रिमों का 40 प्रतिशत अ.ज./अ.ज.जा. को दिया जाना चाहिए।

3. एसजीएसवाई के अंतर्गत कम से कम सहायता प्राप्त परिवारों का 50 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. का होना चाहिए।

4. पीएमआरवाई के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. को 22.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।

5. एमजेएसआरवाई के अंतर्गत स्थानीय जनता के अ. जा./अ.ज.जा. की आबादी के हिसाब से उन्हें अग्रिम प्रदान किया जाना चाहिए।

6. डीआरआई योजना के अंतर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक के रियायती ब्याज दर पर मकानों के निर्माण के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्यों को बैंकों द्वारा 5,000 रुपए तक के ऋण दिए जाते हैं, बशर्ते कि वे डीआरआई योजना के आय संबंधी मानदंडों को पूरा करते हों।

7. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि अ.जा./अ. ज.जा. आवेदकों से प्राप्त ऋण प्रस्ताव किसी वैध कारण के अस्वीकार न किए जाएं। बैंकों से कहा गया है कि ऐसे प्रस्तावों के मामले में अस्वीकार किए जाने का कार्य शाखा प्रबंधक से उच्च स्तर पर किया जाए।

8. सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं/स्वरोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. से प्राप्त ऋण आवेदनों पर विचार करते समय बैंकों से उनसे जमाराशियों पर जोर न देने के लिए कहा गया है।

9. बैंक कर्मचारी फार्म भरने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में गरीब उधारकर्ताओं की मदद कर सकते हैं ताकि वे बिना देरी के ऋण सुविधा प्राप्त कर सकें।

10. अ.जा./अ.ज.जा. के उत्थान के लिए राज्य की एजेंसियों द्वारा तैयार विशेष कार्यक्रमों में बैंक को भाग लेना चाहिए।

11. बैंक कर्मचारी अशिक्षित उधारकर्ताओं से सम्पर्क कर सकते हैं और उन्हें योजनाओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं और साथ ही उससे होने वाले लाभों से अवगत करा सकते हैं।

12. ऋण की प्लानिंग में अ.जा./अ.ज.जा. की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन समुदायों के लिए उपयुक्त बैंक योग्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

13. शाखाओं से प्राप्त विवरणियों एवं अन्य आंकड़ों के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा. को दी गई ऋण के लिए बैंकों के मुख्य कार्यालयों द्वारा आवधिक समीक्षा की जानी है।

14. बैंकों को अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों के लिए ऋण प्रवाह की निगरानी के लिए प्रधान कार्यालयों में एक विशेष कक्ष को स्थापित करने की सलाह दी गई है।

15. संयोजक बैंकों (एसएलबीसीके) को एसएलबीसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के राष्ट्रीय आयोग के प्रतिनिधि को आमंत्रित करने की सलाह दी गई है।

16. बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के लिए तिमाही विवरणियों को प्रस्तुत करता है जो अ.जा./अ.ज. जा. उधारकर्ताओं को संस्वीकृत अग्रिमों से संबंधित आंकड़े को अलग से भी दर्शाता है।

सिंचाई एवं जलापूर्ति परियोजनाओं हेतु धन

2990. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई एवं जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए प्रायः काफी धन की आवश्यकता होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या अवसंरचनात्मक वित्त का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है और किसी एकल उधारकर्ता को बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा उधार दिए जाने की चालू सीमा इसके पूंजीगत कोष का 25 प्रतिशत और उधारकर्ताओं के समूह के लिए 50 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने मई, 2001 में केन्द्र सरकार को सिंचाई एवं जलापूर्ति परियोजनाओं के संबंध में वित्त पोषण के मानदंडों के लिए 40 प्रतिशत तक उर्ध्वगामी संशोधन के लिए अभ्यावेदन दिया था;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उर्ध्वगामी संशोधन संबंधी निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार आधारभूत परियोजना के वित्तपोषण के मामले में वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण एक्सपोजर सीमा एकल उधारकर्ता एवं समूह उधारकर्ताओं के लिए इसकी पूंजीगत निधियों का क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) जी, हां। गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सिंचाई तथा जल परियोजनाओं के संबंध में एकल उधारकर्ता के लिए पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत तक एक्सपोजर सीमा का उर्ध्वमुखी संशोधन करने के लिए अनुरोध किया था। प्रस्ताव की जांच भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी और विद्यमान एक्सपोजर मानदंडों को बनाए रखने का निर्णय लिया गया था। तथापि, वाणिज्यिक बैंक एक्सपोजर सीमा को बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क कर सकते थे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर अलग-अलग मामलों में प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

गुजरात वानिकी विकास परियोजना

2991. श्री दिलीप संघाणी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात वानिकी विकास परियोजना को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन को सौंपा गया है ताकि गुजरात राज्य को वर्ष 2003-2004 से इस परियोजना से लाभ प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.)

2992. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ वस्त्र इकाइयों ने अभी तक प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.) का लाभ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.) से लाभान्वित होने वाली कंपनियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कोष से प्रत्येक कंपनी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत दिनांक 1.4.1999 से 31.5.2002 तक, 14374 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के लिए 1656 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5227 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि के 1419 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 1136 आवेदनों

के लिए 3609 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

(ख) और (ग) इससे लाभान्वित कंपनियों का ब्यौरा तथा प्रत्येक कंपनी द्वारा प्राप्त राशि का ब्यौरा नोडल एजेंसियों तथा उनकी सहयोगी एजेंसियों से एकत्र किया जा रहा है।

नक्सलवादियों के खतरे से निपटने के लिए धन

2993. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नक्सलवादियों के खतरे से निपटने के लिए धन संस्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो नक्सल प्रभावित विभिन्न राज्यों से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु उन राज्यों में से प्रत्येक को कितना धन संस्वीकृत किया गया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रभावित क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ सुरक्षा पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एकीकृत कार्य योजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उडीसा से प्राप्त हुई हैं। गंभीर रूप से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा नक्सलवादियों की गतिविधियों से जूझने के लिए किए गए व्यय में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति किए जाने की एक स्कीम लागू की गई है। अब तक संबंधित राज्यों को 96.71 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

नाबार्ड ऋण

2994. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने कुछ राज्यों में ग्रामीण अवसंरचना का सृजन करने हेतु ऋण संस्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को संस्वीकृत किए गए ऋण की धनराशि कितनी है; और

(ग) इस ऋण के माध्यम से राज्य-वार किन परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने 13 जुलाई, 2002 को ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) -VIII के अंतर्गत 9 राज्यों को ऋण के रूप में 31,153.94 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। मंजूर किए गए ऋण तथा इनके माध्यम से शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं. राज्य का नाम	प्रारम्भ की गई परियोजनाएं	राशि (लाख रु.)
1. आन्ध्र प्रदेश	सड़कें एवं पुल, ग्रामीण जल आपूर्ति	2315.84
2. गुजरात	ग्रामीण पेय जल आपूर्ति	15869.31
3. कर्नाटक	सड़कें एवं पुल सिंचाई	3942.71
4. मध्य प्रदेश	पुल	1162.84
5. मेघालय	ग्रामीण सड़कें	383.53
6. नागालैंड	सिंचाई	473.42
7. पंजाब	ग्रामीण जल आपूर्ति	2184.69
8. तमिलनाडु	पीएचसी (उन्नयन), सड़कें एवं पुल	2649.85
9. पश्चिम बंगाल	प्राथमिक विद्यालय, सड़कें एवं पुल	2171.75
कुल		31153.94

तुलन पत्रों की जांच

2995. डा. बलिराम : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 2002 के 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में "डी.सी.ए. में स्टार्ट रैंडम स्क्रूटनी ऑफ बैलंसशीट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश बना रही है कि किसी कारपोरेट घराने में आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) विभाग पहले ही तुलनपत्रों की तकनीकी छंटनी अचानक करता है।

(ग) और (घ) कम्पनी संशोधन विधेयक, 1997 में एक प्रस्ताव है जिसके तहत एक कम्पनी को पांच वर्षों की अवधि के बाद अपने लेखा परीक्षक को बदलना अपेक्षित होगा।

डी.एस.क्यू. सॉफ्टवेयर

2996. श्री रामरती बिन्द : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग डी.एस.क्यू. सॉफ्टवेयरों की गतिविधियों की जांच–पडताल कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच–पड़ताल पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत एक निरीक्षण कर लिया गया है।

(ख) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ग) और (घ) कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के उल्लंघन के लिए आवश्यक अभियोजनों के आदेश दे दिए हैं। पी एफ देय तथा ई एस आई देयों को जमा करने में हुई देरी के लिए, मामले को पी एफ/ईएसआई प्राधिकारियों को उनके द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का योगदान

2997. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के परिणाम–स्वरूप पिछले दो दशकों में घरेलू निवेश में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय आर्थिक विकास में इसके योगदान का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में घरेलू निवेश में बढ़ोत्तरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत में सकल घरेलू निवेश में प्रत्यक्ष निवेश का हिस्सा 1990–91 के 0.12 प्रतिशत से बढ़कर 2000–01 में 2.13 प्रतिशत हो गया तथा इस दर पर घरेलू निवेश में गिरावट नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने घरेलू निवेश में वृद्धि करके, प्रौद्योगिकी के उन्नय, प्रबंधकीय और तकनीकी कार्य कुशलताओं में और सुधार करके तथा विपणन नेटवर्क को व्यापक बनाकर आर्थिक विकास में योगदान दिया है।

(ग) सरकार ने देश में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्यों के साथ–साथ व्यापार, उद्योग, आधारढांचा, वित्तीय क्षेत्रकों की नीतियों का उदारीकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का यौक्तिकरण और उनमें कमी करना, ब्याज दर में कमी करना,

आधारढांचा और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश हेतु करावकाश तथा ठोस वृहत आर्थिक नीतियां शामिल हैं ताकि मूल्यों और विनिमय दरों में स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके।

विदेशी कम्पनी का दर्जा

2998. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फेरा' के कारण कई विदेशी कम्पनियों ने अपनी विदेशी शेयरधारिता को घटा दिया था और अब वे अधिकांश शेयरों को पुनः वापस ले रही हैं अथवा वे शत-प्रतिशत विदेशी कंपनी का दर्जा ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे भारतीय लघु निवेशकों और शेयर बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां। विद्यमान नीति के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। निवासी शेयरधारकों से विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण/वापसी-खरीद के जरिए विदेशी शेयरधारिता की वृद्धि के प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा एफडीआई उच्चतम सीमाओं, न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षाओं आदि से संबंधित क्षेत्रक नीति सहित विद्यमान नीति के आधार पर विचार किया जाता है। सार्वजनिक पेशकश के जरिए शेयरों के अधिग्रहण/वापसी-खरीद वाले मामलों के अनुमोदन सेबी मूल्य निर्धारण मानदंडों तथा सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 1997 के अध्यधीन हैं।

(ख) और (ग) स्टॉक एक्सचेंजों से प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता समाप्त किए जाने की अंतिम परिणति बाजार पूंजीकरण तथा कारोबार मात्र में ह्रास के रूप में हो सकती है। जहां तक लघु निवेशकों का संबंध है, प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद/शेयरों का पर्याप्त अर्जन लघु निवेशकों के लिए सेबी विनियमों के संगत एक निकास विकल्प प्रदान करता है जहां तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों से सूचीबद्धता समाप्त किए जाने का प्रश्न है, सेबी ने सूचीबद्धता समाप्त किए जाने हेतु मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है।

फास्ट ट्रैक 560 स्कीम

2999. श्री एन. ब्रह्मनैया : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजीकृत कम्पनियों की सूची से कम्पनियों को हटाने के कार्य को सरल बनाने के लिए फास्ट ट्रैक 560 स्कीम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002 के पूर्वार्द्ध के दौरान कितने आवेदन लम्बित थे; और

(ग) कम्पनियां इस योजना का लाभ उठा सकें, इस कार्य को सरल बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने "फास्ट ट्रैक 560 स्कीम" प्रस्तुत की थी जो कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों के नाम हटाने के कार्य को सरल बनाने के लिए 28.9.2000 से 31.1.2001 तक लागू थी। भूकम्प के कारण केवल गुजरात राज्य के लिए स्कीम को 31.3.2001 तक आगे बढ़ाया गया था। वर्तमान में फास्ट ट्रैक धारा 560 स्कीम लागू नहीं है।

'इनसाइड ट्रेडिंग'

3000. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 'सेबी' की शुरूआत से लेकर 30 जून, 2002 तक 'इनसाइड ट्रेडिंग' के कितने मामले उसके ध्यान में आए हैं;

(ख) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार 'सेबी' ने कितने मामलों में अभियोजन चलाया है;

(ग) 'सेबी' के पास अभी तक लंबित पडे मामलो का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन मामलों में अभियोजन चलाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि कथित भीतरी कारोबार के 33 (केवल तैंतीस) मामले सेबी की जानकारी में आए हैं।

(ख) सेबी ने दो मामलों में अभियोजन आरंभ कर दिए हैं तथा अन्य मामले में अभियोजना की संभावना पर विचार कर रहा है।

(ग) से (ङ) जांच के लिए उठाए गए कथित भीतरी कारोबार के 33 मामलों में से 21 मामलों में जांच बंद कर दी गई है क्योंकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपों की पुष्टि या परिशीलन नहीं किया जा सका। शेष 12 मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं।

[हिन्दी]

स्रोत पर कर कटौती

3001. श्री राजो सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा बिहार में अग्रिम रूप से स्रोत पर कितनी आयकर राशि की कटौती की गई है;

(ख) कुल आयकर प्राप्तियों में से बिहार सरकार को कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में स्रोत पर कटौती के उद्देश्यों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) बिहार राज्य के बारे में प्रत्यक्ष करों की वसूली के अलग आंकडे नहीं रखे जाते हैं। उपलब्ध नहीं हैं। बिहार और झारखंड के राज्यों में वित्त वर्ष 2001–2002 में स्रोत पर कर की कटौती की कुल धनराशि 300.17 करोड़ थी।

(ख) वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान सकल शुद्ध आयकर प्राप्तियों में से बिहार राज्य को 1142.06 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती संबंधी उपबंध बिहार राज्य सहित पूरे देश में लागू किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सोना और चांदी जब्त किया जाना

3002. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में प्रमुख विमानपत्तनों और पत्तनों पर राजस्व और आसूचना महानिदेशालय और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कितनी मात्रा में तस्करी का सोना और चांदी जब्त किया गया और उसका मूल्य कितना है;

(ख) जब्त किए गए उक्त माल का राज्य–वार विमान टर्मिनल–वार और पत्तन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विमानपत्तनों और पत्तनों से दूर तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ने के लिए एक विशेष दल का गठन करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के प्रमुख एयर टर्मिनलों और पत्तनों पर राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अभिगृहीत तस्करी किए गए सोने और चांदी की मात्रा तथा मूल्य राज्यवार एयर टर्मिनलवार और पत्तनवार संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय उन तस्करों को पकड़ने के लिए सजग और चौकस रहते हैं जो विमानपत्तनों और पत्तनों के आस–पास के स्थानों से दूर सक्रिय रहते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अभिगृहीत किए गए तस्करी सोने और चांदी के राज्यवार, एयरटर्मिनल-वार और पत्तनवार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पत्तन/हवाई-पत्तन का नाम	1999-2000				2000-2001				2001-2002			
		अभिगृहीत सोना		अभिगृहीत चांदी		अभिगृहीत सोना		अभिगृहीत चांदी		अभिगृहीत सोना		अभिगृहीत चांदी	
		मात्रा (किलो ग्राम में)	अभि.मू. (लाख रु. में)	मात्रा (किलो ग्राम में)	अभि.मू. (लाख रु. में)	मात्रा (किलो ग्राम में)	अभि.मू. (लाख रु. में)	मात्रा (किलो ग्राम में)	अभि.मू. (लाख रु. में)	मात्रा (किलो ग्राम में)	अभि.मू. (लाख रु. में)	मात्रा (किलो ग्राम में)	अभि.मू. (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम पत्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15.00	65.55	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	हैदराबाद हवाई पत्तन	9.78	42.00	2.00	0.16	3.34	18.48	शून्य	शून्य	16.00	65.00	शून्य	शून्य
	हैदराबाद हवाई कारगो कॉम्पलेक्स	59.48	262.90	शून्य	शून्य	46.68	214.82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	इंदि. गा. अ. ह. प. नई दिल्ली	42.88	204.56	2.00	0.15	22.95	141.55	शून्य	शून्य	10.31	45.99	शून्य	शून्य
गोवा	डाबोलियू ह. पत्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.21	4.90	शून्य	शून्य	0.33	1.53	शून्य	शून्य
गुजरात	अहमदाबाद हवाई पत्तन	8.50	34.00	शून्य	शून्य	11.50	46.00	शून्य	शून्य	6.40	28.00	शून्य	शून्य
कर्नाटक	बंगलौर ह. पत्तन	3.83	15.39	शून्य	शून्य	6.88	33.68	शून्य	शून्य	5.53	22.94	शून्य	शून्य
केरल	तिरुअनंतपुरम ह. पत्तन	119.88	504.94	शून्य	शून्य	30.65	80.70	शून्य	शून्य	9.90	39.25	शून्य	शून्य
	नेदूम्बासरी ह. पत्तन	11.66	440.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.70	18.80	शून्य	शून्य
	करीपुर हवाई पत्तन	21.40	807.00	शून्य	शून्य	12.37	46.65	शून्य	शून्य	12.14	56.44	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	कालीकट ह. पत्तन	2.68	11.76	शून्य	शून्य	7.58	34.19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महाराष्ट्र	बनकोट पोर्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1685	126.00
	सी.एस.आई. ह. पत्तन	149.38	640.42	शून्य	शून्य	153.64	654.42	शून्य	शून्य	112.36	474.52	2.47	017
	मुम्बई पत्तन	112.39	442.67	शून्य	शून्य	2.92	12.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	चेन्नई पत्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	104.85	466.89	शून्य	शून्य
	चेन्नई ह. पत्तन	83.25	272.06	शून्य	शून्य	71.21	316.89	शून्य	शून्य	186.24	837.59	शून्य	शून्य
	त्रिची ह. पत्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.20	1.30	शून्य	शून्य	0.28	0.84	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	लखनऊ ह. पत्तन	0.54	2.23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.05	0.23	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	नेताजी सु. च. बो. अ. ह. प. काल.	11.53	51.41	63.5	4.4	24.41	110.81	शून्य	शून्य	21.6	104.20	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग में कम्प्यूटर

3003. श्री शिवराजसिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के हथकरघा वस्त्र उद्योग में नवीनतम कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्योग के लिए एक विशेष कम्प्यूटर प्रणाली का विकास कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके डिजायनरों को कम्प्यूटरों की सहायता से परीक्षण सुविधा प्राप्त होने की संभावना है और उससे तत्काल परिणाम भी प्राप्त करने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) डिजायनर द्वारा आलेख तैयार करने में काफी समय लगता है जबकि वही कार्य कम्प्यूटर द्वारा अत्यधिक कम समय में किया जा सकता है। कम्प्यूटर एडेड सिस्टम से बुनकर अपनी बुनाई और रंग संयोजन का तुरंत पूर्वावलोकन कर सकते हैं और उसकी डिजाइन और विनिर्देश में आसानी से सुधार कर सकते हैं। इसी तरह, कम्प्यूटरीकृत रंग मिलान प्रणाली, डिजाइनरों और हथकरघा विनिर्माताओं के लिए कपडे पर रंग पुनरोत्पादन में एकरूपता और परिशुद्धता बनाए रखने में सहायक होती है।

(ग) और (घ) वस्त्र उद्योग में डिजाइन विकास कार्य हेतु कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम विकसित किया गया है। विभिन्न कम्पनियों ने सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं और उसे बाजार में उपलब्ध कराया है।

(ङ) और (च) सरकार ने कुल 24 बुनकर सेवा केन्द्रों के 18 केन्द्रों में कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सिस्टम उपलब्ध कराया है। कम्प्यूटर एडेड डिजायन सिस्टम की मदद से बुनकर केन्द्र, विशिष्ट और जटिल डिजाइन तैयार कर सकते हैं और बुनकर समुदाय के उपयोग के लिए आलेख डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। हथकरघा क्षेत्र में चल रही केन्द्रीय योजना दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कम्प्यूटर एडेड डिजाइन स्टिम की खरीद हेतु राज्य स्तरीय हथकरघा संगठनों और प्राथमिक सहकारी समितियों को सहायता देने का प्रावधान भी है ताकि वे इसे अपनी प्रौद्योगिकी के संवर्धन और उत्पाद विविधता को सुविधाजनक बनाने में इस्तेमाल कर सकें।

[अनुवाद]

खाद्यान्न निर्यात में तीव्रता लाना

3004. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की खाद्यान्न निर्यात में तीव्रता लाने के लिए काउंटर व्यापार करने और वस्तुओं हेतु ऋण प्रदान करने की योजना सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार के सामने आई अथवा आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना को चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ङ) सरकार ने हाल ही में मामला प्रति मामला आधार पर तय की जाने वाली शर्तों पर अन्य देशों के साथ काउंटर व्यापार और/अथवा खाद्यान्नों के रूप में जिन्स सहायता देने का निर्णय किया है।

आस्तियां पुनर्निर्माण कम्पनियां

3005. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने बैंकिंग क्षेत्र में **गैर–निष्पादनकारी** आस्तियों के रोकने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण **कम्पनी की स्थापना** करने पर अपनी गम्भीर आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी **आपत्तियों** के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) सरकार को आस्ति पुनर्गठन कंपनी **की स्थापना** के संबंध में बैंक अधिकारी संघ से कोई **आपत्ति प्राप्त नहीं** हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
द्वारा जारी परिपत्र

3006. श्री सुबोध मोहिते :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार पूंजीगत लाभों पर कर **का भुगतान करने से मॉरीशस स्थित** विदेशी संस्थागत निवेशकों **को छूट देने के संबंध में** केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी **किए गए परिपत्र** को धत्ता बताते हुए माननीय दिल्ली उच्च **न्यायालय के निर्णय** के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर **करने का है;**

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो **क्या** सरकार का विचार इन विदेशी **संस्थागत निवेशकों** से भूतलक्षी निधि से कर की वसूली करने **का है; और**

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी ए. रामचन्द्रन) : (क) सरकार को इस मामले में **अभी निर्णय लेना है।**

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

वस्तुओं की तस्करी

3007. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बांग्लादेश और म्यांमार से बड़े पैमाने पर भारत में वस्तुओं की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए चौकस और सतर्क हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले
परिवारों को खाद्यान्न आवंटन

2008. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्रीमती जस कौर मीणा :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा समाज के निम्नतम तबके तक पर्याप्त लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने और परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने की दृष्टि में भारत सरकार ने जून, 1997 में गरीबों पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी। खाद्यान्नों का आवंटन, जो शुरू में 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह था, उसे 1.4.2000 से बढ़ाकर दुगना अर्थात् 20 किलोग्राम और जुलाई, 2001 से और बढाकर 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया था। इस समय 1.4.2002 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह आवंटन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य, जो गेहूं के लिए 4.15 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल के लिए 5.65 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था, में पिछले दो वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अंत्योदय अन्न योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी ताकि एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की सेवा की जा सके। इस योजना के अधीन गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल के 3 रुपए प्रति किलोग्राम की अत्यधिक राजसहायता दरों पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह सप्लाई किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा प्राप्तियों की वसूली

3009. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने एक ऐसे घोटाले का भंडाफोड़ किया है जिसमें निर्यातक विदेशों में की गई बिक्री पर अर्जित मुद्रा को वापस नहीं लाते थे और धन वापस लाने संबंधी लाभों का दावा किया करते थे;

(ख) यदि हां, तो इस रैकेट की कार्य-शैली क्या थी;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा की प्रविष्टि के अभाव में सरकार ने निर्यातकों को इसके लाभ दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे रैकेटों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान से तस्करी

3010. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या समझौता एक्सप्रेस को बंद किए जाने के पश्चात् पाकिस्तान से होने वाली तस्करी में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) पाकिस्तान से होने वाली तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) गत वर्ष एवं चालू वर्ष (जून, 2002 तक) के दौरान पता लगाए गए पाकिस्तान से तस्करी के मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मामलों की संख्या	अभिगृहीत तस्करी किए गए माल का मूल्य (लाख रुपए में)
2000–2001	66	469.54
2001–2002	32	283.24
2002–2003 (जून, 2002 तक)	4	13.03

(ग) गत छः महीनों के दौरान, अर्थात् जनवरी से जून, 2002 तक पाकिस्तान से तस्करी की 7 घटनाओं का पता लगाया गया है।

(घ) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पाकिस्तान से तस्करी को रोकने के लिए चौकस और सतर्क हैं।

एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस द्वारा कम्युनिटी अपार्टमेंटों का निर्माण

3011. श्री नरेश पुगलिया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम्युनिटी अपार्टमेंटों के निर्माण हेतु "केयर होम्स" नामक एक अनुपंगी कम्पनी चलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में इन सामुदायिक फ्लैटों को बनाए जाने के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वरिष्ठ नागरिकों को ये अपार्टमेंट पट्टे पर देने के लिए निबन्धन और शर्तों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सूचित किया है कि इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामुदायिक अपार्टमेंट्स निर्मित करने के लिए एलआईसी एचएफएल केयर होम्स लिमिटेड नामक एक पूर्ण स्वतः स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनी स्थापित की है। 11 सितम्बर, 2001 को पंजीकृत की गई यह कंपनी आज की तारीख तक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की 100 प्रतिशत अनुषंगी कम्पनी है।

(ग) और (घ) एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सूचित किया है कि आरंभ में यह कंपनी मुम्बई, गोवा, बंगलौर, चेन्नई और दिल्ली में ऐसे सामुदायिक अपार्टमेंट्स निर्मित करेगी। तथापि, निश्चित स्थानों की पहचान अभी की जानी है।

(ङ) और (च) कम्पनी ने सूचित किया है कि प्रस्तावित अपार्टमेंट्स के लिए पट्टे से संबंधित निबंधन और शर्तों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

भारत के निर्यात में आने वाली बाधाएं

3012. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन द्वारा भारत की सुधार प्रक्रिया और इसके व्यापार उदारीकरण तथा इसकी 6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लिए इसकी प्रशंसा की गई है;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन ने विकसित और अन्य देशों को यह कहा है कि वे भारत को निर्यात के मामले में विशेषकर कृषि निर्यात के मामले में आने वाली बाधाओं को दूर करें;

(ग) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के ध्यान में कौन–सी विशेष बाधाएं आई हैं और इस पर विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारत की व्यापार नीति की तीसरी समीक्षा 19 और 21 जून, 2002 को की गई थी जिसमें डब्ल्यू टी ओ के अत्यधिक सदस्यों ने भाग लिया

और रुचि प्रदर्शित की। डब्ल्यू टी ओ व्यापार नीति समीक्षा निकाय की अध्यक्ष ने अपनी समापन टिप्पणियों में कहा था कि इस समीक्षा बैठक के फलस्वरूप भारत की व्यापार नीतियों को बेहतर ढंग से समझा गया है और अंततः कार्यवाही संक्षिप्त रूप में इस प्रकार समाप्त की : "...असंख्य अग्रिम प्रश्नों, अत्यधिक अंतराक्षेपों (लगभग 30) और अत्यधिक उपस्थिति से भारत की वह महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित हुई है जो वह डब्ल्यू टी ओ में निभाता है। व्यापार उदारीकरण और व्यापार एवं निवेश प्रणाली के सरलीकरण समेत भारत की सुधार प्रक्रिया के लिए उसकी सराहना की गई। तथापि, मैं समझती हूं कि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि यदि विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और अब भी व्याप्त अत्यधिक गरीबी को गम्भीरतापूर्वक दूर करना है तो भारत को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, सदस्यों ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के भारत के प्रयासों के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया। बहुत से सदस्यों ने यह भी कहा कि यदि भारत के निर्यातों में, विशेषकर दोहा विकास कार्यसूची (डीडीए) के अनुरूप नई व्यापार वार्ताओं के सदंर्भ में आने वाली उनकी बाधाओं को यदि दूर नहीं भी किया जा सका तो कम करने के लिए भारत के व्यापारिक साझेदारों की ओर से कदम उठाकर इन प्रयासों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। भारत ने स्पष्ट रूप से डब्ल्यू टी ओ और डीडीए के लिए अपने समर्थन की बात कही है किन्तु उसका मानना है कि यदि आगे प्रगति की जानी है तो दोहा में दिए गए आश्वासनों पर कायम रहने की जिम्मेदारी विकसित देशों की ही रहती है। इस विचार का समर्थन उन अनेक अन्य सदस्यों ने किया जो इन व्यापार वार्ताओं में भारत के नेतृत्व की प्रत्याशा करते हैं।"

(ग) और (घ) भारत की व्यापार नीति की समीक्षा मुख्यतः दो प्रतिवेदनों पर आधारित थी जिनमें से एक डब्ल्यू टी ओ सचिवालय द्वारा और दूसरी भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी। इन दोनों प्रतिवेदनों में व्यापार में सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (एसपीएस)/तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) और टैरिफ रेट कोटा के कारणों के लिए किए गए गैर–टैरिफ उपायों की वजह से कृषि निर्यात समेत भारत के निर्यातों में आने वाली बाधाओं के बारे में एक खण्ड है। डब्ल्यू टी ओ में भारत नीति समीक्षा तंत्र (टीपीआरएम) का उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार करारों के अंतर्गत नियमों, अनुशासनों और बचनबद्धताओं का सभी सदस्यों द्वारा और अधिक पालन किए जाने में योगदान देना है और इसका आशय इन करारों के अंतर्गत विशिष्ट दायित्वों को लागू करने अथवा विवाद निपटान प्रक्रियाओं का एक आधार बनाना नहीं है। इस प्रकार के मुद्दों पर डब्ल्यू टी ओ के संबंधित निकायों और अन्य उचित मंचों पर कार्रवाई की जा रही है।

जेट एयरवेज की शेयर धारिता पद्धति

3013. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री अरुण कुमार :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गत मई में जेट एयरवेज के स्वामित्व और शेयरधारिता पद्धति के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत मै. जेट एयरवेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की लेखा पुस्तिकाओं व अन्य रिकार्डों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता चलता है कि निदेशक श्री नरेश गोयल इक्विटी पूंजी के 0.02 प्रतिशत धारक हैं और टेल विंड्स लिमिटेड इक्विटी द्वारा पूंजी का शेष 99.98 प्रतिशत धारित है। सभी अधिमानी शेयर इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, वाशिंगटन द्वारा धारित हैं। यह सूचित किया जाता है कि टेल विंड लिमिटेड इसले आफ मान एक ब्रिटिश डोमिनियन में, एक पंजीकृत कम्पनी है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार में अनियमितताएं

3014. श्री रामदास आठवले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के माध्यम से बेची जाने वाली कोई वस्तुओं के मूल्य सामान्य बाजार मूल्यों से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा सुपर बाजार के मूल्यों को सामान्य बाजार मूल्यों के बराबर लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) सुपर बाजार द्वारा वस्तुओं की उच्च मूल्य पर बिक्री के संबंध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(ङ) सुपर बाजार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि पिछले एक साल के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः इस संबंध में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

तम्बाकू से दवाएं और कार्बनिक कीटनाशक

3015. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के जीवन रक्षक दवाओं और कार्बनिक कीटनाशक दवाओं का निष्कर्षण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे उत्पादों का पेटेंट करने और ऐसी वस्तुओं का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विश्वभर में तम्बाकू चबाने और धुम्रपान करने की आदत छुड़ाने के लिए तम्बाकू के निष्कर्षण पर आगे अनुसंधान किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कौन–कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), जो तम्बाकू तथा उसके सह–उत्पादों में अनुसंधान करने के लिए उत्तरदायी है, तम्बाकू तथा उसके निस्सारणों के भेषजीय तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों के संबंध में अनुसंधान कार्य कर रहा है। इस अनुसंधान में निकोटिन सल्फेट तथा सोलानीसोल, जिनमें से दोनों का प्रयोग भेषजीय तथा कार्बनिक कीटनाशक उद्योगों में किए जाने की संभावना है, के अनुप्रयोगों से संबंधित अनुसंधान भी शामिल हैं। तम्बाकू बोर्ड वाणिज्यिक उत्पादन पर विचार करने से पूर्व सीटीआरआई द्वारा विकसित बेंचमार्क प्रोद्यौगिकी की जांच हेतु एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के तौर–तरीके तैयार कर रहा है। पेटेंट प्रदान करने के बारे में कोई आवेदन करने से पहले इन उत्पादों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की परख की जाएगी।

आई.टी.सी. में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की हिस्सेदारी

3016. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने अपना निवेश समाप्त करने हेतु तम्बाकू की बड़ी कम्पनी आई.टी.सी. में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू की बडी अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी बी.ए.टी. ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की हिस्सेदारी के लिए बोली लगाने में रुचि दिखाई है;

(घ) क्या आई.टी.सी., बी.ए.टी. की बोली को पीछे छोड़ने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट पर कुछ अव्यवहार्य विकल्प थोप रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) निवेश विनिवेश का निर्णय भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) द्वारा इसके अपने व्यावसायिक फैसले के आधार पर लिए जाते हैं। यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि उठाए गए विशेष कदमों के ब्यौरे को पहले ही प्रकट नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे निवेशकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) यू.टी.आई. ने सूचित किया है कि वह ऐसी सूचना से अवगत नहीं है।

(घ) यू.टी.आई. के अनुसार, आई.टी.सी. या कोई अन्य, यू.टी.आई. पर अव्यवहार्य विकल्पों को नहीं थोप सकता है।

(ङ) यू.टी.आई. को अपने निवेश/विनिवेश निर्णयों के लिए सरकार से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

समुद्री उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए एम.पी.ई.डी.ए. की योजना

3017. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एम.पी.ई.डी.ए. की मूल्य वर्धित निर्यातों पर ध्यान देने के लिए भारतीय समुद्री उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी निर्यातों की ओर अग्रसित होने के लिए भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों को बढ़ावा देने हेतु एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या कोई वित्तीय राजसहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वी तट पर स्थित निर्यातकों को किस हद तक ऐसा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) मूल्य वर्धित निर्यातों पर ध्यान देने के लिए समुद्री उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देने के और ऐसे निर्यातों की ओर उन्मुख होने के उद्देश्य से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) अनेक उपाय कर रहा है जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन के उपाय करना, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए ठोस प्रबंधन पद्धतियां अपनाने हेतु जलकृषि किसानों को प्रशिक्षण देना, निर्यात हेतु मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सहायता देना, एम्पीडा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विदेशी बाजार सर्वेक्षण करना इत्यादि शामिल हैं।

मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए मशीनरी और उपकरणों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 15 लाख रुपए है। वर्ष 2001–02 के दौरान पूर्वी तटीय क्षेत्र में समुद्री खाद्य प्रसंस्कर्ताओं को 57.25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार हेतु उपाय

3018. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक सुधार निर्यातको के संबंध में आशावादिता का बुनियादी कारण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी आई आई द्वारा कराये गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश क्षेत्रों के लिए घरेलू तथा निर्यात बाजार की मांग में सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2002–03 के पहले छः महीनो के दौरान अर्थव्यवस्था में किस हद तक सुधार हुआ है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जहां अमरीकी नेतृत्व में क्रमिक वैश्विक सुधार की आशा आशावादी निर्यात संवर्द्धन दृष्टिकोण का आधार है, वहां इसमें विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी क्षेत्र के निष्पादन तथा चालू वर्ष के दौरान वर्तमान परिदृश्य

और नीतिगत ढांचे के अंतर्गत प्रवृत्तियों के मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा किया गया अद्यतन व्यापार दृष्टिकोण सर्वेक्षण घरेलू एवं निर्यात बाजार दोनों की मांग में वृद्धि की आशा के साथ–साथ अगले छः महीनों में आशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। प्रतिक्रियाओं के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चलता है कि आशा की स्थिति सभी क्षेत्रों में है। सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि सामान्य कारोबारी संभावनाओं में सुधार की आशा से प्रतिक्रिया दर्शाने वाले सभी क्षेत्रक उत्पादन बढ़ाने और अधिक निवेश करने तथा अपने कार्य बलों में और वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार निर्यातों में (डालर के रूप में) अप्रैल–मई, 2001 में 2.1 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में अप्रैल–मई, 2002 के दौरान 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक उत्पादन, आधार ढांचा निष्पादन और वाणिज्यिक बैंकों से खाद्य–भिन्न ऋणों की प्राप्ति में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ता है। समग्र औद्योगिक विकास में सुधार हुआ है जो अप्रैल–मई, 2002 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल–मई, 2002 में 3.8 प्रतिशत हो गया है। छः प्रमुख और आधार ढांचा उद्योगों (विद्युत उत्पादन, कोयला, इस्पात, कच्चा तेल, शोधनशाला उत्पादन और सीमेंट) में अप्रैल–मई, 2001 1.0 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल–जून, 2002 में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष (22 मार्च से 28 जून, 2002) के दौरान खाद्य–भिन्न ऋण की प्राप्ति में गत वर्ष की इसी अवधि में 0.5 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि का भी अनुमान है।

[हिन्दी]

राजस्थान को विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से ऋण

3019. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा राजस्थान को दिए गए ऋण का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋण की शर्तें क्या हैं;

(ग) किन देशों ने राजस्थान को ऋण देने का प्रस्ताव किया है और राजस्थान की किन परियोजनाओं के लिए ऐसे प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है;

(ङ) क्या जापान ने अरावली विकास परियोजना तथा वन विकास परियोजना के लिए ऋण/अनुदान देना पुनः प्रारम्भ कर दिया है जिसे पहले रोक दिया गया था;

(च) यदि हां, तो उसके संभावित लाभों को ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या प्रतिकूल परिणाम निकले?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) सूचना विवरण–I में संलग्न है।

(ख) निबंधन तथा शर्तें संलग्न विवरण–III में दी गई हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न देशों से प्राप्त ऋण से राजस्थान में शुरू की जा रही परियोजनाएं संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(ङ) ये परियोजनाएं अपनी निर्धारित समाप्ति तारीखों के अनुसार बंद हो गई थीं। अरावली पहाड़ी पौध रोपण परियोजना दि. 31.3.2000 को पूरी हो गई है। राजस्थान वानिकी विकास परियोजना भी दि. 12.4.2002 को पूरी हो गई है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

(आंकड़े मि. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	करार की तारीख	स्रोत	मुद्रा	ऋण राशि	निम्न अवधि के दौरान संवितरण 1999—00	2000—01	2001—02
1.	कृषि विकास (राजस्थान)	17.12.92	आईडीए	एसडीआर	67.58	6.25	5.17	समाप्त
2.	राजस्थान जिला गरीबी उपक्रम	12.5.00	आईडीए	एसडीआर	75.00	—	2.88	0.65
3.	राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	27.2.01	आइबीआरडी	यूएसडी	180.00	—	18.40	2.60
4.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना	15.3.02	आईडीए	एसडीआर	110.00	—	—	4.00
5.	राजस्थान शहरी ढांचागत विकास	1.12.99	एडीबी	एसडीआर	250.00	0.00	0.30	0.98

विवरण-II

(आंकड़े मि. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्रोत	मुद्रा	ऋण राशि
1.	जलापूर्ति तथा स्वच्छता —जयपुर शहर हेतु व्यवहार्यता अध्ययन	फ्रांस	फ्रांसीसी फ्रांक	5.30
2.	जयपुर में जल संवितरण व्यवस्था में हानियों तथा रिसाव के मूल्यांकन संबंधी अध्ययन	फ्रांस	फ्रांसीसी फ्रांक	13.69
3.	जयपुर के लिए कृत्रिम भूमिगत जल रिचार्ज तथा अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग	फ्रांस	फ्रांसीसी फ्रंक	4.98
4.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति	जर्मनी	ड्यूश मार्क	40.00
5.	लघु सिंचाई, राजस्थान चरण—II	जर्मनी	ड्यूश मार्क	30.00

विवरण-III

क्र.सं.	स्रोत	मुद्रा	ऋण के प्रकार	छूट अवधि (वर्ष)	छूट अवधि के बाद वापसी अदायगी की अवधि (वर्ष)	वर्तमान ब्याज दर (प्रतिशत में)	असंवितरित ऋण राशि पर वचनबद्धता प्रभार (प्रतिशत में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बहुपक्षीय								
1.	**आईबीआरडी**	अमरीकी डालर	अर्ध–रियायती	5	15	परिवर्तनीय*	0.75	*(i) ब्याज–प्रत्येक 6 महीने में **परिवर्तनीय** **(क) करेंसी पूल्ड लोन (वीएलआर-1989)** ब्याज दर सशर्त ऋणों की लागत तथा उनके विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दि. 1.1.2002 से दि. 30.6.2002 की अवधि के लिए लागू ऋण दर इस प्रकार है : ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। — 5.02 प्रतिशत वार्षिक (इसमें 50 आधार बिन्दुओं का विस्तार शामिल है।) ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। — 5.28 प्रतिशत वार्षिक (इसमें 75 आधार बिन्दुओं का विस्तार शामिल है।) **(ख) अमरीकी डालर मुक्त दर एकल मुद्रा ऋण** ब्याज दर 6 मास "लिबोर" तथा परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर निर्धारित की जाती है। दि. 15.5.2002 से 14.11.2002 तक ब्याज अदायगी की तारीख हेतु लागू दर इस प्रकार है : **ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। — 2.22 प्रतिशत वार्षिक (19 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। 2.47 प्रतिशत वार्षिक (44 आधार बिन्दुओं के विस्तार सहित) **iv. तत्काल अदायगी हेतु ब्याज में छूट :** बैक द्वारा यथा अधिसूचित, वर्ष 2001 के लिए लागू छूट इस प्रकार है : ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 से पूर्व वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। 0.15 प्रतिशत ऋण जिनके लिए दि. 31.7.1998 के बाद वार्ता हेतु आमंत्रण जारी किया गया था। 0.25 प्रतिशत (ii) **वचनबद्धता प्रभार** : 0.75 प्रतिशत की दर पर असंवितरित ऋण पर देय हैं। बैंक जुलाई, 91 से 0.50 प्रतिशत छूट को अधिसूचित कर रहा है। (iii) **फ्रंट एण्ड शुल्क** : दि. 1.7.1998 के बाद वार्ता किए गए ऋण के संबंध में ऋण राशि का 1 प्रतिशत (एक समय में भुगतान) देय है।
2.	आईडीए	एसडीआर	रियायती	10	25	0.75	0.50	(i) जुलाई 1988 तक अंतिम रूप दिए गए क्रेडिटों के संबंध में, वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 50 वर्ष थी। इस समय आईडीए के क्रेडिटों की 25 वर्ष की वापसी अदायगी में 10 वर्ष की छूट अवधि है। (ii) वचनबद्धता प्रभार असंवितरित क्रेडिटों पर 0.50 प्रतिशत की दर से देय होते हैं। इसे वर्ष 1989–90 से बैंक द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								(iii) ब्याज कॉलम में दिखाए गए 0.75 प्रतिशत को सेवा प्रभार कहा जाता है।
3.	आईएफडी	एसडीआर	रियायती	10	40	0.75	–	ब्याज कॉलम में दिखाए गए 0.75 प्रतिशत के भुगतान को सेवा प्रभार कहा जाता है।
4.	एडीबी	अमरीकी डालर	अर्ध–रियायती	3 से 5	20	परिवर्तनीय*	0.75	*ब्याज : प्रत्येक छः माह में परिवर्तनीय ब्याज दर का निर्धारण ऐसे ऋणों के वित्तपोषण हेतु स्थापित बकाया उधारों के संबंधित पूल के पूर्ववर्ती छः महीनों की औसत लागत के आधार पर किया जाता है। एकल मुद्रा अमरीकी डालर ऋणों पर ऋण दर दि. 1.6.2002 से 31.12.2002 की अवधि के लिए 6.34 प्रतिशत है और बहु मुद्रा ऋणों के संबंध में यह दर 3.91 प्रतिशत है। वचनबद्धता प्रभार : असंवितरित ऋणों राशियों पर 0.75 प्रतिशत। तथापि, असंवितरित ऋण का निर्धारण परियोजना ऋणों के संबंध में श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कार्यक्रम ऋणों के संबंध में यह संपूर्ण ऋण राशि पर लागू होते हैं।

[अनुवाद]

इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंड

3020. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1000 करोड़ रुपए की आरम्भिक राशि से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी फंड स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थाओं, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए धन देने के लिए सहमत हो गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2002–2003 के अपने बजट भाषण में 1000 करोड़ रुपए की आधारिक इक्विटी निधि स्थापित करने की घोषणा की है। आधारिक विकास वित्त कंपनी लि. (आई डी एफ सी) द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली इस निधि के लिए प्रारम्भ में सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं (एफ आई) और कुछ बैंकों द्वारा अंशदान किया जाएगा। आई डी एफ सी ने एक संकल्पना पत्र तैयार किया है, जिस पर भारतीय स्टेट बैंक और जीवन बीमा निगम सहित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है। योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

कंपनी कार्य विभाग द्वारा शिकायतों का निपटारा

3021. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 में शिकायतों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा का प्रावधान नहीं है जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों के निपटारे में कई वर्ष लगते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों से आज तक कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 में शिकायतों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान (1999, 2000 तथा 2001) और 26.7.2002 तक कुल 38,277 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 16,869 शिकायतों का निपटान कर दिया गया था और 21,408 शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। यदि कम्पनियां उचित समय में शिकायतों का निपटान नहीं करती हैं तो अधिनियम के संबंधित उपबन्धों के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

चाय व्यापार हेतु चीन के साथ समझौता

3022. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय व्यापार को नई दिशाएं देने के लिए भारतीय चाय संघ (आईटीए) और चाइना टी कारपोरेशन नेट (सीटीसीएन) के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वभर में चाय का संवर्धन करने के सामान्य उद्देश्य को स्वीकार करते हुए तथा यह विश्वास करते हुए कि चाय का उपभोग स्वास्थ्यवर्धक एवं लाभकारी है, भारतीय चाय संघ ने भारतीय वाणिज्य मंडल के समर्थन से आईसीसी व्यापार प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान बीजिंग, चीन में दिनांक 16.7.2001 को चीन के एक चाय निगम नामतः www.teanet.com.cn के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त करार हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष के लिए लागू था तथा पारस्परिक सुविधानुसार इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। करार का उद्देश्य भारतीय तथा चीन की चाय का वैश्विक स्तर पर संयुक्त रूप से संवर्धन तथा विपणन करने के तरीकों की तलाश करना, विश्वभर में चाय के विपणन में एक-दूसरे की सहायता करना, संयुक्त प्रचालन तथा समन्वय की पद्धतियों की जांच के लिए दोनों संगठनों के तीन-तीन सदस्यों की संयुक्त समिति का गठन करना और चाय के क्षेत्र के संबंध में भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अपेक्षित अन्य उपाय करना।

[अनुवाद]

कॉफी उत्पादकों के अतिरिक्त अन्य कृषकों के लिए योजनाएं

3023. श्री प्रबोध पण्डा :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार कॉफी उत्पादकों की तर्ज पर विभिन्न कृषि उत्पादों यथा-नारियल, सुपारी, तम्बाकू, चाय, कपास, काली मिर्च इत्यादि के कृषकों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम/योजनाएं तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक

3024. डा. बलिराम : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग के पास 800 आवेदनों की लंबी सूची प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रबंधकीय पारिश्रमिक हेतु दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे रही है;

(घ) इन दिशानिर्देशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन लंबित आवेदनों का कब तक निपटारा किए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विषय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले से ही विद्यमान हैं। जब कभी आवश्यकता होती है, इन्हें समय पर संशोधित किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण केन्द्र का स्थानांतरण

3025. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नीमच स्थित वस्त्र उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र को स्थानांतरित अथवा बंद किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग संबंधी प्रशिक्षण देने वाली दो विभागीय तौर पर चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक प्रशिक्षण केन्द्र, जो नीमच, मध्य प्रदेश में है, आकार ठीक करने और सेवाओं को और प्रभावी बनाने के प्रयास के भाग के रूप में 15.03.2002 से बंद कर दिया गया है।

[अनुवाद]

इनीशियल पब्लिक ऑफर जारी करने हेतु दिशानिर्देश

3026. श्री रामरती बिन्द : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी का इनीशियल पब्लिक ऑफर जारी करने हेतु नए दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए दिशानिर्देश कब तक लागू किए जाएंगे?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए प्रविष्टि मानदंड के मुद्दे की पड़ताल हेतु एक उप-समूह का गठन किया है। इस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर सेबी इस बारे में अपने मार्गनिर्देशों में संशोधन करने पर विचार करेगा।

तम्बाकू बोर्ड द्वारा सेवा प्रभार एकत्र करना

3027. श्री वाई. वी. राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड अधिक और अनधिकृत रूप से तम्बाकू की पैदावार करने के लिए भारी अतिरिक्त सेवा प्रभार और जुर्माना एकत्र करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को अधिक और अनधिकृत रूप से उत्पादित तम्बाकू पर एकत्र की गई राशि से कृषक कल्याण-कोष स्थापित करने हेतु तम्बाकू उत्पादों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) कोष की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) तम्बाकू बोर्ड द्वारा अधिक और अनधिकृत फ्लू क्योर्ड बर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू की बिक्री पर सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अतिरिक्त सेवा प्रभार और अतिरिक्त शुल्क एकत्र किए जाते हैं।

(ख) तम्बाकू बोर्ड से खेती, फसल प्रबंधन, नुकसान होने की स्थिति में सहायता इत्यादि के क्षेत्रों में तम्बाकू उत्पादकों के लाभार्थ योजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए उत्पादक कल्याण कोष स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि तम्बाकू बोर्ड द्वारा पहले से ही ये कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं जो अपने स्वयं के परिव्यय का इस्तेमाल करके उत्पादकों के लाभार्थ विभिन्न विस्तार एवं विकास योजनाएं चलाता है। तम्बाकू के अधिक और अनधिकृत उत्पादन पर अतिरिक्त सेवा प्रभारों की वसूली के जरिए सृजित निधियां भी इस परिव्यय का भाग होती हैं।

रेशम निर्यात को बढ़ावा देना

3028. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने विदेशों में भारतीय रेशम की मांग बढ़ाने हेतु कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एसईपीसी के सुझावों को लागू करने के लिए कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल) : (क) से (ङ) भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन (आई. एस.ई.पी.सी.) को देश में रेशम के सामान से संबंधित निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है और इसे इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों तथा नीतियों के अनुसरण में अपने सुझावों को क्रियान्वित करने की स्वायत्तता प्राप्त है।

कम्पनियों द्वारा पेपर दाखिल करना

3029. **श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्देश जारी किया है कि विदेशी कम्पनियों को सांविधिक पत्र तथा तुलनपत्र समय पर दाखिल न करने के लिए भारी जुर्माना देना होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़ी संख्या में विदेशी कम्पनियों ने तुलनपत्र दाखिल नहीं किए हैं;

(घ) यदि हां, तो 2001-2002 में दिल्ली क्षेत्र में सांविधिक पत्र दाखिल करने में विलम्ब के लिए कितनी विदेशी कम्पनियों ने माफी मांगी है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) विभाग ने विदेशी कम्पनियों के द्वारा सांविधिक दस्तावेजों को दाखिल करने में हुए विलम्ब की माफी में लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को निम्न प्रकार मानकीकृत किया है

विलम्ब का सयम	अतिरिक्त शुल्क की दरें
1	2
(i) एक महीने तक	सामान्य दाखिल शुल्क के एक बार के बराबर
(ii) एक महीने से अधिक और तीन महीनों तक	सामान्य दाखिल शुल्क का दो गुणा
(iii) तीन महीने से अधिक और 6 महीनों तक	सामान्य दाखिल शुल्क का चार गुणा

1	2
(iv) 6 महीनों से अधिक और एक वर्ष तक	सामानय दाखिल शुल्क का छः गुणा
(v) एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक	सामान्य दाखिल शुल्क का आठ गुणा
(vi) दो वर्ष से अधिक	सामान्य दाखिल शुल्क का नौ गुणा

(ग) से (ङ) वित्तीय वर्ष 2001–2002, के दौरान केन्द्रीय सरकार ने विलम्ब के लिए माफी मांगने वाली 100 से अधिक विदेशी कम्पनियों से आवेदन प्राप्त किए थे। कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली द्वारा 69 विदेशी कम्पनियों को चूक नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कम्पनी कार्य विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी कम्पनियों द्वारा कार्यालय/सम्पर्क कार्यालय खोलने हेतु इस के द्वारा दिए गए अनुमोदन की सूचना कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली को देने का अनुरोध किया है।

विश्व बैंक की बैठक

3030. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए रियायती ऋण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए लंदन में हाल ही में विश्व बैंक के अंशदाता देशों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को सभी देशों के लिए कुल 23 बिलियन डालर के आवंटन में से वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए हिस्से के रूप में 4 बिलियन डालर प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह राशि पूर्व वित्तीय वर्ष से कितनी अधिक है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) 13वीं संपूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के प्रतिनिधियों की अन्तिम बैठक लंदन में 1 जुलाई, 2002 को हुई थी। अनुमोदन होने पर आईडीए ऋण के लिए यह 13वीं संपूर्ति 1 जुलाई, 2002 से शुरू होकर 30 जून, 2005 के अंत तक तीन वित्तीय वर्षों के लिए होगी।

(ख) और (ग) यह 13वीं संपूर्ति लगभग 18.00 बिलियन एसडीआर (विनिमय की चालू दर पर लगभग 23.76 बिलियन अमरीकी डालर) होने की संभावना है जिसमें से भारत को लगभग 2.00 बिलियन एसडीआर (विनिमय की चालू दर पर लगभग 2.64 बिलियन अमरीकी डालर) इन तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्राप्त होने की संभावना है और यह परियोजनाओं के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

(घ) आईडीए–13 के तहत भारत का आवंटन मूल आईडीए–12 आवंटन (1.9 बिलियन अथवा विनिमय की चालू दर 2.508 बिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में लगभग 100 मिलियन एसडीआर (विनिमय की चालू दर पर 132 मिलियन अमरीकी डालर) अधिक होने की आशा है।

चाय नीलामी प्रणाली को दुरुस्त करना

3031. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय की कीमतों को बढ़ाने के लिए चाय नीलामी प्रणाली को दुरुस्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार/चाय बोर्ड ने मै. ए. एफ फरगुसन एंड कम्पनी को देश में चाय के प्राथमिक विपणन के बारे में एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा है जिसमें मौजूदा नीलामी प्रणाली की समीक्षा, चाय के प्राथमिक विपणन में नीलामी की भूमिका, हरी चाय/चाय के छोटे उत्पादकों/खरीदी गई पत्ती की फैक्टियों द्वारा विपणन तथा इलैक्ट्रानिक बोली–प्रक्रिया को शुरू करने की गुंजाइश शामिल है। जुलाई 2002 में प्रस्तुत की गई परामर्शदाता की अंतिम रिपोर्ट में नीलामी प्रणाली और नियमों में परिवर्तन की सिफारिश की गई है जिनमें लॉट के आकार, लॉटों की विभाज्यता, नमूना लेने, शीघ्र तारीख, बोलियों को पुनः खोलना, क्षेत्र से बाहर बिक्री, परोक्ष बोली, कैटेलॉग को बंद करने का समय और लघु उत्पादकों द्वारा

हरी चाय की पत्ती का विपणन और खरीदी गई पत्तियों की फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित चाय आदि शामिल हैं।

नीलामी प्रणाली में सुधारों से बाजार की कमियां दूर होने और मूल्य अभिज्ञात करने वाले एक दक्ष तंत्र की स्थापना होने की उम्मीद है।

बैंकों द्वारा मुकदमेबाजी पर खर्च की गई राशि

3032. **श्री ए. नरेन्द** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा गैर–निष्पादक आस्तियों की वसूली हेतु मुकदमा लड़ने के लिए सेवाओं पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) अशोध्य ऋण/बकाया राशि की वसूली में बेहतर परिणामों के लिए हाल ही में क्या नीतिगत पहल की गई है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुद्रास्फीति दर

3033. **श्री अधीर चौधरी** : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित रखने और कम ब्याज दर व्यवस्था को बनाये रखने की दोहरी नीति को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) सरकार का यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास रहा है कि मुद्रास्फीति दर संतुलित रूप से निम्न बनी रहे। आवश्यक वस्तुओं का आपूर्ति प्रबंधन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जिस पर अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रास्फीतिकारी संभावनाओं को संतुलित रखने के लिए सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक उत्पन्न स्थिति की आवश्यकतानुसार उसे लचीलापन प्रदान करने को प्राथमिकता देते हुए ब्याज दर ढांचे को उदार बनाने की नीति का अनुसरण कर रहा है।

"क्रिटीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस स्कीम" के अंतर्गत परियोजनाएं

3034. **श्री रामशेठ ठाकुर** :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में "क्रिटीकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैलेंस स्कीम" के अंतर्गत कौन सी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्य–निष्पादन का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कितना धन स्वीकृत किया गया है और कितना जारी किया गया है;

(ङ) क्या महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सहित कुछ राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं की लागत इत्यादि में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) से (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में आकस्मिक बुनियादी संरचना संतुलन (सीआईबी) स्कीम के अंतर्गत कुल 140 परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। परियोजनाओं का आकलन परियोजना पर होने वाले वित्तीय खर्चों के आधार पर किया गया है। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से इन परियोजनाओं की लागत इत्यादि में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। महाराष्ट्र

तथा कर्नाटक में इस स्कीम के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं तथा वाणिज्य विभाग द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए स्वीकृत तथा जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(धनराशि करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना	राज्य/एजेंसी	स्वीकृति की तारीख	परियोजना की कुल लागत	सीआईबी स्कीम से स्वीकृत धनराशि	जारी की गई धनराशि
1.	हुडी में ईपीआईपी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण	कर्नाटक	97–98	9.5	4.75	4.75
2.	हुडी में ईपीआईपी को जोड़ने वाली सड़क	कर्नाटक	99–2000	8	4	4
3.	सड़क विकास, बामसुंद्रा	कर्नाटक	2000–01	10	5	5
4.	बंगलौर के नजदीक बीडाडे औद्योगिक क्षेत्र के पहुंच मार्ग का सुधार	कर्नाटक	2001–02	1.147	0.5735	0.240839
5.	पुणे में क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र की स्थापना	महाराष्ट्र	99–2000	0.1033	0.05165	0.05165
6.	नासिक/औरंगाबाद में क्षेत्रीय निर्यात सुविधा केन्द्र	महाराष्ट्र	2000–01	0.2066	0.1033	0.1033
7.	रेल ओवरब्रिज नवाडे जं.	महाराष्ट्र	2000–01		4.74	1.05405
8.	नवी मुम्बई के द्रोणगिरी में विशेष आर्थिक जोन/व्यवसायिक क्षेत्र के सन्निकट यूरान–पनवेल रेलवे लाइन पर आर ओ बी का निर्माण	महाराष्ट्र	2000–01	15	5	0.5
9.	एसईईपीजी का कंप्यूटरीकरण	महाराष्ट्र	99–2000	0.1642	0.1642	0.1642
10.	विडीओ कांफ्रेसिंग	महाराष्ट्र	2001–02	0.065	0.065	0.065
11.	एसईईपीजेड के कंप्यूटरीकरण हेतु अतिरिक्त हार्डवेयर।	महारष्ट्र एसईईपीजेड़	2001–02	0.5891	0.5891	0.5891

छोटी बचतों और भविष्य निधि पर ब्याज दर

3035. श्री नरेश पुगलिया : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रशासित ब्याज दर और अन्य संबंधित मुद्दों वाली प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सकरार ने अब तक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के उप–गवर्नर डा. वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित, प्रशासित ब्याज दरों और अन्य संबद्ध मुद्दों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट 5.10.2001 को प्रस्तुत की। समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार थीं :

(i) अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज–दरें सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत सेकेंडरी (द्वितीयक) तलचिन्हित की जानी चाहिए।

(ii) तत्समय संग्रहणों का 80 प्रतिशत राज्यों को और 20 प्रतिशत केन्द्र को अंतरण के बजाय 1.4.2002 से सम्पूर्ण निवल संग्रहण राज्यों को अन्तरित करना।

(iii) छोटी और मध्यावधिक वित्तीय बचतों (जिनकी परिपक्वता 6 वर्षों से अधिक न हो) पर सभी कर–रियायतों को वापस लेना। दीर्घावधिक बचतों के संबंध में, उपार्जन के समय कर–रियायतें, 60,000 रुपए तक के निवेश पर 20 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाएंगी।

समिति की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट (www.finmin.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) उक्त समिति की मुख्य सिफारिशें जैसे द्वितीयक बाजार में समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्ति के प्रति अल्प बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का तलचिन्हन (बेंचमार्किंग), राज्यों को लघु बचतों की सम्पूर्ण निवल प्राप्तियों का अंतरण आदि स्वीकार कर ली गई हैं और क्रमशः 1 मार्च, 2002 और 1 अप्रैल, 2002 से इन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है।

विभिन्न मुद्दों पर समिति की अन्य सिफारिशें, इस विषय पर सरकारी दृष्टिकोण को एक निविष्टि प्रदान करेंगी।

एलआईसी की समूह अधिवर्षिता योजनाएं

3036. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने समूह अधिवर्षिता योजनाओं पर लाभांश दर को कम दर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एलआईसी ने निवेशकों को पेंशन निधि पर न्यूनतम आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष का सुनिश्चित लाभांश देने का आश्वासन दिया था;

(घ) क्या उक्त योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को इसकी वजह से भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का उनके हितों की रक्षा किस प्रकार करने का विचार है, विशेषतः तब जब कि उन्हें न्यूनतम लाभांश के प्रति आश्वस्त किया गया था।

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि वर्ष 2001–2002 के संबंध में पच्चीस लाख रुपए से कम की निधि के लिए समूह अधिवर्षिता योजनाओं पर जमा की जाने वाली ब्याज दरें 9.5 प्रतिशत से लेकर एक सौ करोड़ रुपए की निधि के लिए 10.5 प्रतिशत तक है। पूर्ववर्ती वर्ष के लिए ब्याज–दर की यह रेंज 9.75 प्रतिशत से 12 प्रतिशत थी।

एलआईसी ने ऐसे मामलों में जहां पेंशन/वार्षिकी 1 अप्रैल, 2002 को अथवा उसके बाद आरंभ होती है, वार्षिकी/पेंशन भी कम कर दी है। वार्षिक दर में यह गिरावट वर्ष 2001–2002 के लिए ऐसी वार्षिकी निधियों पर निवेश पर अपेक्षाकृत कम प्राप्तियों और एलआईसी द्वारा आने वाले वर्षों में ऐसी निधियों पर अनुमानित प्राप्तियों के कारण हुई है। एक बार तय होने पर वार्षिकियां जीवन भर उसी दर पर देय होती हैं।

(ग) एलआईसी ने समूह अधिवर्षिता योजना निधियों के अन्तर्गत उन योजनाओं के लिए जो 31 मार्च, 2002 को अथवा उससे पहले शुरू की गईं, 5 वर्ष की अवधि के लिए 8 प्रतिशत आय–प्राप्ति की गारंटी दी थी। तथापि, वर्ष

2001–2002 में ऐसी निधियों पर एलआईसी द्वारा दिए गए ब्याज का उल्लेख ऊपर भाग (ख) में किया गया है।

दि. 1.4.2002 से शुरू होने वाली योजनाओं के संबंध में, ऐसी अधिवर्षिता निधियों के लिए गारंटीशुदा दरों को कम करके 6 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन वर्ष 2002–2003 में ऐसी निधियों के लिए एलआईसी द्वारा दिया जाने वाला वास्तविक ब्याज वर्ष के अन्त में ज्ञात हो सकेगा।

लेकिन, वार्षिकी दरें गारंटीशुदा नहीं होतीं।

(घ) और (ङ) दिनांक 31.3.2002 को अथवा उससे पूर्व पेंशनभोगियों के लिए शुरू की गई वार्षिकियों में कमी नहीं की गई है। मौजूदा पेंशनभोगियों को पेंशन की वही राशि मिलती रहेगी जो उन्हें मिल रही है। वार्षिकी का भुगतान कर्मचारी द्वारा संगठन की सेवा छोड़ने पर आरंभ होता है जब सदस्य के नाम जमा संचित राशि का उपयोग वार्षिकी की खरीद के लिए किया जाता है। वार्षिकी की मात्रा खरीद की तारीख को प्रचलित वार्षिकी की दर पर निर्भर करती है। एक बार वार्षिकी का भुगतान आरंभ हो जाने पर, व्यक्ति को देय वार्षिकी की मात्रा जीवन भर के लिए गारंटीशुदा होती है।

यदि नियोक्ता निर्धारित करे अथवा यदि योजना के नियमों में पेंशन की राशि विशेष तय की गई हो, एलआईसी निधि में अंशदान की दर उद्धृत करता है। ऐसी समूह अधिवर्षिता योजनाओं के अंतर्गत अंशदान दरें समय–समय पर एक अन्तराल से संशोधन के अधीन होती हैं। फिर भी वार्षिकी की मात्रा खरीद के समय प्रचलित वार्षिकी दरों पर निर्भर करती है यदि नियोक्ता ने पेंशन की राशि विशेष की वचनबद्धता कर दी है तो नियोक्ता/ट्रस्ट कर्मचारी/अभिदाता के प्रस्थान के समय अपेक्षित सांकेतिक नकद विकल्प में कमी कर सकता है।

[हिन्दी]

उत्पाद शुल्क चोरी के लिए कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही

3037. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 करोड़ रुपए से भी अधिक के उत्पाद और सीमा शुल्क की चोरी करने के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में स्थित किन–किन कम्पनियों के विरुद्ध विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की जा रही है;

(ख) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध इस प्रकार के मामले न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में तीन वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित हैं और इन मामलों की आज की तिथि के अनुसार अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त राशि की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : (क) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में स्थित कम्पनियों के ब्यौरे, जिनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए से अधिक उत्पाद और सीमा शुल्क के अपवंचन के लिए आज की तारीख तक जो विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा रही है, संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन के ऐसे तीन मामले हैं जो तीन वर्षों से भी अधिक समय के हैं और बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आई.टी.सी. लिमिटेड के विरुद्ध अगस्त, 2002 में सुनवाई हेतु उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े हैं और जिनमें क्रमशः 112.09 करोड़ रुपए, 297.03 करोड़ रुपए और 159.22 करोड़ रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(ग) क्षेत्राधिकारिक अधिकारियों द्वारा प्रथमतः समझाने–बुझाने वाली कार्रवाई करके देय राशियां वसूल करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं और यदि इनका कोई परिणाम नहीं निकलता है जो अपील फोरमों/न्यायालयों से कोई रोक/स्थगन नहीं होने पर प्रपीड़क और लिखित (सर्टिफिकेट) कार्रवाई भी की जाती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अपील अधिकरणों में तत्काल सुनवाई याचिकाएं दायर करके स्थगल आदेशों को रद्द कराने अथवा प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और फील्ड में वरिष्ठ अधिकारी उन मामलों की निगरानी कर रहे हैं जिनमें पर्याप्त राजस्व अंतर्ग्रस्त होता है।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	कम्पनी का नाम	शुल्क अपवंचन उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क	अंतर्ग्रस्त राशि
1	2	3	4	5
1.	असम	नूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	उत्पाद शुल्क	113.07
		उत्तर–पूर्वी तम्बाकू कं. लिमिटेड	–वही–	121.63
2.	बिहार	आई.टी.सी. लिमिटेड	–वही–	112.09
3.	छत्तीसगढ़	भिलाई स्टील प्लांट	–वही–	137.13
4.	गुजरात	ओ.एन.जी सी	–वही–	334.00
5.		आई.ओ.सी.एल.	–वही–	332.93
6.		जी.ए.आई.एल.	–वही–	155.00
7.		ऊटो क्लिन प्लांट्स, कित्ज गांधीधर्म	सीमा शुल्क	211.23
8.	हरियाणा	मारुति उद्योग लिमिटेड	उत्पाद शुल्क	200.35
9.		मारुति उद्योग लिमिटेड	–वही–	195.70
10.	झारखंड	टेल्को	–वही–	154.44
11.	कर्नाटक	आई.टी.सी. लिमिटेड	–वही–	143.22
12.		आई.टी.सी. लिमिटेड	–वही–	279.03
13.		कोची रिफाइनरीज लिमिटेड	–वही–	196.16
14.	महाराष्ट्र	फिएट इंडिया लिमिटेड	–वही–	367.04
15.		सीएट लिगिटेड	–वही–	102.00
16.	महाराष्ट्र/दिल्ली	मैसर्स एनरॉन ऑयल एंड गैस इंडिया लिमिटेड (जिसे अब मैसर्स ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), मुम्बई एंड मैसर्स ओ.एन.जी.सी., नई दिल्ली तथा मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई वाले संयुक्त उद्यम संघ	सीमा शुल्क	581.22
17.		दाभोल पावर कं., दाभोल	–वही–	246

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	सेल	उत्पाद शुल्क	175.83
19.	पंजाब	नैसले इंडिया लिमिटेड	—वही—	104.39
20.	उत्तर प्रदेश	आई.टी.सी. लिमिटेड	—वही—	159.22
21.		भेल	—वही—	108ऱ72
22.	पश्चिम बंगाल	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	सीमा शुल्क	440.71

[अनुवाद]

स्टॉक बाजार के लिए विश्लेषक

3038. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टॉक और शेयर बाजार के क्षेत्र में कार्य कर रहे विश्लेषकों को पंजीकृत करने हेतु कदम उठाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई समाचार पत्रों और विशेषज्ञों ने विश्लेषकों के लिए कुछ विनियमन सुझाए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज और अन्य सुस्थापित स्टॉक एक्सचेंजों में विश्लेषकों के अधिकार क्षेत्र की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो विश्लेषकों की कानूनी स्थिति और उत्तरदायित्वों के संबंध में निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) विश्लेषकों को कतिपय विनियमन के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं जिससे कि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि स्टॉक बाजार विश्लेषकों के पंजीकरण के मुद्दे की सेबी द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) सेबी ने सूचित किया है कि विश्लेषकों के विनियमन हेतु इसे कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) सेबी (भीतरी कारोबार का निषेध) विनियमन, 1992 में निर्धारित विभिन्न निकायों के लिए भीतरी कारोबार के निषेध हेतु आदर्श आचार संहिता में विश्लेषक भी शमिल किए गए हैं। इस आचार संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि :

(i) किसी संगठन/फर्म द्वारा कोई अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियोजित विश्लेषक, यदि कोई हों, उस फर्म/संगठन के अनुपालन अधिकारी को कंपनी में अपनी शेयरधारिता/हित का प्रकटीकरण करेंगे।

(ii) सूचीबद्ध कंपनियों की अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने वाले विश्लेषक ऐसी रिपोर्ट तैयार करने की तिथि से 30 दिन तक उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के सौदे नहीं करेंगे।

सेबी (मध्यवर्तियों द्वारा निवेश सूचना) विनियम, 2001 में यह व्यवस्था भी की गई है कि :

(क) कोई मध्यवर्ती या उसका कोई कर्मचारी सार्वजनिक रूप से पहुंच वाले मीडिया में किसी भी प्रतिभूति के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निवेश सूचना नहीं देगा चाहे वह निर्धारित समय हो या अनिर्धारित समय जब तक कि ऐसी सूचना देते समय उक्त प्रतिभूति में दीर्घ तथा

लघु स्थिति सहित उसके से हित का प्रकटन न किया गया हो।

(ख) यदि मध्यवर्ती का कोई कर्मचारी ऐसी सूचना प्रदान कर रहा है तो वह अपने आश्रित परिवार सदस्यों तथा नियोजक का उक्त प्रतिभूति में उनके दीर्घ या लघु स्थिति सहित हित का प्रकटन भी करेगा।

एशियाई विकास बैंक ऋण

3039. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत ने एशियाई विकास बैंक से विकासशील देशों से गरीबी को वास्तव में मिटाने के लिए विकास हेतु और आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं के लिए दिये जा रहे ऋणों में काफी बढ़ोत्तरी करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया है कि बैंक द्वारा वर्तमान में जो सकल रूप से सहायता दी जा रही है वह इतनी कम है कि इससे गरीबी उन्मूलन के कार्य पर कोई विशेष प्रभाव पडने वाला नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत के विचारों पर एशियाई विकास बैंक ने किस सीमा तक विचार किया है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत की ओर से गवर्नर की हैसियत से, मई, 2002 से शंघाई में हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 35वीं वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री ने निम्न टिप्पणी की

"हमें उधारों के मौजूदा स्तरों, जिन पर हम काम चला रहे हैं, से आगे जाने की जरूरत है और मात्रात्मक वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। जब समस्त सहायता इतनी कम है तो क्या हम गरीबी में कोई वास्तविक सुधार कर पाने की आशा कर सकते हैं?"

(ग) जहां तक भारत का संबंध है, मई 2002 में भारत का दौरा करने वाले एडीबी प्रोग्रामिंग मिशन ने कैलण्डर वर्ष 2003 से 2005 तक के लिए परियोजनाओं की एक श्रृंखला तैयार की है। इस श्रृंखला में देश में विभिन्न क्षेत्रों जैसे सड़क, विद्युत, रेलवे इत्यादि में लगभग 6 बिलियन डालर की कुल राशि के 28 ऋण शामिल हैं। यह तरीका विकास के जरिए गरीबी कम करने की रणनीति के अनुरूप है।

[हिन्दी]

कीनिया के साथ व्यापार समझौता

3040. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और कीनिया ने एक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने एक–दूसरे को "सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र" का दर्जा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत तथा कीनिया ने दिनांक 24 फरवरी, 1981 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापार करार में परिकल्पना की गई है कि भारतीय गणराज्य के वैध तथा मूल व्यक्ति तथा कीनिया गणराज्य के व्यक्ति तथा व्यापारिक उद्यम दूसरे संविदाकारी पक्षकार के राज्य क्षेत्र में वाणिज्यिक कार्य–कलापों को कार्यान्वित करते समय निजी सुरक्षा तथा संपत्ति सुरक्षा के संबंध में परम अनुगृहीत राष्ट्र का व्यवहार पाएंगे। उक्त व्यक्तियों को उपर्युक्त व्यवहार का उपयोग करने के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्षकार के न्यायालयों, अधिकरणों तथा प्रशासनिक प्राधिकरणों में जाने के लिए भी वैसे ही अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे जैसे विदेशी व्यक्ति ऐसे अन्य संविदाकारी पक्षकर के कानूनों तथा विनियमनों के तहत इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग करते हैं।

[अनुवाद]

भगवती पैनल रिपोर्ट

3041. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों के अधिग्रहण के संबंध में गठित भगवती पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पैनल द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैनल की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी. एन. भगवती की अध्यक्षता में शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण के संबंध में पुनर्गठित समिति ने सेबी को अपनी रिपोर्ट दिनांक 8 मई, 2002 को प्रस्तुत की। इसे दिनांक 9 मई, 2002 को सेबी की वेबसाइट पर डाल दिया गया था और जनता को अपनी टिप्पणियां भिजवाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया था।

(ख) इस समिति की मुख्य अनुशंसाओं में, अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं : प्रत्येक चरण में प्रकटीकरण जब अर्जक 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 14 प्रतिशत की सीमा पार करता है; 15 प्रतिशत और इससे अधिक की धारिता वाले अर्जकों के लिए प्रत्येक 2 प्रतिशत के स्तर पर क्रय या बिक्रियां प्रकट की जानी चाहिएं; 75 प्रतिशत और इससे अधिक धारिता वाले अर्जकों द्वारा कोई अर्जन न्यूनतम 20 प्रतिशत शेयरों के अर्जन हेतु खुली पेशकशों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होना चाहिए; विनियमों के प्रयोजनार्थ औसत बाजार मूल्य सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्ववर्ती 26 सप्ताह या 2 सप्ताह की औसत के आधार, पर जो भी अधिक हो, परिकलित किए जाएंगे।

(ग) सेबी ने सूचित किया है कि सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में संशोधन शीघ्र अधिसूचित किए जाने हैं।

कॉफी परिरक्षण योजना

3042. श्री प्रबोध पण्डा :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिद्धांत रूप से कॉफी परिरक्षण योजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कॉफी बोर्ड ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए तौर–तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) कॉफी उत्पादक देशों की एसोसिएशन द्वारा यथाअवधारित कॉफी परिरक्षण योजना में भारत की भागीदारी को भारत सरकार द्वारा सिद्धांत रूप से अनुमोदित किया गया था। तथापि, विश्व की कॉफी कीमतों में सुधार करने में इस योजना के तहत प्राप्त हुई सीमित सफलता के मद्देनजर भारत सरकार ने इसमें भाग न लेने का निर्णय लिया है। उक्त योजना को विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों द्वारा कार्यान्वित न किए जाने की वजह से स्वयं एसीपीसी द्वारा सितम्बर 2001 में छोड़ दिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू के लिए बजट में प्रावधान

3043. श्री वाई. वी. राव : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू के विस्तार कार्यक्रम हेतु बजट में कितना प्रावधान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश और कनार्टक में कितनी राशि खर्च की गयी; और

(ग) उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा संचालित विस्तार कार्यक्रमों हेतु किया गया बजट प्रावधान निम्नानुसार है

वर्ष	बजट प्रावधान (लाख रुपए में)		
	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
1999–2000	54.00	36.00	90.00
2000–2001	8.73	51.96	60.69
2001–2002	68.00	53.50	121.50

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड

(ख) इन कार्यक्रमों पर इसी अवधि के दौरान राज्य–वार खर्च की गई राशि निम्नानुसार है

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रुपए में)		
	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
1999–2000	29.10	29.70	58.80
2000–2001	10.17	2.83	13.00
2001–2002	29.00	10.76	39.76

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड

(ग) निधियों के आंशिक उपयोग के कारण तम्बाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों को बहुत से उत्पादकों द्वारा पूरा न किए जाने की अपात्रता तथा वर्ष 2000–2001 के दौरान आंध्र प्रदेश में किसी भी उत्पादक को पंजीकृत न करने का निर्णय अथवा तम्बाकू की फसल का आकार निर्धारित न करना रहे हैं।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) के लिए पृथक बैंक

3044. श्री एन. ब्रह्मनैया : क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के वित्तीय कार्यों के लिए एक विशेष बैंक शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.आर.डी.ए. बैंकों से सहयोग न मिलने के कारण कई योजनओं को शुरू नहीं कर पाया है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बैंकों का सहयोग लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण से जुडी सभी योजनाओं में सक्रिय रूप से सहभागी रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के कार्यनिष्पादन की निकट से निगरानी करता है और उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का परामर्श दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बैंकरों और सरकारी कार्यकर्ताओं के बीच कार्य के अधिकाधिक समन्वय तथा ऋण आवेदनों की प्राप्ति, उसकी मंजूरी और संवितरण के बीच अन्तराल को कम करने का अनुदेश भी दिया है। इस बात की पुनरावृत्ति भी की गई है कि विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत आवेदन निर्धारित समय सीमा के अन्दर मंजूर किये जाने चाहिए। इसके अलावा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, बैंकों को खंड और जिला स्तरीय बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने का परामर्श दिया गया है। अग्रणी बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे अपने अग्रणी जिलों में बैंकों को, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यकर्ताओं के साथ संगत सूचना के आदान–प्रदान/उसे आपस में बांटने के लिए उपयुक्त हिदायत जारी करें। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अपने शाखा अधिकारियो के लिए जिला–वार एक दिवसीय गहन सुग्राहीकरण शिविर/कार्यशाला आयोजित करें।

मुद्रास्फीति की दर

3045. श्री अधीर चौधरी :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2001–2002 में मुद्रास्फीति 3.61 प्रतिशत के रिकार्ड निम्नस्तर तक पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2002–2003 में मुद्रा स्फीति दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001–02 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर 3.61 प्रतिशत थी जबकि इससे पहले यह 1999–2000 में 3.3 प्रतिशत की न्यून दर पर दर्ज की गई थी। वर्ष 2001–02 में तीन मुख्य उप समूहों के संबंध में औसत मुद्रास्फीति दर प्राथमिक उत्पादों के लिए 3.7 प्रतिशत, ईंधन समूह के लिए 9.1 प्रतिशत और विनिर्मित वस्तुओं के लिए 1.8 प्रतिशत थी।

(ग) सरकार मुद्रास्फीति दर पर निरन्तर निगरानी रखती है और अनिवार्य जिंसों के कारगर आपूर्ति प्रबंध के जरिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि इनके मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि से निर्धन दर्ग को नुकसान न पहुंचे।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि

3046. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गत छः महीनों के दौरान वनस्पति की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2002–2003 के लिए वनस्पति की मांग का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वनस्पति की मांग और पूर्ति के बीच का अंतर कितना है; और

(च) वनस्पति की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वनस्पति के मूल्य 30.1.2002 की स्थिति के अनुसार 515 रुपए प्रति 15 लिटर से बढ़कर 30.7.2002 की स्थिति के अनुसार 625 रुपए प्रति 15 लिटर हो गए, और इस प्रकार यह 21.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं :

(i) वनस्पति, जिसका उत्पादन कच्चे पाम तेल से होता है, के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होना। जनवरी, 2002 में कच्चे पाम तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 312 यू.एस. डॉलर प्रति टन एफ.ओ.बी. था, जो जुलाई, 2002 में बढ़कर 370 यू.एस. डॉलर प्रति टन एफ.ओ.बी. हो गया है तथा इस प्रकार यह 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ii) कच्चे पाम तेल के प्रशुल्क मूल्य में वृद्धि होना जिस पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। 5.1.2002 की स्थिति के अनुसार कच्चे पाम तेल का प्रशुल्क मूल्य 314 यू.एस. डॉलर प्रति टन था, जो अब 13.6.2002 से बढ़कर 392 यू.एस. डॉलर प्रति टन हो गया है।

(iii) देशी तेलों, जिनका प्रयोग वनस्पति के उत्पादन में होता है, के मूल्यों में वृद्धि होना। ज्यादातर वनस्पति के उत्पादन में चावल की भूसी का तेल प्रयोग में लाया जाता है। 30.1.2002 की स्थिति के अनुसार चावल की भूसी के तेल का मूल्य 2450 रुपए प्रति क्विंटल था जो 30.1.2002 की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 3150 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, तथा इस प्रकार यह 26.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) से (ङ) वनस्पति की मांग का अलग से आकलन

नहीं किया गया है। तथापि, पिछले वर्ष घरेलू स्रोतों के साथ–साथ आयातों से, वनस्पति की उपलब्धता के आधार पर 2002–03 के दौरान वनस्पति की मांग 16 लाख टन रहने की संभावना है। 2002–03 के दौरान वनस्पति का घरेलू उत्पादन 15 लाख टन रहने की संभावना है। 6.3.2002 से संशोधित भारत–नेपाल व्यापार संधि के अनुसार नेपाल से शुल्क मुक्त वनस्पति का आयात 1 लाख टन प्रति वर्ष पर निर्धारित किया गया है।

(च) वनस्पति की मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उठाये गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(i) 25.7.1991 से वनस्पति उद्योग सहित वनस्पति तेल उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, जिससे नयी क्षमताओं के निर्माण/वर्तमान क्षमताओं के विस्तार हेतु अवसर प्राप्त हुए हैं।

(ii) वनस्पति यूनिटों को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य तेलों का आयात खुला सामान्य लाइसेंस के अधीन करने की अनुमति दी गई है।

(iii) भारत–नेपाल व्यापार समझौते के अधीन 1 लाख टन वनस्पति सीमा शुल्क मुक्त आधार पर आयात किया जा सकता है।

विदेशी लेखापरीक्षा फर्में

3047. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विदेशी लेखापरीक्षा फर्मों को व्यवसाय करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद ने एक कार्यकारी समूह का गठन किया है जो इन प्रस्तावों की समीक्षा करेगा और इन्हें संशोधित रूप में सरकार को प्रस्तुत करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य दल द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के उपबन्धों के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक सांविधिक लेखा–परीक्षा का कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के सदस्य नहीं होते और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान परिषद से प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र नहीं ले लेते।

(ग) और (घ) भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों में संशोधनों का सुझाव देने हेतु मार्च, 2002 में एक कार्यकारी समूह का गठन किया था। समूह ने 29 जून, 2002 को अपनी रिपोर्ट भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान को प्रस्तुत की।

बैंकों/पीएसयू के विरुद्ध बकाया राशि

3048. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर विभिन्न राज्यों विशेषतः महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की बड़ी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बकाया राशियों का भुगतान नहीं होने के कारण कुछ राज्य सरकारें गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से बकाया धनराशि की वसूली के लिए प्रभावी पहल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निवेशक को शिक्षित एवं जागरूक बनाने के कार्यक्रम

3049. श्री किरीट सोमैया : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी के पास निवेशक को शिक्षित करने और जागरूक बनाने संबंधी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के संबंध में बजट, क्रियान्वयन अवधि इत्यादि सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेबी ने निवेशक जनता को शिक्षित करने के लिए किसी संस्थान या विश्वविद्यालय की सेवाएं ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सेबी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने यह सूचित किया है कि ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

खाद्य तेल का आयात

3050. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जय प्रकाश :
श्री कोलूर बसवनागौड :
श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया;

(ख) उक्त आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाद्य तेलों का बड़ी मात्रा में आयात के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बड़ी मात्रा में आयात से विशेषतः कर्नाटक के घरेलू तिलहन उत्पादकों पर बुरा असर पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले अर्थात् अप्रैल, 2002 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की मात्रा व उनका मूल्य नीचे दिया गया है।

मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)
252666	45115.77

स्रोत : विदेश व्यापार महानिदेशालय

(ग) खाद्य तेलों की मांग और देशीय आपूर्ति के बीच अंतर है। सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से नारियल के तेल को छोड़कर खुले लाइसेंस के तहत खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी हुई है। अप्रैल, 2001 में 3,57,399 टन खाद्य तेलों का आयात किया गया था, जबकि अप्रैल, 2002 में आयात कम हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रूस के साथ व्यापार समझौता

3051. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने चाय और तम्बाकू के साथ कृषि उत्पादों के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000–2001 में दोनों देशों के बीच किन मदों का आयात और निर्यात हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) भारत और रूसी परिसंघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग संबंधी करार, जिस पर 4 मई, 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे, में पूर्व यूएसएसआर के विघटन से भारत–रूस व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मूल ढांचे की व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में फरवरी, 2002 में व्यापार तथा आर्थिक सहायोग संबंधी भारत रूसी कार्यकारी दल के आठवें सत्र के दौरान एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रोटोकाल में दोनों के बीच व्यापार बढाने के लिए द्विपक्षीय हितों के विभिन्न मुद्दों पर हुए विचार–विमर्शों का उल्लेख है जिनमें रूस को चाय, तम्बाकू, गेहूं इत्यादि के निर्यात को बढ़ाने के लिए अपेक्षित उपाय शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान रूस को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें सहायक उपकरणों सहित आरएमजी कॉटन, चाय, औषध, भेषज तथा परिष्कृत रसायन, कॉफी आर एम जी ऊन, सूती धागा, फैब्रिक, मेड अप्स, तम्बाकू इत्यादि हैं।

वर्ष 2000–2001 के दौरान रूस से आयातित प्रमुख मदें उर्वरक, लौह तथा इस्पात, अलौह धातुएं, अखबारी कागज, कृत्रिम तथा पुनरावर्तित रबड़ प्राइमरी इस्पात इत्यादि हैं।

[अनुवाद]

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में धोखाधड़ी

3052. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
डा. बलिराम :

क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क)* क्या सीबीआई ने मई और जून 2002 के बीच सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की पहाड़गंज शाखा, नई दिल्ली में 36 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) पैसे की वसूली और दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, पहाड़गंज शाखा, नई दिल्ली के एक प्रबंधक एवं एक सहायक प्रबंधक के विरुद्ध मैसर्स रूपिन एक्सपोर्ट और मैसर्स शिवम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के सहयोग से 36 लाख रुपए की सीमा तक बैंक को धोखा देने के लिए एक मामला दर्ज किया है।

(ख) से (घ) 10.1.2002 और 5.2.2002 के बीच प्रबंधक ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक की अनुपस्थिति में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की संसद मार्ग शाखा को मैसर्स रूपिन एक्सपोर्ट और मैसर्स शिवम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ओर से हांगकांग को 58,378.40 यूएस डॉलर झूठा प्रमाणपत्र देते हुए विप्रेषित करने के लिए तीन पत्र जारी किए थे कि उनके ओडी/सीडी खातों में पर्याप्त निधियां आरक्षित रखी हुई हैं। बाद में उन्होंने मैसर्स रूपिन एक्सपोर्ट को अप्राधिकृत रूप से नकद ऋण सीमा मंजूर की और उपर्युक्त उल्लिखित विप्रेषण राशि को समायोजित किया। की गई मंजूरी अप्राधिकृत और कपटपूर्ण थी। बैंक ने प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक को निलंबित कर दिया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की है। बैंक ने उधारकर्ताओं को रीकॉल नोटिस जारी करके बकाया राशि की वसूली के लिए भी कदम उठाए हैं।

तम्बाकू कृषकों को दी जाने वाली निविष्टियां

3053. श्री वाई. वी. राव : क्या **वित्त और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादकों को दी गयी निविष्टियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए कृषकों की राज्यवार संख्या कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : (क) और (ख) तम्बाकू बोर्ड अपने सामान्य क्रियाकलापों के एक भाग के रूप में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया तम्बाकू के किसानों के लिए बीज, उर्वरक, कोयले की ईंटें, कोयला, छिड़काव के पदार्थ, धुआं देने वाली वस्तुएं, कीटनाशी इत्यादि जैसी निविष्टियों की आपूर्ति का प्रबंध करता है। सभी उत्पादक जो प्रत्येक फसल मौसम के लिए बोर्ड के पास विधिवत पंजीकृत हैं, इस क्रियाकलाप में शामिल किए जाते हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) कंपनी (केंद्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (संशोधन) नियम, 2002 जो 7 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (आवेदनों पर फीस) संशोधन नियम, 2002 जो 14 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 365(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम संशोधन नियम, 2002 जो 11 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 419(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5902/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 376(अ) जो 22 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5903/2002]

(3) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) और अनिवार्य माध्यस्थम के अंतर्गत माध्यस्थम बोर्ड द्वारा दिए गए अधिनिर्णय (1992 के सीए संदर्भ संख्या 13 के अंतर्गत) में संशोधन के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5904/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण सिंह) : महोदय, मैं, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2002 जो 7 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5905/2002]

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिन्जी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 324(अ) जो 3 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिल्ली ऋण वसूली अधिकरण संख्या 1 और दिल्ली ऋण वसूली अधिकरण संख्या 2 के स्थान में परिवर्तन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5906/2002]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत यात्री सामान (सीमा शुल्क स्टेशन को अभिवहन) संशोधन विनियम, 2002 जो 8 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 481(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 5907/2002]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002, जो 8 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एचआरडीडी/आईआर/बीएस-25(पी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002, जो 20 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएडी/पीईएन/001/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002, जो 22 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसबी/पीईएन/अमेंड/1/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002, जो 27 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईआरएस : 228ए : 7795 : एनएके में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2002, जो 6 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3940 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002, जो 18 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3939 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 5908/2002]

(4) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) अधिसूचना संख्या एसबीडी सं. 5/2002 जो 25 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र और त्रावणकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम सं. 38 में संशोधन अंतर्विष्ट हैं।

(दो) अधिसूचना संख्या एसबीडी सं. 6/2002 जो 25 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/हैदराबाद/इंदौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र और त्रावणकोर अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम सं. 25 में संशोधन अंतर्विष्ट हैं।

(तीन) अधिसूचना संख्या एसबीडी सं. 7/2002 जो 25 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कर्मचारी पेंशन निधि नियम, 1943 में संशोधन अंतर्विष्ट हैं।

(5) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2002 जो 17 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एक्जिम/पेंशन/2002

में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5909/2002]

(6) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 54क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आवास वित्त संस्था ऋण वसूली अपील अधिकरण (वित्त और प्रशासनिक शक्ति) नियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आवास वित्त संस्था वसूली अधिकारी (अर्हता और सेवा शर्तें) नियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आवास वित्त संस्था ऋण वसूली अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 337(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आवास वित्त संस्था ऋण वसूली अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आवास वित्त संस्था ऋण वसूली अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) आवास वित्त संस्था ऋण वसूली अपील अधिकरण (अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया) नियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) आवास वित्त संस्था (देय राशि की वसूली की प्रक्रिया) नियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक (अनुमोदित संस्थाओं की देय राशि की वसूली) सामान्य विनियम, 2002 जो 8 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 497(अ) जो 15 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 8 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 215 का शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5910/2002]

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आई.आर.डी.ए/रेग./03/2002 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 जो 2 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.आइआरडीए/रेग./03/2002 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5911/2002]

(10) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 जो 30 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.आईआरडीए/रेग./04/2002 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5912/2002]

(11) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई के 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5913/2002]

(12) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :

(एक) इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5914/2002]

(दो) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5915/2002]

(तीन) सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5916/2002]

(चार) रायलसीमा ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5917/2002]

(पांच) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5918/2002]

(छह) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5919/2002]

(सात) जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5920/2002]

(आठ) कोलार ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5921/2002]

(नौ) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5922/2002]

(दस) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5923/2002]

(ग्यारह) प्रथमा बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5924/2002]

(बारह) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5925/2002]

(तेरह) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5926/2002]

(चौदह) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5927/2002]

(पंद्रह) यवतमाल ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5928/2002]

(सोलह) काशी ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5929/2002]

(सत्रह) हडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5930/2002]

(अठारह) रूशिकुल्लया ग्राम्य बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5931/2002]

(उन्नीस) नालंदा ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5932/2002]

(बीस) गोमती ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5933/2002]

(इक्कीस) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5934/2002]

(बाईस) नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5935/2002]

(तेईस) कपूरथला–फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5936/2002]

(चौबीस) रेवा सिधि ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5937/2002]

(पच्चीस) दामोह–पन्ना- सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5938/2002]

(छब्बीस) सुबनश्री गांवलिया बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5939/2002]

(सत्ताईस) मालप्रभा ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5940/2002]

(अट्ठाईस) अम्बाला–कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5941/2002]

(उनतीस) श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5942/2002]

(तीस) छिंदवाड़ा–सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5943/2002]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : महोदय, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत जीवित मत्स्य निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और अनुश्रवण) नियम, 2002, जो 1 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 478(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5944/2002]

(2) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 628(अ), जो 12 जून, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित कतिपय अधिसूचनाओं को निरस्त करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 5945/2002]

(3) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5946/2002]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5947/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 5 अगस्त, 2002 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्य.देश, 2002 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002 पर विचार और पारित करना।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

    (क) परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2002

    (ख) शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक, 2002

    (ग) कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002

    (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002

    (ङ) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2002

    (च) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2002

4. लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में धन शोधन निवारण विधेयक, 1999 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करना और मानना।

5. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

    (क) वर्ष 2002–03 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

    (ख) वर्ष 1999–2000 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें (रेल)

6. रेल अभि समय समिति (आर सी सी) (1999) के पांचवें प्रतिवेदन में वर्ष 2002–2003 के लिए लाभांश की दर और अन्य अनुषंगिक मामलों की सिफारिशों पर विचार और गृहीत करना।

7. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना।

    (क) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002

    (ख) पेट्रोलियम (बरार विस्तार) निरसन विधेयक, 2002

8. सी.ए. संदर्भ संख्या 11/92 में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'घ' के वेतनमान रु. 1200–2040 से 1400–2600 (संशोधन पूर्व) में वृद्धि करने संबंधी माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

9. सी.ए. संदर्भ संख्या 02/91 में निजी सचिवों (सी. एस.एस.एस. के विलय किए गए ग्रेड "क" और "ख") को विशेष वेतन प्रदान करने हेतु माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

10. 1981 के सी.ए. संदर्भ संख्या 6 में जे.सी.एम. योजना के अंतर्गत अपेक्षित समयोपरि भत्ते की दर में संशोधन के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय,

मैंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है, बाढ़ की समस्या बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी जीरो आवर शुरू नहीं किया है, अभी हम प्रोसीजर के तहत माननीय सदस्यों के सबमिशन्स ले रहे हैं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. उत्तरी बिहार में प्रतिवर्ष नेपाल से आयातित भीषण बाढ़ एवं बरसात के कारण 14 जिलों के सभी प्रमुख सड़क, पुल क्षतिग्रस्त हो जाने एवं जानमाल के भारी नुकसान होने के कारण उत्पन्न समस्याओं के स्थाई निदान पर चर्चा।

2. देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकारी सर्विस में अवकाश प्राप्त करने की 60 वर्ष की उम्र को 58 वर्ष करने पर विशेष चर्चा।

प्रो. रासासिंह रावत (अमजेर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें

1. बिहार राज्य से राजस्थान को जोड़ने वाली अभी कोई सीधी गाड़ी उपलब्ध नहीं है। बिहार से हजारों यात्री अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह एवं पुष्कर तीर्थ में दर्शनार्थ आते हैं परंतु यात्रियों को कई स्थानों पर गाड़ियां बदलने, उतरने चढ़ने में बहुत असुविधा होती है। अतः बिहार की राजधानी पटना से राजस्थान की हृदयस्थली अजमेर के मध्य एक साप्ताहिक गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।

2. आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से अजमेर, मीटर गेज काचीगुड़ा–अजमेर मीनाक्षी ट्रेन द्वारा जुड़ा हुआ है परंतु कुछ वर्षों पूर्व पूर्णा के आगे ब्रॉड गेज बन जाने के कारण यात्रियों को गाड़ी बदलने, उतरने चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। अतः सिकंदराबाद–हैदराबाद से वाया सूरत–अहमदाबाद–मारवाड़ जंक्शन अजमेर तक ब्रॉडगेज पर एक सीधी गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़े जाएं :

1. आज देश के समक्ष खड़ी अनेक समस्याओं की जड़ है लगातार बढ़ रही जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हेतु यदि प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो स्थिति बहुत भयावह होगी, चर्चा की आवश्यकता।

2. देश में अनेक सिंचाई परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में अनेक अड़चनें सामने आती हैं। समय से पूरा न होने पर धन की बर्बादी तो होती ही है, देश को लाभ भी नहीं मिल पाता। इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम बनाने हेतु चर्चा की आवश्यकता।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. किसानों के हित में फसल बीमा योजना लागू की गई है। किसानों को प्रीमियम राशि जमा करने का समय 31.6.2002 था। अधिकतर किसानों ने जानकारी के अभाव एवं मानसून सक्रिय नहीं होने के कारण प्रीमियम राशि जमा नहीं की। अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों के प्रीमियम राशि जमा करने की समय सीमा को नियमित रखा जाए।

2. किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संपूर्ण किसानों को क्रेडिट कार्ड कम ब्याज दर पर तत्काल वितरण किया जाए जिससे किसान रबी फसल ले सकें तथा जीविकोपार्जन कर सकें।

श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए :

1. महाराष्ट्र में जलगांव स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस के ठहराव किए जाने की आवश्यकता।

2. महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री विष्णुपद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए

1. 1961 के पूर्व की स्थिति वाली उस सीमाधिक भूमि का विनियमन जिस पर प्रमुख रूप से स्थानीय बॉर्न्स समुदाय के लोग तथा अन्य काबिज हैं तथा पोर्टब्लेयर शहर के सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य को अंतिम रूप देना।

2. स्थीय बॉर्न्स (1942 के पूर्व की स्थिति में) समुदाय के लोगों से बिना किसी प्रतिपूर्ति अथवा वैकल्पिक तौर पर भूमि–प्रदाय के अर्जित कर ली गई भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि का आवंटन।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले हफ्ते की कार्यवाही में जोड़ा जाए

1. दिल्ली की चरमराती परिवहन व्यवस्था को देखते हुए यहां वैकल्पिक साधन ढूंढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली की नन्द नगरी जो एक पुनर्वास बस्ती है, जहा गरीब लोग रहते हैं, में एक रेलवे हाल्ट बनाया जाए जिससे लोग यहां से उत्तर प्रदेश की ओर तथा दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में अपने काम–धंधों पर आ–जा सकें।

2. यमुनापार की बहुत सी आबादियां जैसे यमुना विहार, भजनपुरा, गांवड़ी, शास्त्री पार्क, कैलाश नगर, गांधी नगर, शकरपुर व मयूर विहार जमना नदी के पूर्वी किनारे पर बसी हैं जो जमना नदी की गंदगी से बहुत ही प्रभावित हो रही हैं। यदि भारत सरकार व दिल्ली सरकार का पर्यावरण मंत्रालय नदी के दोनों किनारों पर लगभग 20 लाख वृक्ष लगवा कर हरा भरा बनाए तो यहां के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभ होगा और लोग सुबह–शाम भ्रमण भी कर सकते हैं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को सम्मिलित करने का कष्ट करें

भारत धर्म एवं कृषि–प्रधान देश है। देश की धर्म और कृषि पर आधारित व्यवस्था की आधार भारतीय नस्ल की गोवंश है। 2 अगस्त, 2001 को मा. प्रधान मंत्री जी की संस्तुति पर राष्ट्रीय गोवंश आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मा. प्रधान मंत्री और मा. कृषि मंत्री को देश के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व को ध्यान में रख कर गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश के साथ दिया है। अतः अनुरोध है कि व्यापक जनहित में राष्ट्रीय गोवंश आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए

1. झुग्गी झोंपडियों में रहने वाले गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता।

2. स्वर्ण चतुर्भुज योजना को अधीनवर्ती परियोजना के कार्यान्वयन की बीच में ही समीक्षा।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : महोदय, निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए :

1. महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। यह ऐतिहासिक सत्य है तथा महारानी ने स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे थे। उनके इस बलिदान को वाराणसी में चिरस्थाई बनाने के लिए आवश्यक है कि महारानी के जन्म स्थान अस्सी पर उनके स्मारक का निर्माण कराया जाए।

2. भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वाराणसी एक सांस्कृतिक नगरी होने के कारण इसने संगीत के क्षेत्र में अनेक विभूतियों को जन्म दिया है। इसी में एक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां व पद्म विभूषण पं. किशन महाराज हैं। गीत–संगीत के क्षेत्र में तबला विद्या के मर्मज्ञ इस विभूति को भारत रत्न से नवाजे जाने से न केवल काशी गौरवान्वित होगी बल्कि संगीत प्रेमियों का भी सम्मान होगा। इस विषय पर विचार किया जाए।

अपराह्न 12.13 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

चालीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाहन) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामजी भैया। आप जानते हैं कि जिस के अनुसार काम शुरू है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी गई है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, पेट्रोल पंप का मामला कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे लिया जाना चाहिए। कृपया पहले इसे लें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। चूंकि अनेक माननीय सदस्य पहले 'शून्य काल' शुरू करने का अनुरोध कर रहे हैं, अतः हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाद में लेंगे। मै पहले 'शून्यकाल' ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे एक निवेदन करना है। आज हमने आपके आश्वासन पर अध्यक्षपीठ की बात मानी है। प्रश्न काल के तुरंत बाद ही पेट्रोल पंप वाला मामला ले लीजिए...*(व्यवधान)* इसीलिए, पेट्रोल पंप वाले मामले का जवाब पहले दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ से लोग मर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कहा कि मैं पहले श्री बनातवाला को बोलने की इजाजत दूंगा, बाद में आपको दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाद में लिया जा सकता है। पहले आप श्री बनातवाला द्वारा उठाया मुद्दा ले लें, फिर पेट्रोल पंप का मामला, और फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी तो यही कहा है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। कृपया मेरी बात सनिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सोमवार को भी ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को सोमवार को लें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। कृपया मुझे सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठिए। मैं केवल आपके लिए काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जैसा मैंने कल बनातवाला जी को इस हाउस में एश्योर किया था, उनका प्रश्न पिछली 4–5 मीटिंग में आया था

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे सुनिए। आप मुझे बोलने तो दें। आप मुझे सुनेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। बनातवाला जी पहले इश्यू रेज करेंगे, बाकी लोग बाद में रेज करेंगे। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम पहले श्री बनातवाला का मुद्दा लेंगे। श्री बनातवाला के बाद, जैसा मैंने पहले कहा, मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी को उनका मुद्दा उठाने की इजाजत दूंगा। तत्पचात, तीसरा मुद्दा बिहार में बाढ़ का रहेगा और फिर अन्य मुद्दे रहेंगे। श्री बनातवाला।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरतअंगेज और अत्यंत आपत्तिजनक बात है कि सरकार ने अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थानों अधिकारों और विधिमान्य हितों के खिलाफ रुख अपनाया है। सरकार ने अब तक जो रुख अपनाया है उससे उसकी नीति पलटा खाती दिखती है। उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाओं की सुनवाई चल रही है। यह बात स्वीकार्य है कि शिक्षा संस्थान बिना अनुदान के नहीं चल सकते। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शिक्षा संस्थान जिन्हें अनुदान मिलता है, वे अल्पसंख्यक तबकों के छात्रों को दाखिले में आरक्षण या अंकसीमा में छूट अथवा किसी प्रकार की वरीयता नहीं दे सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में इजाजत देने वाला हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है, फिर ये यहां कैसे इस तरह से बोल सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक समय में एक बोलिए। पहले यह विषय आया था तो मैंने कल कहा था कि मैं कोर्ट मैटर में अवसर नहीं दूंगा, अगर वे यह देखकर बोलेंगे, तभी मैं इजाजत दूंगा। मुझे मालूम है कि कोर्ट में मैटर पैंडिंग है।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का सारतत्व जो कि पूर्णतया स्पष्ट है, पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मानव संसाधन विकास मंत्री ने तो महासॉलिसीटर को टेलीफोन किया और उन्हें उच्चतम न्यायालय में महाधिवक्ता के तर्कों का खंडन करने का निर्देश दिया। यह सब बहुत स्तब्धकारी है और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाओं को नष्ट करने का एक प्रयास है। मैं सरकार से अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारो की रक्षा करने और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के वैध हितों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपनाए गए रुख में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। यह एक मान्य तथ्य है कि कोई भी शैक्षणिक संस्था अनुदानों के बिना नहीं चल सकती है और इसीलिए उनसे अपने मूल अधिकारों के समर्पण के लिए नहीं कहा जा सकता। अतः सरकार को अपनी नीति में संशोधन करना है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष महोदय, अब इस मामले की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है। इस पर यहां संसद में चर्चा नहीं की जा सकती...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, लेकिन सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। यही मुद्दा यहां उठाया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मामले के गुण और दोष क्या हैं, इस पर वे बाहर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संसद को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में क्या हो रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर क्या हाउस में विचार किया जा सकता है? इस मामले पर यहां विचार नहीं किया जा सकता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन इस मामले को यहां उठाया जा रहा है।...*(व्यवधान)* हम लोगों की और भी तमाम समस्याएं हैं, मस्तिष्क ज्वर से हमारे इलाके में मौतें हुई हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला द्वारा उठाया गया मुद्दा न्यायालय में है और यह सबको पता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला मैं एक विनिर्णय दे रहा हूं। कृपया आनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैंने मामले के गुण–दोष की बात नहीं कही है। मैंने सरकार से केवल अपना रवैया सुधारने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे जानता हूं।

श्री प्रमोद महाजन : लेकिन इसमें मामले के गुण दोष पर विचार किया गया है। सरकार ने जो सही या गलत निर्णय किया है वही मामले का गुण–दोष है।...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, यह संवैधानिक अधिकारों का प्रश्न है।

हम मामले के गुण दोष पर बात नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप पहले ही बोल चुके हैं। अब आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, जब आपने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति मांगी थी, तो मैंने कहा था कि न्यायालय के अधीन मामला किसी भी तरह प्रभावित नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले पर गौर करने हेतु प्रधानमंत्री से केवल अनुरोध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : मुझे माननीय अहमद महोदय ने बोलने के लिए कहा है...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हम मामले के गुण दोष में नहीं जा रहे हैं। यह न्यायालय का विशेषाधिकार है...*(व्यवधान)* न्यायालयाधीन मामले पर माननीय न्यायालय को निर्णय देना है। जैसे कि न्यायालय आज अपनी सुनवाई पूरी कर रहा है। अतः प्रश्न यह नहीं है कि न्यायालय में क्या हो रहा है...*(व्यवधान)*

मैं केवल सरकार द्वारा इस मामले में अपनाए गए रुख का उल्लेख कर रहा हूं...*(व्यवधान)* सरकार इस मामले में अपने पहले के रुख से विचलित हुई है। 1997 में, महाधिवक्ता ने अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों, को मान्यता देने का रुख अपनाया है...*(व्यवधान)* यदि इस पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है तो हम कहां चर्चा करें?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : बिहार की बात सुन लें...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ : मेनांजाइटिस से पूरे देश में लोगों की मौत हो रही है...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमने इस पर सुबह सात बजे आकर नोटिस दिया है। हमें बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : यह जो विषय चल रहा है, इसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। आप सबको अपने-अपने विषय रखने हैं। यदि आप कोआपरेट नहीं करेंगे, तो मैं समझूंगा कि आपका विषय महत्व का नहीं है और इसे नहीं रखना चाहते। इस हाउस को रूल्स के मुताबिक चलाना मेरा काम है। आप यह जानते हैं कि जिन विषयों को मैंने यहां प्रायरिटी दी है, उसमें बाढ़ का भी विषय है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : लेकिन बाढ़ का विषय कहां आ रहा है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं आपको चांस दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी न नहीं कहा है। मैं आपका विषय लेना चाहता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बिहार में बाढ़ आई हुई है। यहां लोग खाने के अभाव में मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि यह विषय महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इस पर बोलने के लिए इजाजत देने वाला हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विषय प्रायरिटी से रखने के लिए मैंने आपको अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह अन्याय हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अन्याय नहीं होगा। मैं आपको जरूर इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दासमुंशी जी, जरा ठहरें, मैं बाढ़ के बारे में इनको दो मिनट देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, प्रश्नकाल के दौरान आपने मुझे आश्वासन दिया था कि श्री बनातवाला के बाद, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और इसका जवाब सुन सकूंगा। आपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को यहां उपस्थित रहने को कहा है...*(व्यवधान)* मैं आप द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करूंगा।

मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी की भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। बाढ़ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा...*(व्यवधान)* यदि टोका टाकी चलती रही, तो हम सहयोग नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह क्या है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बाढ़ का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। हमने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ का विषय बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले बाढ़ का विषय लिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने जो कहा है, उसी तरीके से, इनका प्रश्न होने के बाद मैं बाढ़ का प्रश्न उठाने वाला हूं। मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : बाढ़ पर पहले लिया जाए नहीं तो हंगामा हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे सभा में व्यवस्था कायम करने दें। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, बाढ़ के बारे में जिन लोगों के नोटिस हैं, मैं उनको ही परमिशन दे सकूंगा और बाद में इनका विषय शुरू करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं अपना दावा किए बिना सभा के साथ सहयोग करने को तैयार हूं...*(व्यवधान)* मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि केवल बाढ़ का ही मामला उठाया जाए। यदि आप केवल श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को अनुमति देते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा मैं अपना मुद्दा बाद में उठाऊंगा...*(व्यवधान)*

यदि मेरा मुद्दा कोई अन्य सदस्य उठाएगा, तो मैं बीच में ही बोलने के लिए खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि आपने ही मुझे बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोलेंगे, तो मैं सहयोग करूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास केवल तीन नोटिस हैं। हर व्यक्ति दो या तीन मिनट बोलेगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जी, नहीं। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपने प्रश्नकाल के दौरान आश्वासन दिया था कि श्री बनातवाला के बाद आप मुझे बोलने के लिए बुलायेंगे और सरकार जवाब देगी।

अब, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यदि आप श्री यादव को बाढ़ पर बोलने की अनुमति देते हैं तो मैं अपना दावा छोड़ने को तैयार हूं। श्री यादव के बाद कृपया आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। यदि आप ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा तो मैं सहयोग नहीं करूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सूखे के कारण आंध्र प्रदेश में...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, हमारा स्थगन प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी, आप बैठिए। देखिए, मेरे सामने एक प्रश्न है। मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा हूं। दासमुंशी जी का विषय लेने के लिए मैंने प्रश्न काल में कमिटमेंट दी थी। सुनिए। यह विषय आने के बाद प्रश्न काल यहां आना चाहिए, यह सभी सदस्य चाहते थे। इसीलिए मैंने उनको कमिटमेंट दी कि बनातवाला जी के विषय के बाद आपके विषय पर आएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं निवेदन करता हूं कि बाढ़ का विषय बहुत महत्व का है। वहां लोगों की जान का प्रश्न है और इसीलिए दासमुंशी जी ने यह माना कि प्रश्न बहुत महत्व का है और देवेन्द्र प्रसाद यादव इस विषय पर बात करेंगे। इस बात को हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इजाजत दे रहा हूं। जब यह इजाजत दे रहा हूं तो यादव जी आप ही बोल सकते हैं। आपका होने के बाद मैं वे नोटिस लूंगा। सभी को तो मैं एक साथ नहीं ले सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरे पास कितने नोटिस हैं, मैं चैक करा रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, यह बाढ़ का विषय बहुत महत्व का है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वे यहां नाटक कर रहे हैं...*(व्यवधान)* कुछ नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)* सरकार के मंत्री जी को रिप्लाई देना होगा।...*(व्यवधान)* पेट्रोलियम मंत्री के व्यवहार के बारे में...*(व्यवधान)* वे क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* वे देश को लूट रहे हैं। इस घोटाले के बाद भी वे यहां बेशर्म होकर बैठे हुए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, मैं आपका नाम बाद में ले सकता हूं। पहले इनको मैंने कमिटमेंट दी है। बाढ़ के बारे में भी जो नोटिसेस आई हैं, उनको बुलाऊंगा। फिर, मैं नियमानुसार चलूंगा। सभी को बैठ जाना चाहिए। मैं केवल उन सदस्यों को अनुमति देने जा रहा हूं जिन्होंने पेट्रोलियम के मुद्दे पर भी नोटिस दिए हैं और अन्य किसी को भी इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, श्री के. राघव रेड्डी नामक एक व्यक्ति राजौरी में राष्ट्र की सेवा करते हुए दिवंगत हुए थे। दो दिन के बाद भी उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान तक नहीं पहुंच पाया है। उनके संबंधियों को अभी भी उनके पार्थिक शरीर के आने का इंतजार है। मैंने माननीय गृह राज्य मंत्री को भी इसके बारे में बताया है परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतएव, मैं आपसे, सरकार को उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान भिजवाने का निदेश देने का अनुरोध करता हूं जहां उनके संबंधी इसका इंतजार कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी प्रार्थना की थी कि आंध्र प्रदेश में सरकार द्वारा ऋण की वसूली के कारण किसानों ने आत्म हत्या कर ली है। बहुत गंभीर मामला है।...*(व्यवधान)* सरकार बिलकुल भी गंभीर नहीं है। ऋण की वसूली हो रही है।...*(व्यवधान)* मामला बहुत गंभीर है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा जिले में नौ किसानों ने खुदकुशी की है। सरकार इस पर ध्यान दे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, आंध्र प्रदेश की सरकार इस पर पूरी तरह गौर कर रही है कि क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पहले हम इसे निपटा दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एडजार्नमेंट मोशन दिया है। इसको पहले देखा जाए। जिस तरह से हाउस चल रहा है, उस तरीके से हम चलने नहीं दे सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं, तो पहले नियम के अनुसार आप बैठिए। आपको नियमों की इतनी परवाह है, तो आप बैठिए और पहले मुझे सुनिए।

आपका एडजार्नमेंट मोशन आया है। मैं नियम के बाहर नहीं जाना चाहता हूं। नियम के अनुसार एडजार्नमेंट मोशन का जो नोटिस है,

[अनुवाद]

मैंने इसे 'शून्य काल' नोटिस में परिवर्तित कर दिया है। नियमों के अनुसार, मुझे ऐसा करने की अनुमति है। इस मुद्दे के बाद, मैं उसकी भी अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, हमको भी छः दिन हो गए हैं, नोटिस दिए हुए। क्या बोलने का हम लोगों का राइट नहीं है। बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बाढ के बारे में मेरे पास चार नोटिस आए हैं। चार नंबर, सत्रह नंबर, तेईस नंबर और अठारह नंबर। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बाढ पर पहले भाषण करेंगे। दूसरे नंबर पर श्रीमती रेनु कुमारी, समता पार्टी की भाषण करेंगी। श्री प्रभुनाथ सिंह जी तीसरे नंबर पर भाषण करेंगे और चौथा नाम मेरे पास श्री राम प्रसाद सिंह जी का है। मेरे पास जो नोटिस नियम के अनुसार आए हैं वे चार हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए जिन्होंने नोटिस दिया है उनको मैं परमिशन दूंगा, बाकी के सदस्यों को मैं परमिशन नहीं दे सकता हूं। अब श्री दासमुंशी जी अपना भाषण करेंगे उनके

बाद जिन्होंने नोटिस दिया है उनको परमिशन देने वाला हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह जब हमने इस मुद्दे को उठाया...*(व्यवधान)* महोदय, आपके द्वारा मुझे बोलने का अवसर देने के लगातार प्रयास करने के बावजूद वे बाधा डाल रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आज सुबह जब हमने ...उठाया...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मैंने भी आपको नाम भेजा है, मेरा भी नाम नोटिस में है, मैं भी बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं चैक करूंगा कि बाढ़ के मामले में आपने नोटिस दिया है या नहीं। आप बैठ जाइए। जिन लोगों ने नोटिस दिया है मैं उनको परमिशन दूंगा।

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं...*(व्यवधान)* हाउस में मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हाउस चलाना मेरा काम है, आप बैठ जाइए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास आठवले, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह राजधानी और इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बाढ़ चकित, रह गया...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सत्तारूढ़ दल के सदस्य आपके अनुरोध की बार–बार अवज्ञा कर रहे हैं। कई माननीय कैबिनेट मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे जिम्मेदार मंत्री हैं। हम उनके कार्य निष्पादन की प्रशंसा करते हैं। परंतु, कृपया उन्हें बैठने के लिए कहिए ताकि सभा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के व्यवधान के बिना चल सके।

महोदय, साधू जी पिछले आधे घंटे से शोर कर रहे हैं। साधू जी वे किस प्रकार...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सत्तारूढ़ दल के सदस्य शोर कर रहे हैं और मुझे व्यवधान पहुंचा रहे हैं।..*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.39 बजे

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प और रसोई गैस बिक्री केंद्रों के आवंटन के बारे में

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : अध्यक्ष जी, बाढ़ पर मेरा भी नोटिस है। मैं भी बोलना चाहता हूं। बाढ़ के कारण लाखों की संख्या में लोग परेशान हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह, मैंने 'द इंडियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र की सुर्खियों का मुद्दा उठाया था, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित मंत्री श्री अरूण शौरी जब पत्रकार थे तब उन्होंने अनेक घोटालों एवं रहस्योद्घाटन किया था...*(व्यवधान)* यह उनका प्रिय अखवार है।...*(व्यवधान)* महोदय, क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कृपया उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई कीजिए,...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हम आपके साथ सहयोग करने के लिए सदैव तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सभा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बार–बार एक ही बात स्पष्ट की है कि सुशासन होगा और सभी प्रकार के भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता होगी। राजग ने अपनी यात्रा इन्हीं शब्दों के साथ आरंभ की। विभिन्न घोटालों के बारे में हम सभा को चाहे कुछ भी बताएं, वे इन्हें अपने ही तरीके से लेते हैं। परंतु आज 'द इंडियन एक्सप्रेस' के माध्यम से यह रहस्योद्‌घाटन हुआ है।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने (हिंगोली) : श्री सतीश शर्मा ने किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री सतीश शर्मा ने किया होगा तो भी मैं बोलूंगा।

[अनुवाद]

महोदय समाचार को भाग–क के रूप में उद्‌घाटित किया गया है। भाग–ख आज शाम को आएगा और भाग–'ग' कल आएगा। सभी तैयार हैं!

दसवीं लोक सभा में पेट्रोल पंप के आवंटन के लिए विवेकाधीन कोटा था। जब हम सत्ता पक्ष में थे तब विपक्षी सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था कि उक्त विवेकाधीन कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। विवेकाधीन कोटे का मुद्दा जिसका हमारी सरकार सहित विभिन्न मंत्रियों द्वारा उपयोग किया, जाता था उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंच गया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने वितरण की विधि की प्रशंसा की थी, परंतु साथ ही यह स्पष्ट भी किया कि यद्यपि यह अनेक वास्तविक लोगों को वितरित किया गया था, फिर भी ऐसी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इस सरकार ने सत्ता में आते ही कहा कि इन्होंने यह प्रणाली समाप्त कर दी है और अब यह तेल चयन बोर्ड के माध्यम से तैयार किया जाएगा। तेल चयन बोर्ड के चेयरमैन के पद हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। उनका चयन किसी साक्षात्कार या अन्य प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया गया था। वह सरकार का चुनिंदा व्यक्ति था। बोर्ड के सदस्य गपशप किया करते थे।

पहले भाग से पता चलता है कि करगिल के शहीदो के परिवार से कोई नहीं है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से कोई नहीं है। कोई विकलांग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। कोई निराश्रित महिला नहीं है किंतु पार्टी कार्यकर्ताओं और सत्ताधारी दल के नजदीकी सहयोगियों की एक सूची है...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं जवाबदेही के प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : श्री अरूण शौरी, सरकार के कार्य स्पष्ट नहीं हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यद्यपि पेट्रोलियम मंत्री, श्री राम नाईक ने कई बार सभा में आश्वासन दिया है कि व्यक्तिगत प्राथमिकता के आधार पर किसी भी प्रकार का वितरण नहीं किया जाता है और सभी निष्पक्ष रूप से किया जाता है फिर भी यह आज सामने आया है। मैं निकट संबंधियो के बहुत सारे नामों का प्रथम भाग पढ़ने के लिए सभा का समय नहीं लेना चाहता।

एक श्री चन्द्रकांत दिवासे को आवंटित किया गया था, इनके पिता लखंदर से भाजपा के विधायक हैं। फिर श्री विष्णु सवारा, अभिजीत फडणवीस, सरल काम्बले, विजया धोते, प्रताप अडसाद, अंजली कराड, सुनील गुढे को आवंटित किया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और वह इसका उत्तर देंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मंत्री जी इस पर उत्तर देने वाले हैं। मैं आपकी भावना को समझता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

मैं यह सबको स्पष्ट कर दूं।

माननीय राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह सहमति हुई है कि यदि माननीय मंत्री श्री राम नाईक यहां नहीं हैं तो राज्य मंत्री उत्तर देंगे। यदि हम तय की गई बात से मुकरते हैं तो यह वास्तव में वांछित नहीं होगा। यह उन नामों को पढ़ रहे हैं जो इनके पास हैं। माननीय मंत्री खड़े होकर नकार सकते हैं कि ये नाम सही नहीं हैं। इन्हें यह करने का पूर्ण अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह नाम नहीं ले सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री कब से हो गए? आप रुकिए।

[अनुवाद]

मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप संक्षेप में बात करें क्योंकि यह शून्य काल है। हमें 'शून्य काल' की परिपाटी के अनुसार चलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि वितरण में पक्षपात में हमारी पार्टी का कोई सदस्य शामिल है तो उसके साथ बहुत सख्त व्यवहार किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* मैं अपनी पार्टी की ओर से अधिकारपूर्वक यह चुनौती देता हूं...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं। आप उन्हें अनुमति क्यों दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जितने पेट्रोल पंप एम.पीज और एम.एल.एज को मिले हैं, सब कैंसिल कर दो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व) : महोदय, माननीय सदस्य देश के विधायकों और संसद सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। इसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे बताओ कि क्या आप यह कह रहे हैं कि क्या ये विधायक भ्रष्ट हैं। क्या आपने कहा है कि विधायक भ्रष्ट हैं। क्या आपने कभी कोई आरोप लगाया है कि ये विधायक भ्रष्ट हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं। मैंने देश के किसी विधायक अथवा सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। मैं यहां इसे बहुत साफ करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

मैं अपने सहयोगी श्री किरीट सोमैया का आदर करता हूं। यदि इन्हें उस समाचार पत्र पर आरोप लगाने का नैतिक आधार है जिसने विधायकों, संसद सदस्यों और अन्य के नाम प्रकाशित किए हैं, तो यह उस समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। हम इनका समर्थन करेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जितने नेताओं और उनके परिवारों या इधर या उधर के एम.पीज और एम. एल.एज को पेट्रोल पंप मिले हैं, सब कैंसिल कर दो।...*(व्यवधान)* मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं मिला।

[अनुवाद]

श्री किरीट सोमैया : महोदय, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को चुनौती दे रहे हैं और उनके इरादों पर संदेह कर रहे हैं। यह उन्हें चुनौती कैसे दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं निम्नलिखित निवेदन करना चाहता हूं। मेरा माननीय मंत्री से पहला निवेदन यह है कि जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है–आज अथवा कल–तो यह राजग सरकार के शासन के दौरान पेट्रोल पंप लाभार्थियों की पूरी सूची पटल पर रख सकते हैं।

दूसरी बात है तेल चयन बोर्डों की संरचना और चेयरमैन का चयन करने की विधि।

तीसरी चीज है कि सम्पूर्ण मामला होना चाहिए...*(व्यवधान)* महोदय, यदि यही तरीका है...*(व्यवधान)* ये स्वयं को और अपने हितों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं?... *(व्यवधान)* ये इतने अभिभूत हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जितने नेताओं, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को पेट्रोल पंप मिले हैं, सबके सब निरस्त होने चाहिए।...*(व्यवधान)* यह दोनों तरफ से होना चाहिए और सारे के सारे पेट्रोल पंप निरस्त होने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप सब बैठ जाइए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस सदन में डिसिप्लिन रखना है या नहीं रखना है, इस पर चर्चा होने की जरूरत है। क्योंकि मैं सोचता हूं कि एक विषय की सभापति इजाजत देते हैं कि यह विषय उठाया जाए। इजाजत देने के बाद सभासद जब तक किसी पर व्यक्तिगत रूप से एलीगेशन नहीं लगाता है, तब तक उन्हें बोलने देना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय यह कितनी देर तक बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जहां तक समय का प्रश्न है तो आप बिलकुल ठीक हैं। मैंने पहले ही माननीय सदस्य को बता दिया है कि इन्हें सीमित रहना चाहिए क्योंकि यह ऐसी चर्चा है जो 'शून्य काल' में की गई है। 'शून्य काल' का अर्थ है कि यह अपनी बात रख सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : परंतु यदि इन्हें बाधा न पहुंचाई जाए तो यह यथा शीघ्र अपनी बात पूरी करेंगे। इसलिए, मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इन्हें अपना विषय शीघ्रता से पूरा करने दें क्योंकि इसके पश्चात हम दूसरे विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अतः मैंने उन्हें कहा कि सभी नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें सभा का समय लगेगा अन्यथा यह अपनी बात कह सकते हैं। मैं इन्हें नहीं कह रहा हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान : इससे पहले हजारों लोगों को पेट्रोल पंप मिले हैं, उन सबके भी निरस्त होने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट बोलने दें।

आज सभी को पता था कि यह मामला सभा में उठाया जाएगा। यदि श्री राम नाईक सभा में उपस्थित होते तो सभी माननीय सदस्यों के खडे होने के बावजूद भी वह जवाब दे देते और तब हम प्रसन्न हो गए होते। परंतु, उसके बजाय उन्होंने अपने आप को दूर रखा। अब, इतने सारे माननीय सदस्य बाधा पहुंचा रहे हैं और एक भी वाक्य पूरा नहीं होने दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें कुछ मिनट और बोलने दीजिए। वे कुछ ही मिनटों में अपनी बात पूरी कर लेंगे तब हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कुछ अनुरोध करता हूं। मेरा पहला अनुरोध यह है कि अगले सप्ताह उचित समय पर, जब उन्हें सुविधा हो, सभा पटल पर उन आवंटियों के नाम रखें जिन्हें उनके कार्यकाल के दौरान ...*(व्यवधान)*। हम क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं? सभी आवंटियों के, नाम उन्हें सभा पटल पर रखना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह केवल सभा पटल पर सूची रखे जाने की मांग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

इसमें क्या गलती है, अभी आप इन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : जो पेट्रोल पंप मंत्रियों, एम.पीज और एम.एल.एज के रिश्तेदारों में बंटे हैं, उन सबकी जांच सी.बी.आई. से होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर का काम मत करिए, मेहरबानी करके चेयर का काम मुझे करने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मेरा सरकार से दूसरा अनुरोध है कि संपूर्ण मामले को तुरंत जांच के लिए सीबीआई के पास भेजे और सभी कागजात एवं तेल चयन बोर्ड के कार्यवाही–वृत्तांत मंगाए जाएं। फिर इसके चाहे जो भी परिणाम निकले, जो भी हो सभी आवंटनों को निरस्त किया जाए ...*(व्यवधान)* स्थगित रखा जाए...*(व्यवधान)*

महोदय, आपके माध्यम से मेरा तीसरा अनुरोध है कि रिटायर न्यायाधीशों जो कि सभापति एवं बोर्ड के सदस्य थे उनके द्वारा पद ग्रहण करने की तिथि से अर्जित की गई संपत्तियों एवं परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सक्षम आयकर अधिकारी द्वारा किया जाए...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा चौथा अनुरोध यह है कि जब तक सभा को निष्कर्ष की जानकारी नहीं मिल जाती और केंद्रीय जांच ब्यूरो की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती; माननीय मंत्री महोदय को तथ्यों को निष्पक्ष रूप से रखने के लिए अपने पद से हट जाना चाहिए...*(व्यवधान)* उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

महोदय, मैं यह बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं–किसी संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य की सदाशयता और ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न लगाए बगैर मैं उन सबका सम्मान करता हूं क्योंकि वे सभी मेरे सहयोगी हैं–कि यदि कोई भी इस मामले में लाभान्वित हुआ हो चाहे वह किसी पक्ष का है देश का कानून सब पर बराबर रूप से लागू होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसीलिए मैं सरकार से कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। यदि सरकार का जवाब सकारात्मक हो तो हमें खुशी होगी यदि नकारात्मक हुआ तो हम अपनी कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, कृपया मुझे आधा मिनट का समय दीजिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें जो पैसे खाए गए हैं, जो लूट हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। यह पॉइंट दासमुंशी जी ने छोड़ दिया है। असली बात ये छोड़ देते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय पर कई सदस्यों की ओर से नोटिस प्राप्त हुए हैं, यदि मैं सबको अनुमति दूं तो मेरे सामने कठिनाई यह होगी कि मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए समय नहीं मिलेगा क्योंकि शून्य काल एक बजे समाप्त हो रहा है और इसके पहले बिहार के मुद्दे पर भी विचार करना है। इसीलिए चूंकि अपनी पार्टी की ओर से श्री दासमुंशी बोल चुके हैं और उन्होंने सभी महत्वपूर्ण मांगें रख दी हैं, मैं आपको केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दूंगा। आप अपनी मांग रख सकते हैं और तत्पश्चात श्री मल्होत्रा दो मिनट के लिए बोलेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे ताकि हम अगले विषय पर विचार कर सकें

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी कि केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति देंगे जिन्होंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं तो मिनिस्टर का रिप्लाइ नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने नोटिस दिया है, केवल उन्हीं को बुलवाइए। क्या मल्होत्रा जी ने कोई नोटिस दिया है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं दिया है, लेकिन पार्टी की भूमिका रखने के लिए मैं उनको बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

हमें सभी के सहयोग से कार्य करना है अन्यथा मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मंत्री जवाब देंगे, वे उनकी ही पार्टी के हैं।...*(व्यवधान)* आपकी ही व्यवस्था है, मैं सिर्फ आपको स्मरण करा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा, यह बात सच है। एक तो मुझे सभी को इजाजत देनी पड़ेगी, श्री मल्होत्रा सहित इन सात आठ मंत्रियों को नहीं तो मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। और मैं मंत्री जी को कहूंगा कि इस विषय में निवेदन करें क्योंकि सभा को मालूम होना चाहिए कि सरकार के विचार क्या हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सभी दलों के लोगों को इस पर बोलने के लिए इजाजत दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मैं अलग चचा इस विषय पर रख सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, आप बैठिए।

कुंवर अखिलेश सिंह : मेरा आग्रह है कि सभी दलों के एक–एक सदस्य को बोलने की इजाजत दी जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे का महत्व इसलिए है क्योंकि इस बारे में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है। मैं उस समय इस सभा का सदस्य था जब कांग्रेस के एक मंत्री के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : हमें बोलने का मौका नहीं दिया, बीच में इनको बोलने का मौका दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : आप मुझे अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दे रहे हैं लेकिन वह इसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे अनुसार वह इसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी, मुझे लगता है कि आप इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : एक बात कही जा रही है कि जिन्होंने नोटिस दिया है वही बोलेंगे और ये बिना नोटिस दिए भी बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, देश का कानून सबको पता है। सभी व्यक्तियों में एक मात्र श्री अरूण शौरी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से असहमत हैं। क्या सत्ता पक्ष के लोगों को इसकी चिंता नहीं है? मैं उस बात से चिंतित था जब आपने कांग्रेस के कुछ लोगों को इस मुद्दे पर उस समय घेरा था जब कि वे सत्ता में थे, उसमें से कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं। अब उसी मुद्दे से आप घिरे हैं। इसलिए आपको महसूस करना चाहिए कि सरकार यहां आकर कुछ ऐसा करे जिससे यह मुद्दा हल हो सके और सभी सदस्य वहां खडे हों एवं माननीय सदस्यों के बोलते समय व्यवधान डालें। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए। आपसे कुछ गलतियां हुई हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या आपने इनको बोलने की अनुमति दी है?...*(व्यवधान)*

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : अध्यक्ष महोदय, ये जब चाहे खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, वे अपने को हमेशा अध्यक्ष समझने लगते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं केवल अनुरोध कर रहा हूं। उनका नुकसान हुआ है। इसलिए आपने उसका विरोध किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि दासमुंशी जी के बाद बिहार में बाढ़ की समस्या पर कहने देंगे। दासमुंशी जी ने बोल लिया है। अब बाढ़ की समस्या पर हमारा निवेदन सुनने की कृपा करें...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, मैं इस बहस को समाप्त करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं इसको कनक्लूड करना चाहता हूं। रूपचंद पाल जी को दो मिनट दिए हैं और उसक बाद मंत्री जी उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : सर, बिहार में बाढ़ से सैकड़ों लोग बह गए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। आपने कहा था कि प्रियरंजन दासमुंशी जी के बाद आप बाढ़ की समस्या को उठाने की अनुमति देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हमें अनुमति दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रूपचंद पाल : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बहस का समापन करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, इस प्रकार से यदि इनको बोलने की अनुमति दी जाएगी, तो फिर जितनी पार्टियां हैं उन सभी के एक–एक आदमी को बोलने का अवसर देना होगा और बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बारे में बोलने का हमें समय नहीं मिलेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने ठीक कहा। मुझे मालूम है, मैंने कहा था कि प्रियरंजन दासमुंशी जी का विषय पूरा होने के बाद आपको बाढ़ की समस्या के बारे में बोलने का अवसर दूंगा। अभी प्रियरंजन दासमुंशी जी का विषय पूरा नहीं हुआ है। श्री रूपचंद पाल जी दो मिनट बोलेंगे और उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे। आप कृपया बैठिए।

श्री अरूण कुमार : सर, बाढ़ के बारे में चर्चा शुरू कराइए। अन्यथा घूम–फिर कर यही लोग बार–बार एक ही बात को बोलते रहेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे उस दल के सदस्य नहीं हैं। इसलिए मैंने उन्हें दो मिनट बोलने का समय दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री रूपचंद पाल, आप एक मिनट बोल सकते हैं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, पहले वे लोग बैठ जाएं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल, कृपया बोलना शुरू

कीजिए। मुझे माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए बुलाना है।

(व्यवधान)

श्री रूपचंद पाल : महोदय, यह घोटाला इस सरकार के सत्ता में आने के समय से हो रहे घोटालों की कड़ी में एक और घोटाला है। यह एलपीजी डीलरशिप और पेट्रोल पंपों के आवंटन से संबंधित है। यह राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जैसा कि आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने पहले ही टिप्पणी की है कि वे जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं अपने माननीय सहयोगी की इस मांग से पूरा सहमत हूं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए और जांच पूरी होने तक माननीय पेट्रोलियम मंत्री अपने पद पर कार्य न करें, और लाभग्राहियों की पूरी सूची सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, रुपये लेकर पेट्रोल पंप बेचे गए हैं। उसके बारे में माननीय सदस्य बात छिपा रहे हैं। मैं इनका भंडाफोड़ करना चाहता हूं कि इन्होंने 25 लाख रुपये में एक-एक पेट्रोल पंप बेचा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह देखने दीजिए कि माननीय मंत्री इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या कहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, द्वारा उत्तर देने से पहले, मैंने शून्य-काल में जो अनुरोध किया था उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि समाचार पत्र में जो कुछ छपा है क्या वह उसका खंडन करते हैं या नहीं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो हर पार्टी का एक-एक आदमी बोलेगा। क्या आप हर पार्टी के एक-एक व्यक्ति को बोलने का मौका देंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पार्टीज को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि मेरी बात सुन लें। संभवतः मैं कम बोलता हूं, इसलिए शायद ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊं। कुछ बातें इतनी सत्य होती हैं कि वे कड़वी लगती हैं। यहां जो बातें उठाई गई हैं,...*(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह (बुलंदशहर) : अध्यक्ष महोदय, जब डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को सदन से बाहर निकाल दिया जाएगा तभी सदन में शांति होगी और तब मंत्री जी की बात सुनी जाएगी। वे बहुत शोर कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि 12वीं और 13वीं लोक सभा में विवेकाधीन कोटे का रत्ती भर भी प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को आप बिलकुल स्पष्ट समझ लें। यदि कोटे का प्रयोग किया गया है तो केवल एक स्थान पर किया गया है जब हमने कारगिल के शहीदों को 500 पेट्रोल पंप बनाकर आवंटित करने का फैसला लिया और फैसले के अनुसार हम पेट्रोल पंप बनाकर उन्हें दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उनके भाषण में बाधा न डालें। हमें माननीय मंत्री की बात सुनने दें।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को ध्यान होगा कि 10वीं लोक सभा के बाद से इनके आवंटन की प्रक्रिया रुक गई थी।

माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद जो अनियमितताएं

आईं, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। उसके अनुसार फिर आवंटन की प्रक्रिया हो...*(व्यवधान)* यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय ने विवेकाधीन कोटे को बंद नहीं किया था। हम लोगों ने उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। जब माननीय न्यायालय के द्वारा एक प्रक्रिया बनाई गई तो हमने कहा कि वह प्रक्रिया सही होनी चाहिए क्योंकि 1994–95 से विज्ञापन अखबार में निकल रहे थे 1994–95 में जिन लोगों ने आवेदन दे रखा था, उनके इंटरव्यू 2001–2002 में हुए। अब 1994–95 में किसने आवेदन दिया, यह आप समझ सकते हैं। उससे पहले किनको मिले, ये रिटेल आउटलेट्स भी आपकी जानकारी में हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को चुनौती देता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : आप पहले मुझे सुन लें। ...*(व्यवधान)* मेरे बोलने के बाद आप बोलें। मुझे भी बोलने का हक है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। यदि आप उनके उत्तर से असहमत हैं,...

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम चाहते हैं कि वह किए गए आवंटनों की सूची सभा पटल पर रखें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : अगर मैंने एक भी शब्द गलत कहा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। आप पहले मुझे सुनने का प्रयत्न करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सबको उन्हें सुनना चाहिए कि वह क्या कहते हैं। एक भूमिका सामने आ जाएगी। आप क्यों भूमिका को सामने नहीं आने देते।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : हमको ध्यान है कि 1994–95 के आवेदनों के बाद इंटरव्यू न होने की वजह से कितनी समस्या थी। आपको ध्यान होगा कि हम सांसदों पर प्रश्न–चिह्न लगते थे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : वह क्या कर रहे हैं? उन्हें नए आवंटनों के बारे में उत्तर देना है। वह पुराने आवंटनों के बारे में बोल रहे हैं। वे इस सभा को गुमराह कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको उनके उत्तर से समाधान नहीं मिल रहा तो आप किसी दूसरे माध्यम से प्रश्न उठा सकते हैं लेकिन वे जो बोल रहे हैं, वह तो सुनें। इस तरह उनको डिस्टर्ब करना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : हम सांसदों पर सवाल उठा था कि एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। यहां तक कि उनकी ब्लैक होती थी।...*(व्यवधान)* हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की और हमें गर्व है कि ढाई करोड गैस कनेक्शन पिछले दो साल में बांटे गए और आज एल.पी. जी. की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। यह क्यों हुआ? हमने पूरे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप एक प्रक्रिया बनाई।...*(व्यवधान)* उस प्रक्रिया के तहत 59 बोर्ड्स...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैंने कहा कि एलॉटमेंट की लिस्ट आप सभा पटल पर रख सकते हैं या नहीं? मैंने और क्या कहा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : इसलिए यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो। पूरे देश के अंदर करीब आठ हजार स्थान पिछले पांच साल तक विज्ञापित हो गए। 59 बोर्ड्स बनाए गए। ...*(व्यवधान)* न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रक्रिया बनाई और रिटायर्ड जज को चेयरमैन बनाया गया। प्रक्रिया के तहत, क्योंकि उसमें 50 प्रतिशत आरक्षण आता है, हमने देना शुरू

किया। अब तक चार हजार रिटेल आउटलेट्स एल.पी.जी. और एस.के.एल.डी.ओ. डीलरशिप के आवंटित हुए। इसमें जहां कहीं भी हमको शिकायत मिली, हमने एंटी एडल्ट्रेशन सेल बनाया हुआ है और उसके माध्यम से हम उसकी जांच कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर पूरा करें चाहे कितना भी व्यवधान क्यों न हो। आप बोलना जारी रखिए। आप बोलना बंद मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : आज अखबार में जो निकला, उसके आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते। मैं एक बात और बताऊं कि नार्म्स में यह कहीं नहीं लिखा था कि कांग्रेस, बी.जे.पी. या कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर उसमें आवेदन नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसी कोई क्लाज नहीं है जिससे किसी को मिले और किसी को न मिले। न्यायालय की प्रक्रिया के तहत आज जज की जो कमेटी थी, उसने उनको दिया। इसमें माननीय सदस्यों को शिकायत है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम इस भाषण को नहीं सुन रहे हैं।...*(व्यवधान)* वह प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो शिकायतें की, हमें आपत्ति नहीं है। यह सारा मामला जज के पास रहता है और मंत्रालय का उससे कोई लेना देना नहीं रहता। वहां से जब इनवाइस जारी हो जाता है, मैं बताऊं कि जिसको भी आवंटित होता है उसकी एक प्रक्रिया है। इनकम टैक्स आदि के माध्यम से उसकी जांच होती है। आपने जिस ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया, उसमें अगर कोई अनियमितता है, अखबार में जितना निकलता है, उतना सही नहीं है, ऐसा आप सबका मानना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह कितना सही है?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : वह लगाए गए आरोपों के बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं। वह गुमराह कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : आपने हमारा जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया, उस संदर्भ में निश्चित रूप से जो भी अनियमितताएं होंगी, उसकी जांच होगी और जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो।...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि इसमें जजों ने शायद किसी की रिश्तेदारी की ओर ध्यान नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव बोलेंगे। वह बिहार में बाढ़ से संबंधित मुद्दा उठाना चाहते हैं और मुझे इसे शुरू करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम मंत्री महोदय को इस प्रकार नहीं छोड़ेंगे। उन्हें उत्तर देना पडेगा, और वह इस प्रकार नहीं कह सकते हैं। उन्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव कृपया बोलते रहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस प्रकार का उत्तर देकर बच नहीं सकते। मेरा प्रश्न था कि किया गया आवंटन सही है या गलत। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मेरा दूसरा प्रश्न था, क्या वह सभी कागजात निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को देने हेतु तैयार हैं। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। मेरा प्रश्न था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, चार सवाल

पूछे गए थे, इन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी को जो उत्तर सही लगा, वह उन्होंने दिया। यदि आपको वह पसंद नहीं है तो दूसरे किसी माध्यम से इस प्रश्न को कभी भी उठा सकते हैं।

दूसरा, यही उत्तर आना चाहिए, कभी भी स्पीकर मंत्री जी को ऐसा नहीं बोल सकते। जो उत्तर मंत्री जी ने दिया, वह आपने सुना है। कृपया अध्यपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या किसान और बाढ़ का मुद्दा कभी नहीं उठेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम मंत्री महोदय को इस प्रकार जाने नहीं देंगे। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि पेट्रोल पंपों के वितरण में अनियमितता बरती गई है। मंत्री महोदय ने सभा को भ्रम में डाला है। मंत्री महोदय को सिद्ध करना होगा कि यह सभी आवंटी, ये सभी 95 आवेदक ऐसे आवंटी हैं जिनको सही तरीके से आवंटन किया गया है। यह राष्ट्र के साथ धोखाधडी है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार में बाढ़ से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां लोग मर रहे हैं। यदि इसे सभा में उठाने की अनुमति नहीं दी गई तो यह अत्यंत बुरा है। शून्य–काल पूरा हो गया है फिर भी इस मुद्दे को उठाने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। अन्यथा देश में गलत संदेश जाएगा कि हम इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बहस की अनुमति नहीं देते हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आप बोल सकते हैं। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है और यहां चाहे जो भी हो रहा है, मै उन्हें बोलने की अनुमति दूगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अरूण कुमार : **ये सीनियर मैम्बर हैं और आपके नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं...***(व्यवधान)* **ये बिहार की** समस्या के विरोधी हैं। ये जन–विरोधी काम कर रहे हैं, आपके नियम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : ये किसान विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया बैठ जाइए, आप 'अध्यक्ष' नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बिहार की बाढ़ के विषय पर आप बोलिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

[अनुवाद]

यह मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय करूं। बिहार में बाढ़ का मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको अनुमति दी आपने अपनी बात रखी और मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दिया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देवेन्द्र जी आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री महोदय ने पेट्रोल पंपों के आवंटन से संबंधित सूचना छिपाई, सभा को दिग्भ्रमित किया, और भ्रष्ट लोगों के कारनामों में गुप्त रूप से सहयोग दिया, अतः इसके विरोध में हम सभा से बाहर जाते हैं। हम वापस आएंगे एवं यही मुद्दा उठाएंगे। हम इस मुद्दे पर सरकार को नहीं छोड़ेंगे।

अपराह्न 1.13 बजे

(इस समय श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 1.14 बजे

बिहार और असम में सूखे और बाढ़ की स्थिति के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ की आज जो ज्वलंत विभीषिका है, उस विभीषिका से उत्पन्न स्थिति पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले सदन में पूरा देश क्रास बार्डर टैरेरिज्म से लड़ने के लिए संकल्पित हुआ। आज उत्तर बिहार सीमा पार के नेपाल के वॉयलैंट फ्लड वाटर से त्रस्त है, पूरे उत्तर बिहार के 17 जिले त्राहिमाम हैं। मधुबनी, झंझारपुर जिला पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। रेल लाइन ठप्प है। संपर्क सड़क एन.एच. 104, 105 या 57 सारी टूट चुकी है। सारा सड़क संपर्क भी बाधित हो चुका है। ...*(व्यवधान)* आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं? चाहे मधुबनी जिला हो, चाहे शिवहर, सीतामढ़ी, सहरसा हो, चाहे सुपौल, अररिया, पूर्णिया, गोपालगंज, दरभंगा हो, चाहे किशनगंज, समस्तीपुर, खगड़िया और सिवान हो, सभी 17 जिले आज त्राहिमाम की स्थिति में हैं। संपूर्ण बिहार में अभी तक जो सूचना प्राप्त है, मैं छः दिनों से बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच में घूमकर आ रहा हूं, मैंने जो नजारा देखा है, यदि मैं बताने लगूंगा तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हालात हैं, उसमें अभी 100 लोग डूबकर मरने की सूचना है। यहां जो मंत्री महोदय हैं, वे अररिया जिले के हैं, लेकिन उनका संसदीय क्षेत्र किशनगंज है। अररिया जिले के माननीय सदस्य सुखदेव पासवान जी यहां बैठे हैं। वहां 12 बच्चे कल पानी में डूबकर मर गए। यह बहुत दर्दनाक घटना है। वहां लोग परेशानी में हैं। आज भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहां जो भी राहत का काम हुआ है, वह अपर्याप्त है, क्योंकि हैलीकॉप्टर से एक ट्रिप में मात्र 20 क्विंटल से ज्यादा अनाज वितरित नहीं किया जा सकता। संपूर्ण दिन में सारे ट्रिप मिलाकर 5–7 सौ बाढ़ पीड़ितों के बीच ही राहत सामग्री जा पाती है। स्थिति यह है कि आकाश मार्ग और जल मार्ग भी अवरुद्ध हैं, बाढ़ में इतना तूफान है।

नेपाल से जो नदियां आती हैं चाहे कोसी हो, बागमती हो, कमला बलान हो, भूतही बलान हो, चाहे अधवारा समूह हो, चाहे गंडक हो, ये जो नदियां आती हैं, इन नदियों के पानी ने इस साल 1987 की बाढ़ का रिकार्ड भी तोड़ दिया है। नेपाल से जो पानी आ रहा है, वह छः लाख क्यूसेक्स पानी इस बार जल अधिग्रहण क्षेत्र से छोडा गया है। इतना पानी कभी नेपाल से नहीं छोड़ा गया था। इसीलिए आज उत्तरी बिहार की बाढ़ का तबाही का जो आलम है, उसका मेन कारण यह है। वहां लाखों लोग गृहविहीन हो गए हैं, लोग तटबंधों पर और ऊंची जगहों पर चढ़े हुए हैं, गाछ पर, वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, वहां खाद्यान्न का कोई इंतजाम नहीं है, पीने के पानी का संकट है। अभी जहां पानी घटा है, वहां महामारी फैल रही है, इतनी दर्दनाक स्थिति है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि त्राहिमाम की स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सरकार तत्काल इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो बाढ़ पीड़ितों में हाहाकार है। अभी सुखाड़ पर 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किए गए, लेकिन जो बाढ पीडित, फ्लड इलैक्टिड लोग हैं, बाढ़ पीड़ित किसान हैं, गरीब हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, जिन्होंने खेती से सबंधित ऋण लिया है, उस सभी ऋण को माफ किया जाना चाहिए और युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाना चाहिए, चाहे आर्मी कॉलम का बोट ले जाकर, पानी में ऊंचे स्थान पर जो लोग हैं, वहां खाद्यान्न पहुंचाने का काम और पीने के पानी का जो संकट है। इसके अलावा दवा का कोई इंतजाम नहीं है, खुले आकाश के नीचे 25 लाख लोग तो सिर्फ मधुबनी जिले में प्रभावित हैं। पूरे बिहार में चार करोड लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, खुले आकाश के नीचे हैं। उनके पास पीलीथीन भी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार अभी मुहैया करे और केंद्र सरकार आर्मी बोट देकर गरीब लोगो को, बाढ पीडित लोगों को कम से कम खाने और अनाज की व्यवस्था करे।

हम यह निवेदन इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से सरकार को निर्देश होना चाहिए कि गृह मंत्री जी आकर सदन में इसकी महत्ता को और बाढ की गंभीरता को समझकर एक बयान दें और ऋण माफी करने से लेकर कम से कम तत्काल जो लोग मर चुके हैं, उनके परिवार को अभी तक किसी ने नहीं देखा है कि वे किस तरह से पानी में डूब गए हैं। उनकी स्थिति बिलकुल

नारकीय लग रही है और जनजीवन ठप्प हो गया है। लोगों की जान माल का खतरा अभी भी बना हुआ है। अभी डेढ़ महीना और बाढ़ की विभीषिका वहां तांडव करती रहेगी। इस दौरान बिहार में ट्रांसपोर्ट की भी हड़ताल हो गई है। इसके कारण सारी रोड्स अवरुद्ध हो गई हैं। प्याज महंगा हो चुका है और आलू आजार से समाप्त हो चुका है, क्योंकि बाजार चारों तरफ से पानी से घिरे हैं। नेपाल से जो आने वाली नदियां हैं, भारत सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे, जिससे समस्या का स्थाई समाधान हो। जिस जरह से हम 20 साल से आतंकवाद से जूझ रहे हैं, उसी तरह से हर बरस बिहार के लोग पानी से जूझते हैं। इसलिए नदियों पर हाई लेवल मल्टी पर्पज डैम बनाए जाने चाहिए। इसके लिए गृह विभाग, कृषि मंत्रालय, विदेश विभाग और अन्य संबंधित विभागों का आपस में समन्वय हो और फिर एक समन्वित कार्य योजना बनाकर स्थाई योजना बनाकर समस्या का स्थाई समाधान ढूंढा जाए, नहीं तो इसी तरह से हर साल लाखों लोग मरते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से प्रभावित जो चार करोड़ लोग हैं, जो कि आज भुखमरी के कगार पर हैं, हम उनको भूखे नहीं मरने देंगे। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तुरंत युद्ध स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं करती, तो हम उन लोगों को सरकारी गोदामों को लूटने का आह्वान करेंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल भी जाना पड़े, तो हम तैयार हैं। लेकिन हम गरीब लोगों को, बाढ़ पीड़ितों को मरने नहीं देंगे। जहां–जहां भी सरकारी गोदाम हैं, एफ.सी.आई. के हों या स्टेट फूड कार्पोरेशन के हों, ऐसे गोदामों का ताला ज्यादा दिन तक बंद नहीं रहेगा, क्योंकि बाढ़ पीड़ित लोग अब और ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते।

इसलिए हम सरकार को तीन दिन की मोहलत देते हैं कि तीन दिन के बाद सोमवार को या मंगलवार को सदन में आकर गृह मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें। यदि नहीं की तो हम लोग सीधे कार्यवाही करने पर मजबूर होंगे। हम लोगों के घर डूब चुके हैं। लोग पानी में डूब रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और यहां तक कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अप्रत्याशित बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए बाढ़ पीड़ितों को तत्काल युद्ध स्तर पर राहत मुहैया कराई जाए।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार पर पहला कहर तब हुआ जब झारखंड अलग हुआ। बिहार में उद्योग नहीं बचे। बिहार में दूसरा कहर प्रकृति का है कि 1987 के बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई है। जैसा अभी हमारे साथी देवेन्द्र प्रसाद जी ने कहा कि किस तरह वहां के 17 जिले, सीतामढ़ी, दरभंगा, खगड़िया, सीवन, गोपालगंज, औरइया कहां तक नाम गिनाऊं, सब बाढ़ से ग्रस्त हैं। कितने घर बर्बाद हो गए, कितने जान माल की क्षति हुई, संपत्ति का कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। और ज्यादा दुख तब होता है जब स्त्रियों को पानी में ही पाखाने के लिए जाना पड़ता है। बाढ़ के बारे में हमेशा चर्चा होती है। करोड़ों रुपया खर्च भी किया जाता है, पुनर्वास की नीतियां भी बनाई जाती हैं, लेकिन ये नीतियां कारगर नहीं हो पातीं। हर साल नेताओं, नौकरशाहों और ठेकेदारों की मिलीभगत से अरबों–खरबों रुपयों की लूट होती है और स्थाई समाधान नहीं हो पाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आप बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को चेतावनी दें और बिहार के प्रशासन को भी चेतावनी दें कि वहां तत्काल दवाओं का, खाने का और नावों का इंतजाम कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की आनाकानी न की जाए। लोगों को आवश्यक चीजें मुहैया नहीं कराई जाएंगी तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिहार को प्रकृति ने कहर दिया है और दूसरा कहर वहां की सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है। इस वजह से वहां के लोगों का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है और स्थिति विकट हो गई है।

मैंने प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। हर साल बिहार में बाढ़ से तबाही होती है और उसका कारण नेपाल की ये नदियां हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करती हूं कि आप माननीय प्रधान मंत्री जी को यह निदेश दें कि वह एक केंद्रीय कमेटी का गठन करें और नेपाल सरकार से वार्ता करें। हर साल बिहार के करोड़ों लोगों का जो जान, माल का नुकसान होता है, हर साल वहां के लोग जो करोड़ों लागों की जानें, अपने भाई, भतीजे, बेटा, बेटी का नुकसान सहते हैं, वे अब यह नुकसान बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। अगर हमें राहत मुहैया नहीं कराई

गई, नेपाल सरकार से वार्ता नहीं की गई तो हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारा यह संदेश सरकार तक पहुंचा दें ताकि बिहार में राहत की शीघ्र व्यवस्था कराई जा सके। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे बिहार के दूसरे जिले हैं, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद हैं, वहां के लोग सुखाड़ से पीड़ित हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि उन जिलों को सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए और वहां के लोगों को राहत मुहैया कराई जाए। वहां के किसानों को राहत पहुंचाई जाए और बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त लोगों के ऋण की माफी की घोषणा सरकार द्वारा शीघ्र की जाए।...*(व्यवधान)*

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : अध्यक्ष महोदय, 15 जुलाई से लेकर आज तक प्रत्येक कार्य दिवस में मेरा नोटिस है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, रेनु कुमारी के बाद मेरा नाम है।...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, 'शून्य काल' में अपना मुद्दा उठाने के लिए मैं गत पांच दिनों से नोटिस दे रहा हूं। किंतु मुझे अब तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जो लिस्ट है, उसमें राम प्रसाद सिंह का नाम है।

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : अध्यक्ष जी, मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

श्री राम प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार की आज जो स्थिति है, वह सचमुच में बहुत भयावह और दुखदाई है। बाढ़ और सुखाड़ दोनों बिहार के लिए स्थाई समस्या है। हर साल हम इस समस्या पर चर्चा करते हैं लेकिन उसका स्थाई समाधान नहीं हो पाता है। एक तो नेपाल की निकली नदियां उत्तर बिहार को बाढ़ से प्रभावित करती हैं। दूसरे, बाढ़ का मध्य बिहार आज जिसको हम दक्षिण बिहार कहें, जिसमें 14 जिले तैमूर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, छपरा, भागलपुर, वैशाली और नालंदा इत्यादि हैं। कुल 16 जिले सूखा से प्रभावित हैं...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सवाल है। हमने कल भी नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.29 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

श्री राम प्रसाद सिंह : सुमन जी, आप बैठिए। मैं अध्यक्ष की अनुमति से बोल रहा हूं। सुमन जी, आप हमारे टाइम में हस्तक्षेप क्यों करते हैं?...*(व्यवधान)* आप लोग ऐसा मत करिए। हम लोगों को बोलने दें।...*(व्यवधान)* जो बीस जिले सूखे से प्रभावित हैं। एक तरफ बाढ़ से किसानों के घर उजड़ गए हैं। भयंकर बाढ़ से हजारों लोगों की जान, माल की क्षति हुई है और खासकर कृषि मंत्री जी ने बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें बिहार को निमंत्रण ही नहीं दिया था। यह बिहार के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? एक तो बिहार के साथ वर्षों से सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है।...*(व्यवधान)* इतनी संपत्ति है, फिर भी बिहार को कहा जाता है कि बिहार भूखों मर रहा है। इसकी वजह यह नहीं है कि इसमें बिहार सरकार का दोष है, बल्कि बराबर केंद्रीय सरकार राज्य की अवहेलना करती है। जब-जब पैकेज की मांग की जाती है, तब-तब केंद्रीय सरकार कहती है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, श्री नवल किशोर राय।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, लिस्ट में पहले हमारा नाम है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे पास जो सूची है मैं उसके अनुसार चलूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : महोदय, केंद्रीय सरकार कोई राशि नहीं देती है। वहां पर खेतिहर मजदूर मर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार को पैसा दिया जाए और किसानों के लिए राशि दी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, पहले हमारा नाम है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे पास जो सूची है मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। अब श्री नवल किशोर राय बोलें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो कुछ श्री नवल किशोर राय कहेंगे उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह क्या है? मैंने श्री नवल किशोर राय को बोलने के लिए कहा है। कृपया उन्हें अब बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप बोलने का अवसर चाहते हैं तो कृपया शांत रहें। अन्यथा, मैं भोजनावकाश तक सभा को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : महोदय, जब बिहार की बात आती है, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। बिहार के 17 जिलों में त्राहिमाम की स्थिति है। यह विनाशलीला 20 वर्षों के बाद, 1987 के बाद से पहली बार उत्तर बिहार में सतना जिले के 17 जिलों में स्थिति बहुत खराब है। वहां लगभग 4 करोड़ लोगों ने बांध पर शरण ली हुई है। पिछले सप्ताह बाढ़ और सुखाड़ पर सदन में चर्चा हुई थी और केंद्रीय सरकार की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार को हैलीकॉप्टर दिया है। महोदय, मैं सीतामढ़ी से आता हूं। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज आदि जगहों पर हैलीकॉप्टर ने जरूर चक्कर लगाया है, लेकिन भोजन नहीं मिला। बाढ़ पूर्व की तैयारी राज्य सरकार ने नहीं की है। हर वर्ष बाढ़ से पहले बाढ़ से बचाव के लिए तैयारी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर गेहूं व अन्य चीजों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार एक छंटाक भी बिहार के किसी जिले में नहीं दिया गया है। हजारों लोग मर रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 120 लोग मर चुके हैं। हमारे सीतामढ़ी जिले में 14 लोग डूब कर मर गए हैं। मैंने 27 तारीख को अपने क्षेत्र का भ्रमण करने का काम किया और जिस गांव में मैं जा रहा था, वहां सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं थी।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नवल किशोर राय : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं, जिस प्रकार से सतना जिले में तबाही हुई है, उसको देखते हुए, केंद्रीय सरकार को कदम उठाने चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी शामिल

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं किया जाएगा। श्री नवल किशोर राय, आपका माइक बंद है और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं हो रहा है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपके अब बोलने का कोई लाभ नहीं है। कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं हो रहा है। आपका समय समाप्त हो गया है और मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने के लिए कहा है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है। आपका माइक बंद है। कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं हो रहा है।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह शून्य काल है। आपको नियम का अनुपालन करना चाहिए। आपने अपने नियत समय से अधिक देर तक बोला है। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नवल किशोर राय का माइक बंद कर दिया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह संसद है देश की सर्वोच्च संस्था। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि अब आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपके भाषण को कार्यवाही–वृत्तांत से बाहर निकाल दूंगा। अध्यक्षपीठ का उल्लंघन न करें।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शून्य काल के दौरान दिए गए श्री नवल किशोर राय के भाषण को कार्यवाही–वृत्तांत से निकाला जाए। चूंकि आपने अध्यक्षपीठ के निर्देश का अनुपालन नहीं किया है। मैंने आपका भाषण कार्यवाही–वृत्तांत से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत बुरी बात है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब मैंने आपको बैठने के लिए कहा तब आपने मेरी बात नहीं सुनी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : यह क्या बात हुई कि आप छोटी पार्टी के सांसदों के भाषण को एक्सपंज कर देंगे। ऐसे कैसे चलेगा?...*(व्यवधान)* लोग बाढ़ से तबाह हो रहे हैं, डूब रहे हैं...*(व्यवधान)* कुछ लोग तो घंटों बोलते हैं और कुछ को अपनी बात भी नहीं कहने दी जाए, ऐसा कैसे चलेगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति जी, मेरी रिक्वैस्ट है कि प्रोसिडिंग मे इनके भाषण को कांटिन्यू किया जाए...*(व्यवधान)**

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : यह सही कह रहे हैं, इनकी बात सुनी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सब सभा के बीचोबीच क्यों आ रहे हैं? आप अपने स्थान से भी बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपसे स्थान ग्रहण करने को कह रहा हूं। आपने अध्यक्षपीठ के निर्देश का अनुपालन नहीं किया है। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मैं आपसे बैठने का अनुरोध नहीं करते रहूंगा। अध्यक्षपीठ आपसे अनुरोध नहीं करता रहेगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही–वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ के निर्देश का पालन करना चाहिए। आप अध्यक्षपीठ के निर्देश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तब अध्यक्षपीठ को इसी प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ेगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति जी, जो आपने एक्सपंज किया है उसे रेस्टोर किया जाए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : रेस्टोर तो है ही।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : रेस्टोर नहीं है, एक्सपंज कर दी गई है। आपने ठीक से सुना नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सबको अध्यक्षपीठ के निर्देशों का पालन करना चाहिए। आप अध्यक्षपीठ के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। अध्यक्षपीठ को तत्पश्चात ऐसी कार्यवाही करनी पड़ती है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभा के कार्य को बाधित कर रहे हैं। आप सभा के कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं। फिर मुझे आपको बाहर जाने के कहना पड़ेगा। मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभा को बाधा पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं देखूंगा और जो भी संभव होगा वह पुनः जोड़ दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, मैं आपका भाषण नहीं जोडूंगा। आपको अध्यक्षपीठ के निर्देश का पालन करना चाहिए। जब तक आप क्षमा नहीं मांगते मैं आपका भाषण कार्यवाही में नहीं रखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : यह कुछ लोगों की डिबेटिंग संस्था नहीं है।...*(व्यवधान)* किस चीज की माफी मांगू?

श्री सुरेश रामराव जाधव : इनको अपनी बात पूरी करने दी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर राय : बाढ़ के सवाल पर क्या हमारे साथ अन्याय करिएगा?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नवल किशोर राय, मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। यदि आप दोबारा बोलते हैं तो मैं नियमानुसार कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या कोई इन्हें नियंत्रित करने वाला है अथवा मुझे इनको नियंत्रित करना पड़ेगा? मैं समझता हूं कि इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि सदन में इस गंभीर चर्चा को दबाने का प्रयास किया गया है। कोई न कोई मामला उठा और जब श्री दासमुंशी ने यह चर्चा शुरू की थी, आप देखते हैं कि न तो कांग्रेस के माननीय सदस्य दिखाई दे रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कुछ स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। जहां बिहार सूखे और बाढ़ की स्थिति को झेल रहा है, वहां इस सदन ने इस बहस को गंभीरता से नहीं लिया है। मैं ने श्री दासमुंशी से आग्रह

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया था कि वे इस सवाल पर हमारे साथ हों लेकिन इसके बावजूद वे सदन से उठकर चले गए। इस प्रकार इस सवाल की अनदेखी की गई।

सभापति महोदय, हालांकि श्री डी.पी. यादव ने कई सवाल उठाए हैं लेकिन मैं बहुत कम समय में अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। बिहार के 34 जिलों में से 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 17 जिलों में सूखा है। बिहार के इलाकों में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन नहीं किया जा सकता। हालांकि रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नान्डीस हैलीकाप्टर द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के लिए गए हैं। उन्हें गोपालगंज में अधिकारियों और सेना से विचार विमर्श करना है। वे स्थिति की समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि केवल जायजा या समीक्षा लेने से पीड़ित लोगों का काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए तत्काल राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए और राहत कार्य की व्यवस्था कराई भी जा रही है। गेहूं का बना हुआ सामान नहीं है। चूंकि वहां किसी ढंग से बनाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहां गेहूं से बनाए हुए सामान सत्तू, चूरा और गुड़ आदि के पैकेट हैलीकाप्टर द्वारा गिराए जाने की व्यवस्था कराएं, जहां लोग बचने के लिए दूसरे स्थानों पर टिके हुए हैं।

सभापति महोदय, सारन तटबंध पांच जगह से टूट गया है। मैं राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक जगह तीन किलोमीटर तक बांध बना ही नहीं जबकि राज्य सरकार की ओर से पैसा गया हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को निर्देश जाना चाहिए कि जिन पदाधिकारियों की वजह से टूटे हुए बांध के लिए दिए गए पैसे के बावजूद बांध नहीं बना, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। देवापुरा बांध टूट गया है, उसके लिए सरकार ने पैसा नहीं दिया। वहां के स्थानीय सांसद श्री रघुनाथ झा और एम.एल.ए. ने निजी कोष में से 35 लाख रुपया दिया है। वह बांध बनाया गया, लेकिन वह टूट चुका है। हमारा निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, लोग परेशान हैं। इससे ज्यादा परेशानी मवेशियों को हो रही है क्योंकि उनके लिए चारा नहीं है और वे मर रहे हैं। जिस प्रकार पानी में डूबे हुए बच्चों की गिनती करना संभव नहीं है, उसी तरह मरने वाले मवेशियों के आंकड़े लेना मुश्किल है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अभी बिहार में ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक चल रही है। इस स्ट्राइक के चलते राहत सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना मुश्किल है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि किसी भी तरह से ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक को समाप्त किया जाए। वैसे भी ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक गैर मुनासिब नहीं है क्योंकि उनका टैक्स 6400 रुपये से बढ़कर 66 हजार रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार 11 गुना बढ़ोत्तरी मुनासिब नहीं है। राज्य सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी जब कल उत्तर दे रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि सुखाड़ इलाके के लिए 50 हजार रुपये का ऋण कवर करने के लिए रिजर्व बैंक ने कहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सुखाड़ और बाढ़ को अलग ढंग से न बांटा जाए। यदि वहां सूखे से लोग प्रभावित हैं तो बाढ़ से भी वहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने सूखा इलाके के लिए राहत की घोषणा की है, उसी तरह से बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए 50 रुपये 50 हजार रुपये के हिसाब से कवर करने के लिए रिजर्व बैंक को निर्देश दें और केंद्र सरकार तत्काल वहां सब चीजों की व्यवस्था कराए। हम निवेदन करना चाहते हैं कि अभी संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं और लगता है कि वह इस गंभीर सवाल पर कुछ बोलना चाहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी इस बात पर रिस्पांस करें और केंद्र सरकार बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए अभी क्या करने जा रही है, इस संबंध में वह अपने विचारों से सदन को अवगत कराएं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति महोदय...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, इन्हें अपनी राय व्यक्त करने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आपने मीडिया के लोगों के कथित उत्पीड़न के संबंध में सूचना दी है। इसका उससे कोई संबंध नहीं है।

(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है जिसे 'शून्य काल' की सूचना में परिवर्तित कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे एक–एक करके बुलाना है। श्री रामजीलाल सुमन, मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ये चाहते हैं कि उनके निवेदन के पश्चात मंत्री उत्तर दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने डा. रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे एक–एक करके ही बुलाना है जब यह बोल रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यहां क्या हो रहा है? रोज हम सूचना दे रहे हैं परंतु बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। हम भी सभा के सदस्य हैं। एक मुद्दे पर 15 सदस्यों को बोलने दें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हमें भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, हमारा भी नोटिस है...*(व्यवधान)* महोदय, बिहार के हमारे तमाम मित्रों ने वहां बाढ़ की बात की, सरकार...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा नाम पुकारा गया है, आप कैसे बोल रहे हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, सर्वश्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, नवल किशोर राय, प्रभुनाथ सिंह तथा बिहार के बहुत से माननीय सांसद यहां बैठे हैं और सभी लोग बिहार की हालत पर चिंतित हैं। सचमुच बिहार की स्थिति बहुत गंभीर ही नहीं भयावह है। वहां बाढ़ और सुखाड़ दोनों से तबाही है। भारत और नेपाल के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, जिसके कारण कोई स्थाई निदान नहीं हुआ। इसी वजह से वहां हर साल बाढ़ से तबाही होती है। लेकिन विगत सब सालों के मुकाबले इस साल वहां तबाही सबसे ज्यादा है। सीतामढ़ी, सहरसा और दरभंगा का संपर्क भंग हो चुका है। रेल लाइनें टूट चुकी हैं। आवागमन ठप्प हो गया है जिसके कारण अनाज पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। लेकिन असली बात यह है कि भारत सरकार ने पिछले साल भी बिहार को एन.सी.सी.एफ. का एक पैसा नहीं दिया और इस साल भी कुछ नहीं दिया है। लोग बाढ़–सुखाड़ का रोना रोते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार के सभी माननीय सदस्यों के लिए यह वेदना और क्षोभ की बात है। वहां लोग पीड़ित हैं। 120 लोगों की मौत हो चुकी है, असंख्य पशु मारे गए हैं, वहां सारी फसल बर्बाद हो गई है, गरीबों के घर बह गए हैं। इसके आलावा सुखाड़ से लोग तबाह हो गए हैं। लेकिन दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग ने एक भी पैसा नहीं दिया। हमारी मांग है कि भारत सरकार वहां राज्य सरकार की मदद के लिए पैसा भेजे, जिससे कि वहां राहत हो सके। इसी विषय पर श्रीमती कांति सिंह का नोटिस है।...*(व्यवधान)* स्थगन प्रस्ताव की सूचना को बदलकर 'शून्य काल' की सूचना बना दिया गया है...*(व्यवधान)*

श्रीमती कांति सिंह (बिक्रमगंज) : सभापति महोदय, इसी विषय पर मेरा भी एडजर्नमैंट मोशन का नोटिस है, कृपया मुझे भी बोलने का मौका दें...*(व्यवधान)*

श्री अरूण कुमार (जहानाबाद) : सभापति महोदय, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। बिहार के माननीय सदस्यों ने 17 जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर यहां चर्चा की। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि बिहार के 17 जिलों में बाढ़ है तो शेष हिस्से में भयंकर सुखाड़ है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को केंद्रीय टीम भेजकर मुआयना करना चाहिए और जो त्राहिमाम बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न हुआ है उसमें तुरंत एक टीम यहां से भेजकर वहां रैस्क्यू की व्यवस्था करनी

चाहिए, सेना को तुरंत वहां लगाना चाहिए और उनको सही स्थान पर पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम आवश्यक हो उसे सुनिश्चित करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति जी, हमारा कार्य–स्थगन प्रस्ताव है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हरेक को अवसर मिलेगा। व्यवधान के कारण समय नष्ट होता है।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बाढ़ से भीषण तबाही हो रही है और अभी जितने माननीय सदस्य बाढ़ के सवाल पर बोले हैं, मैं उनसे अपने को संबद्ध करता हूं। इस बाढ़ में जो तबाही हुई उससे मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा और सुपौल जिले भी भीषण तबाही की चपेट में हैं। राहत की कोई व्यवस्था नहीं है और सभी सड़कों का संपर्क मेरे क्षेत्र से टूट गया है। इसी तरह से उत्तर बिहार के अन्य जिलों का संपर्क भी टूट गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह आपका विषय नहीं है। हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : पहले भी बाढ़ पर इसी सदन में चर्चा हुई थी। गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम यहां से एक टीम सर्वेक्षण के लिए भेजेंगे लेकिन आज तक सर्वेक्षण टीम बिहार में नहीं गई, न कोई राहत की विशेष व्यवस्था की गई। भारत सरकार के गोदामों में अनाज सड़ रहा है और लोग भूखों मर रहे हैं। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो अनाज गोदामों में सड़ रहा है उसे पीड़ित लोगों को मुहैया कराया जाए। वहां नावों की व्यवस्था कराई जाए। महामारी जो वहां फैल रही है, उससे बचने के लिए दवाओं की व्यवस्था कराई जाए। यदि व्यवस्था नहीं होगी तो जितनी तबाही बाढ़ से हुई है उसके भयंकर परिणाम सामने आने वाले हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम नगीना मिश्र, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बाधा पहुंचा रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें बाधा न पहुंचाएं।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव : पहले भी सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि सिंचाई के लिए बांधों की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए लेकिन सिंचाई मंत्री किसी बांध की देख–रेख नहीं करा सके। इसलिए भारत सरकार एक टीम भेजे और इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई कराए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप बाधा कैसे पहुंचा सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : मंत्री जी रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं। आप उसके बाद बोलते रहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। उसके बाद चर्चा होनी चाहिए। यह केवल 'शून्य काल' है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती कांति सिंह को बोलने के लिए बुलाया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : सभापति महोदय, जहां एक ओर उत्तर बिहार बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है, वहीं पर दक्षिण बिहार और मध्य बिहार के 20 जिले ऐसे हैं जो सूखे से ग्रसित हैं। हमारा शाहाबाद एरिया धान का कटोरा कहा जाता था जहां अनेक नहरें बिछी हुई हैं। वर्षा नहीं होने के कारण हमारे यहां जो नदियां और नहरें आती हैं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से पानी आता था, चाहे वह बाणसागर से हो या रिहंद से आता हो, वह हर जगह से सूखी हैं।

जिस तरह से पानी आना चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में वहां के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। साथ ही जो गरीब और मजदूर लोग हैं जो खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी रोजी रोटी भी समाप्त हो रही है...*(व्यवधान)* मैं बाढ़ और सुखाड़ दोनों की बात कर रही हूं। इसलिए हमने इस पर आपका ध्यान आकर्षित कराया है कि ।बेहार की सोन नदी पर कदवन जलाशय के निर्माण हेतु नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन की 1111 करोड़ रुपये की योजना राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है। इस जलाशय के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बाधक बनी हुई है। झारखंड और बिहार सरकार सहमत हैं। इस वर्ष भी बाणसागर और रिहंद से जो पानी का हिस्सा मिलता था, वह अभी तक नहीं मिला। राज्य के 8 जिले–रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के किसानों की मांग के बावजूद भी सोन नहर में पानी नहीं दिया जा रहा है जिससे इन जिलों में 20 से 30 प्रतिशत ही रोपाई हुई है और वर्षा के अभाव में वहां जो बीज रोपा गया था वह भी समाप्त हो चुका है। इन 8 जिलों के 11052 मील में फैले लगभग 10 लाख एकड भूमि में सोन नहर प्रणाली द्वारा पानी दिया जाता है।

सभापति महोदय, मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिलता है। आज आपने हमें मौका दिया है। मुझे अपनी बात तो समाप्त करने दीजिए। लगभग 10 लाख एकड़ भूमि में नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है। इस हेतु इन जिलों में 209 मील में मुख्य नहरों का जाल बिछा हुआ है और 149 मील में शाखा नहरों का निर्माण किया गया है और 1235 मील मैं वितरणियों का निर्माण किया गया है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कदवन जलाशय के निर्माण में उत्तर प्रदेश की ओर से जो बाधा पैदा की जा रही है उसे दूर कराया जाए और कदवन जलाशय के निर्माण की मंजूरी प्रदान की जाए। कदवन जलाशय का निर्माण नहीं होने से सोन नहरों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग जाएगा और बहुत बड़े भू–भाग में सूखे और अभाव की स्थिति पैदा होने से आततायियों का बोलबाला हो जाएगा और खून–खराबा बढ़ेगा। अतः मैं भारत सरकार से मांग करती हूं कि किसानों को दिए गए ऋणों को माफ किया जाए और वहां डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम चलाया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पासवान कृपया एक मिनट बैठ जाइए। श्रीमती कांति सिंह ने बिहार में सोन नदी पर कास्वां जलाशय के निर्माण की जरूरत के संबंध में सूचना दी है। परंतु यह हरेक बात के बारे में बोल रही थीं। हम क्या कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : सभापति जी, मेरा नोटिस नहरों एवं बाढ़ दोनों के बारे में था।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के मामले पर मंत्री महोदय, सरकार की ओर से उत्तर अवश्य दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बिहार का मामला समाप्त होने दीजिए। तत्पश्चात माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह इसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। लगभग 50 सूचनाएं हैं।

(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, अब तथ्य स्पष्ट हैं। माननीय मंत्री को इसका उत्तर देने दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब मैंने श्री पासवान का नाम पुकारा है तो आप बाधा पहुंचा रहे हैं। यह सभा क्या कर रही है? हम सभा को कैसे चला सकते हैं। अध्यक्षपीठ वास्तव में खिन्न है। आपको माननीय सदस्य को बोलने देना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य में बाढ़ और सूखे कि स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि बिहार राज्य में 34 जिले हैं जिनमें से 17 बाढ़ से और 17 सूखे से प्रभावित हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ के कारण ग्रामीण सड़कें, पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें, एन.एच., स्कूल, अस्पताल एवं करोड़ों की संख्या में आबादी बेघर है। उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। सैकड़ों लोग पानी में बहने के कारण मर गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई भी माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। सभी माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़ा हो रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान : महोदय, कल ही 1 अगस्त को मेरे क्षेत्र अररिया में 11 बच्चे बाढ़ के पानी में डूब कर मर गए। उससे पहले रानीगंज प्रखंड में कई आदमी जिंदा पानी में डूब कर मर गए। अररिया और सुपोल जिलों में 10 प्रखंडों में से नरपतगंज, भरगामा, कुरसाकाटा, छातापुर और त्रिवेणीगंज का भीषण बाढ़ के कारण जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। वहां करोड़ों की संख्या में लोग बाढ़ के कारण त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। उनके लिए नावों की कोई व्यवस्था नहीं है। दवा नहीं मिल रही है। लाखों मवेशियों के लिए चारा नहीं है, उनके लिए दवा नहीं है जिसके कारण वे मरणासन्न अवस्था में हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : उन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, वे भाषण क्यों दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उन्हें सिखा नहीं सकता, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, मैं उन्हें यह नहीं कह सकता कि उन्हें किस तरह से बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान : महोदय, बाढ़ से प्रभावित होने के कारण उन प्रखंडों में जनता को जो गेहूं दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है। हमने प्रखंड अधिकारी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक प्रखंड में 200 क्विंटल गेहूं वितरित किया जा रहा है। यह अपर्याप्त है। केरोसिन तेल नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां केरोसिन, दवाएं एवं अन्य जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं तत्काल मुहैया कराई जाएं। इसके साथ ही साथ महोदय, लोगों को अपना तन ढकने के लिए प्लास्टिक उपलब्ध कराया जाए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुकदेव पासवान, आपकी बात पूरी हो गई है। आप अपनी बात समाप्त कर चुके हैं। कृपया, अपनी सीट ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन, आपने पहले ही अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान : महोदय, जिन परिवारों के लोग बाढ़ में बह गए या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को एक–एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। जिन प्रखंडों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है, उसे अविलंब जोड़ा जाए। जहां–जहां रेल लाइन डिस्टर्ब हो गई हैं जैसे नरपतगंज से सहरसा जाने वाली रेल लाइन कटिहार से जोगबनी के बीच में क्षतिग्रस्त हो गई है उसकी अविलंब मरम्मत कराई जाए और रेल सेवा शुरू कराई जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पासवान, मैं समझता हूं आपने इसे पूरा कर लिया है। आपने इतना अधिक समय लिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्या, श्रीमती रानी नरह का भाषण ही कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्या का भाषण समाप्त होने के पश्चात माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कहता हूं चाहे असम हो या बिहार, बाढ़ ही...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पासवान यह पूरा हो गया है आप अपनी बात कह चुके हैं

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान : महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अपराह्न : 2.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य मंत्री से उत्तर प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्रीमती रानी नरह को आमंत्रित किया है। कृपया, अपनी सीट ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर) : सभापति महोदय, ओवरआल असम में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी नदी बुरालेट नदी अभी भी खतरनाक स्तर पर है। वहां 23 जिलों में से 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा प्रभावित मेरे संसदीय क्षेत्र के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ढकुवाखाना सब डिवीजन, माजुली सब डिवीजन बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं मेरे संसदीय क्षेत्र में सात एमबैंकमेंट टूट गए हैं...*(व्यवधान)* जिनमें से धेमाजी जिले में कारेनसफारी एमबैंकमेंट, आरेनसफारी एमबैंकमेंट, लखीमपुर जिले में यकुआखाना सब–डिवीजन में टेकीलीफुटा एमबैकमेंट टूट गया है और लखीमपुर एवं धेमाजी जिले वर्ष में पांच महीने पानी में डूबे रहते हैं, इन दोनों जिलों में किसानों की पूरी फसल तबाह हो गई है। असम में कुल 25,590 गांव में से 4,993 गांव प्रभावित हुए हैं,...*(व्यवधान)* इस तरह असम में कुल जनसंख्या 2 करोड़ 66 लाख है जिनमें से 45 लाख 63 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के धेमाजी जिले के जवाई सब डिवीजन, लखीमपुर जिले के नौवाइचा क्षेत्र एवं ढकुवाखाना सब डिवीजन माजुली सब डिवीजन में कुल 10 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह उत्तर देंगे, कृपया, अपना स्थान ग्रहण करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके शोरगुल के कारण, मैं श्री नवल किशोर राय के भाषण को कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित करने के लिए बाध्य हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी अध्यक्षपीठ को आदेश दे रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? कृपया, अपनी सीट पर बैठिए, मंत्री जी कहीं नहीं जा रहे हैं। वह यहां उपस्थित होंगे और उत्तर देंगे, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : सभापति महोदय, असम में 500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यहां जोर–शोर से बोलना हावी नहीं होना चाहिए। जो कोई यहां जोर–शोर से बोल सकेगा, वही अपनी आवाज उठा सकेगा लेकिन यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपसे अपील करता हूं कि शांत रहें और प्रत्येक सदस्य को बोलने दें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मोहम्मद अनवारूल हक, इस मामले पर आप अपने आपको अन्यों के साथ सहयोजित कर सकते हैं। इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मोहम्मद अनवारूल हक, आप भी दूसरे सदस्यों के विचारों के साथ अपने को शामिल कर सकते हैं। इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद अनवारूल हक (शिवहर) : सभापति महोदय, मैं भी अपने आपको उनकी बात से जोड़ता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, अपनी सीट ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्रीमती रानी नरह : सभापति महोदय, मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रानी नरह : सभापति महोदय, धेमाजी जिले में समर्जन रेलवे ब्रिज और नेशनल हाइवे 52 में 400 ए/1 लकड़ी पुल पूरी तरह से टूट गया है और ढकुवाखाना माचखोआ रोड पर एक लकड़ी पुल बाढ़ में रह गया है। इस तरह 15 नम्बर पी.डब्ल्यू. डी. रोड पूरी तरह टूट गया है। असम में 31, 37 और 52 नेशनल हाईवे बुरी तरह खराब हो गए हैं। मेरा कहना है कि धेमानी एवं लखीमपुर जिले में माजुली सब डिविजन को बाढ़ प्रभावित जिला घोषित करना चाहिए। इसके साथ–साथ किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए या प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए दो हजार करोड़ रुपये केंद्र सरकार असम सरकार को दे, ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : नहीं महोदय...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको आमंत्रित करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : माननीय सभापति जी, बिहार के साथियों ने बाढ़ के सवाल पर जो चिंता व्यक्त की, पूरा सदन उनके साथ है।...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि सरकार कहती है कि 6,000 करोड़ से ज्यादा का खाद्यान्न भंडार हमारे पास है, 7 अरब डालर का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास है, आपदा राहत कोष और आपदा सहायता कोष हमारे पास है। कुल मिलाकर सरकार इस सदन मे बराबर यह एहसास कराती रही है कि बाढ और सूखे से निपटने के लिए सरकार के पास साधनों और डालरों की कोई कमी नहीं है। बिहार मे जो बाढ आई हुई है, अभी रानी जी ने आसाम के बारे में बताया, सदन इस स्थिति में पूरी तरह बिहार के साथ है, जहां एक ओर बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा है।

कल ही हिंदुस्तान अखबार में छपा था कि आंध्र प्रदेश के नौ किसानों ने जबरन ऋण वसूली के कारण खुदकुशी कर ली। किसान की खरीफ की फसल चौपट हो गई, किसान दाने–दाने को मोहताज है, इसके बावजूद वसूली करने का सिलसिला अभी नहीं रुका है। लिहाजा उन लोगों ने मजबूरी में आत्महत्या कर ली।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने सूखे की स्थिति पर विस्तृत चर्चा पहले ही की है, आप भी इससे सहयोजित रहे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* सरकार प्राकृतिक आपदा की ओर ध्यान दे...

(व्यवधान) सरकार क्या कर रही है, उसका परिणाम जनता में दिखाई देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे दो सदस्य आग्रह करते रहे हैं, उन्होंने भी नोटिस दिए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार को इस पर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (जलेसर) : धन्यवाद, मैं आपके माध्यम से शून्य काल में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद मैं आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : शून्यकाल के दौरान ऐसा लगता है जिसके पास जोर–शोर से बोलने की क्षमता है उसे ही मौका मिल पाएगा।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : यह उचित बात नहीं है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं यह उचित बात नहीं है। सभी माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिल पाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब मैं यहां पर हूं, ऐसी बात नहीं होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हन्नान मोल्लाह : आप ऐसा करके जीत नहीं सकते। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय सभापति महोदय, सदन में उपस्थित सभी सांसदों ने बाढ़ और सूखे के माध्यम से चिंता व्यक्त की। बाढ़ की जो स्थित है, अखबारों के माध्यम से हम समझ सकते हैं और वास्तव में श्री नवल किशोर राय जी ने जो अपना दुख–दर्द व्यक्त किया, उसे एहसास किया जा सकता है। हमने इस स्थिति पर चर्चा भी की थी लेकिन जो कुछ भी कहा गया है, चाहे वित्त मंत्री जी से कहने की बात हो, माननीय गृह मंत्री जी या जल संसाधन मंत्री जी, जिनको भी कहने की आवश्यकता होगी, उनको आपकी भावनाओं से हम अवगत करा देंगे और उनसे कहेंगे कि इस संदर्भ में जो भी कदम उठाए जाने हैं, क्योंकि अभी प्रभुनाथ जी ने कहा था कि रक्षा मंत्री सर्वेक्षण करने गए हैं। हम सबकी भावनाओं से अवगत करा देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी : आप यही करते रहेंगे और लोग मर जाएंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी : यह कोई बात नहीं है...*(व्यवधान)* हम लोग किसलिए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप मंत्री जी से सीधे बात नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह क्या है? आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करते हुए बात कर सकते। यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय को आपका निर्देश होना चाहिए। बाढ़ का इतना गंभीर मामला है, वे सदन में आकर बाढ़ पर बयान दें।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा, लेकिन बयान देने के लिए मैं उन्हें नहीं कह सकता।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार की उपेक्षा हो रही है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.11 बजे

(तत्पश्चात डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम भी सदन से बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 2.11½ बजे

[अनुवाद]

(तत्पश्चात श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल : महोदय, आगरा मुगलकाल में हिंदुस्तान की राजधानी रहा है। पर्यटन की दृष्टि से आज भी विश्वप्रसिद्ध ताजमहल, लालकिला, दयालबाग, एतमादउद्दौला एवं अकबर के टोंब दर्शनीय इमारतें हैं। आगरा जनपद में ही फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा एवं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पड़ोसी जिला मथुरा धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः पर्यटन की दृष्टि से आगरा भारत की पर्यटन राजधानी है। विश्व का कोई भी पर्यटक और राजनयिक यदि भारत आता है तो वह आगरा अवश्य आता है। अतः दक्षिण भारत और मुंबई की तरफ से आने और जाने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी को आगरा मथुरा अवश्य रोका जाए तथा दिल्ली हावड़ा मार्ग की प्रत्येक रेलगाड़ी को टूंडला जंक्शन पर रोका जाए, क्योंकि उस मार्ग का पर्यटक एवं यात्री टूंडला उतरकर आगरा आता है। टूंडला आगरा से रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग से मात्र 22 किलोमीटर दूर है तथा पूर्व वर्षों से टूंडला आगरा जनपद की ही एक तहसील थी।...*(व्यवधान)*

इसी प्रकार वायु यातायात के लिए आगरा में एक हवाई अड्डा बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तथा घरेलू उड़ानों में आगरा को मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, चेन्नई, बंगलौर आदि शहरों से जोड़ा जाए।...*(व्यवधान)*

पर्यटन के अतिरिक्त चमड़ा उद्योग, जूता उद्योग, पेठा उद्योग, संगमरमर उद्योग, फाउंड्री उद्योग में आगरा का प्रथम स्थान है। पूरे देश में आगरा का व्यापारी जाता है तथा बाहर का व्यापारी आगरा आता है। उत्तरांचल बनने के बाद आगरा ही पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र है। पश्चिम उत्तर प्रदेश परिमंडल का भारत संचार निगम लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक का जो कार्यालय देहरादून था, उत्तरांचल में चले जाने के बाद उसे आगरा में खोला जाए तथा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आगरा में खोला जाए। ताज ट्रिपेजियम के नाम पर आगरा का उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया है। आर्थिक रूप से बदहाली के कगार पर पहुंच गए इस शहर में हाइकोर्ट की खंडपीठ खोली जाए, जिससे गरीब आदमी को सस्ता, सुलभ न्याय मिल सके।

मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि सभी विषय, जो मैंने उठाए हैं, केंद्र सरकार से संबंधित हैं। अतः आगरा, टूंडला, मथुरा में सभी रेल रोकी जाएं, डी.आर.एम. आफिस, क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट को आगरा में खोला जाए तथा आगरा में मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार पश्चिम उत्तर प्रदेश परिमंडल का कार्यालय खोला जाए तथा वे सभी उपाय किए जाएं, जिससे आगरा के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने बोलने का अवसर मांगा था और आप इन विचारों से अपने आपको संबद्ध करना चाहते थे और अब आप माननीय मंत्री को इस प्रकार से जवाब देने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने कुछ नहीं सुना। आप क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां कोई भेदभाव नहीं है। मैं यहां कोई भेदभाव नहीं पाता।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, आप सदस्यों का चयन कर रहे हैं। यह क्या है?...*(व्यवधान)* पंद्रह दिनों से मैं बोलने के लिए नोटिस दे रहा हूं।...*(व्यवधान)* आप इसकी जांच कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जार्ज, मैंने आपका नाम पुकारा है। आपने अल्पसंख्यकों से संबंधित एक बड़ा मामला दिया है। आप इसे 'शून्य काल' में कैसे उठा सकते हैं। यह एक बड़ा मामला है।

(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : यह एक अति तत्काल प्रकृति का मामला है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तो माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि सरकार उस पर कितनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है।

(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में एक मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। भारत के काबिल महान्यायवादी, श्री सोली सोराबजी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कहा है कि, 'संविधान में अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार कोई रियायत नहीं है। बल्कि उनकी पात्रता है जो उन्हें जिस स्थिति में रखा जाए उस स्थिति पर विचार करते हुए उन्हें प्रदान किया गया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह मामला उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय खंड पीठ के समक्ष है तो आप यहां इस पर अभी कैसे विचार-विमर्श कर सकते हैं?

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, सरकार के दो अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष दो भिन्न स्थितियां रखी हैं।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, हम सरकार की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, महान्यायवादी ने आगे कहा, "हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने एवं उनको संचालित करने के अधिकार अत्यधिक हैं और किसी के द्वारा भी उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।"

महोदय, देश के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने महाअधिवक्ता श्री साल्वे को उच्चतम न्यायालय में महान्यायवादी के तर्कों का खंडन करने के निदेश दिए हैं। महोदय, माननीय कानून मंत्री यहां मौजूद हैं।...*(व्यवधान)* मैं सरकार का मत जानना चाहता हूं। महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : जी हां, मैं जानता हूं। परंतु यह बड़ा मामला है और इस पर 'शून्य काल' में बहस नहीं की जा सकती है और निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस पर 'शून्य काल' में निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

मंत्री इसका जवाब नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, इसको लेकर देश के अल्पसंख्यक बहुत चिंतित हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में सरकार का क्या मत है?...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप : हम यही जानना चाहते **हैं। हम** और कुछ नहीं कह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, श्री हन्नान मोल्लाह बोलेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, क्या आप अभी बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री फ्रांसिस जार्ज, कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, इस पर सरकार का क्या मत है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इन बातों पर शून्य काल में प्रकाश डाल सकते हैं। आप सरकार से पुख्ता स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, कानून मंत्री यहां मौजूद हैं। उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसीलिए, मैंने कहा था कि यह छोटा मोटा मामला नहीं है। यह संवैधानिक पीठ के समक्ष एक बड़ा संवैधानिक मामला है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, क्या यह सभा सरकार के दृष्टिकोण को सुनने की पात्र नहीं है? हम इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का एक सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के दूसरे सदस्य को बोलने से रोक रहा है।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : सभापति महोदय, पिछले कई महीनों से देश में सर्वत्र प्रेस एवं जनसंचार माध्यमों पर लगातार हमले हो रहे हैं। महोदय, आप जानते हैं कि कश्मीर टाइम्स के प्रमुख दिल्ली ब्यूरो के पत्रकार श्री इफ्तिकार गिलानी को कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती से संबंधित एक गुप्त दस्तावेज को रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैं आपको बहुत सी रियायतें दे रहा हूं। कृपया मेरी बात में बाधा मत डालिए...

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, उन्हें गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह क्या रखे हुए था? छह वर्ष पहले एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया था और उन्होंने इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया था। अब यह 2002 में पाया गया था। यह गोपनीय दस्तावेज कैसे हो सकता है? परंतु शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब, जब यह साबित नहीं हो पाया तो उन पर अश्लील साहित्य अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाया गया है। इस तरह, वे पत्रकारों को उत्पीड़ित कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और उन्हें दबा रहे हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, ऐसी कई बातें हैं। महोदय, भारतीय प्रेस परिषद ने परसों यह तिचार व्यक्त किया कि इस दस्तावेज को गोपनीय नहीं माना जा सकता और इससे शासकीय गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब प्रो. ए. के. प्रेमाजम बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, वे आउटलुक के पत्रकारों को परेशान कर रहे हैं। वे 'तहलका' के पत्रकारों को तंग कर रहे हैं। दूसरी अन्य सभी पत्रिकाओं के पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है क्योंकि गुजरात के दंगे के दौरान मीडिया ने सही ढंग से खबरें दी थीं...*(व्यवधान)* वे प्रेस को दंडित कर रहे हैं। वे 'तहलका' के पत्रकारों को परेशान कर रहे हैं। वे 'आउटलुक' के पत्रकारों को तंग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं।

सभापति महोदय : महोदया, यदि आप अभी बोलना चाहती हैं तो आप बोलिए अन्यथा मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री सुरेश जाधव बोलें।

(व्यवधान)

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय मुझे बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : महोदया, जब मैंने आपका नाम पुकारा तो आप नहीं बोलीं, इसलिए मैंने श्री सुरेश जाधव का नाम पुकारा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ समय बाद आप बोल सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, प्रेस पर हमले को रोका जाना चाहिए पत्रकार श्री गिलानी को छोड़ा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब श्री सुरेश जाधव बोलें।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र में दस चीनी मिलें हैं और ये चीनी मिलें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हैं। इन चीनी मिलों को निर्यात के नाम पर सेंटर से जो कोटा मिलता था, उस कोटे की चीनी इन्होंने लोकल मंडियों में बेच दी है। इस बाबत जो इन्होंने ऋण लिया था, उसका भी नुकसान हुआ है। करीब 20 करोड़ रुपये का नुकसान इन चीनी मिलों के द्वारा किया गया है। राज्य के लोकल कोआपरेटिव बैंकों, नाबार्ड और औद्योगिक बैंक से इनको कर्जा मिलता था, लेकिन उसका इन्होंने मिसयूज किया। देश में निर्यात बढ़ाने के स्थान पर इन्होंने अपने कोटे की चीनी यहां मंडियों में बेच दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना किया जाए तथा जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। महोदय, मैं संवैधानिक प्रकृति के इस महत्वपूर्ण मामले को आपके माध्यम से सभा के समक्ष रखना चाहती हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार भी आता है और यह हमारे संविधान का एक आधार स्तंभ है। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। अभी अभी इस सभा में मेरे मित्र द्वारा यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो पत्रकार प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं उन पर उत्पीड़न, हमले और हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में घटी इस घटना के बारे में हर कोई जानता है कि 'टाइम' के संवाददाता श्री क्लेक्स पैरी और उनके सहयोगी को उनके अधिकार पत्र से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री पर आलेख लिखा था। प्रेस की स्वतंत्रता पर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है। स्वाभाविक है कि उसके जरिए लोगों की जानने की स्वतंत्रता अर्थात उनके सूचना के अधिकार पर इस सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। यह और कोई नहीं बल्कि यह सरकार ही है जो इस तरह का जुल्म ढा रही है।

केरल में नेदुमबस्सारी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने संवाददाताओं पर हमला किया है। उत्तेजना का कोई कारण नहीं था। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि इसे अविलंब रोका जाए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, हमने भी नोटिस दिया था। श्री हन्नान मोल्लाह जी और प्रो. प्रेमाजम जी ने जो सवाल उठाया है। मैं भी कहना चाहता हूं कि लोक सभा का चौथा खंभा मीडिया, पत्रकारिता होती है। उस पर एमर्जेंसी की तरह सरकार द्वारा दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, दमन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप भी अपने को उनसे संबद्ध कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : तहलका के एक पत्रकार

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को केस में फंसाकर जेल में बंद किया गया...*(व्यवधान)* शंकर शर्मा, फाइनेंसर को जेल में बंद किया गया। गुजरात में भी एक पत्रकार को जाली केस में फंसाकर जेल में बंद करके रखा। लोक तंत्र का हनन हो रहा है और मीडिया का दमन सरकार की ओर से हो रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, यह क्या है? आपने तो सिर्फ आधा मिनट मांगा था।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री बीर सिंह महतो (पुरुलिया) : महोदय, 'आल इंडिया एसोसिएशन आफ फॉरेन रिटर्न डॉक्टर्स' भारतीय चिकित्सा परिसंघ के कार्यालय के सामने 17 जुलाई, 2002 से धरने पर बैठे हैं। वे लोग 30 जुलाई, 2002 तक आमरण अनशन पर थे। दो चिकित्सकों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। उनकी मांगें हैं :

1. भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त रूसी चिकित्सा संस्थान से मेडिकल डिग्री उत्तीर्ण भारतीय छात्रों को स्क्रीनिंग परीक्षा में छूट।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा लगाई गई एक वर्षीय मेडिकल इंटर्नशिप के मामले में छूट।
3. अस्थाई पंजीकरण के बजाय स्थाई पंजीकरण।
4. वृत्तिका धनराशि के रूप में अतिरिक्त इंटर्नशिप हेतु मुआवजा।

मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से चिकित्सकों और भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ बातचीत करने और चिकित्सकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का निपटान करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, भारतीय संविधान सभा की वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट लोक सभा सचिवालय ने 1994 में पुनः मुद्रित की है। आप जानते हैं कि अपने देश के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान सभा की पूरी रिपोर्ट इस किताब में दी गई है और दस खंड सचिवालय ने मुद्रित कर दिए हैं। उसमें खेद की बात यह है कि जो पहला पेज है, उसमें डा. राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष का नाम है, उपाध्यक्ष एम. टी. मुखर्जी का नाम है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी सूचना कहां है?

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उसके साथ संवैधानिक सलाहकार पी. एम. राव जी, एम. डी. आर. अयंगर जी, संयुक्त सचिव एस.एन. मुखर्जी, उपसचिव युगल कुशल जी और मार्शल हरवंशराय जी का नाम है लेकिन पहले पेज पर बाबा अम्बेडकर जी का नाम उसमें नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि संविधान बनाने में डा. अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा रोल है और वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे लेकिन उनका नाम ही पहले पेज पर नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : श्री रामदास आठवले, यह मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस किताब का प्रकाशन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि लोक सभा सचिवालय द्वारा किया जाता है। यह मामला माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ उठाना होगा यदि आप चाहें तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के पास आपके साथ आ सकता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह नोटिस अस्वीकृत किया जाता है।

अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर-पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं एक मामला उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पहले आप श्री अधीर चौधरी को अनुमति दें लेकिन इससे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

माननीय कानून मंत्री तो विधेयक को लाने के लिए यहां तैयार बैठे हैं। उन्होंने तीन बजे सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है।

सभापति महोदय : तो क्या आप अभी इसे उठाना चाहते हैं। ठीक है। मैं इसके बाद श्री अधीर चौधरी को अनुमति दूंगा।

अपराह्न 2.26 बजे

[अनुवाद]

सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त)

(दूसरा संशोधन) विधेयक*

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णमूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. जना कृष्णमूर्ति : महोदय मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.26½ बजे

[अनुवाद]

(दो) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त)

संशोधन विधेयक

विधि और न्याय मंत्री (श्री के. जना कृष्णमूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. जना कृष्णमूर्ति : महोदय, मैं विधेयक** पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.27 बजे

[अनुवाद]

(तीन) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश

(दूसरा संशोधन) विधेयक*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में कतिपय जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजातियों या जनजाति समुदायों के अंतर्गत आने वाले भागों या समूहों, ऐसे जनजातियों या समुदायों के समतुल्य नामों या उनके

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—II खंड—2, दिनांक 2.8.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—II खंड—2, दिनांक 2.8.2002 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

पर्यायों को अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने, क्षेत्र संबंधी निर्बंधनों को हटाने और उनका विभाजन करने या उनकी प्रविष्टियों को सम्मिलित करने, अनुसूचित जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों की बाबत क्षेत्र संबंधी निर्बंधनों का अधिरोपण करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से कतिपय जातियों और जनजातियों का अपवर्जन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में कतिपय जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजातियों या जनजाति समुदायों के अंतर्गत आने वाले भागों या समूहों, ऐसे जनजातियों या समुदायों के समतुल्य नामों या उनके पर्यायों को अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने, क्षेत्र संबंधी निर्बंधनों को हटाने और उनका विभाजन करने या उनकी प्रविष्टियों को सम्मिलित करने, अनुसूचित जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों की बाबत क्षेत्र संबंधी निर्बंधनों का अधिरोपण करने और अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से कतिपय जातियों और जनजातियों का अपवर्जन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है। मुझे पुरःस्थापन चरण में इस विधेयक संबंधी कुछ आपत्तियों को दर्ज कराना है। मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, उन्हें अपनी आपत्तियां उठाने दीजिए। माननीय मंत्री महोदय उनका जवाब देंगे।

श्री विजय हान्दिक : मैं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2002 को इसके वर्तमान स्वरूप में पुरःस्थापन के समय गंभीर आपत्तियां दर्ज कराने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं इसके वर्तमान स्वरूप शब्दों पर जोर देता हूं।

मेरी पहली आपत्ति यह है कि प्रस्तावित विधेयक में असम के पांच समुदायों–कोचराजवंशी, ताईआहोम, 'टी' ट्राइब्स, चुटियास और मोरस–मोटोक को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें लोकसभा के तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा वर्ष 1996 में गठित संसदीय समिति में अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने की सिफारिश की गई थी। समिति ने 14 अगस्त, 1997 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पांच वर्षों की इस लंबी अवधि के दौरान सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच नहीं की और इसे संसद में प्रस्तुत करने में असफल रही।...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दें। मैंने एक नोटिस दिया है।

श्री प्रमोद महाजन : मुझे भी बोलने दीजिए। विधेयक के पुरःस्थापन के दौरान माननीय सदस्य केवल विधायी संबंधी सक्षमता के बारे में ही बोल सकते हैं। वे इस चरण में विधेयक के गुण–दोष के बारे में नहीं बोल सकते। उन्हें इस बारे में बोलने का अधिकार है, लेकिन वह तभी बोल सकते हैं जब विधेयक विचारार्थ लाया जाए। मैंने आपत्ति उठाने में उनका समर्थन किया है लेकिन वे पुरःस्थापन का विरोध करने वाले नियम का बेजा फायदा नहीं उठा सकते हैं और न ही विधेयक के गुण दोष पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आपकी आपत्ति को नोट कर लिया गया है, जब विधेयक विचारार्थ रखा जाएगा तब आप विस्तार से बोल सकते हैं।

अब प्रश्न यह है :

"कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में कतिपय जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजातियों या जनजाति समुदायों के अंतर्गत आने वाले भागों या समूहों, ऐसे जनजातियों या समुदायों के समतुल्य नामों या उनके पर्यायों को अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने, क्षेत्र संबंधी निर्बंधनों को हटाने और उनका विभाजन करने या उनकी प्रविष्टियों

को सम्मिलित करने, अनुसूचित जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों की बाबत क्षेत्र संबंधी निर्बंधनों का अधिरोपण करने और अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से कतिपय जातियों और जनजातियों का अपवर्जन करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जुएल उराम : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल) : महोदय मेरे जिले में पोलियो के लक्षण पुनः उजागर हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पोलियो के आखिरी विषाणु तक को समाप्त करना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है लेकिन इसे मुर्शिदाबाद में भारी झटका लगा है जहां मेरे जिले के छः प्रखंडों में पोलियो फिर से उभर कर सामने आया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है। एक संगठन ने तो यहां तक कहा है कि बच्चों को बीती मियाद वाली पोलियो दवाई पिलाई जा रही है। इस रोग से सोला टोली और नसकारपुर गांवों में पहले से ही छः बच्चे प्रभावित हैं। पड़ोसी देश बंगलादेश ने पहले ही पोलियो रोग के पुनः उभरने पर अपनी चिंता व्यक्त की है।

क्या मैं सरकार से पश्चिमी बंगाल में तथ्य की सच्चाई पता लगाने के लिए मिशन भेजने का अनुरोध कर सकता हूं ताकि दोषी अधिकारियों और दोषी विभाग के विरुद्ध जवाबदेही और जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, देश के कई पर्यटन व धार्मिक स्थलों पर जो पहाड़ी पर स्थित हैं—पर्यटक और धार्मिक यात्रियों के उस ऊंचे स्थान पर पहुंचने के लिए रोप—वे लगा रखी है, जैसे हरिद्वार में श्री मंशा माता के दर्शनों के लिए। रोप—वे के कारण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होती है और रोप—वे वृद्ध, महिलाओं और बच्चों के लिए आराम और आकर्षण का केंद्र बन जाती है।

जयपुर जो पर्यटकों का एकमात्र आकर्षण केंद्र है जिसमें नाहरगढ़, जयगढ़ दुर्ग, आमेर में माता शिलादेवी का मंदिर, धार्मिक स्थल गणेशगढ़ द्वितीय प्रमुख तीर्थ स्थिल गलता और मोतीडुगरी ऐसे प्रसिद्ध पर्यटक और धार्मिक केंद्र हैं वहां पर रोप—वे लगाया जाना अतिआवश्यक है।

मेरी भारत सरकार के पर्यटक विभाग से मांग है कि राजस्थान सरकार उपरोक्त स्थानों पर रोप—वे लगाए जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे। धन्यवाद।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को लौटाया जाए। सन् 1981 में राजस्थान और पंजाब के बीच अनुबंध के हिसाब से राजस्थान के हिस्से का 0.6 मिलियन करोड़ पानी तुरंत राजस्थान को लौटाने की बात है। उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है जबकि इंदिरा गांधी नहर और उसकी सहायक नहर बन चुकी है। इस समय राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में राजस्थान को उसके हिस्से का पानी पंजाब से तुरंत दिलवाया जाए। भारत सरकार से हमारी यही प्रार्थना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, आप भेद—भाव की बात कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : नहीं, ऐसा पहले हुआ था, आपने मेरे साथ शून्य काल के दौरान भेद—भाव किया था। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने का मेरा अधिकार है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसको बोलने की अनुमति दें और किसको नहीं, इस बात को चयन करना अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। आप उन पर प्रश्न नहीं कर सकते। प्रश्न काल के दौरान मैं दस मिनट तक हाथ उठाए रहा। मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं रहा। अध्यक्ष को अनुमति

देने या अनुमति न देने का विशेषाधिकार और उनकी विवेकाधीन शक्ति है।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मुझे खेद है।

अपराह्न 02.32 बजे

[अनुवाद]

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में जूट उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं वस्त्र मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें;

"देश मे जूट उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : सभापति महोदय, सभा के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मैं निम्नलिखित वक्तव्य देने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

महोदय, जूट प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश और मेघालय में करीब 10.70 लाख हेक्टेअर (2002–03) भूमि पर उगाया जाता है। पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष कच्चा जूट का उत्पादन दस प्रतिशत अधिक होने की आशा है और 115 लाख 'गांठ' के आदेश मिलने की भी संभावना है। भारत सरकार ने वर्ष 2002–03 में जूट के लिए टी.डी. 5 किस्म एक्स असम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 850 रु. प्रति क्विंटल की घोषणा की है। गत वर्ष इसी किस्म के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 810 रु. था। इस वर्ष 40 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। जूट आयुक्त द्वारा कच्चे जूट की सभी अन्य श्रेणियों के लिए अलग-अलग मूल्य की घोषणा की गई है।

अपराह्न 02.33 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कच्चा जूट खरीदने के लिए नोडल एजेंसी भारतीय जूट निगम है। भारतीय जूट निगम ने जूट उत्पादक क्षेत्रों में 171 केंद्र खोले हैं और संबंधित राज्य सरकारों की सहकारी समितियों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को परिचालित करने हेतु समझौता किया है। भारत सरकार और भारतीय जूट निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कच्चे जूट और मेस्टा की खरीद के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु सहकारी समितियों की अधिकतम संख्या में भागीदारी हेतु जूट उत्पादक राज्यों की सरकारों से भी अनुरोध किया है।

महोदय, भारतीय जूट निगम को सरकारी गारंटी के माध्यम से 'मार्जिन' धनराशि के रूप में 33 करोड़ रु. की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिससे वे 100 करोड़ रु. के ऋण लेने में समर्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त, बजटीय सहायता भी प्रदान की गई है।

महोदय, जूट की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है। भारतीय जूट निगम ने यह बताया है कि उसने विभिन्न जूट उत्पादक क्षेत्रों से पहले ही कच्चे जूट की 40,000 गांठों की खरीद कर ली है। इसने अधिकांश खरीद अपने खरीद केंद्रों के माध्यम से की है। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, बाजार में कच्चे जूट का मूल्य आम तौर पर हमेशा न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर रहता है। भारत सरकार को अब तक कच्चे जूट की औने-पौने दामों पर बिक्री की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं कि जूट किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाध्य न हों। मुझे विश्वास है कि विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से हम जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में समर्थ होंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक आम उत्तर दिया है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, जूट पूर्वी क्षेत्र और देश के कुछ अन्य भागों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का मुख्य

वाणिज्यिक उत्पाद है। लगभग 40 लाख किसान इसकी खेती में लगे हुए हैं। गत कई वर्षों के दौरान, कृषि के नये तरीकों से जूट उत्पादन बढ़ा है। लाखों लोग जूट कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके साथ-साथ, हमारे देश में लगभग 73 जूट मिलें हैं जिनमें 2,50,000 मजदूर कार्यरत हैं, जैया कि आप जानते हैं इनमें से अधिकांश बिहार ही से हैं। इसमें से 59 मिलें पश्चिम बंगाल में हैं। जूट वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन लगभग 16 लाख मीट्रिक टन है। इसमें से 12 लाख मीट्रिक टन जूट का उपयोग खाद्यान्नों और चीनी को पैक करने के लिए किया जाता है और शेष चार लाख जूट का या तो निर्यात कर दिया जाता है या अन्य उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग किया जाता है। 80 के दशक के आरंभ में, जूट और मेस्टा का उत्पादन 70 से 80 लाख गांठें थीं लेकिन अब यह बढ़ गया है। इस वर्ष हमने यह देखा है कि 115 लाख गांठों का उत्पादन किया गया है। इसलिए, इस बढ़े हुए उत्पादन के कारण सरकार को किसानों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए और कच्चे जूट को खरीदना चाहिए। इस वर्ष अधिक उत्पादन होने के कारण इस क्षेत्र में विशेषकर पश्चिम बंगाल में बाजार मूल्य प्रति क्विंटल पर लगभग 100 रुपये के हिसाब से घटा है।

भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई.) एक ऐसी एजेंसी है जिसका गठन कच्चे जूट को खरीदने के लिए किया गया था और इसे केंद्र सरकार से धन मुहैया कराया गया था। पहले इसके 200 से भी अधिक केंद्र थे लेकिन अब आप जानते हैं कि सरकार ने केंद्रों की संख्या घटा दी है। लगभग 30 से 35 केंद्र बंद किए जा चुके हैं। इसी वजह से केवल शहरी क्षेत्रों में केंद्र हैं और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ये केंद्र बंद किए जा चुके हैं। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब मंत्री जी ने यह कहा है कि वह मार्जिन मनी के लिए कुछ गारंटी दे रहे हैं लेकिन जे.सी.आई. बाजार में पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। वे बहुत कम मात्रा में खरीद कर रहे हैं। वे यह कहते हैं कि सीधी खरीद बंद की जा चुकी है और उन्होंने एजेंट नियुक्त किए हैं। पश्चिम बंगाल में बैनफेड (बी.ई.एन.एफ.ई.डी.) भी एक एजेंट है और उनके पास धन नहीं है। यदि जे.सी.आई. उन्हें कुछ अग्रिम धनराशि देती है केवल तभी वे खरीद कर सकते हैं। अग्रिम धनराशि के बिना, छोटी सहकारिताएं कच्चे जूट की लाखों गांठों की खरीद कैसे कर सकती हैं? केवल पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ धनराशि प्रदान की है लेकिन यह बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। इस अल्प राशि से बैनफेड भी अधिक मात्रा में जूट को खरीद पाने और इसे जे.सी.आई. तक लाने की स्थिति में नहीं है।

यह एक और समस्या है। पिछले वर्षों में सरकार ने सुव्यवस्थित ढंग से जे.सी.आई. को पंगु बना दिया है और उसे बर्बाद कर दिया है। अब भारतीय जूट निगम (जे.सी.आई.) एक छोटा संगठन बन गया है और अब उनके पास धन नहीं है और वे बाजार में सीधे तौर पर प्रवेश नहीं कर सकते। इससे जूट किसानों के लिए समस्या खड़ी हो गई है और किसानों के लिए तामकार्ड मूल्य प्राप्त करना एक समस्या बन गई है। यह एक प्रमुख समस्या है। मैं मांग करता हूं कि सरकार भारतीय जूट निगम को पारित धनराशि दे ताकि यह बाजार में सीधे प्रवेश कर सके और पर्याप्त मात्रा में कच्चा जूट खरीद सके। जिन केंद्रों को बंद कर दिया गया है उन सभी को पुनः खोला जाए ताकि लोग वहां जाकर अपना कच्चा जूट बेच सकें। और जूट उत्पादकों के उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

जैसा कि आप जानते हैं, जूट और जूट उद्योग आपस में जुड़े हुए हैं। उपरोक्त कारणों से जूट उद्योग बहुत गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। मैं यहां पर कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। जूट का बाजार गिर रहा है इसीलिए जूट उद्योग गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 1987 में सरकार ने एक कानून बनाया था कि खाद्यान्नों और चीनी की 100 प्रतिशत पैकिंग सामग्री जूट उत्पादों से निर्मित होनी चाहिए और इनकी पैकिंग के लिए केवल जूट का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जूट पर्यावरण के अनुकूल है और यह लागत प्रभावी है और हमारे देश के सभी क्षेत्रों में लोग इससे जुड़े हुए हैं।

लेकिन शनैः-शनैः सरकार उस आदेश को समाप्त कर रही है और धीरे-धीरे खाद्यान्नों और चीनी को सिंथेटिक थैलों में पैक किया जा रहा है। इसके कारण जूट ने अपना बाजार खो दिया है और इसीलिए जूट उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। सिंथेटिक लॉबी बहुत मजबूत है। उनकी पहुंच

[श्री हन्नान मोहल्लाह]

मंत्रालय और देश तक है। और दिल्ली के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। जूट दूर पूर्वी क्षेत्रों में उगाया जाता है और सिंथेटिक लॉबी राजधानी को घेर रही है। उनकी पहुंच बहुत दूर तक है तथा वे मंत्रालय को और अधिकारियों को प्रभावित कर रहे हैं और वे दबाव डाल रहे हैं। धीरे-धीरे सरकार जूट पैकिंग अधिनियम के समाप्त कर रही है। यह एक गंभीर समस्या है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि 'मार्कफेड' द्वारा इस संबंध में एक अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया था। इसके द्वारा पंजाब में यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया कि खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए क्या अच्छा है-जूट अथवा सिंथेटिक। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए एच.डी.पी.ई. थैले उचित नहीं हैं। उन्होंने ऐसी ही राय दी है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के डिपो में भी मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और वहां यह सिद्ध हुआ कि जूट के थैले ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि यह सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण हो चुका है और यह पाया गया कि यह प्रभावी है, इसका कार्यनिष्पादन ज्यादा अच्छा है और यह लागत प्रभावी भी है। खरगपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) ने भी एक व्यापक अध्ययन किया है और उन्होंने भी यह कहा कि पैकिंग की दृष्टि से जूट पोली बैग से ज्यादा अच्छा है।

परंतु महोदय, यह सिंथेटिक लॉबी इतनी शक्तिशाली है कि वे जूट बाजार को कब्जे में करना चाहते हैं और यदि जूट बाजार डूबता है तो लाखों जूट किसान और हजारों मिल मजदूर संकट में पड़ जाएंगे।

इसीलिए, मैं खाद्यान्नों और चीनी की 100 प्रतिशत पैकिंग केवल जूट उत्पादों द्वारा करने की बहाली की मांग करता हूं। दूसरी हमारी मांग यह है। आपको उदारीकृत प्रशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत बंगलादेश से जूट बैगों के बड़े पैमाने पर होने वाले आयात को रोकना चाहिए। फिलहाल हम बंगलादेश से आयात कर रहे हैं और हमारा कच्चे जूट का बाजार डूब रहा है। यह एक दूसरी समस्या है।

तीसरे, मेरी यह मांग है कि पैकिंग के लिए जूट के इस अनिवार्य उपयोग को अन्य खाद्य पदार्थों जैसे आलू, गर्म मसाले और अन्य दालों पर लागू किया जाना चाहिए ताकि जूट का बाजार उभर सके और हमारे जूट उद्योग का अस्तित्व बना रहे और इस प्रकार हम इस उद्योग की रक्षा कर सकें और जूट पर निर्भर लाखों लोगों की सहायता कर सकें।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी। सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के प्रति सदैव भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है। जूट का उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है और जूट उत्पादक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र के जूट मजदूर भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। हम यहां पर केंद्र का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते क्योंकि यह जूट उत्पादकों और जूट मजदूरों के प्रति सहानुभूति नहीं रखती है। यही कारण है कि जूट उद्योग गंभीर संकट में फंसा है।

मैं सरकार से उचित विचार करने और जूट को हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग बनाने की मांग करता हूं। जब आप जूट वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो इससे देश को स्वदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता मिलती है। इसीलिए, सरकार को एक उचित संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि हमारे जूट उत्पादकों को कच्चे जूट का उचित मूल्य मिल सके। जूट मिलों के सामने आने वाली समस्याओं का सामधान होने पर जूट मजदूर जीवन यापन कर सकते हैं। मेरी यही मांग है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल) : यहां सभा में हम प्रतिदिन कृषि क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि एक निराशाजनक परिदृश्य भारत के कृषि क्षेत्र पर छाता जा रहा है। जहां तक जूट का संबंध है, पश्चिम बंगाल जूट का बहुत अधिक पर्यायवाची है। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में हमें यह आश्वासन दिया था कि जे.सी.आई. जूट खरीद रहा है और अब तक जूट की औने-पौने दामों में बिक्री नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले को बहुत लापरवाहीपूर्ण तरीके से ले रहे हैं। जहां तक जूट का संबंध है उन्हें वस्तुस्थिति से भली प्रकार से अवगत नहीं कराया गया है।

पश्चिमी बंगाल में जूट की फसल की कटाई और रेशे निकालने का कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है किसानों को लाभकारी मूल्य अर्जित करने की बहुत आवश्यकता है। मंत्री जी ने यहां अपने वक्तव्य में कहा :

"भारत सरकार ने जूट वर्ष 2002-2003 के लिए टीडी-5

किस्म एक्स असम के प्रति क्विंटन 850 रु. के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है।" क्या मैं मंत्रालय को यह बता दूं कि बंगाल में एक जूट किसान को एक क्विंटल जूट का उत्पादन करने के लिए 1000 रु. से अधिक का भुगतान करना पड़ता है? यहां, आप 850 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित कर रहे हैं लेकिन सभी कृषि आदानों सहित एक किसान को एक क्विंटन जूट के उत्पदन के लिए 1000 रु. अधिक का भुगतान करना पड़ता है। अब, परिदृश्य में बिचौलिए भी आ जाते हैं, और बंगाल में टी.डी.-5, किस्म के लिए 790 रु. का जूट मूल्य है।

मेरे जिले मुर्शिदाबाद में मैं जूट उत्पादकों से भली-भांति परिचित हूं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जूट का सबसे बड़ा जूट-उत्पादक जिला है।

महोदय, इस वर्ष पश्चिमी बंगाल राज्य में पटसन उत्पादन 88 लाख गांठें होने का अनुमान है। मेरे जिले मुर्शिदाबाद में ही इस वर्ष पटसन उत्पादन 28 लाख क्विंटल होने का अनुमान है। भारतीय जूट निगम 75 डी पी सी खरीद रहा है और उन्होंने प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक अपनी खरीद को कोटा 25 क्विंटल निर्धारित किया है। पटसन के किसी उत्पादक को 15 क्विंटल से अधिक पटसन बेचने की अनुमति नहीं है। भारतीय जूट निगम द्वारा इस प्रकार का प्रतिबंध किसानों पर लगाया गया है। किंतु पटसन का कुल उत्पादन मेरे जिले मुर्शिदाबाद में अनुमानतः 28 लाख क्विंटल होने का है तो किसान भारतीय जूट निगम को कैसे अपना पटसन बेचेंगे यदि वे प्रतिदिन 250 क्विंटल पटसन खरीदते हैं? यह समस्या है।

महोदय, सरकार से मेरी पहली मांग यह है कि पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम 1200 रु. प्रति क्विंटल बढ़ाया जाना चाहिए और कितनी भी मात्रा में पटसन खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है भारतीय जूट निगम ने अब तक पश्चिम बंगाल में पटसन के 7735 गट्ठों की खरीद की थी। यदि आप खरीदी गई पटसन की मात्रा से उत्पादित पटसन की मात्रा की तुलना करें तो आप देखेंगे कि प्रापण बहुत थोड़ा सा है। और इन परिस्थितियों में किसान बहुत थोड़े पैसों में अपनी उपज बेचने पर मजबूर होंगे।

महोदय, पश्चिमी बंगाल राज्य में सम्पूर्ण पटसन उद्योग गडबड घोटाले में है। 59 पटसन मिलों में से 33 पटसन मिलें पहले ही बीआईएफआर के हवाले की गई हैं। राज्य में किसी भी पटसन मिल में कोई आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन अब तक नहीं किया गया है। धोखेबाज आपरेटर करोड़ों रुपये हड़प रहे हैं। पटसन मिल मालिक श्रमिकों को उनकी धनराशि से भी वंचित कर रहे हैं जो उनके भविष्य निधि खातों में जमा की गई है। वे धन को लूट रहे हैं।

महोदय, पश्चिमी बंगाल राज्य में धान उत्पादक किसानों को बहुत थोड़े पैसों में अपनी धान की उपज बेचने हेतु विवश किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार धान उत्पादकों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था करने में सफल नहीं हो पाई है। सरकार ने प्रति क्विंटल 530 रु. निर्धारित किए थे। पटसन उत्पादक किसानों पर दूसरा आक्रमण होने वाला है क्योंकि पटसन भी वांछित मूल्य पर नहीं बेचा जा रहा है।

महोदय, अतः मैं सरकार से सामान्य रूप से बंगाल के पटसन उत्पादक कृषकों और विशेषकर मुर्शिदाबाद के पटसन उत्पादक किसानों से संबंधित कार्य योजना विकसित करने का अनुरोध करता हूं। पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1200 रु. तथा बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, मैं इस मुद्दे पर श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा व्यक्त विचारों के साथ अपनी बात को जोड़ता हूं। किंतु उनके विचारों के साथ अपने को जोड़ते समय मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूं।

महोदय, भारतीय जूट निगम पटसन का सरकारी खरीदकर्ता अभिकरण है। एन.जे.एम.सी. भी सरकारी संगठन है। किंतु एन.जे.एम.सी. को भारतीय जूट निगम को 50 करोड़ रु. देने हैं। यदि एन.जे.एम.सी. अपनी सारी बकाया धनराशि भारतीय जूट निगम को दे देता है तो भारतीय जूट निगम को बाजार से और अधिक मात्रा में पटसन खरीदने के लिए सरकार से धनराशि नहीं मांगनी पड़ेगी। इस पर सरकार की सोच क्या है?

दूसरे, एन.जे.एम.सी. की मिलें मुख्य रूप से घटिया प्रबंधन के कारण रुग्ण हो गई हैं। क्या सरकार उनका पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रही है? क्या सरकार करोड़ों रुपये के घाटे में चल रही मिलों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों

[श्री स्वदेश चक्रवर्ती]

को दंड देने की सोच रही है? पटसन एक पर्यावरण के अनुकूल सामग्री है। पटसन का बाजार कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पटसन उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार है।

एन.जे.एम.सी. की मिलें इसलिए रुग्ण हो रही हैं क्योंकि उनमें तैनात अधिकारी अपने निजी फायदों के लिए सरकारी धन को हड़प रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप मिलें घाटों में चल रही हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई योजना है, क्या सरकार के पास ऐसा कोई सूत्र है कि वह अधिकारियों को काबू में करे और यह कहते हुए उनको विशेष जिम्मेदारियां सौंपे कि "आपको इस मिल का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। आपका कर्तव्य इस यूनिट का पुनरुद्धार करना और इसका उत्पादन बढ़ाना और इसे मुनाफे वाली यूनिट बनाना है।" एन.जे.एम.सी. की अक्षमता एक प्रमुख कारण है जिससे देश में पटसन उत्पादक पीड़ित हैं। यदि एन.जे.एम.सी. की मिलों का पुनरुद्धार किया जा सके तो और अधिक पटसन का उपयोग सरकारी मिलों द्वारा ही किया जाएगा।

विश्व में सबसे बड़ी पटसन मिल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है अर्थात एन.जे.एम.सी. की राष्ट्रीय इकाई। मिल के साथ अपने लम्बे अनुभव से मैंने यह देखा कि इन इकाइयों का निगमित प्रबंधन प्रमुख रूप से मिलों की वर्तमान रुग्णता के लिए उत्तरदायी है। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम बनाया है? भारतीय जूट निगम के लिए एक प्रबंधन, एन. जे.एम.सी. के लिए एक प्रबंधन, निगमित क्षेत्र, संयंत्र क्षेत्र और मध्य प्रबंधन क्षेत्र आदि के लिए एक प्रबंधन रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन अनेक स्तरों को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। गैर सरकारी प्रबंधन द्वारा चलाई गई मिलों में ऐसी ही मिल चलाने के लिए एक ही महाप्रबंधक होता है। एक महाप्रबंधक के स्थान पर इस समय 18 अधिकारी हैं जो सब सरकारी सुविधाओं, बंगलों, कारों, टेलीफोन का उपयोग अपने लिए अपनी पत्नियों आदि के लिए कर रहे हैं।

मिलों की क्या स्थिति है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एन. जे.एम.सी. मिलों, जो सक्रिय मिलें हैं, के कामगारों को उनका अंतिम वेतन 13 अप्रैल को मिला था। 13 अप्रैल अंतिम तारीख थी जिस पर कामगारों को उनके वेतन का भुगतान किया गया था। तब से किसी को अपनी बकाया धनराशि नहीं मिली है। वे सरकार और प्रबंधन की दया पर हैं। मैं चाहता हूं कि एन.जे.एम.सी. मिलों का पुनरुद्धार किया जाए। पटसन के लिए पर्याप्त बाजार है। पटसन एक पर्यावरणानुकूल है। सरकार को हमारे देश में पटसन को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सशक्त सूत्र के साथ आगे आना चाहिए ताकि पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक सामग्री बाजार में न छा जाए।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं सरकार की रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार करने और नियमित रूप से वेतन का भुगतान करने के लिए सरकार की अगली योजना क्या है? और क्या कहूं जो कामगार सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन्हें उनका कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि की बकाया धनराशि नहीं मिल रही है। सरकार कामगारों की भविष्य निधि की धनराशि भी हड़प रही है। हमारा कहना है कि निजी मिल मालिक कर्मचारियों और कामगारों की धनराशि हड़प रहे हैं। किंतु यह एन.जे.एम.सी. में ही ऐसा निश्चित मामला है कि लगभग 25 करोड़ रुपये की भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्त कामगारों को नहीं किया गया है।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, इस सरकार द्वारा कामगारों को सेवानिवृत्ति की देय धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

महोदय, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि एन. जे.एम.सी. की सभी मिलों का कुशल प्रबंधन के साथ उनका पूर्ण रूप से पुनरुद्धार किया जाए। कामगारों को उनका वेतन और अन्य भत्ते नियमित रूप से मिलने चाहिए। इसके अतिरिक्त, भविष्य निधि की राशि जो अब सौ करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, उसका भुगतान उन्हें तत्काल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : सभापति महोदय, हम भी बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* हमें दो मिनट का समय दे दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : इंटरनेशनल लेबर/आर्गेनाइजेशन (आईएलओ) द्वारा यह कहा गया कि सौ किलो का कोई भी बोरा न बनाया जाए। लेकिन अभी भी सौ किलो के जूट के बोरे बन रहे हैं। पहले लोग घी खाते थे, दूध पीते थे, आप उस परिवार से हैं, आप जानते हैं कि लोग तगड़े होते थे, सौ किलो नहीं दो सौ किलो का बोरा उठा लेते थे।...*(व्यवधान)* मैं मंत्री से बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* सौ किलो का बोरा क्यों बन रहा है? मेरा यह प्रश्न है। जूट के जो बोरे चीनी और खाद्यान्न में इस्तेमाल किए जाते हैं, जूट के बोरे में जूट बैचिंग तेल इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है।

इसलिए मंत्री जी जनहित में इस पर ध्यान दें। आप किसानों के लिए दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि प्रतापगढ़ में भी अनुसंधान केंद्र है। केवल वैस्ट बंगाल के जूट उत्पादकों को फायदा दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तमाम उत्पादन हो रहा है, वे बेचारे रस्सी बनाते हैं, चारपाई में वह इस्तेमाल होता है, जूट बोरा महंगा है और खाद्यान्न एवं चीनी खाने वालों के लिए हानिकारक है, बहुत से लोग उससे मरने की स्थिति में हो जाते हैं। जब इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन ने पास कर दिया कि सौ किलो का बोरा नहीं रहेगा तो पचास किलो का सारा जूट का बोरा क्यों नहीं बनाया जा रहा है?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, माननीय मंत्रीजी के उत्तर देने से पूर्व मेरा केवल एक प्रश्न है।

भारतीय जूट निगम का क्रय शक्ति के संबंध में इसके नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार की वर्तमान में क्या नीति है? राष्ट्रीय जूट मिलों में सबसे बड़ी एन.जे. एम.सी. की बकाया मजदूरी की मंजूरी और भविष्य की व्यवहार्यता दोनों के संबंध में सरकार का अंतिम दृष्टिकोण क्या है?

श्री काशीराम राणा : श्री हन्नान मोल्लाह और अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं पहले ही इस सम्माननीय सभा को विश्वास दिला चुका हूं कि सरकार हमारे जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगी। न सिर्फ इतना वरन सरकार जूट उद्योग की भी रक्षा करेगी।

माननीय सदस्यों द्वारा कई मुद्दे उठाए गए हैं। पहले मैं सम्माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जहां तक कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है सरकार को अभी तक पश्चिम बंगाल की किसी संस्था या किसी अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र से शिकायत नहीं मिली है।

इसके अलावा, मेरे मंत्रालय ने पश्चिमी बंगाल और अन्य संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखे हैं। हमने अपने पक्ष में लिखा है कि यदि कहीं भी शिकायत हो तो तुरंत भारत सरकार या जूट निगम के निगरानी प्रकोष्ठ को सूचित किया जाए। अभी तक पश्चिम बंगाल से एक भी शिकायत नहीं आई है।

जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे श्री अधीर चौधरी द्वारा उठाया गया है, का संबंध है, मैं भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरे पास बाजार मूल्य की नवीनतम सूची है। जहां तक टी.डी.–5 किस्म का संबंध है। उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 850 रु. है और बाजार मूल्य 860 रु. है।

श्री अधीर चौधरी : नहीं, यह 790 रु. है।

श्री काशीराम राणा : आप सही नहीं हैं। आपने बताया कि बाजार का प्रचलित मूल्य 790 रु. है। जहां तक टी. डी.–5 किस्म के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है वह आसाम और मेघालय में 850 रु. है और बाजार का प्रचलित मूल्य 860 रु....*(व्यवधान)* थोड़ा धैर्य रखें। उत्तरी बंगाल श्रेणी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 875–888 रु. है और बाजार का विद्यमान मूल्य 920–960 रु. है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : यह एकदम गलत है।

श्री काशीराम राणा : यह सही है। आपके पास जो जानकारी है वह गलत है...*(व्यवधान)* मेरे पास बाजार की कीमतों की सूची है।

श्री अधीर चौधरी : मैं इस विषय में आपसे सहमत नहीं हूं। आप कृपया अपने अधिकारियों को सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पुनः भेजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री अधीर रंजन चौधरी, कृपा कर माननीय मंत्री का उत्तर पहले सुन लें, ज्यादा अधीर न हों।

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : जहां तक पश्चिम बंगाल की श्रेणी का संबंध है न्यूनतम समर्थन मूल्य 900–913 रु. है और प्रचलित मूल्य 910–920 रु. है। यही कीमत है जिन पर यह उपलब्ध है।

श्री अधीर चौधरी : यह अतिशयोक्ति के सिवा कुछ नहीं है। कृपया हमारी बात सुनिए।

श्री काशीराम राणा : मेरे मित्र की भी यह मांग है कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 1200 रु. प्रति क्विंटल तक बढ़ा देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सी.ए.सी.पी. की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 40 रु. बढ़ाए हैं जो कि 810 रु. से 850 प्रति क्विंटल है। सरकार स्थिति की समीक्षा करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की कोशिश करती है।

श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा बांग्लादेश से जूट के आयात का है। सरकार बांग्लादेश से जूट के आयात को रोकने के लिए कुछ कठिन कदम उठा रही है। मेरे मित्र यह जानकर प्रसन्न होंगे कि बांग्लादेश से जूट के बैगों के होने वाले आयात की मात्रा बहुत कम है और यह अप्रैल–मई 2002 के दौरान 1084 मीट्रिक टन है। यह स्थिति है। हमें इसकी जानकारी है और हम बांग्ला देश से कच्चा जूट आयात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास कच्चे जूट की पर्याप्त मात्रा है। अतः हम बांग्लादेश से आयात रोकने के पक्ष में हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : परंतु आप जूट उत्पादों का आयात कर रहे हैं। आपने 50,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का आयात किया है जो कि जूट बाजार में समस्या उत्पन्न कर रहा है।

श्री काशीराम राणा : जो कुछ भी हो, हम बांग्लादेश से आयात रोकने का प्रयास करेंगे।

सरकार लगभग 171 क्रय केंद्रों से कच्चा जूट खरीद रही है। इसके अलावा 72 सहकारी केंद्र हैं जो कि पं. बंगाल या अन्य राज्यों के हैं। सरकार उनसे भी कच्चा जूट खरीद रही है। जब भी आवश्यकता होगी हम अस्थाई केंद्र खोल देंगे। हम जूट उत्पादकों से जूट खरीदने के लिए नए केंद्र खोलने की हमेशा कोशिश करते हैं और इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती द्वारा अन्य मुद्दा उठाया गया था।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमारे प्रश्न का भी जवाब दे दें।

श्री काशीराम राणा : आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। आपका सवाल 100 के.जी. बैग का है। चक्रवर्ती जी ने एन.जे.एम.सी. के बारे में कहा है कि ठीक ढंग से मैनेजमेंट नहीं है। अभी एन.जे.एम.सी. का पूरा मामला बी.आई.एफ.आर. के पास है। जब यह मामला अंतिम निर्णय होकर आएगा, तब हम उस पर कार्यवाही करेंगे। जहां तक 100 के.जी. जूट बैग का प्रश्न है, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे और जो शिकायत है, उसको देखेंगे। सरकार चाहती है कि इस बारे में कोई कदम उठाया जाए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : आपको बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने वैस्ट बंगाल के पटसन के किसानों को अनुदान दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को भी अनुदान देंगे या नहीं, क्योंकि मेरे क्षेत्र प्रतापगढ़ में भी पटसन पैदा होती है?

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा : सरकार ने जूट उद्योग को बचाने और जूट उत्पादों के निर्यात के लिए कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं। इस संबंध में सरकार ने कुछ योजनाओं की घोषणा की है। उनके बारे में मैं यहां सभा में बताना चाहता हूं।

सरकार की सहमति से जे.एम.डी.सी. ने जूट उद्योग के लिए एक आधुनिकीकरण योजना की घोषणा की है जिसमें जूट मिलों के आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास के लिए मशीनों में निवेश हेतु 15 फीसदी राजसहायता का प्रस्ताव है।

हमारा जूट उद्योग पुरानी मशीनों और पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण पीड़ित है। इसलिए सरकार ने जूट उद्योग और जूट मिलों को आधुनिक करने के लिए कदम उठाए हैं।

दूसरे, सरकार ने पहली बार जूट उत्पादों के निर्यात के लिए डी.ई.पी.बी. दरों की घोषणा की है।

धागे और ज्यो टेक्सटाइल्स 2 प्रतिशत हेसन कपड़े सेकिंग कपड़े तथा सेकिंग और हेसन बैग–6 प्रतिशत।

विविध प्रकार के जूट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जूट उद्यम उत्पादक सहायता योजना का ध्येय छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रमों को ब्याजरहित ऋण योजना से प्रत्यक्ष राज सहायता योजना में बदलने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार से जूट उत्पादों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाती है न सिर्फ वह अपितु भारतीय जूट निगम को बजट में 35 करोड़ रु. की सहायता भी दी है।

महोदय, जो माननीय सदस्य जूट उद्योग में रुचि रखते हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे बंगाल सरकार द्वारा लिए जाने वाले 1 फीसदी कृषि शुल्क और 2 फीसदी क्रय शुल्क को हटाने के लिए उस पर प्रभाव डाले। न सिर्फ यह बल्कि वहां जूट उत्पादों पर लगभग 4 फीसदी बिक्री कर भी है। वह भी हटाया जाना चाहिए। महोदय, हमारा उद्देश्य जूट उद्योग और जूट उत्पादों की रक्षा करना है।

श्री अधीर चौधरी : एक अकेला उत्पादक अपना उत्पाद नहीं बेच सकता है। 15 क्विंटल से ज्यादा सफेद जूट और 12 क्विंटल मेस्टा जूट। आप प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं?

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं इस विषय को देखूंगा। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाता हूं कि सरकार हमारे जूट उद्योग जूट उत्पादकों और विशेष तौर पर गरीब जूट उत्पादकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माडर्नाइजेशन की बात बता दी है कि मॉडर्नाइजेशन की स्कीम है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मंत्री जी, आप एन.जे.एम.सी. के मॉडर्नाइजेशन की बात तो करें।

श्री काशीराम राणा : जहां तक एन.जे.एम.सी. का सवाल है यह बी.आई.एफ.आर. के पास है और बी.आई.एफ.आर. जो भी हमें कहेगा, उसी के अनुसार होगा।

अपराह्न 3.16 बजे

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 12 पर विचार करेगी। श्री रतन लाल कटारिया जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : सभापति महोदय, हमने द्वितीय जनरेशन के रिफॉर्म्स को अपनाया है और 1990 के बाद भारत में सुधारों का युग लागू है। हम चाहते हैं कि देश की 21 करोड़ जनता जो इस को–आपरेटिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, आज के 'गैट' के द्वारा हमारे सामने चैलेंजस खड़े किए गए हैं। डब्ल्यूटीओ के माध्यम से चैलेंजेज खड़े किए गए हैं, उनका मुकाबला करने के लिए और अपने इन 21 करोड़ लोगों को जो कि 5,04000 को–आपरेटिव सोसायटीज के माध्यम से विभिन्न कार्यों में जुटे हैं, यह अमेंडमेंट आई है। इसके माध्यम से जो नेशनल को–आपरेटिव डेवलपमेंट कोरपोरेशन अमेंडमेंट का बिल आया है, हमारी मान्यता है कि इस बिल के माध्यम से हमारे को–आपरेटिव सैक्टर को बहुत ताकत मिलेगी। आज जहां पर हम इन बातों का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कई को–आपरेटिव्स के इंस्टीट्यूशंस हैं। वे कोई आज नए नहीं हैं। 1904 में हमारे देश में पहला को–आपरेटिव एक्ट बना। उसके बाद 1912 में बना। उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और 1935 का एक्ट बना और इस विषय को प्रोविंशियल लिस्ट में रखकर धारा 32 में रखा गया और उसके बाद मल्टी यूनिट सोसायटीज कोपरेटिव एक्ट 1942 के अंतर्गत आया और एक से बढकर एक अमेंडमेंट आती रहीं। यही कारण है कि 1950 और 1951 में को–आपरेटिव्स की जो मैंबरशिप थी, वह एक करोड़ 55 लाख से बढ़कर आज 21 करोड़ तक पहुंच गई है और इसी तरह से शुरू में देश के अंदर, 1,81,000 को–आपरेटिव सोसायटीज थी, वह आज

[श्री रतन लाल कटारिया]

बढ़कर 5,04000 से ऊपर चली गई है। आज कौन सा सैक्टर है जिसके अंतर्गत को–आपरेटिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देश में कन्ज्यूमर सोसायटीज 27,126 हैं। मार्केटिंग सोसायटीज प्राइमरी 8,794 हैं, सैंट्रल सोसायटीज 453 और स्टेट लेवल पर 29 हैं। शुगर को–आपरेटिव्स सोसायटीज 263 हैं, स्पिनिंग सोसायटीज 137, ट्रांसपोर्ट को–आपरेटिव्ज सोसायटीज 6,198 हैं, डेयरी को–आपरेटिव्ज सोसायटीज 87,755 हैं। यहां तक कि महिलाओं ने भी इस सैक्टर में काफी प्रगति की है और विमैन को–ओपरेटिव सोसायटीज 8,006 हैं। हाउसिंग सोसायटीज स्टेट लेवल पर 25 हैं और प्राइमरी 90,000 हैं। फार्मिंग के क्षेत्र में को–आपरेटिव्ज सोसायटीज की संख्या 7,199 है। इरिगेशन के क्षेत्र में 7,322 सोसायटीज हैं। इंडस्ट्रियल वीवर्स सोसायटीज 19,980 हैं। फीशयरीज के क्षेत्र में 13,055 हैं। पोल्ट्री के क्षेत्र में 13,055 हैं। लेबर के क्षेत्र में 28,958 हैं और फारेस्ट लेबर के क्षेत्र में 3,394 हैं। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, को–आपरेटिव सिस्टम एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर क्रांतिकारी काम हो रहे हैं, वहीं पर इसमें जो खामियां आई हैं, उन खामियों को दूर करने की ओर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से रजिस्ट्रार ऑफ को–आपरेटिव सोसायटीज को शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि किसी सोसायटी को पंगु कर दे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी व्यक्ति को रख दे और को–आपरेटिव आंदोलन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इस सिस्टम को पंगु बनाने में लगे थे, आज इस अमेंडमेंट के आने से, इन अमेंडमेंट के माध्यम से हमें आशा है कि को–आपरेटिव सिस्टम अपोलिटिकलाइज बन जाएगा, राजनीतिक दखल इसके अंदर खत्म हो जाएगा। आज इंटरनेशनल को–आपरेटिव एलायंस, जिसके अंदर विभिन्न देशों के लोगों ने हिस्सा लिया, जो 1995 के अंदर मैनजेस्टर डिक्लेरेशन किया गया, इसमें बातों को एडाप्ट करने की बातें कही गई हैं। भारत के अंदर उस डिक्लेरेशन को जारी करने की आवश्यकता है। इसके वीजन और इसक मिशन और इसकी डैफिनिशन में कहा गया है—

[अनुवाद]

"एक सहकारी समिति व्यक्तियों का एक ऐसा स्वायत्तशासी रूप होता है जो संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और जनतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से लोगों की सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से उनसे जुड़ा रहता है।"

[हिन्दी]

इसको जागृत करने की आवश्यकता है। इसीलिए को–आपरेटिव वैल्यूज में कहा गया है—

[अनुवाद]

"सहकारी समितियां स्वसहायता, स्वउत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, और न्यायनीति और सामाजिकता के मूल्यों पर आधारित होती हैं। अपने संस्थापकों की परम्परा के अनुसार सहकारी समितियों के सदस्य सामाजिकता, ईमानदारी, निर्व्याजता, जिम्मेदारी के नीतिपरक मूल्यों में विश्वास करते हैं।"

[हिन्दी]

इस अमेंडमेंट के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। को–आपरेटिव सिस्टम के माध्यम से इस देश के अंदर 14 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एग्रीकल्चर स्टेंडिंग कमेटी की एक रिकमेंडेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। उस अमेंडमेंट में जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं और बाबासाहिब भीमराव अम्बेडकर जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो ध्येय रखा था, जिन लोगों के पैरों में बिवाइयां पड़ी हुई हैं, जब तक उन लोगों के दुखदर्द को सुना नहीं जाएगा, तब तक हम इस सिस्टम का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे।

सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि को–आपरेटिव सिस्टम के अंदर मैरिट के आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए। आज हम क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन की बात नहीं करते, लेकिन जिनका अधिकार बनता है उनको इसका फायदा दिया जाए। सभापति जी, आप अनुसूचित जाति और बैकवर्ड लोगों की आवाज यहां उठाते रहे हैं इसलिए मुझे कुछ और समय बोलने के लिए दिया जाए। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ था लेकिन पार्टी का आदेश है, उसका भी पालन करना पड़ता है। इसलिए माननीय मंत्री

जी का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूं कि इसे तुरंत पास किया जाए। धन्यवाद।

अपराह्न 3.27 बजे

(डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में पारित किया गया था और इसमें 1973 और 1974 में संशोधन किया गया था। वर्तमान संशोधन विधेयक का 1995 में प्रस्ताव किया गया था। सहकारी आंदोलन की हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक राज्य में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के संबंध में सहकारिता संबंधी कानून है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही उन राज्य सहकारी समितियों की सहायता करना है जो वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। इस संशोधन का प्रस्ताव सहकारी क्षेत्र की प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए किया गया है जिसमें सरकार भी गारंटी के बिना सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सीधे ऋण प्रदान किए जाने की बात कही गई है।

महोदय, मैं केवल पांच मिनट चाहता हूं।

सभापति महोदय कोई समय नहीं है।

श्री ए. ब्रह्मनैया : महोदय, मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

सभापति महोदय : नहो।

श्री ए. ब्रह्मनैया : महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके अतिरिक्त एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम में पशुधन, मत्स्य पालन, औद्योगिक वस्तुओं, कृषि–वानिकी, रेशम उत्पादन और सहायक कार्यकलापों का भी प्रावधान है।

अधिनियम के एक अन्य प्रावधान के अनुसार अब निगम पुनर्पूंजीकरण के लिए रुग्ण सहकारी मिलों को सहायता देता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रुग्ण मिलों के पुनर्पूंजीकरण के एक नए घटक को शामिल किया गया था। इसमें तुरंत ऋण, विनिवेश ऋण, ऋण के पुनः निर्धारण, ब्याज की दर में कमी, दंडस्वरूप ब्याज और अन्य दंडों, अतिरिक्त सीमांत राशि और कार्यशील पूंजी की भी व्यवस्था है।

विश्व व्यापार संगठन के करार को देखते हुए हमारे देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में अनेक कताई मिलें वैश्वीकरण से होने वाली प्रतिस्पर्द्धा के कारण बंद हो गई हैं। यह सच है कि कृषि सहकारी बैंकों, सहकारी विपणन समितियों, सहकारी भांडागारों और अनेक अन्य सहकारी संगठनों ने कृषि क्षेत्र की बहुत अधिक सहायता की है।

इस विधेयक के संशोधन का उद्देश्य भारत में और देश के बाहर किसी एजेंसी से अनुदान, दान प्राप्त करने और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा, गारंटी के संबंध में उपयुक्त मामलों में शर्तों में छूट देने के लिए निगम को शक्ति प्रदान करना है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री ब्रह्मनैया, कृपया मेरी बात सुनिए। अब दिन के साढ़े तीन बजे हैं। हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना है।

(व्यवधान)

श्री ए. ब्रह्मनैया : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं, आपको समय दे रहा हूं। किंतु कृपया मेरी बात तो सुनिए। मुझे सदन की भावना को भी ध्यान में रखना है। बात यही है जो आप अब बोल रहे हैं। जब आपका भाषण पूरा हो जाएगा। फिर डा. रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे। उसके पश्चात माननीय मंत्री उत्तर देंगे। हम विधेयक पारित करने के बाद गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। मैं समझता हूं कि सदन इस पर सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : श्री ब्रह्मनैया, आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री ए. ब्रह्मनैया : अंत में, मैं दो या तीन ही सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान सहकारी समितियों को सही

[श्री ए. ब्रह्मनैया]

मार्ग पर लाया जाना चाहिए। अर्थात उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण और अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप भी सहकारी क्षेत्र में कम किया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह कि सहकारी समितियों के लिए सरकारी सहायता में वृद्धि की जानी चाहिए।

अंत में, केंद्रीय सरकार को राज्य में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर कार्य करने के लिए सहकारी संस्थाओं को अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन इसी दिशा में कार्यान्वित किया जाएगा और सहकारी क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक चिर लंबित और प्रतीक्षित था। इसमें दो–तीन छोटी–छोटी बातों का उल्लेख किया गया है। एक तो यह है कि पहले राज्य सरकार की गारंटी पाकर ऋण देने का प्रावधान था, अब इस संशोधन विधेयक के बाद वह गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब राज्य सरकार बीच में से हट गई तो उन कमजोर सहकारी निगमों का क्या होगा? श्री रतन लाल कटारिया जी ने कहा कि उन कमजोर को–आपरेटिव्स की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। जो विकसित और मजबूत को–आपरेटिव्स होंगी, उन्हें ही ऋण मिल सकेगा। सरकार इस बात का आश्वासन दे कि जो कमजोर को–आपरेटिव्स हैं, उन्हें कैसे डील करेगी। यदि इस तरह की कड़ी शर्त राज्य सरकार के सामने रख देंगे तो जो ताकतवर को–आपरेटिव्स हैं, उन्हीं को ही लाभ मिल सकेगा। जो कमजोर को–आपरेटिव्स के लाखों सदस्य हैं, उनके लिए क्या प्रावधान होगा और उससे कैसे ऋण प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेंगी? नेशनल को–आपरेटिव के बारे में हमने सुना कि उसे सरकार ने स्वीकृति दे दी है। वह पालिसी कहां है। उस पालिसी को लाया जाए और सदन को दिखाया जाए कि इन्होंने क्या पालिसी बनाई है, जिसमें को–आपरेटिव डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करें, आत्मनिर्भर हो और सरकार उनकी सहायता करें तथा जिससे सहकारिता आंदोलन मजबूत हो। जिससे दबे हुए, पिछड़े हुए, दलित और सभी तरह के लोगों को उसमें शामिल किया जाए और उन्हें सहूलियत दी जाएं। डब्ल्यूटीओ के बाद खास तौर से को–आपरेटिव आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। जिससे डब्ल्यूटीओ का जो कुप्रभाव इस पर पड़ने वाला है, उसका मुकाबला कर सकें।

आप राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 13.25 प्रतिशत सूद लेते हैं और बैंक से 10.5 प्रतिशत लेते हैं तो इतना महंगा कौन लेगा। इसलिए आप सूद की दर को घटाने का काम करें। नहीं तो आरआईजीएफ से लोग क्यों नहीं लेंगे। एनसीडीसी से क्यों लेंगे। इसलिए सूद का जो हाई रेट 13.25 है, इसे आप कितना घटा देंगे, जो आम को–आपरेटिव वाले, वीकर को–आपरेटिव्स भी इससे लाभ उठा सकें।

अगला प्वाइंट यह है कि जब सरकार से गारंटी होती थी तो राज्य सरकारें उन्हें शेयर कैपिटल देती थीं। अब राज्य सरकारें गारंटी नहीं देंगी, सरकार ने कानून बना दिया है कि राज्य सरकारें गारंटी नहीं देंगी, राज्य सरकारें बीच में से हट गई हैं। पहले जो को–आपरेटिव्स को शेयर कैपिटल की मदद मिलती थी, इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या प्रावधान किया है कि उन्हें शेयर कैपिटल मिल सके।

इंटीग्रेटिड को–आपरेटिव डेवलपमैंट प्रोग्राम में बिहार के तीन जिलों भोजपुर, छपरा और सीवान का इनके पास लंबित है। आईसीडीपी यानी समग्र सहकारिता विकास कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें तीन जिलों का आया हुआ है, पांच जिलों का प्रावधान किया गया है। उसकी मांग है। अब आठ जिलों का कैसे होगा, उनका विस्तार से काम हो।

अंतिम प्वाइंट यह है कि एनसीडीसी के द्वारा रूरल ग्रोथ सेंटर इन बिहार के लिए क्या प्रावधान करें। इन चार बातों का माननीय मंत्री जी उत्तर दें। प्रथम सूद घटाने वाला, बीच में से राज्य सरकार हट गई, शेयर कैपिटल को–आपरेटिव को मिले और वीकर को–आपरेटिव्स के लिए प्रावधान हो। अन्यथा विकसित राज्य और विकसित को–आपरेटिव्स ही इससे ऋण का लाभ उठा पाएंगे। बाकी को–आपरेटिव्स को नहीं मिलेगा। इसलिए वीकर को–आपरेटिव्स इससे लाभ उठा सकें। आपके पास तीन जिलों का आया हुआ, आठ जिलों का करना

है। इन सब प्वाइंट्स पर सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है, कृपया मंत्री जी सदन में बताएं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : सभापति महोदय, मैं रघुवंश बाबू को धन्यवाद देता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि आपके जो सुझाव होंगे, उन्हें हम मान भी लेंगे और विचार भी करेंगे। जहां तक सूद का प्रश्न है, एनसीडीसी की तरफ से सवा 12 प्रतिशत से लेकर 13 प्रतिशत तक सूद हम ले रहे हैं। अभी आपने जो 13 प्रतिशत कहा था, उसे हमने सवा 12 प्रतिशत कर दिया। इस तरह आपके कहने के साथ ही हमने उसे मान लिया। हम जो बैंक से लेते हैं, उसमें केवल एनसीडीसी से सवा प्रतिशत से डेढ़ प्रतिशत हम अपना सर्विस चार्ज लेते हैं। हम जब यहां से पैसा देते हैं तो स्टेट को-आपरेटिव फैडरेशन, डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक सहकारी पैक्स तक जाता है, बाकी जो राज्य सरकारों के सहकारी बैंक और संस्थाएं हैं, वे अपना सर्विस चार्ज लेती हैं और उनका जो जुड़ता है, अगर राज्य सरकारों से सहयोग करके आप उससे कम कराने की कृपा कर दें तो पैक्स तक यह बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है।

आपने आईसीडीपी का प्रश्न उठाया। उस पर मेरा कहना है कि पूरे देश में एनसीडीसी की तरफ से आईसीडीपी के कार्यक्रम हम सब राज्यों में ले रहे हैं। हर राज्य में आईसीडीपी की तरफ से जो पैक्स तक हम जाते हैं जहां-जहां उनके सिस्टम हैं, उसके अनुसार हम उनको पैसे देते हैं। बिहार में लगभग सवा तीन लाख के आसपास पैक्स को पैसा देते हैं गोदाम बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, बैंक काउंटर बनाने के लिए और उसकी तरफ से जो राज्य सरकार में वहां के डी.एम. होते हैं वही हमारे आईसीडीपी के अध्यक्ष भी होते हैं। सभी अधिकारी राज्य सरकार के सहकारी विभाग के होते हैं। हम यहां से पैसा भेजते हैं, वह राज्य सरकार के अधिकारी अमल में लाते हैं। माननीय रघुवंश जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जरा बिहार सरकार के साथ मिलकर करें कि अभी तक बिहार में आईसीडीपी के हमने जितने कार्यक्रम दिए हैं उसमें सीतामढ़ी भी है, मधुबनी तथा दूसरे जिले भी हैं जिनका हमें स्मरण नहीं है लेकिन उनको हमने स्वीकृति दी है। उन जिलों में पांच वर्ष के अंदर हमें करीब-करीब आईसीडीपी के कार्यक्रम पूरा करना है जिसमें से तीन साल गुजर गए लेकिन हम अभी तक 50 प्रतिशत के टार्गेट तक भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि कहीं जमीन नहीं मिलती है, कहीं व्यापार मंडल की जमीन जो मिलनी चाहिए, वहां जो 255 मीट्रिक टन का गोदाम बनाना है और प्रखंड मुख्यालय में जमीन उपलब्ध होनी चाहिए उस जमीन की उपलब्धता नहीं है जिसके कारण भी हमें कठिनाई हो रही है। आईसीडीपी की तरफ से हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे तौर पर इस देश के अंदर पैक्स को इतना मजबूत कर दें कि वही प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ही किसान के लिए है जहां से उनको अच्छी खाद सस्ती दर पर मिले और ऐग्री बिजनैस और ऐग्री सेंटर जो हम बनाएंगे किसान की मिट्टी की जांच के लिए, खाद की जांच के लिए, पानी जांच के लिए जिस पर हम भारत सरकार द्वारा विस्तार से कार्यक्रम चला रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए, उसको भी हम चाहते हैं कि वह को-आपरेटिव सैक्टर में आए और वहां भी अधिक से अधिक फैलाव हो जिससे किसानों को लाभ मिले।

माननीय कटारिया जी ने प्रश्न उठाया था कि अनुसूचित जाति सहकारी समिति ने एनसीडीसी द्वारा अब तक 13 करोड़ 16 लाख 67 हजार रुपये 2000-2001 तक उनकी समिति में जो काम करने वाले हैं, उनको दिए हैं। अनुसूचित जाति में जो हमने उनको दिए हैं, वह 68 करोड़ 84 लाख रुपये उनके क्षेत्र में हमने दिया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में सहकारी समितियां हैं या महिलाएं जिन सहकारी समितियों को चलाती हैं या जहां श्रमिक सहकारी समितियों को चलाते हैं, यह पहली बार सहकारिता के आंदोलन में, पहली बार एनसीडीसी के इतिहास में है कि इस बार हमने 21 जून को देश भर से चुने हुए 26 सहकारी समितियां जो नीचे स्तर के क्षेत्र में हैं, उनको बुलाकर यहां पर 50,000 रुपये का पुरस्कार देकर उनको हमने सम्मानित किया। इससे आशा बंधी है कि देश में जो को-आपरेटिव सोसाइटीज निचले स्तर पर हैं, कमजोर वर्ग में हैं, जहां किसान काम करने वाले हैं, महिलाएं या श्रमिक काम करने वाले हैं, उनकी समितियों को हम अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाएं। अब तक एनसीडीसी की तरफ से लगभग 6582 करोड़ रुपये हमने ऋण दिया है विभिन्न सैक्टर में काम चलाने के लिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। आपने जो बताया कि कमजोर है राज्य सरकार, पहले राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जमानतदार होने पर हम सहकारी समिति को ऋण देते थे। उसमें कई तरह के व्यवधान आते थे। पैसे यहां से रिलीज करते थे, राज्य सरकार उस पैसे को दूसरे कामों में खर्च कर देती थी। आगे पैसा नहीं जाता था, इसलिए हम उनको

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

रिलीज नहीं कर पाते थे। इसलिए हमारे बहुत पैसे रुक जाते थे। हमने सीधा किया है कि जो गांवों में पैक्स है और अगर वह सक्षम है, उनके तो कागज हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी, टर्नओवर देखेंगे, कार्यशीलता और कार्यक्षमता को देखेंगे, व्यापार संतुलन को देखेंगे, उसके आधार पर हम असैसमेंट करेंगे कि नीचे की समिति भी अपने आप में काम करने वाली है तो उसको हम सीधे ऋण देकर उनके काम को आगे बढ़ाने की मदद करेंगे और इससे कमजोर वर्ग की सोसाइटीज को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा।

जो अभी मल्टी स्टेट को–आपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं जिनमें कटारिया जी ने सवाल उठाया था उसमें हमने बहुत ज्यादा प्रावधान किए हैं कि जो रजिस्ट्रार है, उसकी ताकत कम की जाए। तीन महीने, चार महीने हमने ऐसा समय दिया है कि इतने दिन में निबंधन करना है, नहीं तो स्वतः निबंधन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अधिकारी का नियंत्रण कम हो और को–आपरेटिव सोसाइटीज का लोकतांत्रीकरण हो, जनता के हाथ में जाए, वही उसकी संचालक बने। उसमें राजनीति और प्रशासन का जितना कम से कम हस्तक्षेप हो और जनता जितना उसमें आगे आए, तभी हम आगे बढ़ेंगे।

अंतिम प्रार्थना मैं करूंगा कि अभी टास्क फोर्स बनी हुई है। उसमें कई राज्यों के को–आपरेटिव के मंत्री और अधिकारी हैं। उस पर हमने कई चर्चाएं की हैं लेकिन सहकारी समिति को एक पैटर्न पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा बनाना चाहते हैं जिससे हमें काम करने में सुविधा हो।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सहकारी समितियों में समन्वय स्थापित हो। इसके लिए हमने बैठक की, लेकिन रघुवंश बाबू आप भी जानते हैं कि जब तक राज्य सरकारें सहमत नहीं होंगी और वे सहमत नहीं होंगे, तो अकेले हम उन पर लाद नहीं सकते हैं और इसमें हमें बहुत कठिन प्रयास करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सारे राज्यों में एक जैसी को–आपरेटिव सोसाइटीयां बनें, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी राज्य में को–आपरेटिव सोसायटियों का एक रूप है, तो दूसरे राज्य में दूसरा और एक जैसे मापदंड और एक्ट नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि पुराने एक्ट में संशोधन किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि अधिक से अधिक अधिकार सहकारी समितियों को दिए जाएं और कम से कम सरकार को हस्तक्षेप किया जाए और कैसे सारे देश के सभी राज्यों में सहकारी समितियों का एक सा एक्ट बने, पालिटिकल और प्रशासनिक हस्तक्षेप कम हो, यह प्रयास हम कर रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण ही सहकारी समितियों का दम घुटता है। उनमें राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद करने के लिए और समितियों को सक्रिय बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। इसमें जब तक हमें राज्य सरकारों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे।

सभापति महोदय, यही हमारी मोटी–मोटी बात है। यह पड़ी हुई थी। इससे एक नया आंदोलन आने वाला है। नीचे के स्तर की, कमजोर वर्गों की जो सहकारी समितियां हैं, वे राज्य और केंद्र सरकारों पर आश्रित न रहें, यह मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हम सहकारी आंदोलन में लगे हुए हैं और मैं लोगों का आह्वान करता हूं कि आप निर्भय होकर आइए। हम आपकी अहर्निश सेवा में तत्पर हैं। अगर आपकी कार्यक्षमता है, दक्षता है, क्षमता है, संतुलन सही है, व्यापार का प्रबंधन ठीक है, तो आप हमारे पास आइए। यदि आपको कहीं पैसा नहीं मिलता है तो आप एनसीडीसी के पास आइए, हम आपको फूड प्रौसेसिंग के काम के लिए, जो भी काम आप करना चाहें, घरेलू उद्योग चलाना चाहें, कुटीर उद्योग, हस्तकला, हथकरघा, दूध उद्योग, मछलीपालन विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको पूंजी देने के लिए तैयार हैं। आपका सहयोग चाहिए, राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

खंड-2

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : श्री प्रबोध पण्डा अनुपस्थित।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : श्री प्रबोध पण्डा अनुपस्थित।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.49 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री जयभान सिंह पवैया (ग्वालियर) : सभापति, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 1 अगस्त, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 1 अगस्त, 2002 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.50 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(पैरा 3 का संशोधन)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 2-8-2002 में प्रकाशित।

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

[अनुवाद]

(दो) फसल बीमा विधेयक*

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फसलों का बीमा और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फसलों का बीमा और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 03.52 बजे

[अनुवाद]

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक विचाराधीन—जारी

सभापति महोदय : अब सभा डा. वी. सरोजा द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अध्यक्षपीठ और इस सम्माननीय सभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे विधेयक पर आगे विचार करने और पारित करने जारी रखने की अनुमति दी है।

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण निवारण विधेयक मानव प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण विषाणु के संक्रमण को फैलने से रोकने और अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण से ग्रस्त लोगों को विशिष्ट चिकित्सा उपचार और सामाजिक सहायता तथा पुनर्वासन और उससे संबंधित मामलों से निदान प्रदान करता है।

मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु से एड्स होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इस रोग से कोई भी मुक्त नहीं होता है। इस रोग से कोई भी समुदाय या देश नहीं बच सकता। इस भयावह रोग से सभी आयु वर्ग के दोनों लिंग पीड़ित हो सकते हैं। इस रोग के लक्षणों के प्रकट होने की अवधि 8 से 10 वर्ष तक है। भारत में इसके पहले मामले का 1985 में पता चला था। आज तक इसका उपचार उपलब्ध नहीं है। एड्स की रोकथाम का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। क्या इसके संकट को समाप्त करने के लिए तौर तरीके ढूंढना मात्र हमारा कर्तव्य अथक प्रयास या उत्तरदायित्व नहीं है जो हमारे समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास को प्रभावित कर रही है।

यह अकेले सरकार या अकेले गैर सरकारी संगठनों का ही काम नहीं है। यह व्यवसायिकों मीडिया, देश, समुदाय व परिवार उस व्यक्ति का भी काम है जो की इससे पीड़ित है। इसके बारे में न केवल इस सदन में अथवा इस देश में चर्चा की गई है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी काफी चर्चा हुई है लेकिन इस क्षेत्र में भारत ने क्या उपलब्धि हासिल की है? मैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई इन टिप्पणियों से दुखी हूं कि भारत एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। हमें अपनी उपलब्धियों पर विश्वास रखना चाहिए परंतु हमारी जिम्मेदारी भी हैं। यहां इस सभा में जैसे भी लोग बैठे हैं जो व्यवसायिक हैं। मैंने 20 सालों तक तमिलनाडु सरकार में काम किया है। मैं न केवल इस रोग को फैलने से रोकने में संबद्ध रहा हूं बल्कि इसके निदान से भी जुड़ा रहा हूं जो कि चिकित्सा समुदाय के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 2-8-2002 में प्रकाशित।

मेरा विधेयक मुख्यतः इस संक्रामक के फैलने इसके इलाज और संक्रमण के तरीके की संभावना पर प्रकाश डालता है। इस रोग को रोकने के लिए इससे पीड़ित लोगों की पहचान करके उनसे इसके संक्रमण को दूसरों तक पहुंचने से रोकने और स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सहयोग और पुनर्वास उपलब्ध कराकर प्रभावी उपाय करना अत्यंत जरूरी है।

माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी यहां हैं। मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि क्या एड्स संक्रमित चार मिलियन लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त धन राशि प्राप्त राजनीतिक समर्थन प्राप्त व्यापक कार्यक्रम से हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करना संभव नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि भारत में इस को नियंत्रित करने के लिए अगले पांच सालों के लिए अमरीका ने 91 : 5 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता दी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए। हम इस सहायता का उपयोग किस तरह करने जा रहे हैं। हम किस तरह वित्तीय सहायता की निगरानी करने जा रहे हैं? इसके क्या परिणाम होंगे? क्या किसी समयावधि पर इसकी आलोचनात्मक जांच और निगरानी होगी? क्या यह सच नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमने कुष्ठ रोग जैसे अनेक संचारी और गैर संचारी रोगों को नियंत्रण किया है? हाल ही में पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में संपूर्ण देश में 12 मिलियन से 13 मिलियन बच्चों को इस कार्यक्रम में कवर किया गया। क्या यह सच नहीं है कि हमने कुष्ठ रोग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है? हमारे पास जितने प्रसिद्ध चिकित्सा वैज्ञानिक और जन शक्ति है, उससे सीमित समय के दौरान सबकुछ संभव है। भारत में विज्ञान और तकनीकी बहुप्रयोजनीय सुधार हुए हैं। हम जन शक्ति में किसी से भी पीछे नहीं है। तो फिर हम इस रोग को नियंत्रित करने में समर्थ क्यों नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में संबंधित प्रयासों के अपने प्रस्तावों को बताएं। प्रत्येक जिले, प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक पंचायत में निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से इस महान देश के करोड़ों लोगों से यह अपील करता हूं। उन्हें इन चार मिलियन लोगों जो एच.आई.वी./एड्स से पीड़ित हैं की देखरेख करने की अपनी जिम्मेदारी अपनी वचनबद्धता अपने सुझावों और अपने प्रयासों तथा वादों को निभाना चाहिए। मेरी इस देश के चिकित्सकों और अर्धचिकित्सकीय कर्मचारियों से विशेष अपील है कि उन्हें 2005 तक इस रोग को नियंत्रित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और इसके बाद देश में किसी नए मामलों की भी रिपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपने कीमती सुझाव और सिफारिशें देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : माननीय सभापति जी, सबसे पहले मैं मैडम सरोजा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत महत्व के विषय को स्पर्श किया है। चेलैंज ऑफ दि सैंचुरी के नाम से मैं इसका वर्णन कर सकता हूं।

फाइनेंस मेरा प्रोफेशनल सबजैक्ट है, लेकिन एड्स, एच. आई.वी. मेरा सोशल कमिटमेंट है। जब सरोजा जी बोल रही थीं तो मैं अपनी नजर के सामने इस विषय पर जो अलग–अलग अखबारों में और अलग–अलग जगह पर हैडिंग्स हैं, जो चर्चा होती है, उस पर ध्यान देने का प्रयत्न कर रहा था। गत सप्ताह एक अखबार में न्यूज आई है, "एच.आई.वी. बाधित बालकाना सारा प्रवेश नाकारला।" यह हैदराबाद की न्यूज है, जिसे हम साइबर सिटी कहते हैं, जो इस नाम से पहचाना जाता है। इंडिया अभी अंडर डवलप्ड से डैवलपिंग कण्ट्री कहा जाता है। हम अपनी संस्कृति को, समाज को, सभ्यता को सुसंस्कृत मानते हैं। इस देश में चार बालक, जो एच. आई.वी. पोजिटिव डिटैक्ट हुए, उन्हें स्कूल में से निकाल दिया गया।

हमने मुम्बई में एक कैम्पेन चलाया। मुम्बई में बच्चों के स्कूल कालेजेज में पोस्टर कम्पीटीशन रखी, स्पर्धा, रखी, उसमें बहुत सुन्दर–सुन्दर पोस्टर आये, कल्पनाएं आईं। उनमें एक पोस्टर था, जिसे पहला पारितोषिक मिला। उसमें एक गर्भवती महिला का फोटो है और एक एरो दिखाया गया है। महिला और जन्म लेने वाले शिशु के बारे में वह पोस्टर है और उस पोस्टर में लिखा था, मेरा दोष क्या? वह गर्भवती महिला और उसका जो अभी जन्म लेने वाला बच्चा है, दोनों को एच.आई.वी. पोजिटिव डिटैक्ट किया गया। पोस्टर सिर्फ पोस्टर है, लेकिन उसमें मार्मिक वर्णन किया गया है। वह

[श्री किरीट सोमैया]

महिला पूछती है कि मेरा दोष क्या है। वह बालक पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। आज एच.आई.वी. पीड़ित महिला कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, जन्म लेने वाला बालक सवाल कर रहा है, उसकी मृत्यु कैसे लिखी गई है। उस बालक का जन्म कौन से साल, कौन से दिन होगा, वह पता नहीं है, लेकिन उसकाी मृत्यु कब होगी, वह निश्चित हो चुका है कि जन्म लेने के पश्चात वह ज्यादा से ज्यादा 2–4 साल जिएगा, इसलिए वह समाज से पूछ रहा है कि मेरा दोष क्या है।

उस पोस्टर अभियान में बाकी के पोस्टरों में भी सुन्दर–सुन्दर कल्पनाएं उभर कर आई थीं। एक पोस्टर आया "सिर्फ प्रवेश, निकासी नहीं। यह एकतरफा गली है।" आप एच.आई.वी. पोजिटिव हो सकते थे, लेकिन फिर पूरी जिंदगी में कभी भी आप एच.आई.वी. निगेटिव नहीं बन सकते। एक बार शिकार होने पर बचने का कोई रास्ता नहीं। एड्स से बचें। तीसरा पोस्टर था, लोभ न करें। इससे एड्स हो सकता है।

सभापति जी, एक पोस्टर में मराठी में लिखा था "शहनाची मजा अयुषाची सजा" यानी एक क्षण का आनंद आएगा सेक्स का उपभोग करने में, लेकिन फिर आयु भर आप और आपका परिवार सजा भुगतेगा। आप जानते होंगे कि भारत के राज्यों में एच.आई.वी. के 86 फीसदी मामले संभोग के कारण हैं। हां देश के कुछ भाग हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य या दक्षिण मुंबई के कुछ भाग हो सकते हैं। वह ड्रग का जो इंजेक्शन है, सीरिंज रीयूज करने के कारण होता है। कमोबेश 80 प्रतिशत केस दूसरी तरह से होते हैं। इसके लिए जब चर्चा होती है, मंत्री बनने के पश्चात मंत्री जी ने पहला सार्वजनिक कार्यक्रम जो अटेंड किया था, वह एच.आई.वी. "ए" की कांफ्रेंस जो बार्सिलोना में हुई थी, उसको अटेंड किया था। वहां एक कमरे में इंडियन डेलीगेशन बैठा था। कुछ पेशेंट एच.आई.वी. पोजिटिव के भी वहां थे। हमें दवा चाहिए। हमें जीना है। उसमें चार महिलाएं भी थीं। उनमें से एक महिला ने इस प्रकार संतप्त होकर अपनी भावना व्यक्त की कि हमें जीने का भी क्या अधिकार नहीं है, क्या समाज और सरकार हमें जीने नहीं देगी और क्या हमें दवाएं नहीं मिलेंगी। हां हमारे पास संसाधन नहीं हैं। सीमित संसाधनों से ही हमें देश और समाज में व्यवस्था करनी होगी। लेकिन उस महिला को हम क्या उत्तर दे सकेंगे, उस समय जब मैं उनके साथ डिबेट करने लगा, थोड़ी गर्मा–गर्म चर्चा होने लगी। मैंने कहा कि पाप वह करे और भुगते समाज, ऐसा क्यों। वहां एक अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैं जब बोलता हूं तो मेरे बारे में अच्छी राय है। मैंने कहा जी हां। क्या आप जानते हैं कि मेरी बहिन जो एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी 27 साल की उम्र में एच.आई.वी./एड्स से मर गई? उसने कहा कि मेरी बहन ने शादी नहीं की थी। अस्पताल में इलाज करते–करते इंफेक्शन हो गया। वह कहता है कि किरीट भाई अगर मैं यह कहता हूं कि समाज में इनकी व्यथा को समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि यह व्यथा व्यवस्था के कारण निर्माण हुई है। जो मोरल बिहेव कर रहे हैं, न मैं, न सरोजा देवी और न हैल्थ मिनिस्टर इसका समर्थन करते हैं। लेकिन समाज में जो व्यवस्था है, जो पांच हजार वर्षों से चली आ रही है, जो त्रुटि है, बदी है, महोदय, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा एक दोस्त है। डा. सुभाष हीरा जो एच.आई.वी. एड्स का विशेषज्ञ है उसने मुझे बताया कि पांच साल पहले जब हमने एक सर्वेक्षण किया था तब एड्स पहली पीढ़ी में था। कुल मिलाकर ज्यादातर पुरुष ही ग्रस्त थे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2000–01 में नाटो की सहायता से वापस स्टडी की, अब हम दूसरी पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक सिर्फ पुरुष प्रभावित थे। आज उन पुरुषों ने अपने घर की स्त्रियों को दिया है और उन महिलाओं ने अपने बच्चों को दिया है। यह एक कटु सत्य है मैं भी इस विशेष तथ्य को नजरअंदाज कर रहा था।

तो क्या इसके ऊपर समाज विचार नहीं करेगा, क्या वह सोचेगा नहीं। मैं अनेक किस्से बता सकता हूं।

जब हमारी सामाजिक संस्था एनजीओ ने मुंबई में स्पोर्ट फैस्टीवल 6 माह का आयोजित किया था तब उस समय के महाराष्ट्र के राज्यपाल पी.सी. अलेग्जेंडर ने कहा कि मैं आपके फंक्शन में जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा था, "आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपको यह उत्सव एच.आई.वी. एड्स को समर्पित कर देना चाहिए। आपको इस प्लेटफार्म को जागरूकता प्रदान करने के लिए प्रयोग करना चाहिए।" उस समय हमने यह किया। उस समय मुझे इसका विश्वास नहीं था। लेकिन उसके पश्चात 1998–99 में जब मेरे इर्द–गिर्द मुंबई क्षेत्र में एक किमी. के परिसर में मैंने देखा कि हमारी

पार्टी की झोंपड-पट्टी की महिला प्रमुख के लड़के की शादी में मैं गया था और सवा साल के पश्चात जब पता चला कि उसके लड़के की मृत्यु हो गई है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जब मैं उसके घर में मिलने गया तो उसने परिचय करवाया कि यह मेरी बहू है। मुश्किल से 21-22 साल की होगी। उसके हाथ में एक महीने का बच्चा था और जब पूछा तो पता चला कि यह लड़का एच.आई.वी. एड्स से मर गया। मैं सोचने में समर्थ नहीं था। उसे लड़के का क्या होगा? वह लड़का 110 प्रतिशत एचआईवी. एड्स लेकर आया और 110 प्रतिशत उसने अपनी पत्नी को एड्स दिया होगा और अब उस बच्चे के भविष्य का पता नहीं है।

दूसरा केस मैंने सुना। इसी तरह से एक कार्यकर्ता मेरे पास आया और बोला कि लैबोरेटरी वाले गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा कि बात क्या है तो कहने लगा कि मेरी पत्नी को एच.आई.वी. एड्स है। लेबोरेटरी वाले गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा कि दूसरी लेबोरेटरी में भेजो। 6 महीने तक वह नहीं आया।· जब दूसरी लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि हां उस औरत को एच.आई.वी. एड्स था। वह बिहार का परिवार है जहां वह घूंघट निकालती है और घर के चौराहे से बाहर कभी निकली नहीं होगी। अभी 6 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। उसको एच.आई.वी. किसने दिया? आज देश के चालीस लाख लोग ऐसे हैं और इस पर चर्चा होती है। मेरे बहुत से साथी पोलिटीशियन, ब्यूरोक्रेट्स, मेडिकल प्रोफैशनल्स, मीडिया पर्सन्स एच.आई.वी. एड्स के बारे में इतना बोलते हैं। मैं कहता हूं कि मलेरिया कितने लोगों को है, टाइफाइड और न्यूमोनिया होता है। हम कहते हैं कि सबकी दवाई करनी चाहिए। न्यूमोनिया, टाइफाइड और टाइफोर की दवा करनी चाहिए लेकिन फर्क इतना होता है कि जिसके परिवार में एच.आई.वी. होता है तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। टाइफाइड होता है तो अच्छा हो जाता है, न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट उपलब्ध है लेकिन जिसके परिवार में एच.आई.वी. होता है तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आज आप मुंबई शहर का आंकड़ा सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है। मुंबई का आज क्या स्तर है? मुंबई, एड्स की राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई में 1998, 1999 और 1990 तीन सालों के दौरान कुल मरने वालों की औसत संख्या प्रति वर्ष 75000 है। 15 से 45 आयु वर्ग के कुल मरने वालों की औसत संख्या 17000 थी। तीन साल के फिगर्स तो मेरे पास उपलब्ध हैं। 1998, 1999 और 2000 तीन वर्षों के दौरान कुल मरने वालों की संख्या औसतन क्रमशः 85000, 82000 और 87000 थी और इस अवधि के 15 से 45 आयु वर्ग के आंकड़े क्रमशः 27000, 26500 और 27400 हैं। 75000 लोगों की मृत्यु इस साल में बढ़कर कुल मिलाकर मुंबई में साल भर में 87,700 हुई और उसमें से 12,500 इंक्रीज हुई। उसमें से 10,500 यंग डैथ्स में इंक्रीज हुई है। इसका क्या मतलब है।

यह मुंबई शहर की स्थिति है और पूरे देश में तो एक साल में करोड़ों लोग मरते होंगे। जवान मौत लगभग 18.5 लाख है। मुंबई शहर में हैल्थ फैसिलिटीज एवेलेबल हैं, इतना होने पर भी युवा वर्ग के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि अन्य स्थानों से नौकरी करने के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। क्या स्थिति है, क्या तथ्य है, आंकड़े और क्या सांख्यिकी है। क्या यह चौंकाने वाली बात नहीं है और क्या यह चुनौती नहीं है? यह इस सम्पूर्ण सदी की चुनौती है।

मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं। 33 प्रतिशत की देश में युवा वर्ग की मौत होती है। जब ऐसी स्थिति होगी, तो इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर भी होगा। इस स्थिति के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आंध्र प्रदेश के हैल्थ मिनिस्टर ने राज्य से संबंधित आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में हर साल 16 लाख बच्चे इस रोग से ग्रस्त पैदा होते हैं। रोग से ग्रसित महिलाएं इन बच्चों को जन्म देती हैं। उन्होंने उनमें से 2.02 प्रतिशत को एच.आई. वी. पाजिटिव पाया यानी 32000 लोग एच.आई.वी. पाजिटिव हैं। हो सकता है, इन 32 हजार बच्चों में एक-तिहाई निर्दोष हो सकते हैं, लेकिन दो-तिहाई एच.आई.वी. से पाजिटिव हो सकती हैं। उसकी मां अगर एच.आई.वी. पॉजिटिव है, तो बाप भी एच.आई.वी. पाजिटिव सौ प्रतिशत होगा। इसका अर्थ यह है कि आने वाले दो, पांच सालों में उस बच्चे की मां भी मरने वाली है और बाप भी मरने वाला है। जब वह बच्चा पांच साल का होगा, तो वह अनाथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि अकेले आंध्र प्रदेश में 32 हजार बच्चे हर साल अनाथ पैदा करते जा रहे हैं। मुंबई की स्थिति भिन्न नहीं है। चाहे तुम मुंबई जाओ या शोलापुर, पुणे या सांगली। मैं यह जानकर अचंभित रह गया कि वह न सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि भारत का सबसे स्वच्छ ब्लड बैंकों में से एक था।

मैं अभी कुछ दिन पहले पूना, शोलापुर गया था। यह

[श्री किरीट सोमैया]

अचंभित करने वाला था। मैं इन स्थानों के आंकड़े दे सकता हूं, जो चौंकाने वाले हैं। ब्लड भी विभिन्न कैम्प्स में कलैक्ट किया जाता है। समाज कल्याण केंद्र, रोटेरी क्लब आदि संस्थाओं द्वारा ब्लड कलैक्ट किया जाता है। जहां पर अच्छा व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के लिए जाता है। मात्र स्वस्थ लोग ही जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उस क्षेत्र की एक साल की फीगर्स ब्लड कलैक्शन से संबंधित 1998–99 की प्रस्तुत करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री किरीट सोमैया, आपको इस पर बहुत अच्छी जानकारी और अनुभव है। फिर भी समय सीमित है कृपया आप इसका ख्याल रखें।

[हिन्दी]

आप समय की सीमा का ध्यान रखिए। आपका भाषण बहुत अच्छा चल रहा है, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन समय का ध्यान रखिए।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, प्राइवेट मैंबर बिल में कोई समय की सीमा है।

सभापति महोदय : इस बिल का समय दो घंटे है।

श्री किरीट सोमैया : दो घंटे के समय में तो बिल कभी भी पूरा नहीं होता है। मैं इस बारे में पता किया है, कोई समय की सीमा नहीं रहती है।

सभापति महोदय : मैं भी जानता हूं, लेकिन समय निर्धारित दो घंटे का होता है। मैंने आपको रोका नहीं है, लेकिन आप समय का ध्यान रखिए। बीजेपी की तरफ से छः सदस्य और कांग्रेस की तरफ से चार सदस्य बोलने वाले हैं और अन्य सदस्य भी हैं। बीजेपी की तरफ से श्री थावरचन्द गहलोत, प्रो. रासासिंह रावत और श्री अनादि साहू हैं। मैं आपको केवल समय सीमा ध्यान में रखने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री किरीट सोमैया : महोदय, प्राइवेट मैंबर बिजनैस के समय समय–सीमा का पालन नहीं रहता है।

शोलापुर का जो ब्लड–बैंक है उसमें कुल कलैक्शन 6530 और उसमें 193 बोतलों में एच.आई.वी. का पता चला है। यह तीन फीसदी है। इसे अच्छा ब्लड बैंक माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी विशेष बस्ती में कैम्प होते हैं तो वहां पर अनेक बार चार प्रतिशत तक एचआईवी पाजिटिव पहुंच जाता है। मेरा मुद्दा यही है और यही हकीकत और वास्तविकता है। हमें सोचना होगा कि हम इसको कैसे दूर करेंगे, इस बात को हमें सोचना होगा। चाहे यह तत्काल संभव ना हो।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कैसे हटेगा, कैसे रुकेगा, यह सुझाव दें।

श्री किरीट सोमैया : माननीय रघुवंश जी, आज भी हिंदुस्तान में ऐसे राजनीतिज्ञ, एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, सीनियर आईएएस, एग्जिक्यूटिव्ज हैं जो आज भी एच.आई. वी. एड्स के डिलायल की स्टेज में हैं। आज भी वे वास्तविकता को स्वीकार करने से इंकार करते हैं। यह एक वास्तविकता है। राजनैतिक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हमें मनादी से दृढ़ निश्चय की ओर जाना होगा।

मैंने वास्तविकता का वर्णन इसलिए किया क्योंकि आज भी एच.आई.वी. एड्स के बारे में हम जागरूक नहीं हैं। कितने राजनीतिज्ञ हैं, कितने एमएलएज हैं, कितने म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं जो बाहर जाकर एड्स पर बोलते हैं या अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों या कार्य–समितियों में इस पर चर्चा करते हैं। आज दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। हम यहां पर बात चीत करें।

हम जुकाम पर, पोलियो पर, टाइफाइड पर और काला आजार पर तो चर्चा करते हैं लेकिन एच.आई.वी. एड्स की चर्चा नहीं करते हैं। आज मां बेटी से, बाप बेटे से इस पर चर्चा नहीं करता है। आइए हम एड्स की चर्चा करें। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह भारत के लिए एक चुनौती है। अफ्रीका के बाद भारत का स्थान आता है।

[हिन्दी]

अगर हम नहीं जागेंगे तो दस साल बाद जागने के लिए भी समय नहीं बचेगा। पहली आवश्यकता राजनैतिक सक्रियता की है। मैं माननीय मंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि आप राजकीय पक्षों और पदाधिकारियों की मीटिंग

बुलाइए। पहली बात यह है कि हमें एकजुट होना होगा। हमें एच.आई.वी. संक्रमण से लड़ना होगा।

लेकिन आज क्या हो रहा है? पता है हमने एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों, स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध लड़ाई की। अब हमें स्वयं एड्स से लड़ना होगा। हमें सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। इ. के लिए आवश्यकता है पॉलिटिकल कमिटमेंट की। हम यहां जो 25 लोग बैठे हैं वे जाकर अपने क्षेत्रों में इसकी चर्चा करें। अफ्रीका का जो प्रैसीडेंट होता है अपने कंपेन में इस विषय पर बोलता है क्योंकि वहां पर 60 प्रतिशत शहरों में लोग एच.आई.वी. पोजिटिव हैं। पूरी की पूरी जैनरेशन वाइप-आउट हो गई है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता पॉलिटिकल कमिटमेंट की है। इसके पश्चात सामाजिक वचनबद्धता और धार्मिक भागीदारी का स्थान आता है। आज हम मोरैलिटी और वास्तविकता दोनों को अलग रखने का प्रयत्न करें। हमें लोगों को कहना पड़ेगा कि परहेज ही एकमात्र रास्ता है। इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। हमें लोगों को बताना चाहिए कि वे नैतिकता का पालन करें और जागरूक रहें। हमें साथ ही साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि यह कलंक है अथवा इसका कारण अज्ञान है? आज यह वास्तविकता है कि प्राइवेट डाक्टर्स एच.आई.वी. मरीजों को अपने अस्पताल में भर्ती नहीं करते हैं। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे मेडिकल प्रोफेशनल भी इसमें शामिल हो सकें। आज थाइलैंड ने सफलतापूर्वक एड्स पर कंट्रोल किया है।

थाइलैंड में धर्मगुरु इनवाल्व हो गया। हमें धर्मगुरु साधु-संतों से जाकर मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक अच्छे एक्जीक्यूटिव आफिसर थे। उन्होंने मुल्ला मौलवी से प्रार्थना की कि इस प्रकार की वास्तविकता है। इस तरह वह मौलवी भी इनवाल्व हो गया। मैं कहूंगा कि हमने एक प्रयोग किया और एनएसीओ ने हमारी मदद की। महाराष्ट्र में पंढरपुर में आचार्य एकादशी का एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव होता है जिसमें वहां के मुख्य मंत्री सबसे पहले पूजा करते हैं। हमने वहां जाकर एच.आई.वी. एड्स के बारे में सही जानकारी देने के लिए प्रचार किया। इसके पीछे लोगों में जागरूकता लाना था। पहले मैं सोच रहा था कि कोई प्रतिक्रिया हो सकती है।

मैं यहां से छुट्टी लेकर गया था और सोचा लोग इस बारे में पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग पम्फलैट लगा रहे थे, लोग कैसेट्स सुन रहे थे, लोग बातचीत करना चाह रहे थे, लोगों में जागरूकता आ रही थी। लोग समझना चाहते हैं। यह अज्ञान हो सकता है। उन्हें आगे लाना चाहिए। मैंने स्वास्थ्य मंत्री और एनएसीओ से प्रार्थना की कि अगले साल नासिक में महाकुंभ का मेला हो रहा है। उसमें 75 लाख भक्तजन आएंगे। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। हम इस बारे में हैल्थ कैम्प लगाएं। वहां एच.आई.वी. एड्स का प्रचार करें क्योंकि लोगों के मन में पीड़ा है। हमने प्रयत्न किया लेकिन कोई इंश्योरेंस कम्पनी तैयार नहीं हो रही है। हमने कहा कि एच.आई.वी. पाजिटिव माता-पिता के बच्चों का दोष क्या है लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी मैडिक्लेम के लिए तैयार नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस लेने को तैयार नहीं है, समाज हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने प्रयत्न किया और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी ने 100 बच्चों की मेडिकल हैल्थ के लिए स्वीकार कर लिया है। ये सभी बाते हैं।

सभापति महोदय, मेरे एक सहयोगी हैं जिन्होंने कहा है कि शादी-विवाह के लिए लड़की-लड़का देखने जाते हैं तो जन्मपत्री मिलाते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि केवल जन्मपत्री नहीं बल्कि रक्त पत्री भी मिलानी चाहिए? क्या हम यह नहीं सोच सकते...यदि यह तय की गई शादी हो...रक्त पत्री देख लें, चैक कर लें। उसमें पता चल जाएगा कि कहीं लड़के ने इसके पहले कोई गलती तो नहीं की है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री किरीट सोमैया जी, आपने आधा घंटे का समय ले लिया।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : सभापति जी, मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। क्या हम सामने दिखने वाले निराशा भरे युवक के जीवन में आशा की किरण का निर्माण नहीं कर सकते? मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की कई मैडिसिन कम्पनियां-सिपला, अरविंदो आदि विदेशों में महीने के एक डोज के लिए 55 हजार रुपया ले रही हैं। हिंदुस्तान में डेढ़ साल पहले साढ़े पांच हजार रुपया उसकी कीमत

[श्री किरीट सोमैया]

थी। मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन किया और उन्होंने एक्साइज ड्यूटी 16 परसेंट रद्द कर दी जिससे वह दवा एक महीने में ढाई हजार पर आ गई। क्या हम राज्य सरकारों से अनुरोध नहीं कर सकते कि वे जो सैल्स टैक्स 8 या 12 परसेंट और औक्ट्राय 4 से 8 परसेंट लगाते हैं, उसे दूर कर दें। हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है तो हर महीने हजार-दो हजार रुपये खर्च कर देते हैं। अगर एच.आई.वी. एड्स के लिए महीने में एक हजार रुपये की मैडिसिन मिलेगी तो उसकी लाइफ स्पैन 5 से 8 साल बढ़ सकती है।

सभापति महोदय, 1947 में हुई जनगणना के आधार पर एक व्यक्ति की आयु 39 वर्ष थी जो आज 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 63.4 वर्ष हो गई है। हम उसे आगे ले जाने का प्रयत्न करें और कहीं ऐसा न हो जाए कि एड्स के कारण हम पीछे न चले जाएं। अंत में एक प्रार्थना और करूंगा।

जिसमें मदर से चाइल्ड ट्रीटमैंट सब कुछ हो।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अनेक बार हमारे सांसद कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं, एनजीओज कहती हैं कि पिछले पांच सालों में आपने एक सिस्टम नैको तैयार किया है और स्टेट लेवल पर स्टेट एड्स सोसाइटी का निर्माण किया गया है। अब समय है कि उसे देखें कि क्या यह प्रयोग सफल हुआ है या उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें जहां-जहां कमियां होंगी, उन्हें सुधारने का प्रयत्न किया जाए, उनका इवैलुएशन किया जाए।

जहां चाह, वहां राह। थाइलैंड ने यह करके दिखाया है, वैस्टर्न कंट्रीज ने करके दिखाया है। भारत की हैल्थ मिनिस्ट्री ने एक पालिसी पेपर डिक्लेयर किया है, उस पर लिखा है वह आने वाले वर्ष 2005 तक हिंदुस्तान पोलिया मुक्त होने वाला है।

जहां चाह, वहां राह। हमारी सरकार ने समाज को साथ में लेकर वर्ष 2007 तक नो न्यू इनफैक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमें इस स्वप्न को साकार करना है। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें इस प्रकार का वातावरण तैयार करना होगा जिसमें सब यह कहें-आओ मिलकर हाथ बंटाएं, हिंदुस्तान को एड्स मुक्त बनाएं।

अपराह्न 4.32 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरःस्थापित-जारी

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(दसवीं अनुसूची का संशोधन)

सभापति महोदय : श्री जी. एम. बनातवाला, जब मैंने आपका नाम पुकारा, आप सभा में उपस्थित नहीं थे। अब आप उपस्थित हैं, इसीलिए मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : धन्यवाद, महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.32½ बजे

(चार) लोक कृत्यकारी अथवा लोक सेवक द्वारा (साम्प्रदायिक बलवा में जनसंहार और तिरस्कारपूर्ण अभ्यारोपण के अपराध में) कर्तव्य की अवहेलना का निवारण विधेयक*

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सांप्रदायिक बलवा में, जनसंहार और तिरस्कारपूर्ण अभ्यारोपण के अपराध में लोक कृत्यकारी अथवा लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के निवारण तथा उससे निपटने

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 2-8-2002 में प्रकाशित।

और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि साम्प्रदायिक बलवा में, जनसंहार और तिरस्कारपूर्ण अभ्यारोपण के अपराध में लोक कृत्यकारी अथवा लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के निवारण तथा उससे निपटने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.33 बजे

[हिन्दी]

अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक विचाराधीन—जारी

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल) : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए डा. वी. सरोजा को अवश्य बधाई दूंगा।

इस विधेयक की विषय वस्तु हमारे वर्तमान समाज के संदर्भ में बहुत अधिक प्रासंगिक है।

इसके अलावा, मैं अपने नए स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवश्य बधाई दूंगा और मैं उनकी शानदार सफलता की कामना करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : एक दिन मंत्री जी, आप एब्सेंट थे, हमने हल्ला किया था, इसलिए आज आप मुस्तैद हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : हम काम से गए थे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : लोग आपको हाउस में देखना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, "एड्स" इन चार शब्दों का उच्चारण जिसका अर्थ अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण है कंपकपी पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

अपराह्न 4.34 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए)*

एड्स जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है मृत्यु वारंट के बराबर है। एड्स ने सार्वभौमिक आयाम अपना लिया है। अब, एड्स वैश्विक रूप से फैल रहा है। विश्व का कोई भी देश चाहे वह कितना भी बड़ा अथवा शक्तिशाली हो, अमीर अथवा गरीब हो—इस भयानक बीमारी से अछूता नहीं है।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दिन के प्रत्येक घंटे में 600 से अधिक लोग इस भयानक विषाणु से संक्रमित हो जाते हैं और प्रति घंटे 60 लोग विश्व के मानचित्र से लुप्त हो जाते हैं? अंतराष्ट्रीय संस्थाए इस खतरे पर लम्बे समय से विचार कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसका पहली बार पता 21 वर्ष पहले चला था और इस भयानक विषाणु की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। लेकिन अब, यह इस ग्रह पर सर्वत्र फैल गया है। भारत में, वर्ष 1986 में मुंबई और चैन्नई के वेश्यावृत्ति वाले क्षेत्रों में इसका पहली बार पता चला था। उस समय यह केवल सेक्स वर्करों तक ही सीमित था लेकिन अब इस विषाणु ने जीवन के हर क्षेत्र और यहां तक कि ग्रामीण समुदायों में भी पैठ कर ली है। अब भारत में शनैः शनैः एड्स महामारी बहुत से लोगों में फैलती जा रही है। एच.आई.वी. से 3.97 मिलियन से अधिक लोग पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अशिक्षा सामाजिक कलंक और एड्स संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव के कारण वे इस बीमारी को कभी भी सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं। अतः हमें सबसे पहले भेदभाव की नीति को महत्व न देते हुए इसकी जानकारी सार्वजनिक करने और एच.आई.वी. संक्रमित लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली चुप्पी तोड़कर इस रोग के रहस्योद्घाटन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदय, आम लोगों के मन में एड्स के प्रति बहुत आशंका है क्योंकि उनके मन में यह धारणा बनी हुई है

[श्री अधीर चौधरी]

कि यदि हम किसी एड्स रोगी के संपर्क में आएंगे तो निश्चय ही मौत से नहीं बचेंगे। इस भय की वजह से हमारा समाज एच.आई.वी. संक्रमित रोगियों के प्रति भेदभाव को सदैव प्रोत्साहन देता है। महोदय, हमें इतनी जागरूकता पैदा करनी है कि हम इस शताब्दी की इस बीमारी के भयानक आक्रमण का सामना करने के लिए लोगों को मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सकें।

महोदय, मैं अपने माननीय साथी श्री किरीट सोमैया से पूरी तरह सहमत हूं कि यह इस शताब्दी के लिए एक चुनौती है। यह पूरे विश्व के सम्मुख चुनौती है। यह सार्वत्रिक सत्य है और हमें इससे लड़ने हेतु मिलकर कार्य करना होगा। हमें इससे विश्व स्तर पर निपटना होगा। महोदय, हमारे संसद सदस्यों ने इससे लड़ने के पहले ही उपाय ढूंढने की पहल की है। संसद सदस्यों ने दिल्ली घोषणा में 'एड्स मुक्त विश्व' के लिए प्रयत्न करने का संकल्प लिया है। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम इस महामारी की जटिलताओं एवं चुनौतियों की तरफ ध्यान देने में नेतृत्व प्रदान करेंगे एवं ठोस कदम उठाएंगे। एच.आई.वी. एड्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय करारों की प्रतिबद्धता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के आधार पर विश्व समुदाय के एक सदस्य के रूप में हमने इस महामारी के नियंत्रण हेतु आवश्यक स्रोतों के बराबर वितरण और एच.आई.वी. एड्स से संक्रमित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने हेतु प्रयत्न करने की प्रतिज्ञा की है।

महोदय, बारसीलोना में संपन्न 14वीं कांफ्रेंस में नेताओं ने चिंता व्यक्त की थी कि यदि समय रहते एड्स नहीं गई तो 2000 और 2020 के बीच पूरे विश्व में 46 मिलियन से अधिक लोग मारे जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमें क्या करना होगा। हम केवल मूकदर्शक बनकर खतरे को देखते नहीं रह सकते।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन देशों का अनुपालन करें जिन्होंने एड्स का डटकर मुकाबला किया और सफलतापूर्वक इसे फैलने से रोका है। ब्राजील इसका उदाहरण है।

ब्राजील एक ऐसा देश है जहां कि जनसंख्या एड्स संक्रमित है। लेकिन केवल प्रयत्न, राजनीतिक इच्छा शक्ति एवं सरकार एवं जनता के बीच बेहतर तालमेल से ब्राजील एड्स को फैलने से रोक सका है।

अब प्रश्न यह है कि यह कैसे संभव हो पाया है। ब्राजील में एड्स के मरीजों के लिए अपेक्षित एंटी–रिट्रोवाइरल ड्रग्स निःशुल्क वितरित की जा रही है और सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। ब्राजील में राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया है। जिससे एच.आई.वी. संक्रमित लोगों को सरकारी सुविधा मिलेगी और उन्हें एंटी–रिट्रोवायरल ड्रग्स निःशुल्क वितरित की जाएगी और इसके परिणामस्वरूप अब उस देश में एड्स को नियंत्रित किया गया है और वहां एड्स के मरीजों की संख्या में भी कमी आई है।

महोदय, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, हमारे यहां जनसंख्या पहले ही एक अरब से अधिक हो गई है। और यहां 0.7 प्रतिशत लोगों को एड्स है। लेकिन हमें एच. आई.वी. की कम दर से आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि 0.7 प्रतिशत को जनसंख्या में बदला जाए तो यह ज्ञात होगा कि दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत में एड्स के सबसे अधिक रोगी होंगे। जहां तक एच.आई.वी. पाजिटिव से ग्रस्त रोगियों की संख्या का सवाल है, थाईलैंड के बाद सबसे अधिक रोगी भारत में हैं। अतः जिस प्रकार मलेरिया और क्षय रोग पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं उसी प्रकार सरकार को चाहिए कि वह एक ऐसी नीति बनाए जिसके अंतर्गत एड्स से संक्रमित लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। महोदय, उपचार प्राप्त करना मानव अधिकार माना जाता है। तदनुसार किसी प्रकार की बीमारी को कम करना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी होती है।

इसलिए मेरा मानना है कि इन दोनों दृष्टिकोणों के अनुसार इस प्रकार कार्य किया जाए कि एच.आई.वी. से संक्रमित लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके। मुझे पता है कि इसके ऊपर सरकार को बहुत खर्च करना होगा। लेकिन जो ब्राजील कर सकता था वैसा हम नहीं कर सकते हैं? ब्राजील भी तीसरी दुनिया का देश है। अतः हमें ब्राजील का अनुकरण करना चाहिए।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जिस देश में एड्स की वृद्धि दर 20 प्रतिशत से अधिक है वहां की अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर 2.6 प्रतिशत का असर अपने आप पड़ेगा। इसलिए

एड्स संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि भी प्रभावित होगी। एच.आई.वी. संक्रमित सभी रोगियों को एड्स का रोगी नहीं माना जा सकता। भारत में एड्स अनेक प्रकार से फैलता है। 75 प्रतिशत एड्स इतरलिंगी संपर्क से स्वच्छंद संभोग से फैलती है। एच.आई.वी. संक्रमण के 8 प्रतिशत मामले रक्त के माध्यम से एवं 8 प्रतिशत औषध के दुरुपयोग से फैलते हैं। अतः यदि प्रतिरक्षी इलाज दिया जाए तो एच.आई.वी. पाजिटिव के सभी रोगियों को एड्स नहीं होगा। प्रतिवर्ष भारत में एक लाख एच.आई.वी. पाजिटिव महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं। लेकिन यदि समय से उपाय किए जाएं तो उनके बच्चों में एच.आई.वी. संक्रमित होने से रोका जा सकेगा। इसे बच्चों में संक्रमित होने वाला एड्स कहा जाता है। अतः भारत में इस प्रकार का प्रतिरोधी उपाय दिल खोलकर किया जाना चाहिए। दवाओं के वितरण एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी हमें उदारवादी नीति अपनानी चाहिए।

महोदय, हमें केएपी तरीका, जानकारी दृष्टिकोण एवं उपयोग का तरीका अपनाना होगा। लोगों को शिक्षित करना होगा। उन्हें इस बात से अवगत कराना होगा कि केवल जानकारी से ही एड्स एवं एच.आई.वी. नियंत्रित किया जा सकता है। पहले हमें लोगों में यह विश्वास जगाना होगा कि हम इससे लड़ कर इसे समाप्त कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण निराशावादी नहीं होना चाहिए। विश्व का कोई भी देश इस भयानक विषाणु से प्रतिरक्षित नहीं है। पश्चिमी यूरोप एवं अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में भी एड्स के रोगी हैं। पश्चिमी यूरोप एवं अमेरिका में भी इस बीमारी से 1.5 मिलियन लोग संक्रमिन हैं।

महोदय, यहां समस्या यह है कि एच.आई.वी. और एड्स का इलाज बहुत महंगा है। गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग भी एच.आई.वी. के इलाज का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह बड़ा विरोधाभास है कि भारत में अनेक भेषज उद्योग हैं जो सस्ती दर पर तीसरी दुनिया के देशों को औषध की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार अभी भी देशी कंपनियों से आपूर्ति लेने में रुचि नहीं दिखा रही हैं। पहले एड्स के इलाज के लिए दवाएं आपूर्ति की जाती थीं लेकिन इस समय ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे देश को आवश्यक औषध देने में पूर्ण सक्षम हैं।

महोदय, मैं एक पत्रिका से कुछ उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

"दो भारतीय कंपनियां सिपला और हिट्रो पहले से ही अनेक एंटी-रिट्रोवायरस" औषधियों का उत्पादन कर रही हैं और तीसरी (रैनबैक्सी) ऐसा करने के लिए तैयार है। सिपला ने भारत सरकार को तीन औषधियों का सम्मिश्रण 600 अमरीकी डॉलर (रु. 30,000 से कम) दर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष देने की इच्छा व्यक्त की है। सिपला और हिट्रो ने कहा है कि वे तीन औषधियों का सम्मिश्रण 'मेडिसिंस सैंस फ्रांटियर को 350 अमरीकी डॉलर (रु. 16,000) पर देंगी बशर्ते एमएसएफ हमें भारत में यह मुद्दा दोनों कंपनियों के साथ दृढ़ता से उठाना होगा। यदि किसी तीसरी विश्वसनीय पार्टी को यह उन्हीं शर्तों पर दिए जाने का प्रस्ताव है तो भारत के मरीजों को यह कम दर पर लगभग 1,300 रुपये प्रति माह पर दी जा सकेगी।"

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि भारत में एच.आई.वी. संक्रमित ऐसे रोगियों का अनुपात क्या है जो एड्स से पूर्णतः संक्रमित हैं और क्या हमारा बजट उस पर आने वाले खर्चे को वहन कर सकता है। भारत में ऐसे एच. आई.वी. संक्रमित रोगियों की प्रतिशतता क्या है जिन्हें एड्स हो गई है और उन रोगियों को दवा उपलब्ध कराने की लागत कितनी होगी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत से एच.आई.वी. और एड्स के उन्मूलन या नियंत्रण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की है?

महोदय, हमें पता है कि यह मानव जाति के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। यह 21वीं शताब्दी के लिए एक चुनौती है लेकिन हमें हकीकत को स्वीकार करना होगा और हमें इस बीमारी के साथ जी-जान से लड़ना होगा। हम इस स्थिति से बच नहीं सकते और हम जमीनी हकीकत से दूर नहीं भाग सकते।

अपराह्न 5.00 बजे

अतएव मैं इस सरकार से सभी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। आप आश्वस्त रहिए कि सारा देश आपके इस प्रयास का समर्थन करेगा। हम सभी यहां आपको संपूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए मौजूद हैं जिससे कि आपके नेतृत्व में भारत एड्स के खतरे से उबर सके।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, डा. सरोजा द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर बोलने से पहले मैं उनको

[श्री अनादि साहू]

बधाई देता हूं। वे चेन्नई की प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बड़े ही सोच विचार से इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने एड्स की डरावनी अथवा निराशापूर्ण तस्वीर नहीं पेश की है। बल्कि उन्होंने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि विद्यमान स्थिति के मद्देनजर क्या किया जाना चाहिए। मैं एड्स के बारे में निराशाजनक तस्वीर पेश नहीं करना चाहता हूं क्योंकि लोगों के मन में लगातार यह बात डालकर कि 'एड्स बुरा है, एड्स बुरा है, यह एक भयानक रोग है' हम लोगों के मनोमस्तिष्क में भय पैदा करते हैं जो बिलकुल आवश्यक नहीं है।

इस संबंध में, वृहदारण्यक उपनिषद से एक संस्कृत श्लोक उद्घृत करने के लिए कृपया मुझे क्षमा करेंगे। मैं पूरा श्लोक उद्घृत नहीं करूंगा। मैं 11 कंडिकाओं में से चार को उद्घृत करता हूं। वृहदारण्यक उपनिषद के चौथे ब्राह्मणों में से पहला है : स्पर्शानल तवज्ञ कहायनन एवम्। स्पर्श का सम्पूर्ण तथ्य त्वचा में ही है। सर्वेषांग गंधानांग नाशिके।

[अनुवाद]

गंध अच्छी हो या बुरी या निगन्ध, ये नासिका के आसपास केंद्रित होती है। सर्वेषांग कर्मानाम हस्ता एकानाम एव। किसी भी कार्य को दोनों हाथों से करना होता है।

अंतिम है : सर्वेक्षांग आनंदनांग उपस्थंग एकानाम एव। यह संस्कृत में है, इसका अंग्रेजी अनुवाद है : 'प्रजनन अंग'।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सर्वेषांग रोगाम निदानाम् कुपिताम।

श्री अनादि साहू : बिलकुल ठीक है। मैं इसकी बात नहीं करने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि 11 कंडिकाओं में से, मैं केवल चौथे की बात कर रहा हूं। इसलिए, प्रजनन अंगों से ही बेहतर मनोरंजन एवं खुशी प्राप्त होती है। हमें निराशाजनक तस्वीर नहीं पेश करनी चाहिए क्योंकि इससे लोग हताश होंगे।

बाइबिल का ही मामला लें। मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या ल्यूक अथवा मैथ्यू ने कहा था कि ईसा मसीह कुष्ठ रोगियों की बस्ती में गए और कुष्ठ पीड़ित लोगों का इलाज किया। यह एक खतरनाक रोग था। अब ऐसा नहीं है। अभी भी गांव में श्राप देते हैं कि तुझे कोढ़ हो जाए। महिलाओं के लिए वे कहते हैं, बांझ हो जाए। परंतु अब बांझपन कोई कलंक नहीं है। कुष्ठ को भी कलंक नहीं माना जाता है। इसका इलाज हो रहा है। पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह कि हम एड्स के कलंक को कैसे मिटाएं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। छोटे बच्चों, युवकों एवं वृद्ध लोगों के मनोमस्तिष्क में यह भरने की बजाय कि एड्स बुरा है, एड्स बुरा है, और उन्हें यौन संबंधों एवं ऐसी सभी बातों से परहेज करना चाहिए। एड्स को कलंकविहीन बनाना चाहिए।

मैं डा. सरोजा का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने संयम रखने की वकालत नहीं की है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस देश में पेशेवर यौन गतिविधियां चल रही हैं। जब भी पेशेवर यौन गतिविधियां होंगी, तो उन्होंने कहा है, "कंडोम का उपयोग किया जाए।" यौन संचारी संक्रमणों अथवा प्रजनन संबंधी संक्रमण हो रहे हैं। ऐसा हमेशा होता रहेगा। हम सिफलिस एवं गनौरिया के उपचार की विधि को ढूंढने में सफल रहे हैं। अब, हमें उपचार का पता क्यों नहीं लगाना चाहिए? हम ऐसे आंकड़े क्यों देते हैं कि भारत में लगभग 3.5 मिलियन लोग, दक्षिण अफ्रीका में 4 मिलियन लोग प्रभावित हैं और थाइलैंड में प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी प्रकार की अन्य बातें?

हम कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? मैं उनका वर्णन नहीं करने जा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि क्यों नहीं हम किसी उपचार का पता लगाएं एवं तत्संबंधी निगरानी करें?

आप मुझसे सहमत होंगे कि राजग सरकार द्वारा बहुत सोच समझकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 तैयार की गई है और उन्होंने निगरानी पक्ष पर विचार किया है। पृष्ठ 16 पर यह दर्शाया गया है कि "त्वरित एवं लागत प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली उपलब्ध कराए जाने में सक्षम रोग निगरानी नेटवर्क का न होना एक बड़ी बाधा है।" पोलियो, एच.आई. वी. एड्स हेतु स्थापित कुशल रोग निगरानी नेटवर्क ने जन स्वास्थ्य प्रपत्र के अतिशय महत्व को प्रदर्शित किया है। इसलिए रोग निगरानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और देखिए, एक स्त्रीरोग विज्ञानी होते हुए डा. सरोजा ने इसे अपने विधेयक के भाग 3 में रखा है। रोग निगरानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

हमें पता लगाना चाहिए। हम पोलियो की रोकथाम करने

में सक्षम रहे हैं, हम कुष्ठ के उपचार मे सक्षम रहे हैं, तो हम एड्स के उपचार में सक्षम क्यों नहीं रहे हैं? हम यह कहने की बजाय कि एड्स बुरा है, संयम रखा जाना चाहिए, हम एड्स के सूत्र इसके उपचार के बारे में क्यों नहीं सोचते? फिर समाचार पत्रों में भी कई ऐसे विज्ञापन होते हैं, "इसके साथ यौन संबंध न रखें, ऐसा न करें और ये न करें।" आम आदमी के जीवन के छोटे से मनोरंजन से उसे क्यों वंचित करें? गरीब लोगों का मामला लें। उनके पास क्या मनोरंजन है? इस प्रकार के विज्ञापनों से हम समाज में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा इसका कुछ उपचार होना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने बार्सिलोना में हुई एक बैठक में भाग लिया था और उसमें उपचार के प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया था। अब, जब उन्होंने उपचार एवं टीके के बारे में सोचा और पाया कि एच.आई. वी. के दस विभेद हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? यदि एक विभेद की रोकथाम· की जाती है, तो अन्य नी उभर सकते हैं। एक बड़े ही रोचक अनुसंधान कार्य के दौरान यह पाया गया है कि एच.आई.वी. स्मृति कोशिका नामक एक विशिष्ट कोशिका में रहता है। प्रतिरक्षण प्रणाली में, स्मृति कोशिका होती है और यह इसमें अंतःस्थापित हो जाती है और स्मृति कोशिका 70 वर्षों तक जीवित रह सकती है। एच.आई.वी. रोग किसी भी समय उभर सकता है, वह भी मानव या शरीर रचना प्रणाली को किसी प्रकार की चेतावनी दिए बिना। उपचार विधि को खोजने पर ज्यादा धन खर्च किया जाना बेहतर होगा। जैसा कि मैंने कहा, यह कहने से कि इससे परहेज कीजिए, यह बुरा है, इसका सूत्र खोजना ज्यादा जरूरी है।

अब, हम यह नहीं कहते कि कुष्ठ रोग बुरा है। समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है। यह बड़ा ही तीव्रगामी समाज है। 21वीं शताब्दी में, समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है और तीव्रगामी समाज में हमें शीघ्रता से समाधान का पता लगाना चाहिए। अन्यथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से निपट पाना कठिन होगा। भारत सरकार ने निगरानी कार्य किया है और किसी भी जरूरतमंद नागरिक के लिए पश्च विषाणु रोधी उपचार के प्रावधानों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। इसी को उन्होंने यहां इंगित किया है। यह मानते हुए कि इसका पता लगाया गया है और उन्हें इसकी आवश्यकता है, सरकार को तत्काल पश्च विषाणु रोधी उपचार के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में भी इस पर ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में इसके लिए अनेक संक्रियात्मक युक्ति हैं। जहां तक यौन संचरित संक्रमणों, प्रजनक ट्रैक संक्रमणों अथवा एच.आई. वी. एड्स संक्रमणों का संबंध है संक्रियात्मक युक्तियों का बेहतर रूप में उपयोग किया जा सकता था। इसका बहुत अधिक प्रचार करने की बजाय इस पहलू पर और धन लगाया जाना चाहिए।

मैंने लगभग दो वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित एक बैठक में भाग लिया था। जिस प्रकार एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत की गई थी, मैंने एड्स से संबंधित किसी भी प्रकार की संगोष्ठी अथवा बैठक से अपने आपको अलग कर लिया है क्योंकि उसमें हमें बहुत खराब अनुभव हुआ और हमारे मन में उसकी बहुत खराब स्मृति बन गई।

मेरा आग्रह है कि जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो सरकार को अनुसंधान कार्य हेतु और धन देना चाहिए। जैसा श्री अधीर चौधरी इसके बारे में बता रहे थे कि एड्स के एक रोगी का उपचार करने हेतु लगभग 45 रुपये प्रति दिन की लागत आती है। गोलियों को लेकर मरीज को एक चिढ़ सी हो गई है क्योंकि काफी मात्रा में गोलियां दी जाती हैं। कुछ औषधियां देने के बारे में सोचें ताकि एक व्यक्ति का तुरंत उपचार किया जा सके। भय हो गया है। संस्कृत में एक कहावत है :

स्पर्शानन त्वग्य कहायनन एवं
सर्वेषांग गंधानांग नाशिके
सर्वेषांग कर्मनाम् हस्ता वेका यनमेवम
सर्वेषांग आनंदनांग उपस्थंग एकायमन एव...

[अनुवाद]

खतरा आ गया है। एक बार जब खतरा आ गया है तो यह कहने के बजाय कि खतरा आ रहा है, इसका उपचार करने और इसे दूर करने का प्रयास करें। हां, खतरा आ गया है। अब आपको उस रुकावट, उस बाधा का पता लगाना चाहिए ताकि खतरा आप तक न आए और आपके लिए समस्या पैदा न करे। इसी की आवश्यकता है। इस समय मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं।

श्री किरीट सोमैया ने एड्स की विस्तार से चर्चा की।

[श्री अनादि साहू]

परंतु, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसकी निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत नहीं करूंगा। यह जरूरी है कि हमें इसे नियंत्रित करने के अर्थोपाय तलाश करने चाहिए। इसी विधेयक जिसे वे लाई हैं, वे एक अच्छी चीज लाई हैं वह है गर्भ का चिकित्सीय समापन। जहां तक एड्स की गर्भवती महिला रोगियों का संबंध है, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से गर्भ के चिकित्सीय समापन की ओर संकेत किया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002, जो कि राज्य सभा में लंबित है, का अवलोकन करें। यह बताया गया है कि जहां तक मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का संबंध है तो वहां गर्भ का चिकित्सीय समापन होगा। अब संविधि में यह निर्दिष्ट करने का समय है कि जहां तक एड्स की गर्भवती महिला रोगियों का संबंध है गर्भ का चिकित्सीय समापन होना चाहिए। इन्होंने इसके लिए एक रास्ता दर्शाया है।

यद्यपि, संभवतः यह मेरे माननीय सहयोगियों को पसंद न आए परंतु मैं इस बारे में आगे थोड़ा और जाता हूं। आवश्यकता के मामले में सहजमृत्यु होनी चाहिए। आप एक व्यक्ति को लम्बे समय तक पीड़ा क्यों सहने देते हैं? सहजमृत्यु क्यों न हो? जीवन का अंत होने दें। जथास साकी साकीथोक मृत्युत। एक बार आप आ गए। एक बार आपने जन्म ले लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई प्रतिरक्षा नहीं है तो इसके लिए कोई इलाज नहीं है। यह बेहतर है कि इन संबंधित व्यक्तियों के लिए दया मृत्यु होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहना है कि यह पता लगाने के लिए इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह इन चीजों के लिए अन्वेषक और यथा प्रदर्शक बन गई हैं। मैं विधेयक के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें इसके प्रति जागरूक करने हेतु कि किस तरह की निगरानी करनी चाहिए, किस प्रकार की चिकित्सा चाहिए, और एड्स को फैलने से रोकने के लिए किस प्रकार के लोग और पदनामित प्राधिकारी होने चाहिए तथा अन्य सहायक मामलों पर सोच विचार करके विधेयक तैयार किया है।

मेरा सुझाव है कि सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए और फिर आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं। प्रारंभ में मैं इस विधेयक को तैयार करने में डा. सरोजा के कार्य की प्रशंसा करती हूं। मैं बहुत ईमानदारी से इस विधेयक को लाने के लिए उनको बधाई देती हूं और अब सभा ने इस विधेयक को विचारार्थ स्वीकार किया है।

जैसा कि दूसरी ओर बैठे मेरे सहयोगी ने अभी कहा है मैंने जीवन में अच्छा समय देखा है। इसलिए, मैं पूरी स्थिति के बारे में निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करना नहीं चाहता। इस गंभीर बीमारी से मौत की पहली घटना का 15 वर्ष पूर्व पता चला था। मैं इस सबके बारे में कोई आंकड़े नहीं दे रहा हूं। हमारे देश की कुल आबादी से तुलना की जाए तो इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या बहुत कम है। यह महत्वहीन है।

गत 15 वर्षों में, इसका पहली बार पता लगने के समय से इसका भारी प्रसार हुआ है और इसी बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।

डा. वी. सरोजा ने इस विधेयक को बड़े व्यापक रूप में तैयार किया है। मुझे इसका निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का संबंध है मैं अनजान व्यक्ति हूं। मैं इतिहास की प्रोफेसर हूं जबकि यह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जो बहुत लम्बे समय से व्यवसाय कर रही हैं यद्यपि अब इन्होंने लोगों का बड़ा हित हाथ में लिया है। अब, इस विधेयक में रोकथाम और नियंत्रण को अधिक महत्व दिया है। निश्चय ही हमें देश की इस चुनौती को तेजी से फैलने को नियंत्रित करना पड़ेगा, जैसा कि पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है। नई शताब्दी के इस दशक के अंत तक हमें इस बीमारी को और बढ़ने अथवा फैलने से रोकना होगा। मैं समझता हूं कि भारत इसे हासिल कर सकता है क्योंकि यद्यपि प्रतिभा पलायन है फिर भी हमारे पास प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। सरकार को देश के भीतर उपलब्ध इन वैज्ञानिकों और चिकित्सकों की योग्यताओं का उपयोग करना चाहिए।

जैसा कि पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है हमें बीमारी की रोकथाम हेतु एक फार्मूला पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम इस बीमारी को नियंत्रित

करने अथवा और फैलने से रोकने की स्थिति में हैं तो इसका उन्मूलन करने में हमारा बहुत सौभाग्य होगा। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं एक बालिका थी तो छोटी माता खतरनाक बीमारी थी। इसी प्रकार यौन संचरित बीमारियां भी एक अभिशाप मानी जाती थीं। यह लोगों की अज्ञानता के कारण था। परंतु अब हम जानते हैं कि छोटी माता का देश से उन्मूलन हो चुका है। यद्यपि मलेरिया के कुल मामले हैं परतु मलेरिया का भी उन्मूलन हो चुका है। ये ऐसी बीमारियां थीं जिनके बारे में समझा जाता था कि ये हमारे देश से कभी नहीं जाएंगी। इसलिए, मुझे अभी भी आशा है कि अपने संगठित प्रयास करके और लोगों के प्रतिनिधियों, सरकार, गैर सरकारी संगठनों, नौकरशाहों और प्रत्येक की एकजुट कार्यवाही से हम इस बीमारी के प्रसार को रोक पाएंगे तथा देश की इस बिना बुलाई चुनौती को समाप्त कर पाएंगे।

मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहती हूं कि इस रोग से ग्रस्त लोगों का समाज एक प्रकार से बहिष्कार कर रहा है। इस रोग से ग्रस्त लोगों के सामने आने वाली तस्वीर बहुत चिंताजनक है। मैं पहले बोलने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ऐसी निराशाजनक तस्वीर से लोगों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न होता है। इसलिए हमें इस रोग से ग्रस्त लोगों की स्थिति की कल्पना करनी होगी।

अपराह्न 05.19 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

जब उनके अपने स्वजनों द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता है तो उनका जीवन दयनीय बन जाता है। वे जानते हैं कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है। इसलिए, हमें उनके लघु जीवन, जिसका इस पृथ्वी पर अंत होने जा रहा है, में उन्हें प्रसन्न रहने का रास्ता बताना चाहिए। अतः मैं समझती हूं कि चिकित्सीय निगरानी पुनर्वास और राहत के साथ–साथ इस बीमारी से ग्रस्त दुर्भाग्यशाली लोगों को शारीरिक तथा मानसिक राहत प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। विधेयक के चिकित्सीय पक्ष को पहले ही बहुत विस्तार से तैयार किया गया है। इसलिए, मैं इस विधेयक के विभिन्न खंडों पर चर्चा नहीं कर रही हूं। परंतु, इस बीमारी के प्रसार को रोकने के हमारे प्रयास में जागरूकता कार्यक्रमों का बहुत महत्व है।

एक अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहती हूं वह यह कि निजीकरण और उदारीकरण के इस वर्तमान परिदृश्य में मैं किसी प्रणाली या स्थापना को दोष नहीं दे रही हूं। केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकारें भी सामाजिक सेवा क्षेत्र जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं से वास्तव में पीछे हट रही हैं यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस क्षेत्र से पीछे हटेंगी तो उन गरीब लोगों का ध्यान कौन रखेगा जो इस रोग से ग्रस्त हैं?

इस बात का उल्लेख पहले ही अन्य माननीय सदस्यों द्वारा किया जा चुका है कि यह इलाज अत्यंत महंगा है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी चूंकि दवाइयां अत्यधिक महंगी हैं, अतः वे उचित इलाज के बजाय शीघ्र मृत्यु के विषय में सोचेंगे। हम उन गरीब लोगों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जो कुल जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है। अतः केंद्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकारों को भी एच.आई.वी. संक्रमित रोगियों के इलाज का ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, मेरे राज्य केरल में भी स्थिति बहुत खराब है। स्वास्थ्य सचिव दुविधा में हैं। केरल उन राज्यों में से है जहां के स्वास्थ्य को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों के लिए मॉडल माना जाता है। किंतु यहां, ऐसे भी मामले हैं जिनमें संदिग्ध रोगी जिनमें एच.आई.वी. संक्रमण का पता नहीं चला है किंतु संदेह व्यक्त किया गया है वे भी मौत का शिकार हो गए हैं। अतः उनके प्रति थोड़ी दया दिखाई जानी चाहिए और यह स्वतः नहीं होगा। सरकार के स्तर पर एक उचित जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और इसे बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान अत्यंत प्रभावी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूर–दराज के इलाकों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। यदि लोगों के पास अपने घरों में टेलीविजन नहीं है–केरल में हमारा यह अनुभव है कि वे पड़ोसी के घर जाते हैं और टेलीविजन के कार्यक्रम देखते हैं। यदि भारत सरकार लोगों के लाभ के लिए एक विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम शुरू करती है तो वह अत्यंत प्रभावी होगा। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से भय की मानसिकता को दूर किया जाना चाहिए क्योंकि यह रोग से अधिक नुकसानदायक है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के परिजन भी वास्तव में रोगी को अलग या उसको बहिष्कृत कर देते हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम से लोगों के भय को दूर करने

[प्रो. ए. के. प्रेमाजम]

में मदद मिलेगी और तब वे सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तथा रोगग्रस्त व्यक्तियों की मदद करने का प्रयास करेंगे।

अगला सुझाव मैं यह देना चाहूंगी कि निगरानी उद्देश्य के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। वास्तव में स्वास्थ्य शिविर अत्यंत लोकप्रिय होंगे। अनेक गैर सरकारी संगठन अब भी अन्य विभिन्न रोगों का पता लगाने और इलाज करने के लिए नेत्र शिविर तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं। न केवल एच.आई.वी. रोगियों के लिए ही बल्कि आम जनता के लिए भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होना चाहिए और वहां इसकी जांच की जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति को एच.आई.वी. है अथवा नहीं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने पहले ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। हमें कुछ दिनों पहले माननीय मंत्री से खबर मिली जो विशेषतः इस खतरनाक रोग के विषय में थी और उसमें यह उल्लेख किया गया है कि क्षय रोग और एच.आई.वी. सह संक्रामक हैं। अतः इससे बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। क्षय रोग स्वयं एक रोग है जिसका इलाज किया जाना चाहिए, किंतु इसमें अधिक समय लगता है और दवाइयां अत्यधिक महंगी हैं।

इसके साथ ही, यदि व्यक्ति को एच.आई.वी. है तो परिस्थिति बहुत जटिल हो जाएगी और जैसी संभावना है कि इसे नियंत्रित करना संभव नहीं होगा।

इन सभी बातों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। एक अच्छी बात यह है कि माननीय मंत्री ने इस विशेष पहलू पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। यह अत्यधिक स्वस्थ और अच्छा लक्षण है। निश्चय ही, यदि हम सब इकट्ठा हो जाएं और इस शताब्दी की इस चुनौती को स्वीकार करें तो मेरे विचार से, हमें कोई भी चीज सफलता से रोक नहीं सकेगी।

[हिन्दी]

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, डा. वी. सरोजा द्वारा लाये बिल अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 2000 का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में, जैसा अभी बताया गया कि एड्स एक भयावह और पूरे विश्व में एक बड़ा भारी संकट पैदा करने वाली बीमारी है। डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार लगभग पांच से लेकर दस मिलियन तक एच.आई.वी. रोग संक्रमित व्यक्ति सारे संसार में हैं। अब भारत का विश्व में दूसरा स्थान हो गया है। बड़ी तेजी से यह रोग बढ़ता जा रहा है। मैं सदन में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं सारे राज्यों के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। लेकिन 1986 से सितम्बर, 2001 तक स्थिति धीरे–धीरे बद से बदतर होती चली गई। मर्ज बढ़ता गया, ज्यों–ज्यों दवा की। 1986 से 1992 के बीच में हमारे देश के अंदर सारे राज्यों में कुल मिलाकर 260 रोगी थे। 1993 में 252, 1994 में 457, 1995 में 1047, 1996 में 1051 और वर्ष 2001 में 14149 रोगी देश में हो गये हैं। इनमें से सबसे ज्यादा रोगी केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में हैं। महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में आधे से ज्यादा रोगी हैं। इसके अलावा दिल्ली में इन रोगियों की संख्या पाई जाती हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मुम्बई में कितने रोगी हैं?

प्रो. रासासिंह रावत : यह रोग जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, वास्तव में यह भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाला है। मैं कहना चाहता हूं कि एड्स के नाम पर हौवा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एड्स के नाम पर जो भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, हमारे यहां शास्त्रों में प्रार्थना किया करते थे–

"हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेने जपोपासनादि कर्मणा,

धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, सद्य सिर्द्धि भवेत"

अर्थात् हे परम पिता परमात्मन् आपकी कृपा से हम जो जप, उपासना आदि कर्म करते हैं, इनके कारण चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों वर्गों की प्राप्ति हो। धर्मपूर्वक जब तक अर्थ था, धर्मपूर्वक जब तक काम था, तब तक मुक्ति भी संभव थी। लेकिन धर्म हट गया। कोरा अर्थ और काम, कंचन और कामिनी, सुरा और सुंदरी

के जाल में आधुनिक भोगवादी सभ्यता फंसी है। यह इसी का दुष्परिणाम है कि एड्स जैसी भयानक बीमारी आ गई। पहले टी.बी. थी। उसके बाद कैन्सर आ गया और उसके बाद एड्स नाम का भयानक रोग आ गया। यह आधुनिक सभ्यता की निशानी है। स्वच्छंद यौनाचार और असंयमित जीवन इसके कारण हैं। यानी संयमित जीवन नहीं है। हमारे यहां कहा गया है–

"संयमः खलुजीवनम्, मातृवत परदारेशु"

अर्थात हमारे यहां संयम ही वास्तव में जीवन है।

"ब्रह्मचर्येण देवाः मृत्युमपाघ्नत्"

अर्थात् ब्रह्मचर्य के आधार पर देवताओं ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी और जो भारतीय दृष्टिकोण था कि शरीर के अंदर प्रतिरोधक शक्ति पैदा करना, ताकि इस प्रकार के रोगों से संक्रमित होकर एक से दूसरे व्यक्ति में ना आये। लेकिन आज उच्छृंखल जीवन्न हो गया है। नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, तथा हमारी नयी पीढ़ी में एल.एस.डी., कोकीन हेरोइन आदि का प्रयोग होन लगा है। जब माता–पिता का नियंत्रण बच्चों पर नहीं रहने लगा और संस्कारयुक्त जीवन नहीं रहने लगा तो परिणामस्वरूप टीनएज में 13 से 19 साल के बीच में ऐसा बिगड़ने का समय आया कि युवकों में और नौजवानों में इस बीमारी की प्रतिशतता देखी जाए तो ज्यादा पाई जाती है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि बच्चे भारत का भविष्य हैं, विश्व का भविष्य हैं। बच्चों में जागरूकता पैदा करना इस रोग के विरुद्ध कि रोग क्या है, इसका प्रिवेन्शन कैसे हो और उसके साथ–साथ इस पर कंट्रोल कैसे हो, उसकी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। कैसे अपना जीवन चरित्रवान सदाचार और जो भारतीय जीवन के महान जीवन मूल्य थे, उन जीवन मूल्यों को अगर जीवन में धारण करेंगे और सुसंस्कृत जीवन और संयमित जीवन बनेगा तो इस प्रकार से बीमारियों से दवाओं की अपेक्षा और नए–नए अनुसंधानों पर करोड़ों रुपए खर्च करके भी जो कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते, वह शायद इस प्रकार की शिक्षा से हम प्राप्त कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा। व्यवहार और आचरण में जहां संयम की आवश्यकता है, वहां मदिरा के अधिक प्रयोग से बचा जाए। जहां पर वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं या फिर लाल बत्ती एरिया है, उन पर भी सरकार निगरानी रखे। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति समाज में नहीं पनपे ऐसी शिक्षा लोगों को दी जाए। हमारे यहां कहा जाता है–मातृवत परदारेषु–अर्थात् दूसरे की स्त्री को माता के समान समझो। एक पत्नीव्रता और एक पतिव्रता का जो लक्ष्य था शायद दूसरों के साथ यहां खुलकर या इधर उधर जो लोग पतित हो जाते हैं, जीवन में भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को संयमित करके और सच्चरित्रता के आधार पर, नशीली चीजों से दूर रहकर अपने जीवन को संयमित बना सकता है ताकि इस रोग से उनको दूर रखा जा सकता है। एक और बात कही गई है कि एंटी रैट्रोवायरल चिकित्सा को भी यहां पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो ताकि इस प्रकार का संक्रमण नहीं फैले।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जगह–जगह पर ब्लड डोनेशन कैम्प लगते हैं। सब जाकर ब्लड देते हैं। उसमें सबका एक साथ खून लिया जाता है लेकिन किसका खून संक्रमित है और कौन सा असंक्रमित है, कौन सा एच.आई.वी. ग्रसित है, यह ध्यान भी रखा जाना चाहिए। ऐसे ब्लड डोनेशन कैम्पों में लोग ज्यादा ब्लड डोनेट करते हैं। यह ब्लड डोनेशन कैम्पों वाली संस्कृति जो पनप रही है और जो ब्लड बैंक हॉस्पिटल में बने हुए हैं वहां पर कई बार ध्यान नहीं रखा जाता और एक ही सुई का इस्तेमाल खून निकालने में बार–बार किया जाता है तो परिणामस्वरूप ब्लड संक्रमित हो जाता है या इम्यूनाइजेशन के दौरान इंजैक्शन्स की सुइयों को बदलने पर ध्यान नहीं दिया जाता तो वह रोग फैलाने का काम करता है। इस बारे में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

मान्यवर, भारत में वैसे तो सरकार ने राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण नीति भी लागू की है और नए मंत्री जी सिन्हा जी आए हैं और वह सबसे पहले इस लोक सभा में एड्स वाली डिबेट में सम्मिलित होकर आज इस समीक्षा का समाधान करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उनसे बड़ी आशा है और अभी हाल ही में वे बार्सीलोना जाकर आए हैं। वहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एड्स के बारे में क्या उपाय हो रहे हैं, वे हमें बताएंगे। हालांकि भारत में पिछले तीन वर्षों में–1999 में 229 मौतें इस बीमारी से हुई, 2000 में 378 मौतें हुई और 2001 में 765 मौतें हुई। मौतों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि

[प्रो. रासासिंह रावत]

अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका हौवा खड़ा नहीं करें, जैसे किरीट सोमैया जी बता रहे थे, बड़ा कारुण दृश्य उपस्थित कर रहे थे, बड़ी भयावह स्थिति बता रहे थे जैसे बड़ा हौवा आ गया या भय का वातावरण पैदा किया गया जिसके कारण वे अपनी बीमारी को छिपाते हैं और बता नहीं पाते हैं। वह रोगी भी ठीक हो सकता है। उसमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि जैसे कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो सकता है, कैन्सर वाले का कैन्सर ठीक हो सकता है, उसी प्रकार से एड्स के रोगी का एड्स भी ठीक हो सकता है, अगर वह दवाओं का सेवन करे और अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि हैल्थ मिनिस्ट्री के अलावा और भी मिनिस्ट्रियों को इसमें लगना होगा। सभी तरह के काम करने होंगे। आत्मबल बढ़ाना होगा। आहार–विहार ठीक करना होगा, आचार–विचार पर ध्यान देना होगा। सभी बातों पर ध्यान देने से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

प्रो. रासासिंह रावत : सभापति महोदय, मैं आपके कथन से पूरी तरह सममत हूं। आसन से जो व्यवस्था दी गई है, मैं उसे स्वीकार करता हूं।

सभापति महोदय, अन्त में मैं केवल दो बातें और कहना चाहता हूं। युवकों के अंदर विशेष रूप से होस्टल वगैरह में जहां लड़के और लड़कियों को साथ–साथ रहने के अवसर ज्यादा उपलब्ध हैं वहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनमें जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। इस बारे में उन्हें पढ़ाने की भी आवश्यकता है। उन्हें एजूकेट करने की भी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, डा. सरोजा ने इस विधेयक के अंदर राज्य सरकारों का क्या कर्तव्य है, स्वास्थ्य अधिकारियों का क्या कर्तव्य है, केन्द्र सरकार का क्या कर्तव्य और एच.आई. वी. पाजीटिव वाली 20 सप्ताह की गर्भवती महिला की गर्भावस्था को कैसे बचाया जाए और उनकी किस प्रकार जांच की जाए, गुर्दा, रक्तदान के बारे में भी बताया गया है कि उनकी किस प्रकार से जांच की जाए और वाणिज्य संगठनों के द्वारा जो रक्त बेचने आदि की प्रवृत्ति है, उसे कैसे रोका जाए, उसकी जांच हो आदि सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और उपाय अच्छे हैं। इसके अंदर चारों चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

सभापति महोदय, संक्रमित व्यक्ति को परामर्श दिया जाए कि भाई तुम ठीक हो सकते हो। स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जाए, सामाजिक चेतना पैदा की जाए ताकि उसे सामाजिक अवलंबन मिल सके, समाज का सहारा मिल सके और घर वाले उसे बिलकुल नैगलैक्ट न कर दें। सामाजिक सहारे के साथ–साथ उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी हो। तभी वास्तव में इस रोग के ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके निवारण और नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएं। सबसे बड़ा तो व्यावहारिक उपाय किया जाना चाहिए। जो ध्यान अवस्था है, जिसमें ध्यान लगाकर कंसन्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है, वह किया जाए। इस प्रकार से बुराइयों से हटकर सद्–प्रवृत्ति की ओर मुनष्य को जाना चाहिए। "असतो मा सदगमय" यानी असत्य से सत्य की ओर जाना चाहिए। यदि इसका प्रयास किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एड्स से मुक्ति पा सकेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय सभापति महोदय, एड्स एक भयावह संक्रामक रोग है। इस रोग की भयावहता को देखते हुए विभिन्न देशों से जो सहायता भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होती है, मैं जानना चाहूंगा कि वह कितनी है और वे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन कौन–कौन से हैं जो भारत को सहायता देते हैं और भारत में कौन–कौन से संगठन हैं जो इसको प्राप्त करते हैं?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो सहायता राशि विभिन्न देशों से प्राप्त होती है क्या उसका ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय उसके ऊपर निगरानी रख रहा है या नहीं, ताकि अन्य देशों से प्राप्त होने वाली सहायता का सदुपयोग हो और इस बीमारी की जिस प्रकार से हम रोकथाम करना चाहते हैं? वह की जा सके।

सभापति महोदय : दोहा डिक्लेरेशन सहित।

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : सभापति महोदय,

मैं सबसे पहले डा. सरोजा को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस तरह से देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एच. आई.वी. पाजीटिव यानी एड्स चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ी है। मैं समझती हूं कि महिला द्वारा एड्स के निवारण एवं नियंत्रण के लिए लाया गया यह विधेयक पहला प्रयास है जिसके लिए वे बधाई की पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने मंत्री पद का भार संभालते ही अपने पत्र द्वारा सभी को अवगत कराने का काम किया है जिससे यह प्रकट होता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को एच.आई.वी. पाजीटिव, एड्स के बारे में कितनी चिन्ता है और इस बारे में वे कितने जागरूक हैं। इस बात को इन्होंने अपने पहले पत्र के माध्यम से ही पूरे सदन को बताने का काम किया है।

महोदय, आज एड्स समाज, समुदाय और अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से छिन्न-भिन्न कर रही है और जिस प्रकार से यह विकास के मार्ग में अवरोधक के रूप में खड़ी हुई है, यह स्थिति बहुत विषम एवं भयावह है। पिछले एक दशक में देश और दुनिया में जिस गति से इस बीमारी ने पांव पसारे हैं, वह एक चिन्ता का विषय है और सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हम एड्स का ठोस उपचार नहीं निकाल पा रहे हैं। इसमें दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों पर जब नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्ष 2000 के आखिर तक दुनिया में 3 करोड़ 61 लाख वयस्क और 14 लाख बच्चे एच.आई. वी. पोजीटिव की चपेट में आ चुके हैं। एड्स के कारण 30 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में वर्ष 2000 में संक्रमित लोगों की संख्या सात लाख थी। इस क्षेत्र में करीब 58 लाख वयस्क और बच्चे एच. आई.वी. पोजीटिव की चपेट में आ चुके हैं।

मेरा कहना है कि एड्स के 74 प्रतिशत मामले असुरक्षित यौन संबंधों के कारण हैं। अब यौन संबंधों के बारे में काफी प्रचार-प्रसार भी हो रहा है। बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि नैशनल हाईवेज पर रात्रि में जो ट्रक चलते हैं, उन ट्रकों के ड्राइवर 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की लड़कियों को हायर करके उनके साथ यौन संबंध बनाते हैं। यह स्थिति दिन-प्रतिदिन आगे ही बढ़ती जा रही है, यानी इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। मैं समझती हूं कि इसमें स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग रहता है। जब वे ट्रक रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में मोबाइल पुलिस भी काफी रहती है लेकिन उसके बावजूद इन घटनाओं में कोई रोकथाम नहीं हो रही। इसी तरह जब वे लड़कियां गांव में जाकर किसी और के साथ यौन संबंध बनाती हैं तो इससे भी उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और इस तरह से यह बीमारी गांवों में भी प्रवेश करती जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

इसी तरह से सेक्स वर्कर्स हैं, उनके साथ बहुत से लोगों का संबंध होता है। इस कारण भी एड्स के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं एक बात बताना चाहती हूं कि टेलीविजन पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से आम नागरिकों को सचेत करने के लिए कंडोम का प्रचार तो किया जाता है लेकिन उसके साथ-साथ कामसूत्र के बारे में भी दिखाया जाता है। मैं समझती हूं कि यह हमारे समाज के लिए बहुत ही विकराल रूप लेने जा रहा है क्योंकि जब इन सब चीजों को बच्चे देखते हैं तो उनको कंडोम की बात तो समझ में नहीं आती लेकिन चित्र के द्वारा जो सामने प्रदर्शित होता है, उसका उनके मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है।

अभी किरीट सोमैया जी ने बहुत ही भावनात्मक तरीके से, बहुत ही ह्रदयविदारक रूप में बताया कि जो गर्भवती महिलाएं एड्स से ग्रसित हैं, उनके साथ होने वाले बच्चे भी एड्स से प्रभावित हो जाते हैं। उनका दोष क्या है? यदि देखा जाए तो समाज में हर तबके की ज्यादातर महिलाएं हर तरह प्रताड़ित हो रही हैं, चाहे वह दहेज हत्या हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, हर तरह से महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, उनसे पता चलता है कि 38 से 48 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं, इस एच.आई.वी. पोजीटिव से ग्रसित हैं। आखिर उनका दोष क्या है? इस तरह उन्हें हर तरफ से प्रताड़ित क्यों होना पड़ रहा है?

यहां सब लोगों ने कहा कि एड्स के मामले में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। इसके बारे में काफी प्रचार प्रसार होता है, सेमीनार होते हैं, बुद्धिजीवियों और विद्वानों

[श्रीमती कान्ति सिंह]

की बैठक होती हैं, संगोष्ठियां होती हैं और एड्स निवारण हेतु विचार–विमर्श किया जाता है। मैं जानना चाहती हूं कि इन संगोष्ठियों से कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित हो रहे हैं? मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि हमारे समाज के अंतिम छोर में बैठने वाले लोग, जो कि गांव में बसने वाले हैं, वे इसके प्रचार–प्रसार को देख नहीं पाते और न ही इसे समझ पाते हैं। मेरा कहना है कि उनमें जागरूकता लाने के लिए जो संगोष्ठियां होती हैं या डाक्टरों का स्वास्थ्य मेला लगता है, वह गांव में पंचायत स्तर पर हो तो मैं समझती हूं कि इससे गांव का जो व्यक्ति अशिक्षित है, उसे भी एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। एच.आई.वी. एड्स अनुसंधान हेतु डाक्टर विदेश चले जाते हैं, मंत्री विदेश चले जाते हैं, क्या इससे निराकरण हो जाएगा? मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहती लेकिन यह सच्चाई है। इसलिए आज एड्स घटने के बजाए, इसमें दिन दूनी–रात चौगुनी प्रगति हो रही है, यह सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है।

मेरे क्षेत्र से एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत ही संकोच में था। पहले तो वह कुछ कहने से घबरा रहा था कि पता नहीं, सांसद महोदया मुझे अपने यहां रहने भी देंगी या नहीं। मेरे बहुत कुरेदने के बाद उसने बहुत ही संकोच के साथ बताया कि मुझे एड्स की बीमारी हो गई है, यानी लोगों को बोलने में इतनी शर्म आती है। यह जरूरी नहीं है कि यह यौन संबंधों द्वारा होता है। ग्रामीण इलाकों में क्या होता है। आज शहरों में, बड़े–बड़े अस्पस्तालों में डिस्पोजेबल सिरिंज मिल जाती है लेकिन गांवों में एक ही सिरिंज से कई लोगों का खून निकालने का काम होता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जहां तक संभव हो, आप इस पर रोक लगाएं ताकि ग्रामीण इलाकों में यह खून द्वारा जो एक–दूसरे में संक्रमण समाहित होता है, वह नहीं हो।

नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन के अध्ययन में पाया गया है कि भारत में मानव से नवजात शिशु में एच.आई. वी. संक्रमण होता है। जिस तरह कालाजार बीमारी के बहुत से उपचार निकल आए उसकी दवाईयां हो रही हैं, उसकी रोकथाम की जा रही है, मलेरिया का इलाज हो रहा है, वैसे ही क्या वैज्ञानिकों ने अभी तक ऐसा कोई अनुसंधान नहीं किया है जिससे इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सके क्योंकि जिस व्यक्ति को यह जानकारी हो जाती है कि उसे एच.आई.वी. पोजीटिव है तो मैं समझती हूं कि दवाई तो दूर, वह वैसे ही ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकता। उससे घर के लोग भी परहेज करने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि साथ खान–पान से वह बढ़ जाए। इस तरह समाज में एक दूसरे के साथ रहने से वह रोग से ग्रसित हो जाए, उसे अलग कर दें, साथ मत बिठाएं। हम कहेंगे कि इसे हौवा न बनाते हुए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार–प्रसार का सहारा लेना चाहिए, नुक्कड़ सभाएं होनी चाहिए, समाचार पत्रों के माध्यम से बताया जाना चाहिए, ऐसी तस्वीर देनी चाहिए जिससे लोगों को समझ आ सके। जैसे मंत्री जी पहले फिल्म स्टार थे, इसलिए आज सारे देश का एक–एक बच्चा इनको पहचानता है। एच.आई. वी. संक्रमण के बारे में यदि बार–बार लोगों के बीच बताया जाएगा, ग्रामीण इलाकों के बीच ले जाने का काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों में जागरूकता आएगी। आज बहुत सी दवाइयां महंगी हैं जिन्हें गरीब तबके के लोग नहीं खरीद सकते, वे दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते तो कैसे महंगी दवाइयां खा सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कान्ति जी, आप कितना समय और लेंगी।

श्रीमती कान्ति सिंह : मैं चाहूंगी कि मुझे बोलने के लिए थोड़ा और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : अभी 5.50 बजे हैं। इस बिल के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, वह समाप्त हो रहा है।...

(व्यवधान)

श्रीमती कान्ति सिंह : मैं चाहती हूं कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने से रोक नहीं रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 5.50 हो गए हैं और इस बिल के लिए जितना समय निर्धारित किया गया था, वह समाप्त हो गया है। इसलिए यदि सदन की सहमति हो तो इस पर एक घंटे का समय और बढ़ाया जाए क्योंकि यह विषय

महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : आपने इस पर एक घंटे का समय बढ़ा दिया लेकिन सदन कब तक बैठेगा, यह तय हो जाना चाहिए।

सभापति महोदय : हाउस 6.18 बजे तक बैठेगा। मैडम, अब कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती कान्ति सिंह : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रही थी कि गर्भवती महिला के इलाज के लिए 175 रुपए की एण्टी रैकटीवायरल दवा मिलती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य केन्द्रों पर यह दवाई उपलब्ध करवाई जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों की गर्भवती महिलाओं को यह दवा मिल सके और वे इस बीमारी से ग्रसित न हो सकें। मैं इसके साथ कुछ रोकथाम के बारे में भी कहना चाहूंगी। नवजात शिशुओं की माताएं अगर एच. आई.वी. एड्स के ग्रसित हैं तो उनके लिए अलग से दूध पीने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चे स्तनपान न कर सकें। अगर अलग से दूध की व्यवस्था हो जाएगी तो वे इस बीमारी से भी कुछ छुटकारा पा सकते हैं।

इसके साथ ही आज जो लोग अशिक्षित हैं, कम पढ़े-लिखे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए, प्रचार-प्रसार के लिए अधिक से अधिक धन आवंटित करना चाहिए। एच.आई.वी. एड्स से ग्रस्त लोगों की देखभाल के लिए अलग सैल की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

शिक्षा में आजकल के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, उसमें एड्स विषय की शिक्षा भी सम्मिलित की जानी चाहिए। शिक्षा में अगर यौन संबंधी विषय और एड्स को रख दिया जाए तो मैं समझती हूं कि हमारे 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे जागरूक हो सकते हैं तथा इससे भी इसकी रोकथाम हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि इसका प्रचार-प्रसार काफी होना चाहिए और जगह-जगह इसकी दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयां जो बहुत मंहगी हैं, वे आम जनता तक भी पहुंच सकें।

जो लोग रक्तदान करते हैं, इसके लिए शिविर लगाते हैं, शिविर लगाने से पहले सारी चीजों की जांच हो जानी चाहिए कि जो खून देने वाले, रक्त देने वाले व्यक्ति आए हैं, वे इस रोग से ग्रसित तो नहीं हैं। बहुत सारे लोग, रिक्शापुलर लोग अपना पेट पालने के लिए भी रक्तदान करते हैं। इससे जो पैसा मिला हैं, उससे वे अपनी जीविका चलाते हैं। जहां रक्तदान शिविर लगता है, जहां पर भी रक्तदान होता है, वहां पर खून का भी टैस्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति रक्तदान करने आया है, वह इस रोग ग्रसित तो नहीं है ताकि किसी दूसरे व्यक्ति में यह रोग प्रवेश न कर सके।

इन सब बातों को कहते हुए मुझे माननीय मंत्री जी से अन्तिम बार यह कहना है कि आपने जो पहल की मैं समझती हूं कि इस पर निश्चित और आपके माध्यम से इस देश के, समाज के, गांव के लोगों को एड्स की बीमारी से छुटकारा मिल सकेगा।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : माननीय सभापति जी, मैं विद्वान बहन डा. वी. सरोजा जी के इस अति महत्वपूर्ण संकल्प का समर्थन करती हूं। साथ ही मैं उन्हें यह हिम्मत भी दिलाती हूं कि इस बिल को जितनी मेहनत से आपने बनाया है, इस बिल को नियमित बिल की श्रेणी में लाकर माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देते हुए इस बिल को सही रूप में पारित करने के लिए सहयोग करेंगे और सरकार की तरफ से बिल लाएंगे।

यदि स्वास्थ्य है तो यह संसार है। यह सही है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षिणी नारी, यहां मैं नारी और नर दोनों के लिए कहूंगी और चौथा सुख संतान सुखारी। इन चारों ही व्यवस्थाओं के साथ यह भयानक बीमारी कालचक्र की तरह अड़ी हुई है। इस बीमारी के पीछे चाहे जो कारण हों, उन कारणों पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला है। भाई किरीट सोमैया इसकी भयावह स्थिति को हमारे देश में किस तरह से देख रहे हैं और उसकी रोकथाम के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। इसके साथ ही माननीय सांसद आदरणीय रासासिंह जी ने इसके साथ कुछ भावनात्मक पक्ष भी जोड़ा था और उस भावनात्मक पक्ष में भारतीय संस्कार, भारतीय व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला था, जो बहुत ही महत्व रखते हैं।

आज भी कुछ प्रान्त ऐसे हैं, जो प्रान्त इस बीमारी से

[श्रीमती जस कौर मीणा]

बहुत दूर हैं। मैं सोचती हूं कि उन प्रान्तों के वासियों का एक तो ईश्वर मालिक है और दूसरी बात यह भी है कि उनका आचरण भी शुद्ध है। दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और त्रिपुरा में आज भी इस भयानक बीमारी के जीवाणु नहीं पहुंच पाए हैं। यह वहां के नागरिकों की सतर्कता या वहां के नागरिकों की दिनचर्या संस्कारवान है। इसके साथ-साथ ईश्वर तो रक्षक होता ही है। यह संसार 21वीं, सदी में जा रहा है। इसके साथ बहुत से भौतिक तंत्र भी काम कर रहे हैं, जिनमें मीडिया सबसे बड़ा है। मैं कहूंगी कि पाश्चात्य सभ्यता का दुष्परिणाम और उनकी खुली पारिवारिक व्यवस्था, खुली संस्कृति कहीं भारत जैसे देश के लिए दोषी सिद्ध हो सकती है। पाश्चात्य सभ्यता का स्वछंद प्रदर्शन, उच्छृंखल प्रदर्शन मीडिया के माध्यम से घर-घर तक छा गया है। इससे बचने के लिए हमें अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कारों को यदि हम भारतीय पद्धति की पारिवारिक व्यवस्था के साथ अंगीकार करेंगे तो इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। टूटती हुई पारिवारिक व्यवस्था इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है। आज हम भौतिकता के साथ इतना भाग रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को काम करना पड़ता है। वहां आपस में मानसिक टकराव भी पैदा होते हैं। इससे पुरुष और महिला अलग-अलग रास्ते भी अपना लेते हैं और उसके साथ यह बीमारी स्वतः जुड़ जाती है। इस कारण उनके निर्दोष बच्चे जो कोख और गोद में पलते हैं, वे भी उसका शिकार होते हैं। अगर जन मानस में जागरूकता पैदा की जाए, इस टूटी हुई व्यवस्था को सम्वाद या आपसी वाद विवाद के माध्यम से हल किया जाए, तो भी हम इस बीमारी से काफी हद तक बचने में कामयाब हो सकते हैं।

इसके अलावा हमारे देश में स्त्री-पुरुष का अनुपात काफी बढ़ रहा है। 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं है। यह अंतर महानगरों में और भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अभी किरीट भाई मुम्बई के बारे में बता रहे थे, क्योंकि वह वहां के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। जहां देश में 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं, वहीं मुम्बई और चैन्नई जैसी जगहों में यह अनुपात आधा है। उस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि मानव जिन प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, प्रकृति है, उसके प्रतिकूल सेक्स की ओर जाता है, उस परिस्थिति में इन महानगरों में जो भयावह स्थिति बनी है, उससे पता चलता है कि तमिलनाडु में देश के सबसे ज्यादा एड्स के मरीज करीब 15054 हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के मुम्बई का नम्बर आता है। ये जो महानगर हैं, यहां देश के विभिन्न भागों से मजदूर लोग धनोपार्जन के लिए आते हैं। उस स्थिति में पारिवारिक व्यवस्था उनके साथ नहीं होती। आज हम अगर यह चाहें कि वेश्यावृत्ति एक दिन में समाप्त हो जाए, तो वह नहीं हो सकती। सदियों से यह चली आ रही है। काल के साथ हम देखते हैं कि हर युग में यह थी। उसके पीछे एक कारण यह भी था कि असुंतिलत स्त्री-पुरुष अनुपात में कमी के चलते यह व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को कानून की परिधि में रहते हुए हमें दूर करना चाहिए और हमें कौन सा एरिया ऐसा है, इसको चिन्हित करना चाहिए। इसके अलावा वहां किन बीमारियों से ग्रसित होकर महिलाएं रह रही हैं और उनकी क्या हालत है, यह भी देखना चाहिए। बड़े पैसे वाले लोगों ने इस तरह की व्यवस्था में महिलाओं का जो दुरुपयोग किया है, उससे भी एड्स को बढ़ावा मिला है। जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कानून बनाकर कार्रवाई की जाए और इन महिलाओं को इस चंगुल से बचाया जाए।

आज हम भले ही संसद के इस सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि मैं जिस गांव से आती हूं वहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी जैसी महिला यहां आएगी और समाज के इस बड़े मुद्दे पर चिंतन करेगी। इस तरह के गांवों में रहने वाले लोगों की संख्या देखकर मैं कह सकती हूं कि वहां करीब 75 प्रतिशत लोगों को इस बीमारी का नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि वे पढ़े-लिखे नहीं हैं इसलिए वे इस तरह की बीमारियों के बारे में नहीं जानते।

सायं 6.00 बजे

आज भी वहां चिकन-पॉक्स जिसे माता जी के नाम से जानते हैं कि माता निकल आई है और उसका उपचार भी उसी तरह से करते हैं जो उनका अंध-विश्वास चला आया है। महिलाओं की साक्षरता दर को देखते हैं तो भारत में आंकड़े 45 प्रतिशत हैं लेकिन यह 45 प्रतिशत आंकड़ा उन महिलाओं का है जिन्होंने अंगूठा छोड़कर अपना नाम लिखना सीख लिया हैं। उसको यह कहना कि योग्य शिक्षा,

काम चलाऊ शिक्षा या सक्षम शिक्षा बढ़ गई है तो ऐसा नहीं है। साक्षरता अभियानों के चलले थोड़ी–बहुत यह दर जरूर बढ़ी है लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो पढ़े–लिखे और बड़े लोगों की बीमारी है। गांवों के लोग खून और इंजेक्शन के संक्रमण से या दुर्भाग्य से जिस महिला का पति मुम्बई जैसे शहर में काम करता है तो वह वहां से इस बीमारी को लेकर आता है तो उसको यह बीमारी ट्रांसफर हुई है। ऐसी परिस्थिति में उनको नहीं पता कि यह क्या बीमारी है। ऐसी परिस्थिति में हमें ही ज्यादा जागना है लेकिन जो जगे हुए को जगाने की बात है जो कि बहुत कठिन काम है। जो पढ़े–लिखे लोग हैं या सक्षम या सामर्थ्यवान लोग हैं उनके लिए बहुत सारी औरतों के साथ संबंध रखना या प्रतिदिन औरतों का बदलाव करना ही स्टेटस सिम्बल हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी को जरूर सोचना चाहिए क्योंकि आप जिस क्षेत्र से काम करते आए हैं या जिस स्थिति में काम करते आए हैं, मुझसे कहीं अधिक खुली तस्वीर आपके सामने है। आप उस महानगर को नजदीक से देखते हैं। हम तो केवल सुनते हैं लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पढ़े–लिखे लोग गरीब औरतों को किस तरह से संक्रमण से प्रभावित कर रहे हैं और उनकी कोख में हुए बच्चे को किस स्थिति में धकेल रहे हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मंत्री हैं और बहन सरोजा जी डाक्टर हैं। आप लोगों की भावना मिल जाएगी तो निस्संदेह हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और संकल्प से आपके साथ हैं और अपने–अपने क्षेत्र के अंदर निस्संदेह हम महिलाओं से चर्चा करते हैं और उनको कहते हैं कि निर्भीक होकर अपनी बीमारियों को डाक्टर को बताना चाहिए। लेकिन आपके मंत्रालय से टी.बी. या एड्स निदान हेतु जो फ्री कैम्प लगाने की बात चलती है और सारा धन गांवों के लिए जब जाता है, उदाहरण के लिए पल्स पोलियो के लिए जाता है तो मैं कहती हूं कि आज भी 23 मार्च को पल्स पोलियो की डेट के दिन 15 गांवों में मैं घूमी थी और एक भी गांव में पल्स पोलियो का अरेंजमेंट नहीं था। आप तक आंकड़ों का मकड़जाल पहुंचाया जाता है। इसीलिए मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यदि सम्पूर्ण धनराशि का सही उपयोग किया जाता है तो निस्संदेह हमारे देश के अंदर से यह भयंकर बीमारी स्वतः साफ हो सकती है।

ये बड़े–बड़े पोस्टर, बड़ी–बड़ी किताबें, स्लोगन इत्यादि जो लिखे जाते हैं, ये किसको दिखाए जाते हैं? ये सब शहरों में चल सकते हैं। शहरों में तो फिल्में भी चल सकती हैं लेकिन गांवों में साक्षर लोग नहीं होने की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। उनके मन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अंत में मैं कहना चाहूंगी कि

"मंत्री, गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस,
राज धर्म, तन तीन का होय बेगही नास"

आप मंत्री हैं। डॉक्टर बहन ने यह प्रस्ताव दिया है और मंत्री गुरु के रूप में जनता के लिए शिरोधार्य हैं। यदि निर्भीक होकर इन बीमारियों से लड़ना है तो आपके मंत्रालय से जो धन जाता है, उसका पाई–पाई यदि उपयोग नहीं होता है तो मैं सोचती हूं कि आपके मंत्रालय का गुरुतर भार पूरा नहीं हो सकता और एड्स के बारे में गांवों में किस तरह से समझा सकते हैं, इसके लिए आपको सोच बनानी होगी। अच्छा हुआ कि आपके यहां जो स्वयंसेवी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं, उनके बारे में सभी सांसदों को बताया जाए कि इस संसदीय क्षेत्र में इतना धन इस संस्था को दिया गया है। ताकि हम इस संस्था के कार्यकलाप की जांच कर सकें और सहयोग कर सकें।

अंत में, मैं आपसे यही अनुरोध करती हूं कि इस भयानक बीमारी के निपटान के लिए इस विधेयक को राजकीय विधेयक बनाएं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : महोदय, आरंभ में मैं अपने आदरणीय सहयोगी डा. वी सरोजा को ऐसे एक विधान लाने के लिए धन्यवाद देते हुए अपने सहयोगियों से संबद्ध करता हूं जिसमें इस जानलेवा बीमारी के सभी पहलू शामिल हैं।

यह विधेयक निवारण, नियंत्रण और विशेष चिकित्सा तथा वैसे लोगों को सामाजिक सहायता और पुनर्वास प्रदान करती है जो विशेषकर इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं।

महोदय, हम जानते हैं कि हमारा देश भी संपूर्ण विश्व

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

के समक्ष आ रही इस संदोष और खतरनाक बीमारी से अछूता नहीं है। हमारे सामने अफ्रीकी देशों के उदाहरण हैं। वे इस बीमारी से बुरी तरह ग्रस्त हैं और इस जानलेवा बीमारी के नियंत्रण और निवारण के बजाय इसने वहां के भारी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। हमारे देश में भी लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। हमारे नगरों विशेषकर मुंबई और कोलकाता जैसे महानगर इस जानलेवा बीमारी के जन्म स्थल जाने जाते हैं।

यहां अनेक सुझाव दिए गए हैं। हमारे पास भी इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए। अल्पकालिक योजना में जैसाकि विधेयक में सही उल्लेख किया गया है कि हमें प्रभावित लोगों की संख्या और जो लोग पहले से उपचारहीन हैं, उनके बारे में एक तुरंत एवं राज्यवार सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता है बेशक दीर्घकालिक योजना में रोग के कारणों, निवारात्मक उपायों के बारे में प्रचार अभियान शुरू करना होगा और ऐसा कर इस बीमारी के फैलाव को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

प्रचार अभियान के मामले में हमारे माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे प्रचार के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वे स्वयं इस सार्थक उद्देश्य हेतु एक अच्छे प्रचारक होंगे। उन्होंने शुरूआत में पहल की थी। मात्र कुछ दिन पहले माननीय मंत्रियों ने विशेषकर इस मसले पर चर्चा करने के लिए माननीय सदस्यों की एक बैठक बुलाई है इसलिए माननीय मंत्री राष्ट्र के सामने इस गंभीर खतरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं।

जब भी हम इस समस्या से मुकाबला करने के बारे में बात करते हैं तो बेशक हमें धनराशि की आवश्यकता होती है। केन्द्र सरकार एड्स के निवारण और उपचार हेतु एक विशेष बजटीय प्रावधानों का क्या कर रही है? मुझे उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में माननीय मंत्री कुशल नेतृत्व में मंत्रालय में विशेषकर इस क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान करेंगे। जब भी हम इस समस्या से निपटने की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि डा. सरोजा ने इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने में जिस 100 करोड़ या 500 करोड़ रुपए का आवर्ती खर्च करने का जिक्र किया है वह होगा। हम निवारक उपायों और औषधियों के लिए हमेशा पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं। क्या हमारे पास विशेषकर इस क्षेत्र में औषधियों और निवारक उपायों के लिए अपना अनुसंधान और विकास कार्यक्रम नहीं हो सकता? स्वास्थ्य मंत्रालय को औषधियों के बारे में विशेष रूप से सोचना है। हमारे पास अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भी है। हमें निवारक उपायों के लिए विशेष अनुसंधान और विकास अभियान के लिए प्रभावी रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और धन लगाना चाहिए।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक में एक बात छूट गई है। इसमें गैर–सरकारी संगठनों और धमार्थ संस्थानों की भूमिका का उल्लेख नहीं है। बेशक इस प्रकार का गंभीर कार्यक्रम जिसका संचालन राष्ट्रीय स्तर पर होता है, सरकार सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। निश्चित रूप से गैर–सरकारी संगठनों और विभिन्न धमार्थ संस्थानों की सहायता को सुनिश्चित करना होगा।

ऐसे अनेक संस्थान हैं जो इस विशेष क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। यह न सिर्फ सामान्य स्वास्थ्य देखभाल है बल्कि एड्स रोगियों के उपचार और परिचर्या में संलग्न है जिसकी वे सहायता करते हैं। ऐसी सहायता इस देश में उपलब्ध है। क्या सरकार ने उन संगठनों के बारे में सोचा है? मैं अनेक संगठनों का नाम गिना सकता हूं। लेकिन मैं विशेषकर केरल के त्रिचूर जिले का जिक्र करना चाहूंगा। चालक्कुडी शहर में मूरीनगूर नामक एक स्थान है। मूरीनगूर दैवी आश्रम केन्द्र है। लगभग 20 अथवा 21 वर्ष की युवा मठवासिनी एड्स रोगियों की देखभाल करती हैं जिन्हें उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा लाया गया है जो अपने परिवार में वापस नहीं जा सकती और शांतिपूर्ण मौन चाहती हैं। ये युवा लड़कियां इन रोगियों की अपने जोखिम पर देखभाल करती हैं। इस तरह की अनेक संस्था हैं। ये संस्था बिना धनराशि और सहायता के कार्य कर रही हैं। यदि सरकार स्वयं इन रोगियों की देखभाल नहीं कर सकती है तो कम से कम इस प्रकार के संगठनों को बढ़ावा और सहायता देनी चाहिए। सरकार को ऐसे संस्थाओं का पता लगाने हेतु एक राज्यवार सर्वेक्षण कराना चाहिए जो एड्स रोगियों की सहायता में सेवारत हैं। इन संस्थानों को जो कुछ भी वित्तीय सहायता संभव हो उससे सरकार द्वारा दी जानी चाहिए और ऐसा

करने के लिए तुरंत सामने आना चाहिए। जब तक सरकार स्वयं अथवा अपने विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से इन रोगियों की सहायता नहीं करती तब तक इस प्रकार की मददकारी गतिविधियों में संलग्न मौजूदा संस्थानों को प्रोत्साहन देना चाहिए उनकी सहायता की जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूं। अनेक सुझाव सामने आए हैं। कम से कम एक सुझाव जो माननीय सदस्य श्रीमती कान्ति सिंह द्वारा यहां दिया गया है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि सरकार एक बार उपयोग किए जाने वाले सिरिंज (डिस्पोजेबल सीरिंज) जैसी सुविधा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराए तो इस बीमारी से बचाव में सहायता मिल सकती है और इसका भविष्य में लाभ भी मिलेगा। यदि केन्द्र और राज्य सरकारें कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बार उपयोग किए जाने सिरिंज (डिस्पोजेबल सिरिंज) प्रदान कर सकती हैं तो इसमें भारी सहायता मिलेगी। आंज यह भी नहीं किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। माननीय मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। मात्र कुछ लोगों के पास ही निजी संस्थानों में इलाज कराने की क्षमता है जहां इस प्रकार के आधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन हमारे देश के अधिसंख्य लोग साधारणतः गरीब हैं। ऐसे गरीब लोग इस प्रकार की सहायता से वंचित हैं। इसलिए सरकार को सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम से कम न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि इन सभी उपायों को शीघ्रताशीघ्र और आपातकालीन स्तर पर उठाया जाए तो इससे सचमुच इस जानलेवा रोग के भारी विस्तार को रोकने में मदद मिल सकती है। यदि भविष्य में इसे नहीं रोका जाता है तो इससे राष्ट्रीय विपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

अब माननीय मंत्री ने स्वयं इस नए कार्य को अपने विशेष मिशन के रूप में शामिल किया हैं। मैं आशा करता हूं इससे हमारे देश में इस रोग के निवारण और नियंत्रण करने में भारी सहायता मिलेगी।

मैं डा. सरोजा को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विशेष क्षेत्र में अच्छी पहल की है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, डा. सरोजा जी जो गैर–सरकारी विधेयक इस हाउस में लाई हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।...*(व्यवधान)* इसे गैर–सरकारी बिल के रूप में लाया गया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मुम्बई वाले हैं, इसलिए आग के शोले हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि आप मंत्री बन गए हैं।

सभापति महोदय, आज एड्स की बीमारी सारी दुनिया में बढ़ती जा रही है और इसकी संख्या आज एक करोड़ तक पहुंच गई है। हमारे देश के महानगरों–दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में एड्स के बीमार दिखाई देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

> एड्स खत्म करना हमारा काम है, शत्रुघ्न, ही उनका नाम है,
>
> एड्स खत्म करने में बहुत बड़ा दाम है, शत्रुघ्न, यही अब हमारा काम है।

श्री किरीट सोमैया जी ने बताया कि उनकी एक संस्था इस कार्य के प्रसार और प्रचार में लगी हुई है। डा. सरोजा की एक संस्था इस काम में लगी हुई है। मैं जब महाराष्ट्र में समाज कल्याण मंत्री था, महाराष्ट्र और विशेषकर मुम्बई में इस कार्य के लिए प्रचार किया। गांवों से लोग एड्स लेकर आते हैं और मुम्बई से पैसा लेकर जाते हैं। यह बात बिलकुल सही है कि इसकी रोकथाम किए जाने की जरूरत है।

सभापति जी, श्री शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में आए हैं। वैसे इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए था लेकिन जब आ ही गए हैं, हमें फिल्मों में जाने की जरूरत है। वे बिहार से चुनकर आए हैं और मंत्री बन गए। आप पर लोगों को उम्मीद है। आज जो नौजवान लोग गलत काम कर रहे हैं, उन्हें सही राह पर लाने का काम हम लोगों को करना है। प्रो. रावत बतला रहे थे कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध धर्म था। उसके बाद वैदिक धर्म आया और हिन्दू धर्म आया। मैं कहना चाहता हूं कि यह नीति की बात है। लोग बाहर जाते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी

सजा मिलनी चाहिए। मेरी मांग है कि जो नीति तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें "पोटा" के अंदर रखना चाहिए। हमारे देश में इस तरह का कानून भी है।

सभापति महोदय, मेरी मंत्री जी से विनती है कि वे एड्स की बीमारी खत्म करने के लिए प्रयास करें, हम इसमें उन्हें पूरा-पूरा सहयोग देंगे। इसके लिए एक आन्दोलन शुरू करने की आवश्यकता है। एड्स के द्वारा जो नुकसान होता है, इसका संदेश लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अगर आपने यह काम अपने हाथ में ले लिया तो हम विपक्ष में रहकर भी सरकारी पक्ष से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप इस काम को करिए, हम आपको सहयोग देंगे। लेकिन अगर पेट्रोल पम्प जैसे काम करोगे तो हमें आपको सहयोग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा काम करोगे तो हम जरूर आपका साथ देंगे। डा. वी. सरोजा इस गैर-सरकारी बिल को लाई हैं, सरकार द्वारा भी इस बिल को लाकर देश से एड्स को समाप्त करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 5 अगस्त, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.21 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 5 अगस्त, 2002/ 14 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।